सप्तदश माला, खंड 8, अंक 22 | शुक्रवार, 20 मार्च, 2020

30 फाल्गुन, 1941 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र

(सत्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 8 में अंक 11 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

20-03-2020

संपादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल

संयुक्त सचिव

अमर सिंह

निदेशक

शैलेश कुमार

संयुक्त निदेशक

ओंकार

उप निदेशक

© 2020 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence**) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

20-03-2020

विषय-सूची

सप्तदश माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 2020 / 1941 (शक)

अंक 22, शुक्रवार, 20 मार्च, 2020 / 30 फाल्गुन, 1941 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
[1]तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 387 और 400	16-47
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 388 से 399	47
अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600	47

[1] किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
सभा की बैठक के शुरु होने के समय के बारे में	48
सदस्यों द्वारा निवेदन	49-51, 70-72, 96-97, 110-111

(एक)	आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में कथित वृद्धि के बारे में	49-51
(दो)	संसेक्स में तीव्र गिरावट के मद्देनजर स्टॉक एक्सचेंजों को बंद किए जाने की आवश्यकता	70-72
(तीन)	चिखलदरा हिल स्टेशन में अवैध स्टोन क्रशिंग के कारण प्रदूषण के बारे में	96-97
(चार)	वन क्षेत्रों में अस्पतालों द्वारा बायोमेडिकल अपशिष्ट की डंपिंग के बारे में	110-111

सभा पटल पर रखे गए पत्र	52-56

राज्य सभा से संदेश	
और	56-57
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक	
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	
1 से 8वां और 9वें से 23वां प्रतिवेदन	57
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	
10वें से 12वां प्रतिवेदन	58
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
6वें से 8वां प्रतिवेदन	59
सभा का कार्य	60-62
कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	63
नियम 377 के अधीन मामले	112-129

(एक)	झारखंड में लंबित सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	

	श्री सुनील कुमार सिंह	112-113
(दो)	सिकल सेल रोग को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार के लिए पात्र रोगों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा	114
(तीन)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 की स्थिति के बारे में	
	श्री सुशील कुमार सिंह	115
(चार)	झारखंड के आदित्यपुर स्थित ईएसआईसी अस्पताल में सेकेंड्री केयर ट्रीटमेंट के लिए रेफेरल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने एवं आदित्यपुर में 250 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री बिद्युत बरन महतो	116
(पांच)	भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के नकारात्मक प्रभाव से निपटने संबंधी योजना के बारे में	
	श्री विवेक नारायण शेजवलकर	117-118
(छह)	शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासनिक बोर्डों में संसद सदस्यों की भागीदारी के बारे में	

	श्री विजय बघेल	118
(सात)	त्रिपुरा जनजाति स्वायत्त जिला परिषद के बारे में	
	श्री रेबती त्रिपुरा	119
(आठ)	गुजरात के नर्मदा एवं भरूच जिलों में वन क्षेत्र में रह रहे आदिवासी लोगों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	120
(नौ)	गुजरात स्थित पोरबंदर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने तक उसे एक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रमेशभाई एल. धडुक	121
(दस)	मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री जनार्दन मिश्र	122

(ग्यारह)	छतरपुर जिला सहित देवरा के ऐतिहासिक किले को संरक्षित करने एवं उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता	
	डॉ. वीरेंद्र कुमार	123
(बारह)	मध्य प्रदेश में किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल	124
(तेरह)	राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कथित रूप से हथियारों के अवैध लाइसेंस जारी के किए जाने के बारे में	
	श्री कनकमल कटारा	125
(चौदह)	चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू-जल वाले क्षेत्रों को डार्कजोन की सूची से हटाने की आवश्यकता	
	श्री राहुल कस्वां	126
(पंद्रह)	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची III से जंगली सुअरों से संबंधित प्रविष्टि का विलोप किए जाने के बारे में	
	श्री के षणमुगा सुंदरम	127
(सोलह)	बैंकों के विलय के बारे में	

	श्री बालाशौरी वल्लभनेनी	128
(सत्रह)	खारलैंड विकास योजना में परिवर्तन अथवा संशोधन के बारे में	
	श्री विनायक भाऊराव राऊत	129

	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019	
	राज्य सभा द्वारा किया गया संशोधन	130-132
	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020	133-182
	विचार करने के लिए प्रस्ताव	134
	श्री रमेश पोखरियाल निशंक	134-137, 203-207
	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	138-142
	श्री राम कृपाल यादव	142-147
	प्रो. सौगत राय	148-151

20-03-2020

	श्री विनायक भाऊराव राउत	152-153
	श्री रामप्रीत मंडल	154-155
	श्री भर्तृहरि महताब	155-158
	डॉ. कलानिधि वीरास्वामी	159-161
	श्री बृजेन्द्र सिंह	162-164
	कुंवर दानिश अली	164-166
	श्री बी. बी. पाटील	167-168
	डॉ. सुकान्त मजूमदार	169-171
	कुमारी गोड्डेति माधवी	172-173
	श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	174-176
	प्रो. एस.पी. सिंह बघेल	176-178
	श्री सप्तगिरि शंकर उलाका	179-181
	श्री गिरीश भालचंद्र बापट	182
	श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार	183-184
	श्री थोमस चाज़िकाडन	185

डॉ. थोल तिरूमावलवन	185-186
श्री उन्मेश भैय्यासाहिब पाटील	186-187
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	188-189
श्री हसनैन मसूदी	190
श्री सुरेश पुजारी	192
श्री अधीर रंजन चौधरी	193-195
डॉ. निशिकांत दुबे	196-197
श्री रितेश पाण्डेय	198-199
श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.	199-200
श्री अनुभव मोहंती	201-202
डॉ. सत्यपाल सिंह	202
खंड 2, 3 और 1	209--210
पारित किए जाने हेतु प्रस्ताव	211

20-03-2020

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

(एक) बुन्देलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी सम्पर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण	211-261
श्री हनुमान बेनीवाल	211-219
श्री हसनैन मसूदी	220-221
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	222-255
कुँवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल	255-261
संकल्प - वापस लिया गया	226
(दो) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय	262-2272
श्री रितेश पाण्डेय	262-272

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री ओम बिरला

सभापति तालिका

श्रीमती रमा देवी

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी

श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्रीमती मीनाक्षी लेखी

श्री कोडिकुन्नील सुरेश

श्री ए. राजा

श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी

श्री भर्तृहरि महताब

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

डॉ. काकोली घोष दस्तीदार

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

शुक्रवार, 20 मार्च, 2020 / 30 फाल्गुन, 1941 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, बाज़ार में आग लग गई है। प्रधान मंत्री के भाषण के बाद सारे बाजार में आग लग गई है। ... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): महोदय, प्रधानमंत्री जी को संसद में आना चाहिए। उन्हें सभा में आकर हमें बताना चाहिए। …(*व्यवधान*)

20-03-2020

प्रश्नों के मौखिक उत्तर[2]

(प्रश्न संख्या 381)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी - उपस्थिति नहीं।

श्री अशोक महादेवराव नेते।

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदय, देश के जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों में मध्यम और लघु सिंचाई तथा रेल परियोजना में पर्यावरणीय/वन मंजूरी विलंब होने से क्षेत्र का विकास पूरी तरह से अवरूद्ध हो जाता है। अध्यक्ष महोदय, अत: मैं इस संदर्भ में माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि क्या वे विशेषकर जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के लघु और मध्यम सिंचाई तथा रेल परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पर्यावरणीय/वन मंजूरी प्रदान कि ए जाने हेतु कदम उठाएंगे? मेरा संसदीय क्षेत्र गढ़चिरोली-चिमुर, 700 किलोमीटर से ज्यादा लंबे क्षेत्र में देश का अत्याधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है तथा इस क्षेत्र में मंजूर वडसा-गड़चिरोली इस ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण को भी शीघ्र पर्यावरणीय क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिए जाने

---

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

हेतु निर्देशित करें, ताकि इस रेल मार्ग का कार्य तेज़ी के साथ प्रारंभ हो सके और नक्सवाद से प्रभावित इस क्षेत्र के लोग राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्व का है, जो अशोक नेते जी ने पूछा है। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जंगलों में मुख्यत: आदिवासी और गैर-आदिवासी भी, लेकिन जो जंगलवासी हैं, वनवासी हैं, वे भी रहते हैं, इसके लिए हमने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, महत्वपूर्ण यह है कि क्योंकि वहां पानी की उपलब्धता हो, जमीन के पट्टे मिलें, लेकि न पानी नहीं है तो क्या करेंगे, इसलिए दो हज़ार हैक्टेयर से कम जहां इरिगेशन है, वहां ई.सी. की अब कोई जरूरत नहीं है। जो दो हजार से दस हजार हैक्टेयर तक का प्रोजेक्ट है, उसको हमारे रीजनल ऑफिस से ही हमारी परमिशन मिलती है।

उसमें एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसमें बहुत समय लगता है, जो तीन सीजंस का होता है, उसे नहीं देना है। उसमें पब्लिक हियरिंग की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वहीं के किसानों का फायदा होने वाला है।

10,000 हेक्टेयर से 50,000 हेक्टेयर की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं, उनके लिए राज्य की जो अथॉरिटी 'सिया (एस.ई.आई.ए.ए.)' है, उन्हें यह अधिकार दिया गया है। जहां 50,000 हेक्टेयर से ज्यादा का सिंचित क्षेत्र है, वहीं पर केवल हमारी भूमिका होती है। हमने पिछले पाँच सालों में जितनी डेलीगेशंस की हैं, उसके बाद हमने देखा कि अब हमारे पास केवल सात प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं, जिनकी जानकारी राज्यों ने नहीं भेजी है। हमारे यहां केवल सात प्रोजेक्ट्स अंडर-कंसीड्रेशन हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस के भी केवल सात प्रोजेक्ट्स हमारे पास पेंडिंग हैं। हमने 523 प्रोजेक्ट्स को परमिशन दी है।

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदय।

माननीय अध्यक्ष: आपको सप्लीमेंटरी प्रश्न एलाऊ नहीं है, पर आप शॉर्ट में प्रश्न पूछना।

श्री अशोक महादेवराव नेते : अध्यक्ष महोदय, वडसा-गड़चिरौली रेल परियोजना कई वर्षों से पर्यावरण क्लियरेंस की वजह से रूकी हुई है। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह प्रश्न है कि इस रेल परियोजना को आप कब तक पर्यावरण क्लियरेंस देंगे?

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदय, पहले तो हमने दो निर्णय लिए। एक तो जो वर्तमान सड़क है, उसे अपग्रेड करने के लिए भी पहले परमिशन नहीं थी। आखिर उसे ज्यादा यूज तो वनवासी ही करते हैं, इसलिए उस सड़क की अपग्रेडेशन के लिए हमने जनरल एप्रूवल दी है। उसके लिए हमारे पास कोई फाइल भेजने की जरूरत नहीं है।

जिसमें सड़क चौड़ी करनी है और जहां रेलवे का नया प्रोजेक्ट है, उसके लिए प्रोसेस वही है। कुछ मामले एन.जी.टी. में गए हैं। हम उसे फॉलो-अप कर रहे हैं, ताकि इसका जल्दी से फैसला हो जाए।

अकोला-खंडवा लाइन का भी मुद्दा है। इसके साथ-साथ दूसरे भी अनेक प्रदेशों में रेलवे के मीटर गेज को ब्रॉड गेज करते समय भी राज्य की तरफ से फॉरेस्ट्स की ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, जिनकी वजह से उसे परमिशन मिलने में दिक्कतें होती हैं। हम सभी राज्यों के एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स के साथ भी बैठक कर रहे हैं कि इसकी प्रक्रिया थोड़ी सुचारू हो, ताकि हमें फिर दिक्कत न हो।

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : महोदय, मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ, जो कि एक सुझाव के रूप में हैं। महाराष्ट्र में हम भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी की आपूर्ति करने के बारे में सोच रहे हैं। [हिन्दी] डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से कहीं-कहीं परमिशन नहीं मिलती है। लेकिन, अगर आप अंडरग्राउण्ड बंद पाइपलाइन डालें तो उससे डिफॉरेस्टेशन नहीं होगा और जमीन का जो इरोजन होता है, वह नहीं होगा। वहां एवैपोरेशन के लिए पानी कम पड़ता है। वहां पानी कम होता है और जमीन दो हजार हेक्टेयर से लेकर दस हजार हेक्टेयर तक होती है। इसलिए

उन्हें पानी देने के लिए ये छोटे-छोटे तालाब जरूरी हैं। गांव में जितनी भी बस्तियां हैं, उन्हें अगर छोटे-छोटे नल के माध्यम से पानी दिया जाए तो भी उनके लिए पानी की सुविधा हो जाती है। अगर तालाब बनाएंगे तो जंगलों में जो वाइल्ड लाइफ है, उसे भी पानी मिलेगा। इसलिए अगर कोई ऐसा प्रस्ताव है कि जहां भी तालाब बनाएं, उसका पानी बंद पाइपलाइन से ले जाएं। इससे बस्ती में जो पानी जाए, वह अच्छा हो। क्या ऐसा कोई प्रस्तावित सिस्टम है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री प्रकाश जावड़ेकर: महोदय, श्रीनिवास पाटिल जी ने जो प्रश्न पूछा, वह महत्वपूर्ण है। ये जिला कलक्टर और डिवीजनल कमिश्नर रहे हैं, इसलिए उनका अपना अनुभव है।

इसमें हमने दो काम किए हैं। जो लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रोड्स हों, रेल हों, सिंचाई की सुविधा हो, पीने के पानी की सुविधा हो, पाइपलाइन हो या ट्रांसमिशन लाइन हो, इसके लिए अब हमने स्टैण्डर्ड कंडीशंस किए हैं और अब इसके लिए फाइल हमारे पास नहीं आती है। वे रीजनल सेन्टर्स में जाती हैं। राज्य सरकारें, जो पहले एप्लीकेंट्स होते थे, वे अब डिसीजन देने वाले बन गए हैं। वहां एक्सपर्ट्स और उनकी हर महीने मीटिंग होती हैं और उसमें वे प्रोजेक्ट्स को मंजूर करते हैं।

मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आप जो पाइपलाइन का सुझाव दे रहे हैं, वह हमें मंजूर है, लेकिन रीजनल ऑफिस के पास राज्य की तरफ से ऐसे प्रस्ताव आने चाहिए।

(प्रश्न संख्या 382)

[अनुवाद]

श्री तेजस्वी सूर्या: माननीय महोदय, तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के मामलों की तात्कालिकता और आपात स्थिति को देखते हुए, सरकार ने इसे रोकने के लिए युद्ध स्तर पर उपाय किए हैं।

महोदय, आयुष मंत्रालय के संबंध में, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार कोरोना वायरस की रोकथाम और प्रबंधन के लिए किसी भी होम्योपैथी या यूनानी दवाओं की वकालत करने वाली एड्वाइज़री जारी करने के लिए कोई कदम उठा रही है। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या दवाओं की किसी वैकल्पिक प्रणाली ने भी इस बीमारी की रोकथाम, इलाज और प्रबंधन के लिए कोई विवरण दिया है।

आयुष मंत्रालय के तहत कुल 3,277 आयुष अस्पताल और 62,649 बेड हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले ही लगभग 37,300 क्वारंटाइन बेड और लगभग 15,900 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की है।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आयुष मंत्रालय भी आइसोलेशन बेड की व्यवस्था करने में योगदान देगा और इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में सरकार की क्षमता बढ़ाएगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कोरोना वायरस के ऊपर प्रश्न पूछा है। यह सही है कि यह हमारे पूरे हिन्दुस्तान के लिए आपत्ति है। इससे निपटने के लिए हमारी सरकार, हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री पूरी तरह से प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, आयुष मंत्रालय ने एक एडवाइजरी निश्चित तौर से निकाली थी। उसमें हमारी जो सभी पैथीज़ हैं, उन पैथीज़ के माध्यम से इस कोरोना वायरस को हटाने के लिए हम जो कुछ भी मदद

कर पाएंगे, वे सभी मेडिसन उपलब्ध कराएंगे। इससे पहले जब वायरस आया था, उसमें जो यूज कि या गया था, उसके अनुभव के आधार पर इस एडवाइजरी में सब को निर्देश दिया गया है। हमने कहा है कि इसकी एडवाइजरी दी गई है। जब आप लोग प्रिवेन्टिव ले लेंगे तो डॉक्टर के परमिशन या पूछे बिना नहीं लेना, इतना स्पष्ट हमने उसमें किया हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न बेड के बारे में पूछा है। हम हेल्थ एंड फैमिली वेल्फेयर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ मिल कर काम कर रहे हैं। जैसे-जैसे एडवाइज आएगी और माँग आएगी, उसके अनुसार हम सब तरह की मदद करने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

श्री उत्तम कुमार रेड्डी : माननीय अध्यक्ष, महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कोरोना वायरस और आयुष मंत्रालय द्वारा जारी मंत्रणा के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

आयुष मंत्रालय ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है कि 'एक्स.वाई.जेड.' दवाइयां कोरोना वायरस की रोकथाम करेंगी जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के प्रधानमंत्री जी ने, पिछली रात, यह कहा था कि इस रोग के बचाव के लिए कोई दवा या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई सलाह के विपरीत है।

अब, आपके मंत्रालय द्वारा जारी की गई मंत्रणा के आधार पर, तेलंगाना सरकार ने इन दवाओं के वितरण के लिए विमानपत्तनों पर भी स्टॉल लगा दिए हैं। भारत में लगभग दस से पंद्रह करोड़ लोग आयुष पर विश्वास करते हैं। कोरोना वायरस जैसी बीमारी में, जहाँ कोई वैज्ञानिक साक्ष्य और नैदानिक परीक्षण नहीं हैं तो आयुष मंत्रालय ने विशेष रूप से ऐसी दवाओं की सिफारिश कैसे की है? क्या आयुष मंत्रालय की ओर से उचित वैज्ञानिक साक्ष्य के बिना और उचित नैदानिक परीक्षणों के बिना ऐसी मंत्रणा जारी करना उचित था?

मैं दुष्प्रचार और गलत सूचना के बारे में भी पूछना चाहता हूँ। कई लोग, विशेष रूप से सत्तारूढ़ पार्टी से, मीडिया में यह बयान दे रहे हैं कि गोमूत्र और गोबर उपयोगी हैं। कुछ योग गुरु भी कुछ जड़ी-बूटियों के बारे में बता रहे हैं। अब, इस गलत सूचना और दुष्प्रचार का सरकार में किसी ने भी खंडन नहीं किया है। मैं इसे एक नागरिक के तौर पर जानना चाहता हूं। आज, अगर मैं कोरोना वायरस के लिए अपनी जाँच करवाना चाहता हूँ, तो देश में ऐसी कोई प्रणाली नहीं है।

आपने स्पष्ट विवरण नहीं दिया है कि अगर कोई व्यक्ति जांच के लिए जाना चाहता है, तो वह कहाँ जाए? यहाँ कोई प्रणाली या प्रक्रिया नहीं है।

अंत में, जो लोग विदेश से आ रहे हैं, उन्हें क्वारंटाइन में रखा जाता है। मुझे कल हैदराबाद से फोन आया कि जिन्हें क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, उन्हें अस्वच्छ सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार क्लीयर करना चाहता हूं, जो एडवाइजरी हमने निकाली थी, उसके बेसिस पर मैं कोट करना चाहता हूं-

[अनुवाद]

"ये उपाय संबंधित चिकित्सा पद्धति के उन सिंद्धातों पर आधारित हैं जो ऐसे ही संक्रामक रोगों के उपचार में अपनाए जाते हैं जिनमें श्वसन प्रणाली के प्रभावित होने के लक्षण दिखाई देते हैं। यह मंत्रणा न तो कोरोना वायरस के लिए एक प्रभावी उपचार का दावा करती है और न ही कोरोना वायरस से निपटने के लिए किसी विशेष दवा का सुझाव देती

है। इस मंत्रणा में व्यक्तिगत स्वच्छता उपायों और कुछ जड़ी-बूटियों से तैयार औषधियों के बारे में बताया गया है जो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मददगार हो सकती हैं।"

[हिन्दी]

मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हमने जो एडवाइजरी जारी की है, उसमें पहले जो वायरस थे, उसके अनुभव के आधार पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं, इम्युनिटी बढ़ाने का काम कर सकते हैं, हमने इन सब चीजों के बारे में इसमें मेंशन किया है। हमने मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसलिए, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि ये जो मिस-इंफॉर्मेशन है, उसको मिनिस्ट्री ने बार-बार क्लीयर किया है। इसमें हमारा कोई सहभाग नहीं है। इसके लिए सरकार बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रही है। सरकार ने विदेश से आने पर भी रोक लगा दी है। डरने की कोई बात नहीं है। यह कंट्रोल में आ रहा है।

श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी) : अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहती हूं कि इस डिजीज के बारे में ये लोग एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक के साथ गो-मूत्र को भी इक्वल मेडिकल बता रहे हैं। मैंने बहुत सारे मिनिस्टर्स से बात की है, वे खुद भी इससे कनवींस हैं कि इसमें बहुत फैसिलिटीज हैं, इससे कैंसर क्योर होता है, इससे कोरोना क्योर होता है। आप इसको प्रूव कीजिए कि यह सही है और अगर यह गलत है तो आप इसको क्लीयर कीजिए कि यह गलत है। आप लोगों को कनफ्यूज कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: नो, मैंने आपको जवाब देने की इजाजत नहीं दी है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप एक मंत्री हैं, ऐसा नहीं है। आप उनको जवाब देने दीजिए।

... (व्यवधान)

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही उत्तर में कहा था कि इस तरह की जो बातें हैं, ये अफवाहें हैं। मैंने ऑफिशियली, ऑथेंटिकली कुछ नहीं बोला है। ... (व्यवधान) यह मेडिसिन नहीं है। मैंने एडवाइजरी में पहले इसको डिकलाइन किया था। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह हमारी पुरानी संस्कृति है। कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो भी ठीक है।

श्री श्रीपाद येसो नाईक: सर, यह संस्कृति है। इसको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं है। ये होते हुए भी आप क्यों पूछते हैं? आप पूछते हैं, इसलिए लोग बता देते हैं। ... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो टेस्ट आर्डर हुए हैं, अभी हर 10 लाख व्यक्ति पर हिन्दुस्तान में मात्र 9.2 परसेंट टेस्ट हो रहे हैं, जबकि यह बीमारी क्लसटर्स में फैलने का बहुत बड़ा खतरा है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ट्रेन से दिल्ली से कर्नाटक गया और कनार्टक में उसका टेस्ट पॉजिटिव हुआ कि उसको कोरोना वायरस है। जो लोग उसके साथ ट्रेन में थे, उनको ट्रैस किया जा रहा है। मेरा मंत्री जी से यह सवाल है कि मात्र 9.2 परसेंट टेस्ट् क्यों हो रहे हैं? इस टेस्ट की तादाद को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? एक आम आदमी टेस्ट कैसे करा पाएगा, यदि वह बाहर नहीं गया हो, उसको शक हो कि उसको कोरोना वायरस है?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य आयुर्वेद में टेस्ट नहीं हो रहे हैं, एलोपैथी में टेस्ट हो रहे हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): महोदय, मुझे माननीय सदस्य और सभा के अन्य सदस्यों को सूचित करते हुए हर्ष होगा कि किसका टेस्ट किया जाना है यह निश्चित करने के लिए समुचित रूप से परिभाषित प्रोटोकॉल और वैज्ञानिक सलाह मौजूद है। यह वैज्ञानिक विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार है। यदि किसी में लक्षण हैं और यात्रा का इतिहास है तो सभी संपर्कों को जाँचा जाता है। हमने आपको पहले भी सूचित किया है कि हम एक बहुत विस्तृत संपर्क में आए लोगों को देख रहे हैं।

अभी इस देश में संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। यह अभी तक समुदाय में नहीं फैला है। समुदाय के लिए भी, आई.सी.एम.आर. अलग से लोगों को चुनकर परीक्षण कर रहा है ताकि यह देखा जा सके कि समुदाय में संचरण का कोई सबूत है या नहीं। इसलिए, मैं पूरे आत्मविश्वास और परम विश्वसनीयता के साथ कह सकता हूँ कि हम जो कोई भी परीक्षण कर रहे हैं और जिस किसी का भी परीक्षण कर रहे हैं- पूरी तरह वैज्ञानिक सलाह के आधार पर ही कर रहे हैं। किसी को भी, इस सदन में इस बारे में संदेह नहीं होना चाहिए।

श्री मनीश तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है और पूरी तरह ज़िम्मेदारी की भावना के साथ, मैं उनसे विशेष रूप से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के संबंध में कई सिद्धांत चल रहे हैं। कल से एक दिन पहले, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनल्ड ट्रंप ने भी कोरोना वायरस की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया था और इसकी उत्पत्ति के संबंध में विशेष रूप से एक देश की ओर संकेत किया था।

हम सभी जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) को कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जाँच करने के लिए वुहान जाने नहीं दिया जा रहा है। आपके माध्यम से मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी

से निवेदन है कि क्या भारत सरकार विश्व स्वास्थ्य संगठन से या अन्य मित्र देशों से बात करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति की पूरी तरह से जाँच की जा सके और हमें फिर से आश्वस्त किया जा सके कि यह प्राकृतिक रूप से होने वाला वायरस है और यह एक निश्चित वैज्ञानिक प्रयोग या पथ से भ्रष्ट हुए वैज्ञानिक प्रयोगों की एक श्रृंखला के परिणामस्वरूप उत्पन्न नहीं हुआ है? मेरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही प्रश्न है और मैं इस बात को अपनी जिम्मेदारी के पूरे अहसास के साथ कह रहा हूँ।

डॉ. हर्ष वर्धन: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ कि पहले तो, हम नियमित रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के संपर्क में हैं। हम दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के डब्ल्यू.एच.ओ. के क्षेत्रीय निदेशक और जिनेवा में डब्ल्यू.एच.ओ. के महानिदेशक के संपर्क में हैं।

हमारी जानकारी के अनुसार, मुझे नहीं लगता कि किसी भी शंका की कोई आवश्यकता है। व्हाट्सएप और सभी जगहों में बहुत सी बातें कही जा रही हैं। इस समय, डब्ल्यू.एच.ओ. के साथ हमारी बातचीत के अनुसार, उन बातों में न तो कोई प्रामाणिकता है और न ही उनका कोई सार है। हमें इसके बारे में आश्वस्त होना चाहिए। हम अभी अपने देश पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जो भी शोध की आवश्यकता है, जो भी शोध दुनिया भर और आई.सी.एम.आर. में हो रहा है, हम उन शोध गतिविधियों को कर रहे हैं। हम दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों के संपर्क में हैं।

महोदय, इसकी उत्पत्ति के स्रोत के बारे में जाँच की जा रही है। हर बार जब भी कोई नया वायरस आता है, तो वह म्यूटेट हो जाता है और फिर एक नया वायरस बन जाता है। चीन ने अपने देश में पहला मामला 30 दिसंबर को पूरी दुनिया को बताया था जब उन्होंने कहा कि उन्होंने निमोनिया के कुछ मामलों को देखा है जिनमें एक अज्ञात रोग हेतु-विज्ञान (एटियोलॉजी) है और वे इसके वास्तविक कारण का पता लगाने में सक्षम नहीं थे। 7 जनवरी, 2020 को उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन को जानकारी दी कि वे यह

स्थापित करने में सक्षम है कि यह संभवत: कोरोना का एक नया विषाणु है। वे सूचना दे रहे हैं और उसी के अनुसार, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूँ, हमारा देश दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां 8 जनवरी को हमारे मंत्रालय ने तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक की थी। हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया। 17 जनवरी से हमने विमानपत्तनों पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। मैंने यह जानकारी पहले ही सभा के साथ साझा कर दी है। मैं इस सभा को आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस बारे में अनुसंधान के क्षेत्र में जो कुछ भी चल रहा है, हम उसके संपर्क में हैं और हम अपने देशवासियों के सर्वोत्तम हित के लिए हर सही जानकारी का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

(प्रश्न संख्या 383)

श्री रघु राम कृष्ण राजू: महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर को पढ़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के समक्ष एक निवेदन करना चाहता हूँ और यह वास्तव में प्रश्न के रूप में नहीं है।

महोदय, मैं नरसापुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ जहाँ 1.5 लाख लोग, विशेष रूप से महिलाएं, लैस उद्योग पर निर्भर हैं जो वस्त्र मंत्रालय के नियंत्रण में आता है।

यहाँ, मुझे खुशी है कि वस्त्र मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री एक महिला हैं। मुख्य रूप से, उस उद्योग पर निर्भर 99 प्रतिशत लोग भी महिलाएं ही हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। मंत्रालय ने मछलीपटनम में, जहाँ कलमकारी उद्योग है, एक सामान्य सुविधा केंद्र के बारे में विचार किया है। उस जगह में जियो-टैगिंग की भी अनुमति दी गई है, जहाँ हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी की इसे मंजूरी देने की पहल की सराहना करता हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि एक ऐसा ही सामान्य सुविधा केंद्र दें, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार अपेक्षित भूमि देने के लिए इच्छुक होगी। एक अच्छा उद्योग होने के नाते, …..

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

श्री रघु राम कृष्ण राजू : संक्षिप्त-संक्षिप्त। **[**अनुवाद] दो लोगों में से, मैं एक प्रारूप में तीन छोटे प्रश्न पूछ रहा हूँ। हम प्रशिक्षण देने के लिए उचित समय पर निफ्ट के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का भी अनुरोध करते हैं। प्रधानमंत्री जी के कौशल विकास सुविधा के उपयोग में आंध्र प्रदेश अग्रणी है और हम सभी प्रयास कर रहे हैं तथा हमें जिओ टैगिंग और सामान्य सुविधा केन्द्र के लिए माननीय मंत्री जी के सहयोग की आवश्यकता है।

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी: महोदय, आज जब मैं इस प्रश्न का उत्तर देने जा रही हूँ, मैं आपके माध्यम से, आपको, पूरी सभा को और पूरे राष्ट्र को नवरोज़ की मुबारकबाद देती हूँ। देश और दुनिया भर में पारसी समुदाय एक नया वर्ष मना रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हम अपने सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए एक साथ प्रार्थना कर सकते हैं।

महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अवसरों पर प्रकाश डाला है, तो मैं स्वयं को उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से जोड़ूँगी। मैं आपके माध्यम से इस तथ्य पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में न केवल हथकरघा विभाग काम कर रहा है बल्कि निर्यात संवर्धन परिषद भी पहले से ही उनके निर्वाचन क्षेत्र में विविध महिला समूहों को हस्तशिल्प बनाने का प्रशिक्षण दे रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि आज पारसी लोग एक नई आशा का जश्न मना रहे हैं, इसलिए आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने अपनी जो आशा मेरे संज्ञान में लाई है, तो मैं सामान्य सुविधा केंद्र का समर्थन करूँगी।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव : अध्यक्षजी, आपका धन्यवाद। पूरे देश में हैंडलूम वीवर्स के लिए काफी चेंजेज लाने की जरूरत है। देश में फार्मर्स के बाद हैंडलूम सैक्टर के लोग सफर कर रहे हैं। मंत्री जी ने भी उत्तर देते समय बताया कि हैंडलूम सैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए चार प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाए हैं। इसमें नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट, कम्प्रेसिव कलस्टर्स, हैंडलूमवीवर्स और यार्न सप्लाई हैं। इन पर डिटेल में बात करने में ज्यादा समय लगेगा। माननीय मंत्री जी, आप हाउस के अंदर और हाउस के बाहर बहुत डायनेमिक हैं, लेकिन यहां एलोकेशन की बात देखना जरूरी है। वर्ष 2016-17 में 505 करोड़ रुपये का एलोकेशन था, लेकिन पिछले साल आपने केवल 304 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। जब तक आपका एलोकेशन नहीं बढ़ेगा और यह सैक्टर ज्यादा पैसा स्पैंड नहीं करेगा, तब तक इस सैक्टर का

भला नहीं हो सकता है। हैंडलूम वीवर्स बहुत दिक्कत में हैं, इसलिए आपको एलोकेशन को बढ़ाने के लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस साल तो आपने एलोकेशन दिखाया है, लेकिन पिछले तीन सालों में एलोकेशन बहुत कम है और स्पैंड भी बहुत कम किया गया है।

अध्यक्ष जी, इसी तरह से हैंडलूम सैक्टर को जीएसटी से छूट देनी चाहिए। जो लोग पॉवर के लिए हैंडलूम सैक्टर पर डिपेंड हैं, उन लोगों को फ्री में पॉवर देनी चाहिए। उसके लिए मंत्री जी को जरूर एक्शन लेना चाहिए और परफेक्ट रिप्लाई मंत्री जी देंगी, हमें ऐसी उम्मीद है।

[अनुवाद]

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: धन्यवाद, महोदय। मेरी क्षमता के संदर्भ में, माननीय संसद सदस्य की दयालुता एक ऐसी चीज़ है जो मैं वापस लौटा नहीं सकती, लेकिन मैं उनके विश्वास के लिए आभारी हूँ। मैं केवल इतना कहूँगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी प्रयासों का हमेशा समर्थन किया है। जबकि माननीय सदस्य बोल चुके हैं [हिन्दी] कि वर्ष 2014-15 से लेकर अब तक की वित्तीय हालत और स्पैंड के संदर्भ में उन्होंने जो वक्तव्य दिया, उसके लिए मैं उन्हें इतना ही कहना चाहूंगी कि वीवर्स के संदर्भ में प्रदेश की सरकारें हमें प्रपोजल्स भेजती हैं।

उसके आधार पर हम लोग खर्च करते हैं लेकिन माननीय प्रधान मंत्री जी ने मुद्रा योजना की शुरूआत देश में की थी और देश में वर्ष 2017 से लेकर जनवरी 31 तक 616 करोड़ रुपये मात्र वीवर्स को दिए है। वह मेरे विभाग का विषय नहीं है, किंतु हमने वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और बैंक्स के साथ समन्वय में एक योजना बनाई कि हम उन वीवर्स के पास उन क्लस्टर्स में जाएंगे जो बड़े शहरों में नहीं आ सकते। हमने ऐसे 350 कैम्पस लगाए और मात्र दो साल में वीवर्स को मुद्रा योजना के माध्यम से 616 करोड़ रुपए दिलाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को यह कहना चाहूंगी कि

भारत सरकार वीवर्स की चिंता मात्र मेरे मंत्रालय के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अन्य विभागों के साथ समन्वय के माध्यम से भी करती है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं सभी माननीय सदस्यों को सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने के लिए एलाऊ कर रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि जिन माननीय सदस्यों ने चार-चार बार एक सत्र में सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछ लिया है, उनकी जगह जिन माननीय सदस्य ने एक भी बार सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछा है, उनको एलाउ करना उचित रहेगा।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सोमवार को प्रश्न है और सोमवार को चूंकि प्रश्नकाल नहीं होगा, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं,... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न कर सकते हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। यह आपका अधिकार है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो भागलपुरी सिल्क है, वह भागलपुरी सिल्क सचमुच में हमारे क्षेत्र गोड्डा में बनता है और भगइया उसकी एक जगह है। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2011-12 में मेगा हैंडलूम क्लस्टर के नाम पर, पांच मेगा हैंडलूम क्लस्टर्स, जो पूरे देश में हुए, उसमें गोड्डा और उसके आसपास के जिलों के लिए मेगा हैंडलूम क्लस्टर्स दिए। लेकिन 7-8 साल हो जाने के बाद भी, चूंकि भारत सरकार ने तो पैसा दिया, लेकिन राज्य सरकार ने झार क्राफ्ट जैसी एजेंसी दे दी जो राज्य सरकार के अंडर नुकसान में है। उस कारण से गोड्डा और उसके आसपास के जिलों का जो विकास होना चाहिए और भागलपुरी सिल्क के नाम पर जो गोड्डा का सिल्क आगे बढ़ना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि गोड्डा मेगॉ हैंडलूम क्लस्टर की स्थिति कैसी है और वह प्रोजेक्ट कब तक भारत सरकार पूरा करेगी?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद ने अवगत कराया कि प्रदेश की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से भारत सरकार के प्रकल्प चलते हैं। यह पहली बार नहीं है कि आदरणीय सांसद ने चिंता व्यक्त की है। मैं उनको मात्र यही आश्वासन दे सकती हूं कि यह अपेक्षा हम केवल हैंडलूम से करते हैं, लेकिन सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड और हैंडलूम के जो हमारे अधिकारी हैं, वे विशेष गोड्डा के संदर्भ में, माननीय सांसद के साथ उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि टीआरएस के एक वरिष्ठ सांसद ने भी जीएसटी के संदर्भ में एक प्रश्न किया था। इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि 20 लाख से कम का जो एग्जेम्पशन है, वह आउट ऑफ जीएसटी है, लेकिन जो हमारे वीवर्स और क्राफ्ट पर्सन्स हैं, साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगी कि प्रदेश की सरकारों के साथ, चाहे फिर सिल्क हो या हैंड क्राफ्ट हो या हैंडलूम हो, उनके साथ जिला स्तर पर समन्वय करते हैं कि आप हमें अपनी स्थानीय परेशानियां बताइए। मेरा आग्रह है और मैंने आपके आशीर्वाद से आग्रह किया था और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में भी आग्रह करना चाहूंगी कि दिशा की मीटिंग सभी सांसद करते हैं। अगर आप विषयों को मेरे सम्मुख दिशा के माध्यम से भी ला सकें तो मुझे लगता है कि हमारे हैंडलूम वीवर्स को आपके माध्यम से बहुत बल मिलेगा।

श्री गौरव गोगोई : माननीय अध्यक्ष जी, ये जो विभिन्न स्कीम्स हैं, ज्यादातर ये प्रोडक्शन साइट को लेकर हैं। ये ट्रेनिंग देते हैं, सब्सिडाइज्ड रॉ मैटीरियल देते हैं, बैंक लोन भी देते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि आपने प्रोडक्शन पर अपनी विभिन्न स्कीम्स निकाली हैं, पर डिमांड साइड पर मार्केटिंग लिंकेज पर, मार्केट फैसिलिटेशन पर आपने क्या स्कीम्स निकाली हैं क्योंकि उत्तर पूर्वान्चल हमारे देश का एक ऐसा इलाका है जहां पर मार्केट कम है और वहां पर बहुत सी अच्छी सिल्क-एरी, मुगा और गामुसा इत्यादि का उत्पादन होता है। लेकि न जिस प्रकार से चीन के बॉर्डर से जो इम्पोर्ट आ रहा है, वह सारे उत्तर पूर्वान्चल की हैंडलूम इंडस्ट्री को खत्म कर रहा है। इसलिए मार्केट फैसिलिटेशन में आपकी सरकार क्या कर रही है?

20-03-2020

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद और सदन को अवगत कराना चाहूंगी कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने अगस्त 2015 में इंडिया हैंडलूम ब्रान्ड को देश में स्थापित किया था।

तत्पश्चात्, 180 से ज्यादा प्रोडक्ट्स के माध्यम से 1,300 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए। इसकी वजह से देश में 103 ऐसे रिटेल ब्रांड्स और शॉप्स हैं, जो हमारे वीवर्स के साथ डायरेक्टली परचेज़िंग करते हैं और उनके लिए डिमांड क्रिएशन की बात, जो माननीय सांसद कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं।

महोदय, 25 रिटेल स्टोर्स हैं, जो इस विशेष सहयोग की वजह से मात्र और मात्र हैण्डलूम वीवर्स के लिए खोले गए। 23 ई-कॉमर्स साइट्स हैं, जो ई-मार्केटिंग में हमारे सभी वीवर्स की मदद करती हैं। हमने अब तक अपने वीवर्स के लिए लगभग 600 नैशनली और इंटरनैशनली मार्केटिंग ईवेंट्स का आयोजन किया है। हम आगामी 23 मार्च को जेम के सीईओ के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे पास हैंडलूम वीवर्स का जो प्री-वैरिफाइड सेंसस डेटा उपलब्ध है, हम उसे जेम पोर्टल के साथ समन्वय में सम्मिलित करेंगे, ताकि जो काम मिले, वह डायरेक्टली वीवर को मिले, बीच के किसी मिडिलमैन को न मिले और उससे सारी की सारी जो लाभ की उपलब्धि हो, वह सिर्फ वीवर्स के लिए हो।

(प्रश्न संख्या 384 और 400)

[अनुवाद]

श्री राहुल रमेश शेवाले : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

आयुष की फेलोशिप योजना के तहत, सरकार भारत में आयुष संस्थानों में योग सहित आयुष चिकित्सा प्रणालियों में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को आरंभ करने के लिए योग्य विदेशी नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे देश के योग्य युवाओं को दूसरे देशों में इस तरह के पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो स्कीम बताई है, कम से कम 90 देशों से स्टूडेंट्स यहां आते हैं। आयुष पैथी में अलग-अलग पैथियां हैं, जिनमें हम स्कॉलपशिप देते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे स्टूडेंट्स भी बाहर जाते हैं, लेकिन हमारे यहां वह स्कीम अभी नहीं बनी है। हम इसके ऊपर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राहुल रमेश शेवाले : महोदय, सरकार ने आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में सही सूचना का प्रसार करने के लिए विभिन्न देशों में सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे देश में, विशेष रूप से मुंबई और महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में सरकार द्वारा कितने सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है।

20-03-2020

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, प्रचार और प्रसार के लिए हमने 31 कंट्रीज़ में इस तरह के इन्फॉर्मेशन सेल्स बनाए हुए हैं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय पूरे देश में आयुष पैथी की योगा या नैचुरल पैथी के लिए स्कीम्स द्वारा प्रचार प्रसार करता है। ऐसा कोई खास सेल इस देश में नहीं है। हम तरह-तरह की स्कीम्स द्वारा योगा, नैचुरल पैथी, आयुष और बाकी पैथियों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर – 400 को भी इस प्रश्न के साथ क्लब कर देते हैं।

डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यावती - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

एडवोकेट ए.एम. आरिफ : महोदय, कल आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 पर चर्चा करते हुए इसमें भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने केरल में आयुर्वेदिक उपचार और इसकी परंपराओं से जुड़ी प्रमुख समस्या को स्वीकार किया था। केरल के सभी सदस्यों सहित अन्य राज्यों के सदस्यों ने केरल में एक केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। कल मुझे केरल राज्य सरकार से केरल में एक केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की मांग के संबंध में विवरण प्राप्त हुआ। मुझे जानकारी मिली है कि सरकार ने इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए कुरनूल में 100 एकड़ भूमि की पेशकश की है। तथापि, उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी ने केरल में एक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का आश्वासन दिया था, मैं फिर से बिना किसी देरी के इस अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए एक ठोस आश्वासन चाहता हूँ। क्या सरकार जल्द से जल्द कुरनूल में आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान स्थापित करने के अनुरोध पर विचार करेगी?

20-03-2020

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने रिसर्च सेंटर्स के बारे में प्रश्न पूछा है। हमने उसके लिए एक बार एश्योर किया है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और जल्दी से जल्दी उस पर कार्यवाही करेंगे।

(प्रश्न संख्या 385)

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्टोनिक प्लेटों की गति के मामले में भारत उच्चतम टकराव क्षेत्र में स्थित है क्योंकि भारत दो टेक्टोनिक प्लेटों, अर्थात् भारतीय और यूरोशियन प्लेटों के गतिक्षेत्र के बीचोबीच है और ये प्रति वर्ष चार से.मी. से कुछ कम गति से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि, हम दुनिया के सबसे ऊंचे टकराव क्षेत्र में स्थित हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जहाँ तक भूकंप का सवाल है, क्या यह सच है कि भारत का 54 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है और क्या यह सच है कि 34 भारतीय शहर अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में हैं। हम पहले ही भुज सहित हमारे देश में लातूर से लेकर सिक्किम तक कई बड़े भूकंप का अनुभव कर चुके हैं और हमें इसके विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ा है। लेकिन उत्तर के भाग (ख) में, मंत्री जी ने कहा था कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भूकंप प्रतिरोधी इमारतों के बारे में जागरूकता फैलाने से संबंधित कार्यक्रम में सीधे तौर पर शामिल नहीं है। जहाँ तक भूकंप का सवाल है, 34 भारतीय शहर और हमारे देश का 54 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में आता है, मंत्री जी अपने मंत्रालय की ज़िम्मेदारी को छोड़ नहीं सकते हैं; उत्तर में अन्य मंत्रालयों का उल्लेख किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या उनका मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि भूकंप के प्रभाव को

कम किया जा सके क्योंकि हमारे देश में भूकंप के संबंध में आपके मंत्रालय के पास एक निगरानी प्रणाली होनी ही चाहिए।

डॉ. हर्ष वर्धन: महोदय, मुझे माननीय सदस्य को सूचित करना है कि प्रथमतः हमारा मंत्रालय एक वैज्ञानिक मंत्रालय है; यह सभी प्रकार के शोध करता है। अभी, जैसा कि आप जानते हैं, हम भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि हम इस देश में भूकम्पों पर किस स्तर के अनुसंधान कर रहे हैं। हम शायद दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं, जो इस प्रकार का अनुसंधान कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक स्थान है जिसे कोयना कहा जाता है, जिसका प्रतिनिधित्व मुझे लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी करते थे। हमने नवीनतम अनुसंधान किया है, क्योंकि यह स्थान पिछले 50 वर्षों से लगातार भूकंप का सामना कर रहा था। हम चट्टानों में नीचे गए हैं; हमने पृथ्वी में तीन कि.मी. तक खुदाई (ड्रिलिंग) की है और विभिन्न स्थानों पर सेंसर लगाए हैं तथा 24 घंटे आंतरिक गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर विज्ञान के संदर्भ में इसका विश्लेषण कर रहे हैं। इसी प्रकार, भूकंप के बारे में वैज्ञानिक अनुसंधान के सभी पहलू प्रगतिशील हैं।

जैसा कि आप जानते हैं, सुनामी भी भूकंप का एक और रूप है जो समुद्र के भीतर ही होता है। दुर्भाग्य से, 2004 में जब दक्षिण में विनाशकारी सुनामी आई थी तो हम अचानक, बिना किसी चेतावनी के इसकी चपेट में आ गए थे। आज, जब मैं आपसे 2020 में बात कर रहा हूँ, तो आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारी शुरुआती सुनामी चेतावनी प्रणालियों को पूरी दुनिया में पहले नंबर का दर्जा दिया गया है।

वास्तव में, यह केवल भारत के लिए ही नहीं है कि हम सुनामी की चेतावनी दे रहे हैं, बल्कि यह महासागर में आसपास के सभी देशों के लिए है। यह भारत है, जो वास्तव में उन्हें इन सुनामी चेतावनियों के बारे में सचेत करता है। मैंने यहाँ उसके संबंध में उल्लेख किया है जो आप सबसे अच्छा कर सकते

हैं। न तो आप भूकंप को आने से रोक सकते हैं क्योंकि यह आपके नियंत्रण में नहीं है और न ही आप इसका निदान कर सकते हैं। लेकिन सुनामी के संदर्भ में, 10 मिनट के भीतर हम सभी को सूचित कर सकते हैं।

यदि मैं आपसे हाल ही की बात करूँ, तो 2018 में, 8 से 13 अक्तूबर के बीच, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तितली था। फिर, अरब सागर में लुबान चक्रवात आया। 3 मई, 2019 को ओडिशा में फानी चक्रवात आया था। जिस तरह से हमने इसे संभाला, वह शानदार था। हमने सचमुच लगभग 10 से 12 दिन पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, और इसकी संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आधिकारिक प्रशंसा की गई थी कि हमने किस प्रकार यह बचाव किया। आप देखिए, हमारे पास इस प्रकार की आपदाओं के लिए शून्य हताहत नीति है।

फिर, हाल ही में, 13 अक्तूबर को अरब सागर में महा चक्रवात आया और बंगाल की खाड़ी में बुलबुल चक्रवात आया। मैं इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ कि समुद्र में चक्रवात की भविष्यवाणियों, भूकंप और सुनामी से संबंधित मुद्दों पर, अब हमें पूरी दुनिया में सबसे उत्तम माना जाता है। आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले, सभी संबंधित एजेंसियों को लोगों का मार्गदर्शन करके उन्हें अब भूकंप-प्रतिरोधी इमारतें बनाने के लिए प्रेरित करना होगा; और उन स्थानों पर, जहाँ भूकंप की संभावना अधिक है लेकिन वहाँ पहले से ही इमारतें हैं, तो हम उनकी मरम्मत जैसे और अन्य कार्य कर सकते हैं।

इसलिए, मैंने अपने उत्तर में ही उल्लेख किया है कि भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बी.एम.टी.पी.सी.), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.), केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सी.बी.आर.आई.), आदि जैसे संगठन इसमें सम्मिलित हैं, और वास्तुकारों, राजमिस्त्री और प्रैक्टिसरत इंजीनियरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित कर रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने भूकंप-प्रतिरोधी संरचनाओं के निर्माण के मानदंड प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा, एन.डी.एम.ए. ने भारत में इमारतों और संरचनाओं के भूकंपीय रेट्रोफिटिंग के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं ताकि घर/आवासीय भवनों की संरचनात्मक कमी को दूर किया जा सके, और आने वाले भविष्य के भूकंपों से यह संरचनाएं बचाई जा सकें।

इसलिए, मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से और व्यावहारिक रूप से किसी भी व्यक्ति द्वारा, दुनिया भर में, जो कुछ भी संभव हो सकता है, उस संदर्भ में मैं यह दावा कर सकता हूँ कि शायद, हम पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं।

(प्रश्न संख्या 386)

[अनुवाद]

श्री सय्यद इम्तियाज़ ज़लील : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मेरा विशिष्ट प्रश्न यह था: क्या सरकार का विचार खाद्य, औषधि और चिकित्सा उपकरणों के तीन नियामकों के कामकाज की निगरानी के लिए किसी एक ही नियामक की नियुक्ति करने का है; और माननीय मंत्री द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह यह है कि 'ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।'

माननीय मंत्री महोदय, क्या यह सच नहीं है कि आपके प्रबुद्ध मंडल, नीति आयोग ने सरकार के समक्ष नशीले पदार्थों, खाद्य पदार्थों और चिकित्सा उपकरणों के संबंध में एक ही विनियामक होने की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा है? तथ्य यह है कि आज भारत में, खाद्य सुरक्षा एक निकाय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, के अधीन है, औषधियों को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जबकि दवाओं को भारतीय औषधि महानियंत्रक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

माननीय मंत्री महोदय, यू.एस.ए. के विपरीत जहाँ यू.एस.एफ.डी.ए. सबसे शक्तिशाली निकाय है, भारत में एफ.डी.ए. प्रभावशाली प्रतीत नही होता है, या कम से कम, वे उस तरह से प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं जैसे कि उन्हें खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट के साथ, दूध में होने वाली मिलावट के साथ, अन्य प्रकार की दवा निर्माण और दवाओं की अवैध बिक्री के साथ होना चाहिए। ये सभी अलग-अलग निकायों के अधीन हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब इन निकायों को अधिक शक्तिशाली बनाने का समय आ गया है? खाद्य पदार्थ, दवाएं और चिकित्सा उपकरण, सभी एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या सरकार कम-से-कम इन निकायों को ज्यादा अधिकार प्रदान करने की योजना बना रही है?

डॉ. हर्ष वर्धन: मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूँ कि हम जो कर रहे हैं वह सभी अंतर्राष्ट्रीय विनियमों और प्रथाओं के अनुसार है; और मैं संबंधित देशों का नाम भी लूंगा।। अभी, हमारे पास दो निकाय हैं। एक है एफ.एस.एस.ए.आई., जो खाद्य पदार्थों के विनियमन के लिए है। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत, हम दवाओं के साथ-साथ चिकित्सा उपकरणों को विनियमित कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में ये तीनों एक ही निकाय द्वारा विनियमित हैं।

एक समान तंत्र है जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों और दवाओं को अलग-अलग विनियमित किया जाता है। इसी तरह का तंत्र जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, यू.के., रूस, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में अपनाया जा रहा है। ऐसा केवल अमेरिका में ही है कि वहाँ एक प्राधिकरण है। यहाँ भी, हमारे पास खाद्य पदार्थों और दवाओं के लिए एक अलग प्राधिकरण है। दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत भी, चिकित्सा उपकरणों और दवाओं के विनियमन के लिए एक अलग विभाग है। चिकित्सा उपकरणों को विनियमित करने के नियम और विनियम बिल्कुल अलग हैं। इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं है। हमने पहले ही उपकरणों को विनियमित करने के लिए 750 से अधिक पदों को मंज़ूरी दे दी है। मैं कहना चाहूँगा कि हम जो भी कर रहे हैं वह संबंधित लोगों के सहयोग से सही कर रहे हैं। हमने हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद उन्हें सूचित किया है और समय दिया है जहां 16 महीने के भीतर वे पंजीकरण कर सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसा सभी संबंधित विशेषज्ञों और हितधारकों के सुझाव और सलाह के साथ किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री सय्यद ईम्तयाज़ ज़लील : मंत्री जी मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर गुटखा और पान मसाला एक बहुत बड़ी समस्या है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को निर्देश क्यों नहीं देती है, ताकि

पूरी तरह से हर जगह इसके ऊपर बैन लगाया जाए। हो यह रहा है, कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अगर किसी गुटखा गोडाउन के ऊपर या गुटखे के ऊपर रेड करनी है तो वह एफडीए करेगा। हर राज्य के अंदर यह समस्या है कि एफडीए के पास वहाँ पर मैन पावर नहीं है और उनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जहाँ जाकर वे गुटखे के ऊपर रेड कर सकते हैं।

सर, दूध का अडल्टरेशन एक बहुत गंभीर समस्या है और हर राज्य इसको फेस कर रहा है। पुलिस कहती है कि हमारे पास ये पावर्स नहीं हैं और चूंकि इन्हें माफिया रन करता है, पूरे देश के अंदर इसे माफिया रन कर रहा है, तो एफडीए के पास ये पावर्स नहीं हैं। क्या आप अदालत के अंदर जाकर यह कहेंगे कि नहीं, एफडीए भी कर सकता है और एफडीए को किस तरह की ताकत आप दे रहे हैं कि वह इस गुटखे के ऊपर रेड मार सके या दूध का जो अडल्टरेशन हो रहा है, उसके ऊपर रोक लगा सकें।

डॉ. हर्ष वर्धन : महोदय, मुझे इस संदर्भ में माननीय सदस्य को दो बातें सूचित करनी हैं। एक तो फूड और ड्रग्स के संदर्भ में लेबोरेटरी, इक्विपमेंट या मैन पावर का डेवलपमेंट करना भारत सरकार की बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। आपने पिछले एक-दो सालों के बजट भाषण भी सुने होंगे और अभी बहुत सारी स्टेट ऑफ दी आर्ट इस तरह की लैब्स हमने बनाई हैं, अभी पिछले साल ही मैंने यहाँ नोएडा में नेशनल लैब इनोगरेट की थी। लगभग 500 करोड़ रुपया इसी काम के लिए रखा गया है और इसको सारे देश में बड़े पैमाने पर स्ट्रेंग्थेन किया जा रहा है।

दूसरा इश्यू आपने टोबैको और दूध के बारे में कहा है। आज दुनिया में जिस प्रकार से इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स पर सारे लोग मिलकर काम करते हैं, ऐसे ही टोबैको के खिलाफ या टोबैको रिलेटिड प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो 'एफसीटीसी' है, जो 'फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल' है, इसके 'ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन' के नेतृत्व में सारी दुनिया के लगभग हर देश ने दस्तखत किए हुए हैं। उसमें एक वैल डिफाइंड सैट प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं और उसको फॉलो करने में भारत सारी दुनिया के अंदर

अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आज हमारी जो वार्निंग्स हैं, 85 परसेंट से ज्यादा हम लोग वार्निंग्स देते हैं। आप जानते हैं कि हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, इवेन जो यहाँ पर भी आप कानून पास करते हैं इसको भी आगे स्टेट्स को इम्प्लिमेंट करना होता है। कई स्टेट्स इस काम को बहुत एग्रेसिवली बहुत मैथेडोलजिकली कर रहे हैं, कई जगह हो सकता है कि अपेक्षा के हिसाब से थोड़ी सी कमी हो।

मेरा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपनी-अपनी स्टेट गवर्नमेंट से इस विषय पर, क्योंकि यह विषय ऐसा है जो सीधे-सीधे लाखों लोगों के प्राण लेता है और इस विषय पर जितना भी किया जाए, वह कम है। इसको कानून से ज्यादा एक बड़े जन-आन्दोलन के रूप में विकसित करने की जरुरत है और मैं समझता हूँ कि उसमें आप सबके रोल का बहुत ज्यादा महत्व है।

20-03-2020

(प्रश्न संख्या 387)

[अनुवाद]

श्री पी. सी. गद्दीगौदर : महोदय, माननीय मंत्री जी ने पिछले तीन वर्षों के वस्त्र उत्पादन के संबंध में पूरी जानकारी दी है। भारतीय वस्त्र उद्योग को बिजली की कमी, श्रम की कम उत्पादकता, विदेशी बाज़ार में प्रतिस्पर्धा जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से हमारे देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वस्त्र क्षेत्र की इन वास्तविक परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: मैं माननीय सदस्य को बताना चाहती हूँ कि हम न केवल मुख्य राष्ट्रीय उद्योग निकायों के साथ, बल्कि देश भर में समूहों के साथ उनके सामने आने वाली चुनौतियों के संबंध में हर सप्ताह या हर दिन नहीं, बल्कि हर महीने, लगातार बातचीत कर रहे हैं।

मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूँगी कि वित्त मंत्री जी द्वारा सभा में की गई हालिया बजट घोषणाओं में पहला राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन शामिल है जो न केवल घरेलू आवश्यकता के दृष्टिकोण से बल्कि हमारी निर्यात क्षमता के संबंध में भी इस क्षेत्र के अवसरों में तेज़ी लाने में मदद करेगा।

सभा में वित्त मंत्री जी द्वारा एक और घोषणा की गई है जो पी.टी.ए. पर पाटनरोध को हटाने के बारे में है, जो मानव-निर्मित उद्योग की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जिससे हमें कपड़ा क्षेत्र में और अधिक अवसर प्राप्त होंगे।

इसके अलावा, हमने यह सुनिश्चित किया है कि वस्त्र उद्योग के अन्य घटकों के संबंध में, जिसमें कालीन उत्पादन जैसे तत्व भी शामिल हैं, हम निर्यात संवर्धन परिषद् तथा वाणिज्य मंत्रालय और वित्त

मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन चुनौतियों की हमने सरकार के साथ चर्चा की है उनका पूर्ण रूप से सामना किया जा सके।

श्री पी. सी. गद्दीगौदर : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न निर्यात के संबंध में है। मंत्रालय ने अगले दस वर्षों में वस्त्र निर्यात को दोगुना करने का लक्ष्य बनाया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई कार्य योजना क्या है।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि जब हमने वर्ष 2014 में पदभार संभाला था, तो पाया कि वस्त्र मंत्रालय से हमारा लगभग 60-70 प्रतिशत धन वास्तव में गैर-उपयोग के कारण वापस कर दिया गया था, और बाद में माननीय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में हमने यह सुनिश्चित किया कि राज्य सरकारों के सहयोग से आवंटित धनराशि शत-प्रतिशत खर्च हो।

मैंने यह भी सुनिश्चित किया है कि पिछले दशक में जिन टेक्सटाइल पार्कों की घोषणा की गई थी, वे एक ऐसा कार्य है जिसे हम प्रत्येक राज्य सरकार के साथ मिलकर कर रहे हैं, जैसा कि इससे पहले के प्रश्न ने हथकरघा/हस्तशिल्प व्यवसायों में हमारे प्रयासों पर प्रकाश डाला था।

महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहूंगी कि प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए एक योजना लाई गई थी और इस सरकार ने प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए 17,000 करोड़ रुपये दिए और कई पहलें की। साथ ही, हमने देखा कि उद्योग में पैसा कैसे आता है। हमने पाया कि 80 प्रतिशत एम.एस.एम.ई. को वस्त्र आयुक्त के कार्यालय से उनकी आवश्यकता के अनुरूप धन नहीं मिलता है। इस सरकार में, हमने यह सुनिश्चित किया कि बड़ी कंपनियों को नहीं, बल्कि एस.एम.ई. को सरकार से पर्याप्त प्रौद्योगिकी सहायता मिले।

[हिन्दी]

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदया का अभिनन्दन करूंगा कि उन्होंने टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन और रेवेन्यू की जो डिटेल्स दी है, उसमें ये बढ़ रहे हैं।

सर, मैं महाराष्ट्र राज्य से आता हूं। वह सबसे ज्यादा फाइबर, फैब्रिक यार्न प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है और जो जवाब दिया गया है, उसमें भी ये बातें आई हैं। मैं स्पेसिफिक क्वैश्चन पूछूंगा कि एफ.डी.आई. बढ़ाने के लिए क्या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री द्वारा एक हजार हेक्टेयर से ऊपर की लैंड में कुछ मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का कोई प्लान है? अगर ऐसा है तो फिर महाराष्ट्र स्टेट की क्या स्टेटस है?

[अनुवाद]

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: मैं केवल इतना ही कह सकती हूँ। चूंकि हम योजना बना रहे हैं, इसलिए हमने हर राज्य सरकार से संपर्क किया है और अनुरोध किया है कि वे मेगा टेक्सटाइल पार्कों के संबंध में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में शामिल हों। चूंकि हम वस्त्र उद्योग की मदद के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत की प्रक्रिया में हैं, इसलिए मैं केवल यह कह सकती हूँ। मेरा पत्र महाराष्ट्र सरकार को प्राप्त हो गया है।

श्री जी. सेल्वम : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हथकरघा बुनकरों की मदद के लिए तमिलनाडु और विशेष रूप से कांचीपुरम में दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है।

मैं इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य के लाभार्थियों की संख्या भी जानना चाहता हूँ।

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी: मैं केवल इतना ही कहूंगी कि माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वस्त्र आयुक्त कार्यालय से सब्सिडी के रूप में मिलने वाले अनुदान का 60 प्रतिशत वास्तव में

तमिलनाडु में हमारे उद्योगों द्वारा लिया जाता है। वास्तव में, तमिलनाडु के प्रदर्शन को देखते हुए, हमें अन्य राज्यों से वस्त्र क्षेत्र में विकास कार्यों में तेजी लाने का निवेदन करना पड़ा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को भी बता सकती हूँ कि कांचीपुरम में हथकरघा बुनकरों के विशिष्ट विवरण को मैं हथकरघा विकास आयुक्त के कार्यालय से ला सकती हूँ। हालांकि, हमारे प्रयास सीमित नहीं हैं। हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय के माध्यम से, समग्रता में, तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर, हम अपने बुनकरों की क्षमताओं और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं।

[3*]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 388 से 399

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600)

[3*] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers
इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

अपराह्न 12.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सभा की बैठक के शुरू होने के समय के बारे में

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि 19 मार्च को मेरी सभी दलों के नेताओं से चर्चा हुई थी। कई माननीय सदस्यों ने मुझसे व्यक्तिगत रूप से आग्रह किया था कि हवाई उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन होने के कारण हम सोमवार को सुबह 11 बजे तक नहीं पहुँच पाएंगे। माननीय सदस्यों के आग्रह पर सभा सोमवार को दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी और उस समय प्रश्न काल का भी स्थगन किया जाता है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अगर अगले सोमवार को उसके अगले सोमवार के लिए रिक्वेस्ट होगी तो हम मानेंगे। अभी यह इस सोमवार के लिए है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह हर बार नहीं होगा। यह तो मैंने आपके रिक्वेस्ट करने पर माना है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, आपका ऐडजर्न्मेन्ट मोशन क्या है?

अपराह्न 12.03 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कथित वृद्धि के बारे में

[हिन्दी]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, कोरोना वायरस पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने जो बात रखी है, उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर हमें मौका दिया जाए तो अपनी पार्टी की तरफ से मैं कुछ सुझाव देना चाहता हैं। ... (व्यवधान) कोरोना वायरस के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है और प्रधान मंत्री जी ने जो भाषण दिया है, हम सब उनके साथ हैं। ... (व्यवधान) हम उनके साथ हैं, लेकिन हमें कुछ बोलने के लिए मौका दीजिए।

सर, प्रधान मंत्री जी के भाषण के उपरांत सारे हिन्दुस्तान में, खास कर बड़े-बड़े सिटीज़ में काफी हद तक महँगाई बढ़ चुकी है। बाजार में हर सामग्री की कीमत बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। उसमें काफी इजाफा हो रहा है। बहुत सारी चीजें गायब हो गई हैं। सारी खाद्य सामाग्री नदारद हो गई है। ... (व्यवधान) बाजार में मास्क नहीं मिलता है। अभी सभी बाजार जमाखोरों और बिचौलियों के हाथ में जाने की हालत पैदा हो गई है। इसी हालत में जब प्रधान मंत्री जी कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हम उनका साथ देते हुए कुछ सुझाव देते हैं। ... (व्यवधान) सरकार यह सुझाव मान ले। [अनुवाद] इसलिए, सरकार को वित्तीय पैकेज की घोषणा करनी चाहिए जिसमें टैक्सी और ऑटो चालक, खेतिहर

मजदूर, निर्माण श्रमिक, सुरक्षा गार्ड, चौकीदार, घरेलू सहायक, स्ट्रीट फूड विक्रेता, गाड़ी खींचने वाले और अन्य जैसे दैनिक वेतन कमाने वाले कर्मचारियों के वेतन नुकसान का मुआवजा शामिल होगा। यह मेरा पहला मुद्दा है। सरकार को निम्नलिखित कदम भी उठाने चाहिए:

(1) उन लघु और मध्यम व्यवसायियों को क्षतिपूर्ति देना जिन्होंने अपनी कमाई खो दी है।

(2)) गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वर्गों के लिए चावल, गेहूं और अन्य अनिवार्य वस्तुओं सहित राशन का उपबंध करना।

(3) जब तक ऋण वापसी नहीं हो जाती तब तक सभी प्रकार के ऋणों पर रोक की व्यवस्था की जा सकती है।

(4) मनरेगा के अंतर्गत आगामी तीन माह के लिए मजदूरी का अग्रिम भुगतान।

(5) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे अंत्योदय वर्ग के उन परिवारों के लिए निर्धारित एकमुश्त राशि का भुगतान करना होगा जो किसी अन्य कल्याण पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं, और

(6) करों, प्रभारों और जन उपयोग सेवाओं के बिलों का दो माह, अप्रैल और मई के लिए बिना किसी विलम्ब शुल्क लगाए स्थगन करना। …(व्यवधान)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आपका ऐडजर्न्मेन्ट मोशन नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पहले दिन से ही कई कदम उठाए हैं। **[**हिन्दी] हमने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। सारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उसके कम्पैरिज़न में हमने स्टेप्स तो अच्छे लिए हैं। कल प्रधान मंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कुछ सुझाव दिए हैं, उन्होंने कुछ कॉल किया है। मैं इतना ही कहता हूँ कि हम सभी मिलकर इसके लिए काम करेंगे।

[अनुवाद] संकट की इस घड़ी में, हमें अपने देश और देशवासियों के समस्त हितों का सम्मान करना होगा। *....(व्यवधान)* [हिन्दी] मैं इतना ही बोलना चाहता हूं कि एसेंशियल कमोडिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ऐसा बोलकर पैनिक बढ़ाना ठीक नहीं है। ... (व्यवधान) [अनुवाद] घबराहट पैदा करना और पैनिक बटन दबाना बिल्कुल भी सही नहीं है। *....(व्यवधान)* यह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकट है। *....(व्यवधान)* [हिन्दी] हम सबको मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा और लोगों का भला करना पड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं, …(व्यवधान) आप बात करने दो। ...(व्यवधान) लेकिन मार्किट में यह नहीं मिल रहा है, वह नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सब कुछ मिल रहा है। ...(व्यवधान) जब किसी चीज़ की भी स्केयरसिटी नहीं है, फिर ऐसा कहना ठीक नहीं है। ...(व्यवधान) इस समय पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। मैं इसे पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि हम सबको मिलकर सोचना चाहिए कि क्राइसिस से कैसे निपटें। ...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : मेरे कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर की घोषणा के बाद बाजार में आग लग गई। ...(व्यवधान) सरकार ध्यान दे। ...(व्यवधान)

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी): महोदय, मैं राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा 4(ख) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का. आ. 4579(अ) जो 20 दिसंबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय जूट बोर्ड में शासकीय सदस्य को पुनर्गठित किया गया है की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई , देखिए संख्या एल.टी. 2376/17/20]

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

(एक) प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

. (दो) चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2377/17/20]

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2378/17/20]

(3) निम्नलिखित केन्द्रों के संबंध में वर्ष 2018-19 के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-

. (एक) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (अर्थशास्त्र विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय), लखनऊ।

. [ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2379/17/20]

. (दो) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (सामान्य और अनुप्रयुक्त भूगोल विभाग, डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय), सागर।

. [ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2380/17/20]

(तीन) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (दि गांधीग्राम इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रस्ट), गांधीग्राम।

. [ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2381/17/20]

(चार) जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (उत्कल विश्वविद्यालय), भुवनेश्वर।

(4) उपर्युक्त जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के वर्ष 2018-19 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2382/17/20]

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

(इस समय श्री अधीर रंजन चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।)

(अनुवाद)

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

. (दो) सेंट्रल जू अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2383/17/20]

(3) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत ओजोन अवक्षयकारी पदार्थ (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2019 जो 31 दिसम्बर 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ.4724(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

. [ग्रंथालय में रखे गए, देखिए संख्या एल.टी. 2384/17/20]

अपराह्न 12.07 ½ बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

(अनुवाद)

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है: -

(एक) "राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 18 मार्च, 2020 को हुई अपनी बैठक में पारित राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 18 मार्च, 2020 को हुई अपनी बैठक में पारित

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं 18 मार्च, 2020 को राज्य सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020 और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020 को सभा पटल पर रखती हूँ।"

अपराह्न 12.08 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

1 से 8वां और 9वें से 23वां प्रतिवेदन

(अनुवाद)

श्री श्याम सिंह यादव (जौनपुर): महोदय, मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2019-2020) का प्रथम से आठवां प्रतिवेदन (मूल) और नौवें से तेईसवां प्रतिवेदन (की-गई-कार्रवाई) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

20-03-2020

<u>अपराह्न 12.08 ½ बजे</u>

<u>सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति</u>

10वें से 12वां प्रतिवेदन

(अनुवाद) कर्नल (सेवानिवृत्त) राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण): महोदय, मैं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के 'भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति' के बारे में समिति के 50वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(2) इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 'राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन (एनडीएलएम) की समीक्षा - समस्याएं और चुनौतियां' के बारे में समिति के 59वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(3) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) के 'पोस्ट बैंक ऑफ इंडिया को एक भुगतान बैंक के रूप में स्थापित करना-व्याप्ति, उद्देश्य और ढांचा' के बारे में समिति के 60वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

<u>रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति</u>

6वें से 8वां प्रतिवेदन

(अनुवाद) डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेज़ी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ: -

(1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगें 2020-21' के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगें 2020-21' के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

(3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की 'अनुदानों की मांगें 2020-21' के बारे में आठवां प्रतिवेदन।

20-03-2020

अपराह्न 12.10 बजे

सभा का कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल):

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 23 मार्च, 2020 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य शामिल होंगे:-

1. आज की कार्यसूची से लिए गए सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार , जिसमे अंतर्विष्ट है (एक) लोक सभा द्वारा यथापारित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार तथा उन पर सहमति; (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा पारित करना; (तीन) महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020 पर विचार तथा पारित करना; और (चार) बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा पारित करना।

2. वित्त विधेयक, 2020 पर विचार तथा पारित करना।

3. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार तथा पारित करना।

4. राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हे पारित करना:-

   (i) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2019

   (ii) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2019

20-03-2020

5. राज्य सभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2019 पर विचार तथा पारित करना।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मैं वित्त विधेयक के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछली बार भी मैंने इसी मुद्दे को उठाया था।

इस सदन के नियमों और प्रक्रियाओं, परिपाटियों और परंपराओं के अनुसार, जब अनुदान की मांगें पूरी तरह से गिलोटिन की जाती हैं और सदन द्वारा पारित की जाती हैं, तो किया जाने वाला अगला अति महत्वपूर्ण वित्तीय कार्य वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक कई दिनों के लिए सूचीबद्ध है। यह देखना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि वित्त विधेयक, जो कि सरकार और समग्र देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, को बिना किसी उचित सूचना के स्थगित किया जा रहा है। कल भी इसे सूचीबद्ध किया गया था। इसे कार्य सूची में प्रकाशित किया गया था। हम बहस में भाग लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, यह दूसरे दिन के लिए स्थगित हो रही है। कृपया वित्त विधेयक के लिए एक दिन की पुष्टि करें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे स्थगित किया जा रहा है जो सदन की परिपाटी के खिलाफ है। मैं माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान इस तरफ़ आकर्षित करना चाहूंगा।

यह सरकार का काम है विपक्ष का नहीं, लेकिन फिर भी, मैं वित्त विधेयक को पारित करने की पुष्टि की तिथि की मांग कर रहा हूँ। कृपया सरकार से सभा को इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए कहें।…(*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन जी के कथन का समर्थन करता हूँ। वित्त विधेयक को तुरंत सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। …*व्यवधान*)

20-03-2020

<u>अपराह्न 12.12 बजे</u>

कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन के बारे में

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): मैं प्रस्ताव करता हूं-

> "कि यह सभा 19 मार्च, 2020 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से सहमत है। "

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

> "कि यह सभा 19 मार्च, 2020 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 15वें प्रतिवेदन से सहमत है। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

____

20-03-2020

(हिन्दी)

माननीय अध्यक्ष: अब शून्यकाल - अविलम्ब लोक महत्व के मामले।

डॉ. संघमित्रा मौर्या जी।

डॉ. संघमित्रा मौर्या (बदायूं): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज मैं आपका ध्यान सम्राटों के सम्राट अर्थात् चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय राजवंश के महान सम्राट की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं।

अपने शासनकाल में उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जन-जन में अपनी लोकप्रियता हासिल की, सभी प्रकार के विकास सुनिश्चित करवाए तथा युद्ध से बुद्ध की ओर चलने का रास्ता दिखाया। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। डेढ़ लाख से ज्यादा लोग घायल हुए। कई माताओं ने अपने बेटे खो दिए, कई महिलाओं ने अपने पति खो दिए, कई नौनिहाल बच्चों ने अपने पिता खो दिए तो कहीं बहुत-सी बहनों ने अपने भाई खो दिए। उस वीभत्स घटना को देखकर सम्राट अशोक का मन दया और करुणा से भर जाता है। उसके बाद वे तय करते हैं कि 'बुद्धम शरणम् गच्छामि' के मार्ग पर चलेंगे। उसी राह पर चलते हुए, उन्होंने निर्णय लिया कि वह अब युद्ध से नहीं बल्कि करुणा, मैत्री, बंधुत्व और भाईचारे के माध्यम से जीतेंगे और अब जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में राज करेंगे। भगवान बुद्ध की शरण में जाकर उनके उपदेशों को पूरे विश्व में भाईचारे का संदेश दिया। यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया में भगवान बुद्ध के विचार और दर्शन उतने ही व्यावहारिक हैं, जितने ढाई हजार वर्ष पूर्व थे। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व चैत्य मास शुक्ल अष्टमी पर हुआ था, जिसे आज लोग अंग्रेजी महीने के अनुसार 13 अप्रैल को मनाते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि ऐसे शासक सम्राट अशोक जिन्हें विश्व में प्रथम शासक होने का गौरव प्राप्त हुआ है, मैं ऐसे सम्राट अशोक की जयंती पर अवकाश की मांग

करती हूं, जिससे उनकी जयंती को धूमधाम से मनाया जा सके और जन-जन तक उनके गौरवमय इतिहास का संदेश जा सके। आज इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने धारा 370 हटाकर अखण्ड भारत का निर्माण, उन्हीं की बताई हुई राह पर चलकर किया है। वे इस देश को पुन: विश्व गुरु भी बनाना चाहते हैं। ऐसा निर्णय निश्चित तौर पर हम सभी का एक कदम आगे बढ़ने की ओर होगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, श्री राहुल कस्वां, डॉ. मनोज राजोरिया और श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. संघमित्रा मौर्याद्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री हिबी ईडन (एर्नाकुलम): श्री अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। कोविड-19 के प्रसार के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। लोगों का जीवन और आजीविका दांव पर है। इस बीच भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया है। इसके अलावा सड़क उपकर में भी इन वस्तुओं पर1 रु.की बढ़ोतरी की गई है। प्रधानमंत्री जी की आर्थिक सलाहकार परिषद का आधिकारिक तौर पर कहना है कि इसके परिणामस्वरूप, उपभोक्ताओं को घटी हुई कीमत का लाभ न देने से सरकार को 3.4 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा होगा।

बी.जे.पी. सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एल.पी.जी. पर बारह बार उत्पाद शुल्क बढ़ाया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि उत्पाद शुल्क को तुरंत कम किया जाए। कृपया निर्णय को वापस लिया जाए। पेट्रोल और डीजल को जी.एस.टी. के अन्दर लाया जाना चाहिए। कच्चे तेल की कीमत 25 डॉलर प्रति लीटर के ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। जब यू.पी.ए. सत्ता में थी, तो तेल सब्सिडी 5.73 लाख करोड़ रुपये तक दी गई थी।

चूंकि कोविड-19 पहले ही आम आदमी पर भारी बोझ डाल चुका है, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि कृपया पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में की गई वृद्धि को वापस लें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन और श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री हिबी इडन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

[4*]श्री के. षणमुग सुंदरम (पोल्लाची): माननीय अध्यक्ष महोदय, वणक्कम। केरल सरकार ने एक बार फिर से पट्टीसेरी में पम्बर नदी पर एक बांध का निर्माण शुरू किया है जो केंद्र सरकार की अनुमति के बिना 2 टी.एम.सी. पानी रोक सकता है। कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण का अंतिम निर्णय 5.2.2007 को आया था जिसमें केरल सरकार को पम्बर नदी से केवल 3 टी.एम.सी. पानी का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की गई थी। इस जल को संग्रहित करने के लिए केरल में बहुत सारे बांध हैं; थलैयार नदी पर 3 बांध और चेंगालार पर 3 बांध हैं। इस परिदृश्य में, वर्ष 2014 से अभी तक केरल ने बांध निर्माण गतिविधि को रोका हुआ था। लेकिन पिछले लगभग एक महीने से केरल सरकार ने बांध निर्माण को जल्द पूरा करने की दृष्टि से काम शुरू कर दिया है। लेकिन केरल सरकार पिछले एक महीने से लगातार बांध निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने में लगी हुई है। 2 टी.एम.सी. जल भंडारण की क्षमता वाला 75 फीट ऊंचा और 440 फीट चौड़ा यह बांध 24 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया जा रहा है।

तमिलनाडु सरकार केरल राज्य सरकार द्वारा पट्टीसेरी में किसी भी नए बांध के निर्माण को रोकने के लिए 28.11.2014 की एक याचिका के साथ माननीय उच्चतम न्यायालय के पास गई। यह मामला

[4*] मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

न्यायालय में विचाराधीन है। यह कावेरी नदी जल प्रबंधन प्राधिकरण और तमिलनाडु सरकार को सूचित किए बिना किया जाता है। तिरूप्पुर जिले के उदुमालपेट में स्थित अमरावती बांध में पानी के भंडारण की क्षमता 4 टी.एम.सी. है। अगर आप अमरावती बांध का सिंचाई क्षेत्र देखें, पुराने बेसिन में इसका सिंचित क्षेत्र 48500 एकड़ और नया बेसिन 21500 एकड़ सिंचित भूमि के साथ है। पुराने बेसिन क्षेत्र में सिंचाई के लिए 12.66 टी.एम.सी. और नए बेसिन क्षेत्र में सिंचाई के लिए 4.9 टी.एम.सी. पानी की आवश्यकता होती है। पेयजल योजनाओं के लिए 0.6 टी.एम.सी. की आवश्यकता होती है और इस क्षेत्र के उद्योगों को 0.5 टी.एम.सी. पानी की आवश्यकता हो सकती है। एक वर्ष के लिए कुल मिलाकर, 18.64 टी.एम.सी. पानी की आवश्यकता होती है। वर्ष 1996 से वर्ष 2019 तक, कुछ वर्षों को छोड़कर, इन सभी वर्षों में पानी की कमी थी। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि 5.2.2007 को कावेरी नदी जल न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय और 19.2.2013 को जारी राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखा जाए और पम्बर के पट्टीसेरी में किसी भी नए बांध की निर्माण गतिविधि पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: शून्य काल में, जितना आप लिखकर आए हैं, उसे पूरा मत पढ़ा करें। अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में जो आपका मूल सवाल है, उसे सदन में उठाना चाहिए।

श्री दुर्गा दास (डी.डी) उईके।

श्री दुर्गा दास उईके (बैतूल): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

मेरे लोक सभा क्षेत्र बैतूल-हरदा-हरसूद में भारी ओलावृष्टि और भीषण वृष्टि की वजह से फसल की तबाही हुई है। प्रदेश की सरकार इस दिशा में ध्यान नहीं दे पा रही है।

मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र में ओला वृष्टि से जो क्षति पहुंची है, उसका संज्ञान लेने की वे कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री सी.पी. जोशी को श्री दुर्गा दास (डी.डी) उईके द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री एच. वसंतकुमार (कन्याकुमारी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि कोरोना वायरस रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। चूंकि कोरोना वायरस पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, शून्य-राजस्व की स्थिति निश्चित रूप से ऋण के पुनर्भुगतान को प्रभावित करेगी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि छोटे व्यवसायियों और व्यक्तियों द्वारा कम-से-कम तीन महीने के लिए ऋण अदायगी को फिर से निर्धारित किया जाए।

दिहाड़ी मजदूर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि राष्ट्रीय आपदा कोष से प्रति परिवार को कम से कम 2,000 रुपये का भुगतान किया जाए। ...(*व्यवधान*) आपदा समाप्त होने तक की अवधि के लिए सभी क्षेत्रों के लिए जी.एस.टी. माफ किया जाना चाहिए।

आवश्यक वस्तुओं और अन्य वस्तुओं की कमी हो गई है और ऐसी खबरें आई हैं कि थोक बाजार बंद हो गए हैं। परिणामस्वरूप, आपूर्ति कम हो गई है। इसके अलावा, सैनिटाइजर, मास्क, डेटॉल आदि की भी भारी मांग है। ...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री एच. वसंतकुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. सौगत राय जी।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सर, वसंतकुमार जी के नहीं रुकने से मैं कैसे बोलूं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपका माइक चालू हो गया है और उनका माइक बन्द हो गया है, अब बोलिए।

20-03-2020

<u>अपराह्न 12.22 बजे</u>

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन</u>-जारी

(दो) सेंसेक्स में तीव्र गिरावट के मद्देनजर स्टॉक एक्सचेंजों को बंद किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय : महोदय, मेरे पास सरकार के लिए एक प्रस्ताव है। इस देश में शेयर ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए क्योंकि शेयर बाजार में गिरावट जारी है। लगभग तीन वर्षों में पहली बार सेन्सेक्स 30,000 से नीचे बंद हुआ है। एक महीने में कुल 44.5 लाख करोड़ रुपये की निवेशक संपत्ति खत्म हो गई है। कुछ उम्मीदें थीं कि सरकार से राजकोषीय प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन, कल, प्रधानमंत्री जी के भाषण में वित्तीय प्रोत्साहन या जैसे श्री डोनाल्ड ट्रम्प ने कोविड चुनौतियों का सामना करने के लिए 1 ट्रिलियन डॉलर की निधि बनाई है, ऐसी किसी निधि का कोई उल्लेख नहीं किया गया। बैंकों की हालत विशेष रूप से खराब हैं और एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई. बैंक सहित सभी बैंक के स्टॉक में गिरावट जारी है। …(*व्यवधान*) यहां तक कि, आर.आई.एल. और टी.सी.एस. में भी गिरावट आई है…(*व्यवधान*)

मेरा प्रस्ताव सरल है। …(*व्यवधान*) या तो सरकार को राजकोषीय प्रोत्साहन की घोषणा करनी चाहिए या सेंसेक्स के और गिरने से पहले शेयर बाजार को बंद कर देना चाहिए। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रह्लाद जोशी): महोदय, माननीय प्रधान मंत्री स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं, और बहुत सारी सावधानियां बरती गई हैं। मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहता। मैं केवल यह बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने कल बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में कहा और उन्होंने आर्थिक मुद्दे पर भी ध्यान दिया है। अतएव, एक आर्थिक कार्यबल का गठन किया गया है। …(*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय : कार्यबल यह नहीं कर सकेगा। ...(*व्यवधान*)

श्री प्रहलाद जोशी : प्रो. सौगत दादा, जब आप बोल रहे थे, तो मैं यहां बैठा था और आपको सुन रहा था। …(*व्यवधान*)

आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। हमारे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। जब हम बोलते हैं, तो कम-से-कम हमें अनुमति मिलनी चाहिए। हम आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं। …(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, आप अपनी बात कहते रहें।

...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : महोदय, यह बात ठीक नहीं है कि माननीय सदस्य बीच में बोलें।

अध्यक्ष जी, मैं निवेदन करता हूं कि यदि किसी सदस्य को कुछ कहना है तो अभी हमारे स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन जी सदन में थे, आप उनसे मुलाकात कीजिए। आप उनके द्वारा सरकार को यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं। हमें इस विषय में पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है और

इकोनॉमिक इश्यू में भी प्रधान मंत्री जी ने टॉस्क फोर्स का गठन किया है और टॉस्क फोर्स का उद्देश्य ही यही है कि यदि ऐसा कोई इश्यू आता है तो टॉस्क फोर्स एकदम इंटरवीन करेगा।

(हिन्दी)

श्री अशोक कुमार यादव (मधुबनी): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। हिमालय की गोद से निकलने वाली धौंस नदी का जल प्रदूषित हो चुका है। नेपाल के महेन्द्र नगर स्थित एक निजी एवरेस्ट पेपर द्वारा फैक्टरी का गंदा पानी धौंस नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण बिहार के मधुबनी जिला के मधुवापुर से दरभंगा तक इस नदी के किनारे बसने वाले सैकड़ों गांवों के हजारों किसानों की हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि बंजर हो गई है। नदी के कि नारे बसने वाले किसानों के लिए नदी का पानी अभिशाप बन गया है। कभी इस नदी के पानी का उपयोग नदी के कि नारे बसे ग्रामीणों द्वारा पीने के लिए, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए, नहाने के लिए तथा मवेशियों को पिलाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब यह पानी जहर बन चुका है। नदी के प्रदूषित जल के उपयोग के कारण फोड़ा, फुंसी, सफेद दाग तथा कई तरह के चर्म रोग से लोग पीड़ित हो रहे हैं। आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि नेपाल सरकार से वार्ता करके इस नदी में गंदा पानी छोड़ने से रोका जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री अशोक कुमार यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): अध्यक्ष जी, रेलवे लाइन देश की लाइफ लाइन होती है और पूरे देश को एक सूत्र में बांधती है। मेरा संसदीय क्षेत्र गोपालगंज है, जिसकी आबादी लगभग 26 लाख है। यहां 'थावे' एक ऐतिहासिक मंदिर है, जो पर्यटन के रूप में भी विकसित है। इस मंदिर एवं जिले के

निवासियों के लिए थावे, गोपालगंज जंक्शन है, जहां बड़ी लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो चुका है। मेरे संसदीय क्षेत्र थावे, गोपालगंज से कोई भी ट्रेन महानगरों के लिए नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र के निवासियों को 120 कि लोमीटर की दूरी तय करके गोरखपुर से या दूसरे जिलों में जाकर ट्रेन पकड़नी पड़ती है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे जिले में विदेशी मुद्रा का आगमन बिहार में लगभग सबसे ज्यादा है एवं ट्रेन के लिए कमर्शियल फीजीबिलटी भी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि 12555 और 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस एवं 12571 और 12572 हमसफर एक्सप्रेस को गोरखपुर से गोपालगंज थावे होते हुए छपरा तक बढ़ा दिया जाए अथवा 12553 और 12554 वैशाली एक्सप्रेस, 12523-12524 नई दिल्ली जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, 22412 और 22413 अरुणाचल एक्सप्रेस, 12203-12204 गरीब रथ एक्सप्रेस, 12565 और 12566 बिहार सम्पर्क क्रांति एक्सप्रेस आदि ट्रेनों में से कुछ ट्रेनों को छपरा से डायवर्ट करके थावे गोपालगंज गोरखपुर होते हुए दिल्ली के लिए कर दिया जाए तथा इंटरसिटी थावे गोपालगंज से पटना के लिए चलाई जाए। इससे हमारे क्षेत्र के लोगों को लम्बी दूरी की ट्रेन मिल सके।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी. जोशी और श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दुनिया आज कोरोना वायरस के संकट से जूझ रही है। भारत भी सभी संभव प्रयास कर रहा है। कल देश के प्रधान मंत्री ने जनता के साथ संवाद किया। उन्होंने डरने के बजाय, भय के बजाय सावधानी बरतने की अपील देश की जनता से की, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। कोरोना के संकट से बचने के अनेक उपाय और कार्यक्रम उन्होंने बताए। रविवार 22 मार्च को 'जनता कर्फ्यू' का पालन करने की अपील भी सभी देशवासियों से की है। यह सभा सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा देश को दिए गए संबोधन के संकल्प के साथ है। सभी दलों ने भी इसमें सहमति व्यक्त की है। यही भारत का लोकतंत्र है कि संकट के समय पूरा देश एक साथ मिलकर ऐसी बीमारियों से या संकट से लड़ता है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और सभी दलों के नेताओं को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

प्रो. सौगत राय : अध्यक्ष जी, यह बहुत अच्छा हुआ कि आपने चेयर से कोरोना वायरस के विषय पर कहा है।

20-03-2020

[अनुवाद]

[5*]**श्री ए. के. पी. चिनराज (नामाक्कल):** माननीय अध्यक्ष महोदय, वणक्कम। अंडा उत्पादन और चिकन उत्पादन के साथ मुर्गी पालन जी.डी.पी. में कुल 1,60,000 करोड़ रुपये का योगदान देता है। कोरोना महामारी के कारण मुर्गी पालक किसान बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। वे अपने ऋणों को चुकाने और अंडे और चिकन को बाजार में बेचने में असमर्थ हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। अतः मेरा अनुरोध है कि संघ और राज्य सरकारें ऋण की अवधि बढ़ाने और ऋण के भुगतान को पुनर्निर्धारित करने में मुर्गी पालक किसानों की मदद के लिए आगे आए। अब तक, पोल्ट्री उद्योग को कोरोना वायरस के प्रभाव के कारण रु.20,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। मेरा अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकारों को यह कहते हुए एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि मुर्गे और अंडे इंसानों के लिए हानिकारक नहीं हैं। इसी प्रकार नामाक्कल जिले में लॉरी उद्योग बहुत अधिक प्रभावित हुआ है जिसके परिणामस्वरूप कई लॉरी मालिकों ने दिवाला नोटिस दिया है। अतः मेरा अनुरोध है कि केंद्र और राज्य सरकारें उन्हें वित्तीय सहायता और ऋण के माध्यम से सहायता प्रदान करें। चेन्नई से सेलम होते हुए रासिपुरम तक दिन में इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू की जानी चाहिए। इसी तरह चेन्नई से नामाक्कल होते हुए तिरुची तक एक रेलगाड़ी भी चलाई जानी चाहिए। इसके अलावा मैं केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता हूँ कि सभी एक्सप्रेस ट्रेनों का रासिपुरम और नामाक्कल में ठहराव हो।

[5*] मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[हिन्दी]

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुशवाहा जी,जल्दी उठा करो नहीं तो समय खत्म हो जाएगा।

श्री रविन्दर कुशवाहा : सर, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से लेकर देवरिया होते हुए, बलिया की सड़क की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। चूंकि यह सड़क गोरखपुर से सलेमपुर तक स्टेट हाई वे में फोर लेन की बन गई है लेकिन सलेमपुर से आगे की सड़क को फोर लेन में बलिया तक तबदील करना था, उसके लिए मैंने सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से अनुरोध किया था। इस सड़क के बीच में भागलपुर का एक पुल आता है, जो लगातार क्षतिग्रस्त होता रहता है और यह सड़क बलिया और देवरिया के बीच में लाइफ लाइन की तरह काम करती है। यह सड़क इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है और इतनी टूट गई है जिसकी वजह से आवागमन में बहुत असुविधा हो रही है। मैं इस माननीय सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो क्षतिग्रस्त सड़क है, वह बने और देवरिया से लेकर सलेमपुर होते हुए, वहां के रेवती मांझी घाट तक फोर लेन सड़क बनाने का काम सरकार द्वारा किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री सी.पी.जोशी और श्री कुलदीप राय शर्मा जी को श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती वीणा देवी (वैशाली): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मैं अपने बिहार के वैशाली लोक सभा क्षेत्र से आती हूं।

भगवान महावीर की जन्मस्थली होने के कारण जैन धर्म के लोग हमेशा यहां आते हैं। वैशाली एक प्रसिद्ध स्थल है और भगवान बुद्ध का इस धरती पर तीन बार आगमन हुआ है।

यह उनकी कर्म स्थली भी है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे कायम किया गया था। वहां देश-दुनिया से बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग आते रहते हैं। मशहूर नर्तकी, नगरवधू आम्रपाली यहीं की थी। वैशाली पर्यटकों के लिए बहुत लोकप्रिय स्थल है। यहां दूसरे देशों के कई मंदिर भी बने हुए हैं, लेकिन वैशाली में आने-जाने के लिए हवाई मार्ग की कोई समुचित सुविधा नहीं है। मेरे बगल के संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर में भी कोई हवाई अड्डा नहीं है। ऐसी स्थिति में पर्यटकों को पटना से सड़क मार्ग से लंबी यात्रा करनी पड़ती है, जिससे उनका काफी समय बर्बाद हो जाता है।

अत: मैं आपके माध्यम से नागर विमानन मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र वैशाली, बिहार में जल्द से जल्द एयरपोर्ट बनवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती वीणा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री कौशल किशोर जी। मैं माननीय सदस्यों को रोकना नहीं चाहता हूं, लेकिन वे एक मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज): सर, मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बढ़ती हुई भीड़ के कारण जो जाम लगता है, उसकी ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोनेश्वर चौराहा से दुबग्गा, सीतापुर बाईपास तक एक फ्लाईओवर बनाने के लिए पहले से मांग की गई

है। इसको मंजूर भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ है। **मैं** आपके माध्यम से सरकार से अपील करता हूं कि इस पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कौशल किशोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मितेष पटेल (बकाभाई) (आनंद): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र से संबं**धि**त लोक महत्व के विषय को संसद में उठाने हेतु अनुमति देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, अहमदाबाद-मुंबई तेजस ट्रेन शुरू की गई है, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के आनंद स्टेशन से होकर गुजरती है, लेकि न वह वहां नहीं रुकती है। इस स्टेशन के यात्री क्षमता के दृष्टिगत यदि अहमदाबाद-मुंबई तेजस ट्रेन के दो मिनट का ठहराव आनंद स्टेशन पर हो जाए, तो रेलवे को व्यावसायिक दृष्टि के साथ ही, मेरे क्षेत्र की जनता भी लाभान्वित होगी। इस बाबत स्थानीय जनता का मेरे पास लगातार अनुरोध आ रहा है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आनंद स्टेशन पर अहमदाबाद-मुंबई तेजस ट्रेन का दो मिनट का स्टॉपेज देने हेतु व्यक्तिगत तौर पर संज्ञान लेते हुए, संबं**धि**त अ**धि**कारियों को निर्देशित करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मितेश रमेशभाई पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री के. सुधाकरन (कन्नूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे राज्य केरल में केवल एक छावनी है और वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र कन्नूर में है। यह भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक प्रमुख रणनीतिक स्थान है। 18वीं

शताब्दी से, कन्नूर यूरोपीय शासकों का एक सैन्य शिविर था। आजादी के बाद कन्नूर छावनी भारतीय सेना के नियंत्रण में आ गई। आज, यह रक्षा सुरक्षा कोर का मुख्यालय है।

महोदय, इस छावनी इलाके के अन्दर सेट माइकल्स एंजेलो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल नामक एक प्रमुख विद्यालय संचालित होता है। किंडरगार्टन से उच्च माध्यमिक तक विभिन्न कक्षाओं में 4,000 से अधिक छात्र यहां पढ़ते हैं। इस विद्यालय के बगल में सेना की 1.5 एकड़ जमीन है जिसे जी.एल.आर. सर्वे सं. 32 के नाम से जाना जाता है। सेंट माइकल विद्यालय के सामने की सीमा और सड़क के बीच यह एक खुला मैदान है। इस मैदान की तर्ज पर एक विद्युत सर्कल कार्यालय, कुछ रेस्तरां और एक गेस्टहाउस हैं। दशकों से, इस मैदान का उपयोग कन्नूर में सभी सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए एक सभा स्थल के रूप में किया जा रहा है। स्कूल के समय में, भूमि का उपयोग स्कूल वैन और ऑटोरिक्शा द्वारा सुरक्षित रूप से बच्चों को उतारने के लिए किया जाता है। यह मैदान स्कूल में प्रवेश करने का एकमात्र रास्ता है।

स्वतंत्रता आंदोलन के बाद से, यह मैदान कन्नूर के लोगों के लिए ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल्य रखता है और राजस्व सृजन की भी क्षमता रखता है। दुर्भाग्य से, रक्षा सुरक्षा कोर ने भूमि के अधिग्रहण के लिए निर्देश जारी किए हैं और इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नागरिकों को हटाने के लिए रक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पहले के वर्षों में, डी.एस.सी. ने आम जनता को इस मैदान में प्रवेश करने से रोकने के लिए कई समान प्रयास किए, हालांकि, सरकार के समय पर हस्तक्षेप ने क्षेत्र को सभी के लिए सुलभ रखने में मदद की थी।

मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस भूमि अधिग्रहण के डी.एस.सी. के निर्णय को वापस लिया जाए। मैं रक्षा मंत्रालय से भूमि को सी-श्रेणी में परिवर्तित करने का अनुरोध करता हूँ ताकि इसका उपयोग नागरिक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

20-03-2020

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री के. सुधाकरन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री छेदी पासवान (सासाराम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उन्होंने कोरोना वायरस के संबंध में पूरे देश को संबोधित कि या है, इस बात की चारों तरफ बड़ाई हो रही है। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, 483 कि लोमीटर क्षेत्र में फैला कैमूर पहाड़ी क्षेत्र विंध्य पर्वतमाला का पूर्ववर्ती भाग है, जिसका विस्तार जबलपुर के कटंगी से बिहार के सासाराम तक है। इस पहाड़ी श्रृंखला में अनेकानेक औषधीय पौधों की मौजूदगी है, जिसका यदा-कदा चोरी-छिपे प्रयोग होता है। यदि इन औषधीय पौधों और इनके उत्पादों की उपयोगिता का सर्वे कराकर आवश्यक शोधन, वितरण एवं जन-आरोग्य में इनका उपयोग किया जाए, तो ये औषधीय सम्पदाएँ राष्ट्र के स्वास्थ्य एवं राजस्व के संवर्धन में अत्यन्त सहायक सिद्ध होंगी। इस संबंध में, स्वास्थ्य मंत्रालय तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से समन्वय स्थापित कर औषधीय सम्पदाओं का उपयोग आवश्यक प्रतीत होता है।

अत: विशेष आग्रह है कि कैमूर पहाड़ी में मौजूद उपयोगी औषधीय पौधों एवं उत्पादों का सर्वे कराकर बिहार के रोहतास जिला में एक वृहत औषधीय केन्द्र खोला जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.पी. जोशी और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री छेदी पासवान द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

20-03-2020

[अनुवाद]

श्री कुनार हेमब्रम (झारग्राम): अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे झारग्राम निर्वाचन क्षेत्र के महत्व का मामला उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

महोदय, झारग्राम एक जिला है जिसे वर्ष 2017 में पश्चिम मेदिनीपुर जिले से अलग किया गया था। इसे जंगल महल भी कहा जाता है। इस निर्वाचन क्षेत्र के अधिकांश लोग पिछड़े वर्ग से हैं और आदिवासी हैं, और वे अपने उचित अधिकारों का लाभ नहीं उठाते हैं। जमीनी स्तर पर, पेयजल सुविधा, सड़क संपर्क, आम लोगों के साथ-साथ जनजातीय लोगों , विशेष रूप से संथाली लोगों के लिए शैक्षिक सुविधा, महिला स्वास्थ्य और स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब हैं। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तो हैं लेकिन उनके पास न तो विशेषज्ञ हैं, न दवाइयां हैं और न ही उपकरण हैं। अस्सी से नब्बे प्रतिशत आदिवासी गांवों में *शौचालय* नहीं हैं। 75 प्रतिशत से अधिक गरीबों को प्रधान मंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला है।

वहाँ पर अटल ज्योति योजना, सीमांत किसानों के लिए सोलर पंप आदि जैसी कई केंद्रीकृत योजनाएं लागू नहीं की जा सकीं। फिर भी यह जिला आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल नहीं है।

इसलिए, मैं संबंधित विभाग से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वह झारग्राम को आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल करे ताकि ये योजनाएं झारग्राम के लोगों तक पहुंच सकें और वे इससे लाभान्वित हो सकें।

धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कुनार हेमब्राम द्वारा उठाए गए विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री मनीश तिवारी (आनंदपुर साहिब): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही दुखद घटना के कारण आपसे विषय परिवर्तन की अनुमति माँगता हूँ।

अध्यक्ष जी, 18 मार्च को एक 23 साल का नौजवान, जो मेरे संसदीय क्षेत्र से है, उसका नाम तनवीर सिंह है, वह अपनी माता के साथ सिडनी से एयर इंडिया - 301 से भारत आया। उसको एयरपोर्ट पर एग्जामिन किया गया और पाया गया कि शायद उसको बुखार है। उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, उसकी माँ को बगैर यह बताए, उसे वहाँ से ले जाया गया। जब उसकी माता बाहर आई, तब उसने लोगों से पूछा और अपने परिवारजनों को बताया कि शायद उसको सफ़दरजंग अस्पताल लेकर गए हैं। जब वे लोग सफ़दरजंग अस्पताल पहुँचे, तो उनको वहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई और उनसे कहा गया कि वे राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएँ। राम मनोहर लोहिया अस्पताल से जब वे धक्के खाकर वापस सफ़दरजंग अस्पताल आए, तो उनको पता चला कि शायद किसी व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है। साढ़े नौ बजे **23** वर्ष के नौजवान तनवीर सिंह ने तथाकथित खुदकुशी की और ढाई बजे तक उसकी लाश वहाँ पर पड़ी रही। किसी ने उसकी लाश को नहीं उठाया।

कल का पूरा दिन निकल गया, लेकिन पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ। जब मैंने डीसीपी, साउथ से बात की तो आज सुबह उसका पोस्टमॉर्टम हुआ है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से गृह राज्य मंत्री जी से, जो यहां बैठे हैं, यह आग्रह करना चाहता हूं कि पूरी घटना की जांच कराई जानी चाहिए कि एक **23** वर्ष का नौजवान हवाई-जहाज से उतरता है, अस्पताल जाता है और अस्पताल जाते ही वह खुदखुशी कर लेता है? अगर तथाकथित तौर पर किसी

को लगा कि वह कोरोना वायरस का शिकार है तो ऐसी कोई परिस्थिति तो नहीं बनी थी, जिसके कारण यह खुदखुशी होती। इसकी बहुत संवेदनशील तरीके से जांच कराने की जरूरत है।

अध्यक्ष जी, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह घटना यह बताती है कि शायद कोरोना वायरस की जो साइकोलॉजिकल इम्पिलिकेशन्स हैं, उनसे निपटने के लिए हम तैयार नहीं हैं। इसलिए, इस घटना को उदाहरण बनाते हुए इसकी जांच किए जाने की जरूरत है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री मनीष तिवारी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राम कृपाल यादव (पाटलीपुत्र): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ में मुझे चर्चा करने की इजाज़त दी है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का अपने संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र सहित पूरे बिहार के किसानों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं।

महोदय, वैसे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से पूरे देश के किसान तबाह हैं। खास तौर पर ये सारे लोग कृषि पर ही आधारित हैं। वहां कुछ ज्यादा ही तबाही नज़र आ रही है। मैं समझता हूं कि बेमौसम और ओलावृष्टि के कारण पूरे प्रदेश और मेरे संसदीय क्षेत्र के किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़कर रख देने का काम किया है। किसानों में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। यह सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि पूरे देश के पैमाने पर है।

माननीय अध्यक्ष: आपका समय समाप्त हो गया है।

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सर, अभी तो मैंने बोलना प्रारंभ किया है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सिर्फ ओलावृष्टि के कारण हुए नुकसान के मुआवजे की मांग कीजिए। आपका विषय खत्म हो गया।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सर, इसमें कुछ और भी संदर्भ हैं। ...(व्यवधान) मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे बोलने दें। ...(व्यवधान) आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, यह आपकी कृपा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह आपका अधिकार है। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इस पर बाद में डिटेल में चर्चा होगी।

... (व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव : सर, कृपया मुझे इजाज़त दीजिए। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। ...(व्यवधान)

सर, किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है, यह स्वाभाविक है। खास तौर पर अभी मार्च में जो बारिश हुई, उससे बहुत नुकसान हुआ है। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलीपुत्र के अंतर्गत पालीगंज, दुल्हिन बाजार, बिक्रम, नौबतपुर, बिहटा, मनेर, मसौढ़ी, धनरुआ, पुनपुन और दानापुर सहित पूरे इलाके में जो गेहूं की फसल लगी हुई थी, उसके अलावा मटर, मसूर, चना, खेसारी, राई, सरसों, धनिया, टमाटर, प्याज़ आदि फसलों को भारी नुकसान हुआ है।

सर, यही नहीं, बेमौसम बारिश की वजह से धनरुआ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली दो नदियां - कररूआ नदी और भुतही नदी का जलस्तर बढ़ गया है। किसानों की जो बची-खुची ज़मीन थी, खेती थी, वह भी बर्बाद हो गई है।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के स्तर पर वहां की सरकार किसानों को राहत देने का प्रयास कर रही है। केन्द्र सरकार न सिर्फ मेरे संसदीय क्षेत्र में बल्कि पूरे राज्य के स्तर पर किसानों को ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन करे और किसानों के लिए अविलंब उचित मुआवजे का प्रावधान करे, ताकि किसानों की हालत ठीक हो सके। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री राम कृपाल यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी (चेन्नई उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे फिलीपींस से एक छात्र का अभ्यावेदन मिला है। उसका नाम निराई मथाई है और उसने कहा है कि फिलीपींस में पढ़ने वाले सैकड़ों तमिल छात्र भारत वापस नहीं आ पा रहे हैं। पूरे देश से हज़ारों छात्र फिलीपींस और कई अन्य देशों में पढ़ रहे हैं। मैं इन छात्रों को वापस लाने में सरकार की कठिनाई को समझ सकता हूँ। लेकिन छात्रों को परेशानी यह है कि उनके कॉलेज बंद हैं और उनके छात्रावास भी बंद हैं।

वे रहने के लिए जगह नहीं ढूंढ पा रहे हैं क्योंकि अधिकांश होटल भी बंद हैं और भोजन भी उपलब्ध नहीं है क्योंकि अधिकांश दुकानें बंद हैं। यदि उन्होंने इन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए विभिन्न देशों में अपने दूतावासों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है, तो मैं सरकार से अनुरोध

करूंगा कि यदि आवश्यक हो तो उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाए क्योंकि बैंक बंद हैं और वे पैसे निकालने और खुद पर खर्च करने में सक्षम नहीं हैं। मैं केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वे संबंधित दूतावासों को सूचित करें कि छात्रों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री बी. मणिक्कम टैगोर, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. और श्री कुलदीप राय शर्मा को डॉ. कलानिधि वीरास्वामी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु (मयूरभंज): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय।

एकीकृत बी.एड. और एम.एड. ओडिशा के चार विश्वविद्यालयों जैसे उत्तर ओडिशा विश्वविद्यालय, फकीर मोहन विश्वविद्यालय, सुरेंद्र साई विश्वविद्यालय और राजेंद्र कॉलेज में पढ़ाए जा रहे हैं। अब तक, 50 छात्र सफलतापूर्वक कार्यक्रम पूरा कर चुके हैं और 150 छात्रों को इस कार्यक्रम में नामांकित किया गया है। हालांकि, अफसोस की बात यह है कि वे बी.एड. और एम.एड. संबंधित पात्रता परीक्षाएं जैसे ओ.टी.ई.टी. या एस.एस.टी.ई.टी. और सी.टी.ई.टी. को देने से वंचित हैं। इस संदर्भ में, ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से यह स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या वे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक बनने के लिए पात्र हैं और क्या उन्हें विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है, जैसा कि बताया गया, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस संबंध उचित कदम उठायें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शंकर लालवानी (इन्दौर): अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपसे सिंधी भाषा में अपनी बात रखने की इजाजत मांगता हूं। संभवत: लोक सभा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि सिंधी भाषा में अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है।

[अनुवाद]

[6*]मैं आपके समक्ष इस देश में रह रहे एक करोड़ सिंधियों की समस्या उठाना चाहता हूं। सरकार को इन सभी मुद्दों पर विचार करना चाहिए। महोदय, सिंध पाकिस्तान से भारत में शरणार्थी के रूप में बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। मेरी मांग है कि भारत आए सिंधी शरणार्थियों के विकास के लिए एक सिंधी कल्याण बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा, सिंधी कला और संस्कृति दुनिया में सबसे पुरानी है, जैसा कि मोहनजोदड़ो और सिंधु घाटी सभ्यता में प्रकट होता है। सिन्धी कला और संस्कृति के लिए एक राष्ट्रीय सिन्धी अकादमी का गठन किया जाए। तीसरा, टी.वी. चैनल सभी मान्यता प्राप्त भाषाओं में काम कर रहे हैं। सिन्धी समुदाय की मांग है कि एक सिन्धी टी.वी. चैनल चालू किया जाए।

चौथी बात, 26 जनवरी को हर राज्य की एक झांकी होती है, लेकिन सिंधियों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता क्योंकि उनका कोई राज्य नहीं है; इसलिए मैं मांग करता हूं कि 26 जनवरी पर सिन्धी समुदाय की एक झांकी होनी चाहिए। पांचवां, जब भी मैं देश के दौरे पर जाता हूं, सिंधियों ने कहा कि जैसे-जैसे हमने पाकिस्तान से सिंध राज्य खो दिया, सिंधी समुदाय को एक सिंधी क्षेत्र दिया जाना चाहिए। मैं यह

[6*] मूलतः सिंधी में दिए गए भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

चाहता हूँ, लेकिन मैं ही नहीं, पूरा सिंधी समुदाय यह चाहता है। छठा, एक सिंधी विश्वविद्यालय होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे वहां पढ़ सकें। अंत में, सिंधी समुदाय माँग करता है कि चेटीचंड, जो भगवान झूलेलाल का जन्मदिन है, को अवकाश घोषित किया जाए। अंत में, मैं आप सभी को सिंधी भाषा दिवस, जो 10 अप्रैल को आता है और आगामी झूलेलाल जन्मदिन यानी चेतीचंड की शुभकामनाएं देता हूं। जय झूलेलाल।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री श्रीरंग आप्पा बारणे,श्री सी.पी. जोशी और श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री शंकर लालवानी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती परनीत कौर (पटियाला):अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। क्या मैं पंजाबी में बात कर सकती हूं, प्लीज?

माननीय अध्यक्ष: इजाजत है।

[अनुवाद]

[7*]**श्रीमती परनीत कौर :** महोदय, आज कोरोना वायरस चर्चा में है। इस वायरस के कारण लोगों की मौत हो रही है। मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिये। सरकार रिक्शा चालकों आदि जैसे गरीब लोगों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए क्या कर रही है? ऐसे लोगों के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। मैं सुझाव देती हूँ कि सी.एस.आर. के अन्तर्गत, अगर ऐसे गरीब लोगों को आर्थिक रूप से मदद की जा सकती है, तो यह उनकी मदद करेगा। श्रम मंत्रालय को अगले दो महीनों के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करनी चाहिए ताकि उनके जीवन को आसान बनाया जा सके क्योंकि उन्हें कठिन परिस्थितियों में अपना गुजारा करना पड़ता है।

[7*] मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष :श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती परनीत कौर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदय, ट्रेन नंबर 18248 रीवा-बिलासपुर ट्रेन का परिचालन दुर्ग तक करने से मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा, क्योंकि रीवां क्षेत्र के बहुत सारे लोग मेरे क्षेत्र में रहते हैं। यह मेरे संसदीय क्षेत्र की बहुप्रतीक्षित मांग है। अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि रीवा-बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक चलाने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री विजय बघेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: इसी तरह आप सब लोग संक्षेप में बोलें।

[अनुवाद]

श्री नितेश गंगा देब (सम्बलपुर): महोदय, मुझे 'शून्य काल' के दौरान इस सम्मानित सभा में बोलने की अनुमति देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले, ओडिशा के लोग, विशेष रूप से पश्चिमी ओडिशा के लोग, और मैं झारसुगुड़ा में एक विमानपत्तन का उद्घाटन करने और इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेन्द्र साई के नाम पर रखने के लिए हमारे प्रिय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के आभारी और कृतज्ञ हैं।

महोदय, 31 मार्च, 2019 को उड़ान योजना के तहत पहली वाणिज्यिक उड़ान शुरू की गई थी। मुझे उस महान नेता की जयंती 23 जनवरी, 2020 को सम्बलपुर जिले में आने वाले उनके ग्राम खिंडा जाने और उस महान व्यक्ति के परिवार से बातचीत करने का सम्मान प्राप्त हुआ।।

जैसा कि भुवनेश्वर विमानपत्तन का नाम स्वर्गीय बीजू पटनायक के नाम पर रखा गया है, और वहां उनकी मूर्ति भी लगाई गई है, मैं, आपके माध्यम से, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2020-21 में झारसुगुड़ा विमानपत्तन पर वीर सुरेन्द्र साई की आदमकद मूर्ति लगाई जाए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री नितेश गंगा देब द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

डॉ. ए. चेल्लाकुमार (कृष्णागिरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान 64 लाख ई.पी.एस. पेंशनभोगियों की काफी समय से लंबित अनसुलझी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

ई.पी.एस. पेंशन केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत कवर की जाती है। राज्यों और केंद्र के निजी उद्योगों, सरकारी स्वामित्व वाले निगमों और सहकारी क्षेत्रों के कर्मचारी इस योजना के सदस्य और लाभार्थी हैं। महोदय, 64 लाख सेवानिवृत्त ई.पी.एस. पेंशनभोगी सरकार से अपनी न्यूनतम मासिक पेंशन को बढ़ाकर रु.9,000 प्लस डी.ए. प्रति माह करने की मांग कर रहे हैं।

इससे पहले सरकार ने तीन समितियों का गठन किया था। समितियों ने पेंशन भोगियों के पक्ष में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। अधिकांश पेंशनभोगी 70 वर्ष की आयु से अधिक हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, और उनकी मासिक पेंशन को रु.9,000 प्लस डी.ए. प्रतिमाह किया जाए। सरकार को सभी पेंशनभोगियों को ई.एस.आई.सी. का लाभ भी देना चाहिए और तब तक, रु.3,000 प्लस डी.ए. की अंतरिम राहत तथा कम्यूटेशन जैसे रोके गए लाभों की बहाली की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस., श्री एम.के. राघवन और श्री बी. मणिक्कम टैगोर को डॉ. ए. चैल्ला कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि (थूथुक्कुडी): महोदय, कोरोना महामारी के कारण पूरी मानवता के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री सहित सभी देशों ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और यथासंभव घर पर रहने की सलाह दी है। हम सभी ने इसका समर्थन किया है और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन, महोदय, केवल कुछ कंपनियों और कारखानों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। हम सभी समझते हैं कि हमारा 81 प्रतिशत कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र का है। हमें कैब ड्राइवरों, ऑटो ड्राइवरों, घरेलू सहायकों, रेस्तरां में काम करने वाले लोगों और कृषि मजदूरी करने वाले श्रमिकों की आजीविका को ध्यान में रखना होगा। उनका जीवन प्रभावित होने वाला है और उनकी आय शून्य हो सकती है।

प्रधानमंत्री ने कल अपने भाषण में एक आर्थिक कार्यबल का वादा किया है। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि वह इन अनौपचारिक कामगारों की दुर्दशा को ध्यान में रखे और उन्हें पहली प्राथमिकता दे ताकि उनकी आजीविका और उनके परिवारों की रक्षा हो सके।

20-03-2020

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा और श्री बी. मणिक्कम टैगोर को श्रीमती करुणानिधि कनिमोझी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंह बघेल (आगरा): अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों ओलावृष्टि से मेरे लोक सभा क्षेत्र के देहात की दो विधान सभाओं ऐतमादपुर और जलेसर, जो आलू बेल्ट है, हम 70 परसेंट हिन्दुस्तान का आलू पैदा करते हैं, उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे वहां जाने का भी मौका मिला था। पैंतखेड़ा, हाजीपुर खेड़ा, सोनगा, गिजौली, धंगरौली, नगला चतुरा, गढ़ी अजीता, बेनई, नांदउ, धौरा, बगलघूसा, गदपुरा, फूलपुर, मादौर, नगलापैठ, पतलपुर, अगलपुर गढ़ी खोड़ा, हेता का नाला, खोड़ा नगला, धौरल, नगला गड़रिया, चूहरपुर, खुशहालपुर, नजरपुर, हाथीगढ़ी, रूपधनु, वांधनू, चौकड़ा, नयाबांस और खास तौर से आंवलखेड़ा, वरहन, समायी, मितावली गांवों में ओलावृष्टि से 70 परसेंट आलू खराब हो गया है। तीन दिन पहले बारिश हुई और फिर तीन दिन बाद ओले पड़े। आलू नीला हो गया और खोदने पर मिट्टी आ रही है। केन्द्र सरकार अलग से कोई सहायता करे, क्योंकि लोगों ने जानकारी के अभाव में फसल बीमा नहीं करवाया है। वहां यह एक ही फसल आलू की होती है। वहां सरकारी नौकरी तो है नहीं कि आंधी-वर्षा-तूफान आए, 1 तारीख को तनख्वाह जरूर मिलेगी। कि सान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई स्पेशल पैकेज देना चाहे तो दे, इससे कि सानों का भला होगा। इसी प्रकार से टून्डला और नारखी विधान सभा में भी लगभग 80 परसेंट आलू बर्बाद हो गया है और जो आलू खोदा जा रहा है, चूंकि उसमें ओलावृष्टि से चोटें आ गयी हैं, उसे कोल्ड स्टोरेज में रखने पर वह सढ़ना शुरू हो जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को प्रो. एस.पी. सिंह बघेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. भारती प्रवीण पवार (दिन्डोरी): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस साल अनेक आपदाओं से जूझकर किसान खेती कर रहा है। कभी भारी वर्षा के कारण हो या आज कोरोना से लड़कर हो। इसमें खेती का काफी नुकसान हो रहा है। इस हालात में एमएसईबी डिपार्टमेंट कि सानों को इलेक्ट्रिसिटी बिलों को भरने के लिए दबाव बना रहा है। जो बिल नहीं भर पा रहे हैं, उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। अभी हार्वेस्टिंग पीरियड चल रहा है। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से यह अनुरोध करती हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने की आवश्यकता तो है, लेकिन उसका समय बढ़ा दिया जाए और इस वैश्विक संकट में हमारे इस अन्नदाता किसान को राहत दी जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री राहुल रमेश शेवले और डॉ. हिना विजयकुमार गावित को डॉ. भारती प्रवीण पवार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री कुरुवा गोरांतला माधव (हिंदूपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए और मेरे आंध्र प्रदेश राज्य के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनंतपुरम जिले में, थिमम्मा मारिमानु, प्रसिद्ध पेनुकोंडा किला - जो विजयनगर साम्राज्य की दूसरी राजधानी था - लेपाक्षी नंदी, गूटी किला, वेमन्ना समाधि, पुट्टापर्थी में श्री सत्य साई निलयम, और पेन्ना अहोबिलम जैसे कई पर्यटक आकर्षण हैं। हालांकि, प्रचार और अपर्याप्त धन की कमी के कारण इन ऐतिहासिक और आध्यात्मिक केंद्रों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय पर्यटन मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को बढ़ावा देने के लिए इन गंतव्यों पर विचार करें।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कुरुवा गोरांतला माधव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

केरल की सरकार ने बाढ़ राहत कोष का दुरुपयोग और लूटपाट की है। विपक्षी दलों ने मांग की थी कि बाढ़ राहत कोष के लिए एक अलग खाता होना चाहिए और जो भी धन भारत सरकार, व्यक्तियों और अन्य संस्थानों से प्राप्त होता है, उसे इस अलग खाते में जाना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा व्यय की निगरानी की जानी चाहिए। लेकिन केरल सरकार ने इससे इनकार कर दिया है।

अब, दो वर्ष की बाढ़ के बाद क्या हुआ है। एक चौंकाने वाली खबर है। बाढ़ राहत कोष का सी.पी.आई.(एम) कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग किया गया है। एक सी.पी.आई.(एम) कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया और एक आरोपी ने आत्महत्या कर ली।

हमें नहीं पता कि विभिन्न स्रोतों से कितनी राहत निधि प्राप्त हुई। हम यह भी नहीं जानते कि राहत कार्य के लिए कितना धन खर्च किया गया। इसकी जानकारी किसी को नहीं है। केवल राज्य सरकार को इसके बारे में पता है। हम इसके विवरण के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ने हमें ऐसा कोई विवरण नहीं दिया है। विभिन्न स्रोतों से कितनी धनराशि प्राप्त की गई और कितनी धनराशि का उपयोग किया गया? कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं है।

केरल सरकार ने पहले ही जांच के आदेश दे दिए हैं लेकिन दोषी और आरोपी सी.पी.आई.(एम) से हैं। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से केरल सरकार में बाढ़ राहत कोष के उपयोग की जांच के लिए एक सी.बी.आई. जांच की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री कोडिकुन्निल सुरेश द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवि किशन (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने शून्य काल में लोक महत्व के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाने की अनुमति दी है, मैं उसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं सबसे पहले हमारे देश के श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोरोना वायरस के अवेयरनेस के लिए रविवार को जो जनता कर्फ्यू किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और मैं यह वचन लेता हूं कि मैं उस जनता कर्फ्यू में पूरी तरह से देश का साथ दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा संसदीय क्षेत्र गोरखपुर है। वह उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वांचल का सबसे मुख्य और प्रमुख शहर है। यह पड़ोसी राज्य बिहार, उत्तराखंड और सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। बड़हलगंज, देवरिया और वहां के बहुत सारे क्षेत्रों के बहुत से लोग विदेशों में रहते हैं। गोरखपुर क्षेत्र के पांच लाख लोग विदेशों में रहते हैं। वहां गरीब लोग भी हैं। वे रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन अगर उनको किसी भी वजह से विदेश मंत्रालय से कोई काम होता है, तो उनको दिल्ली आना पड़ता है, जिसे वे वहन नहीं कर सकते।

महोदय, मेरी आपके माध्यम से यह विनती है कि अगर विदेश मंत्रालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय हमारे गोरखपुर में खुल जाता, तो बड़ी कृपा होती और वहां के अगल-बगल का पूरा क्षेत्र खुश हो जाता।

20-03-2020

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री रवि किशन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

<u>अपराह्न 1.06 बजे</u>

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन</u>

(तीन) चिखलदरा हिल स्टेशन मे स्टोन क्रशिंग के कारण प्रदूषण के बारे में

[हिन्दी]

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती) : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आज इस विषय पर बात करना चाह रही हूं कि हमारे चिखलदरा में एक हिल स्टेशन है और यहां पर पर्यावरण मंत्री जी बैठे हुए हैं। चिखलदरा विदर्भ का सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। आज चिखलदरा हिल स्टेशन में अवैध तरीके से जो स्टोन क्रशर शुरु हुए हैं, उनकी वजह से वहां पर रहने वाले प्राणियों के लिए और वहां पर जितने भी पर्यटक आते हैं, उन सभी के स्वास्थ्य के साथ खेलने जैसा काम हो रहा है। सरकारी जमीनों पर क्रशर चल रहा है। स्टोन क्रशर की ब्लास्टिंग की वजह से वहां पर जो आने वाले पर्यटक और जानवर हैं, वहां पर ब्लास्टिंग की वजह से धूल उड़ती है, वहां पर उन लोगों के साथ आरोग्य के धोखे का निर्माण हो रहा है।

उसी तरीके से अमरावती महानगर पालिका के पास केवल चार किलोमीटर की दूरी पर राजुरा, परसोडा, मासोद और इंदला अमरावती, इन गांवों में इल्लीगल तरीके से सरकारी जमीनों पर स्टोन क्रशर का काम किया जा रहा है। यहां पर बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग की जाती है। ब्लास्टिंग की वजह से यहां के पानी का स्तर नीचे चला गया है और लोगों के सामने पानी की समस्या उत्पन्न होने के कारण उनको पानी टैंकरों से लाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से पर्यावरण मंत्री जी से यह मांग करती हूं कि

इन कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दाखिल की जाए और उनकी मशीनरियां जब्त की जाएं और उनसे दस गुना रेवेन्यू वसूल किया जाए। चिखलदरा एक हिल स्टेशन है, यहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीनों पर जितने भी क्रशर चल रहे हैं, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई की जाए। मैं आपसे इतनी विनती करती हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती अपराजिता सारंगी (भुवनेश्वर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधान मंत्री जी जल संरक्षण, सूखी नदियों के जीर्णोद्धार और पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के इस उद्देश्य और इस निर्देश के अनुरूप, मैं निश्चित रूप से अपने निर्वाचन क्षेत्र, भुवनेश्वर में दया पश्चिम नहर के जीर्णोद्धार और रखरखाव की आवश्यकता का उल्लेख करना चाहूंगी। प्राची नदी, जो अब तक लगभग सूख चुकी है, के जीर्णोद्धार एवं रखरखाव की आवश्यकता है। प्राची नदी वास्तव में चार जिलों - खुर्दा, पुरी, कटक और जगतसिंहपुर से होकर बहती है। बेशक, तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण नदी गंगवा नदी है। वास्तव में, भुवनेश्वर की एक बड़ी समस्या जलभराव की है और मैंने इसे पहले भी उठाया है। हमें वास्तव में बरसाती नालों को इस तरह से बनाए रखने की जरूरत है कि वे गंगवा नदी से ठीक से जुड़े रहें।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगी कि जहां तक दया पश्चिमी नहर का संबंध है, तो नवंबर, 2019 में इसके जीर्णोद्धार और रखरखाव के लिए ओडिशा में सरकारी अधिकारियों ने रु.400 करोड़ की डी.पी.आर. बनाई थी। मैं राज्य सरकार से इस मामले को उठाने और जहां तक दया पश्चिम नहर के नवीनीकरण का सवाल है, वास्तव में काम शुरू करने का अनुरोध करूंगी।

20-03-2020

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

सुश्री प्रतिमा भौमिक (त्रिपुरा पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से त्रिपुरा स्टेट की तरफ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहती हूं। नॉर्थ त्रिपुरा के डिस्ट्रिक्ट में केंद्रीय विद्यालय के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर बन कर तैयार है। स्कूल को इस सेशन में शुरु करने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने संसदीय क्षेत्र के साउथ त्रिपुरा जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय और वेस्ट त्रिपुरा के अगरतला में एक और केन्द्रीय विद्यालय खोलने की मांग करती हूँ।

[अनुवाद]

श्री वी.के. श्रीकंदन (पालक्काड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में मुझे एक महत्वपूर्ण विषय उठाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

देशभर के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ कम करने के मकसद से रेलवे बोर्ड ने प्लेटफॉर्म टिकट का किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये प्रति व्यक्ति कर दिया है। यह बहुत ज्यादा है और उचित नहीं है। इसलिए, कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के नाम पर रेलवे को प्लेटफॉर्म टिकट का मूल्य नहीं बढ़ाना चाहिए, जो कि आम आदमी के विचार में स्थिति का शोषण है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि प्लेटफार्म टिकटों के किराए में की गई उक्त बढ़ोतरी को तुरंत वापस लिया जाए।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के श्रीगंगानगर से आता हूँ। पिछले दिनों राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में बहुत ओलावृष्टि हुई है। यह जिला पाकिस्तान की सीमा से सटा

हुआ है। एक तरफ तो सीमा की मार हमें पड़ती है, दूसरी तरफ पंजाब पूरा पानी भी नहीं दे रहा है। तीसरी तरफ ओलावृष्टि हुई है। मेरे लोक सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में जिन एजेंसियों ने फसल बीमा योजना की शुरूआत की, वे इफको-टोकियो और बजाज एलायंस हैं। हमारी सरसों की, चने की, गेहूं की जो फसलें हैं, वे सारी की सारी खराब हो चुकी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इनके जल्दी से जल्दी सर्वे करवा कर 15 दिनों के अंदर जो इन एजेंसियों का राज्य सरकार द्वारा कमिटमेंट होता है, उसके अनुसार किसान को कम्पेनसेशन दिया जाए, किसान को मुआवजा दिया जाए। मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में ओलावृष्टि हुई है, उनको कम्पेनसेशन देने का काम जल्दी से जल्दी हो, मैं यही आग्रह करूंगा। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री निहाल चन्द द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

[8*]**श्री बी. मणिक्कम टैगोर (विरुधुनगर):** माननीय अध्यक्ष महोदय, वणक्कम। शिवकाशी को "छोटा जापान" कहा जाता है, जो माचिस और पटाखा उद्योगों के लिए जाना जाता है। शिवकाशी शहर के थिरुथथंगल और सच्चियापुरम इलाकों में रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण की लंबे समय से मांग चल रही है। रेल मंत्रालय ने शिवकाशी शहर के थिरुथथंगल और सच्चियापुरम में ओवरब्रिज के निर्माण के इस प्रस्ताव को एक बार फिर खारिज कर दिया है। माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि तमिलनाडु सरकार की ओर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु के एक राज्य मंत्री, जो राज्य विधानसभा के सदस्य भी हैं, के नेतृत्व में एक टीम इन स्थानों पर ओवर ब्रिज से संबंधित कार्य को रोकने में लगी हुई है। मैं रेल मंत्रालय से प्रस्ताव को गंभीरता से लेने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता

[8*] मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

हूं कि शिवकाशी शहर के थिरुथथंगल और सच्चियापुरम क्षेत्रों में रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाए। मैं जिस राज्य मंत्री का जिक्र कर रहा हूं उन्हें जनता की समस्याओं के समाधान की कोई चिंता नहीं है। इसलिए वह खासकर इन दोनों आर.ओ.बी. का विकास कार्य रोक रहे हैं। वह निर्वाचन क्षेत्र के धनी व्यक्तियों की मदद करने में रुचि रखते हैं। इसलिए मैं केंद्र सरकार से आर.ओ.बी. के प्रस्ताव को स्वीकार करने और शिवकाशी शहर के थिरुथथंगल और सच्चियापुरम क्षेत्रों में आरओबी के निर्माण कार्य में तेजी लाने का आग्रह करता हूं। धन्यवाद

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री बी. मणिक्कम टैगोर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): माननीय अध्यक्ष जी, सर्वप्रथम तो मैं बाबा महाकाल को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं लगभग चार हफ्ते से प्रार्थना कर रहा था कि हमारे अध्यक्ष जी की मेरे ऊपर कृपा हो जाए। आज उनकी कृपा हुई। अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

एक ऐसा समय था, जब धारा **370** लागू थी और हम वहां पर कुछ भी नहीं कर पाते थे। लेकि न मैं हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से देश में दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान का खात्मा किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर से धारा **370** हटाने के लिए, जिन्होंने अपने प्राणों की आहूति दी, राष्ट्रवाद के इस आंदोलन की नींव के पत्थर परम आदरणीय जनसंघ के संस्थापक स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत का आज तक कुछ पता नहीं चल सका।

महोदय, जिस प्रकार से स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने देश में **8** मई**, 1953** को बिना परमिट के जम्मू कश्मीर पहुंचने के लिए यात्रा शुरू की थी, जिसके कारण **11** मई को उन्हें पंजाब, जम्मू की सीमा पर स्थित रावी नदी के पुल पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ...(व्यवधान)

सर, एक मिनट। लेकिन जेल में एक राजनीतिक कैदी होने के कारण उनसे ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया गया और स्व. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जिस जेल में रखा गया था, वह उजाड़ थी। 23 जून, 1953 को उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। यह एक सोची-समझी राजनीतिक हत्या थी। ...(व्यवधान) सर, मेरा आपसे निवेदन है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती अनुप्रिया पटेल (मिर्जापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना दयालु होने के लिए धन्यवाद। **[**हिन्दी] अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर के नारायणपुर बाजार में अहरौरा रोड स्टेशन स्थित है, किन्तु स्टेशन का नामकरण स्थानीय नारायणपुर बाजार के नाम पर न होकर अहरौरा रोड के नाम पर है, जो इस स्टेशन से लगभग 20 कि लोमीटर दूर दक्षिण दिशा में स्थित है। ऐसी दशा में यात्रियों के बीच सदैव यह भ्रम की स्थिति बनी रहती है और इसलिए लम्बे समय से, कई वर्षों से निरन्तर क्षेत्रवासी यह मांग कर रहे हैं कि इस स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया जाए। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार को 25 नवम्बर, 2019 को एक प्रस्ताव भेजा जा चुका है, किन्तु यह प्रस्ताव अनुमोदन के लिए अभी भी लंबित है। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह है कि इस प्रस्ताव को तत्काल अनुमोदित करे, ताकि अहरौरा रोड स्टेशन का नाम परिवर्तित करके नारायणपुर बाजार स्टेशन किया जा सके और हमारे क्षेत्रवासियों तथा यात्रियों की समस्या का समाधान हो सके।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): अध्यक्ष महोदय, सरना धर्म आदिवासियों का धर्म है। यह आदि धर्म है, जिसमें प्रकृति की पूजा की जाती है। आदिवासी समाज जब से जंगलों में रहता है, तभी से प्रकृति के सारे नियमों को मानता रहा है। यह विश्व का प्राचीनतम धर्म है। इसमें यह समाज पेड़-पौधों, पहाड़ को सम्पदा मानकर पूजता आया है। वर्तमान में पर्यावरण पर संकट उत्पन्न हुआ है, उस समय इन विचारों की बहुत आवश्यकता है। इस धर्म को ही संथाल, उरांव, मुंडा, महली, कुड़मी इत्यादि लोग मानते आए हैं। जानकारी के अभाव में अधिकांश आदिवासी लोग ईसाई, हिन्दू धर्म अपना रहे हैं और यह स्थिति ठीक नहीं है।

जनगणना के समय सरना धर्म के लोग हिन्दू, ईसाई कोड लिखते हैं और इस प्रकार की स्थिति में इनके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। यदि जनगणना के समय सरना कोड का भी विकल्प हो, तो आदिवासी समुदाय के लिए उचित होगा।

मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्म को संरक्षण देने के लिए यह सबसे न्यायसंगत होगा। इसके अलावा सरना धर्म के जो आदिवासी हिन्दू, ईसाई धर्म स्वीकार करते हैं, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिलता। इस प्रकार के प्रयोग से लालच देकर कराये जा रहे धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी और आदिवासी संस्कृति और सरना धर्म दोनों संरक्षित रहेंगे।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री खगेन मुर्मु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (वडोदरा): अध्यक्ष जी, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। वडोदरा महाराजा सर सयाजीराव गायकवाड़ का शहर है। इस शहर में काफी

सारी हेरिटेज इमारतें हैं। वडोदरा शहर में हेरिटेज स्ट्रीट भी है। वडोदरा शहर हेरिटेज शहर के नाम से भी जाना जाता है। सर सयाजीराव गायकवाड़ ने कई सारी विरासत वडोदरा शहर को सेवा के लिए समर्पित की है। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रालय से माँग करती हूँ कि वडोदरा शहर को हेरिटेज सिटी का दर्जा देने की सूची में रखा जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्रीमती रंजनबेन भट्ट द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

[9*]**श्री पोन गौतम सिगामणि (कल्लाकुरिची):** माननीय अध्यक्ष महोदय, वणक्कम। मेरे कल्लाकुरिची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, कल्वारायण पहाड़ियों में, 300 आदिवासी गाँव हैं। वहां लगभग 30,000 अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। कडुक्कई, हरड़ की खेती उस क्षेत्र में 1000 एकड़ से अधिक में की जाती है। इस हरड़ को विभिन्न स्थानों और राज्यों में ले जाया जा रहा है। लेकिन हरड़ की खेती से आदिवासियों को कोई फायदा नहीं होता है। इसका औषधीय महत्व है और इसका उपयोग कई बीमारियों को ठीक करने वाली दवा के रूप में किया जाता है। इस हरड़ का प्रयोग सिद्ध औषधि के रूप में भी किया जाता है। यदि इस कल्वारायण पहाड़ी क्षेत्र में हरड़ के प्रसंस्करण के लिए एक सिद्ध औषधि कारखाना स्थापित किया जाता है, तो इससे वहां रहने वाली जनजातियों को मदद मिलेगी। चूंकि ये लोग वहां से लाल चंदन के पेड़ काटने के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं, उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं जिससे उनका जीवन खतरे मे पड़ गया है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कल्वारायण पहाड़ियों में हरड़ (कडुक्कई) के प्रसंस्करण के लिए एक सिद्ध औषधि कारखाना स्थापित किया जाए। धन्यवाद

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. को श्री गौतम सिगामनी पौन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): जनाब, कोरोना वायरस से जो सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे या मुतासिर होंगे, वह गरीब तबका है। जम्मू-कश्मीर में जो कांट्रेक्ट वर्कर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, 50 हजार के करीब,

---

[9*] मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

अपने रेगुलराइजेशन को लेकर और अपने वेतन, ड्यूज के लिए पिछले 6 महीने से वे सड़कों पर हैं। अब मौका है कि गवर्नमेंट कंसीडर करे और उनका वेतन, ड्यूज रिलीज करे।

दूसरी बात यह है कि एसआरओ-202 एक असंवैधानिक एसआरओ है, जिस वजह से सैलरी फ्रीज की गई है, उस पर एक पुनर्विचार, रिव्यू की जरूरत है। उनके रेगुलराइजेशन, रिलीज ऑफ पेमेंट्स डेली वेजर्स एंड कांट्रेक्ट वर्कर्स और इस एसआरओ-202 के खात्मे के लिए प्रयास किया जाए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री हसनैन मसूदी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संतोष कुमार (पूर्णिया): महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में महत्वपूर्ण विषय रखने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पूर्णिया जिले में भारतीय स्टेट बैंक का आंचलिक कार्यालय वर्ष 1984 से स्थापित है और उसकी 123 शाखाएं हैं। पूर्णिया में आंचलिक कार्यालय का प्रशासनिक भवन, स्टॉफ क्वार्टर्स से लेकर सारी बिल्डिंग अपनी है, सारी व्यवस्था अपनी है और वहीं भागलपुर अभी आंचलिक कार्यालय है, जिसमें मात्र 32 शाखाएं हैं। भागलपुर में पूर्णिया का विलय कर दिया गया है। हम आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से माँग करते हैं, हम उनसे मिले भी हैं, हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि पूर्णिया में सारी व्यवस्था है, उसके बाद पूर्णिया से हटाकर यहाँ किराये के मकान में, मुझे संदेह है कि किसी खास व्यक्ति को इसका लाभ पहुँचाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक का लाखों-लाख रुपया किराया देने के लिए स्टेट बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत, घालमेल से पूर्णिया के स्टेट बैंक का आंचलिक कार्यालय भागलपुर में विलय किया गया है। ...(व्यवधान) महोदय, हम आपके माध्यम से माँग करते हैं कि इसको बचा दिया जाए और पूर्णिया आंचलिक कार्यालय को फिर से बहाल किया जाए। सारी व्यवस्था वहाँ पर है और भारतीय स्टेट बैंक के बड़े अधिकारी के द्वारा किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से ऐसा किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गुलाबबाग,

पूर्णिया उत्तर बिहार की व्यावसायिक मंडी है, यह सबसे बड़ी मंडी है, वहाँ सबसे ज्यादा व्यवसायी हैं। वहाँ की आम आवाम आज सड़क पर उतरी हुई है।

हम माँग करते हैं कि इसको संरक्षित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री संतोष कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री संजय भाटिया (करनाल): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

मैं आपके माध्यम से पहले तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का धन्यवाद करना चाहूँगा, पिछली बार जो मैंने माँग उठाई, नेशनल हाइवे जो दिल्ली से अमृतसर जाता है, एन.एच.1, जिसे अब एन.एच. 44 कहते हैं, उसका काम दो-चार दिन में शुरू होने वाला है। एक बहुत बड़ी समस्या, उस राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास जो गाँव बसते हैं, शहर बसते हैं, जो हिन्दुस्तान का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है, उस पर क्रॉसिंग, अंडरपास, और फुट ओवर बिज की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं है। जितने भी गाँव पड़ते हैं, पट्टीकल्याणा, गांजपड, ऊँचा समाना, छिबा, चौटाला रोड, वहाँ पर अंडरपास की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कल भी रोड सेफ्टी के ऊपर चर्चा हो रही थी। रोड क्रॉसिंग में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं और हमारे यहाँ रोज कोई न कोई दुर्घटना होती है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री संजय भाटिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री जसबीर सिंह गिल (खडूर साहिब): सर, धन्यवाद। सर, मुझे आपसे इजाजत लेनी है। क्या मैं पंजाबी में बोल सकता हूँ?

[अनुवाद]

[10*] महोदय, मैं पंजाबी में बोलने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं। महोदय, सरकार कोरोना वायरस की समस्या का सामना कर रही है। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह हम सभी की जिम्मेदारी है। संकट की इस घड़ी में हम सरकार का समर्थन करते हैं।

महोदय, इस घातक बीमारी से गरीब लोग, भूमिहीन मजदूर आदि बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि जम्मू-कश्मीर, पंजाब से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक सभी गरीबों को रू.5000/- प्रदान किए जाएं क्योंकि इन लोगों को पिछले दो महीनों से कोई रोजगार नहीं मिला है। साथ ही महोदय, बी.पी.एल. श्रेणी योजना के तहत केंद्र इन वंचित वर्गों को गेहूं, आटा, दाल और चावल प्रदान करता है। उनके खाद्यान्न का मासिक कोटा दोगुना किया जाए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्माको श्री जसबीर सिंह (डिम्पा) गिल के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री सी.पी. जोशी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद, आपने बड़ी कृपा की। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के कि सानों की आवाज को सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में चित्तौड़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिला आता है। बारिश के मौसम में ओलावृष्टि के कारण वर्ष 2019 में कोई महीना ऐसा नहीं बचा, जिसमें बारिश नहीं हुई। राजस्थान सरकार का जो राज्यांश है, जो स्टेट का शेयर है, उसमें उन्हें लगभग 1200 करोड़ रुपये देना है, मगर अभी विधान सभा

[10*] मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेज़ी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

में हंगामा होने के कारण उन्होंने केवल 50 करोड़ रुपये प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में दिये हैं और 1150 करोड़ रुपये अभी बाकी हैं।

महोदय, प्रतापगढ़ में आज किसान परेशान हैं। वहां 130 इंच बारिश हुई और उसमें वहां की सारी फसलें खत्म हो गईं। इसलिए राज्य का जो शेयर है, अगर वह जल्दी मिल जाएगा तो स्टेट के पैसे आते ही केन्द्र सरकार दो दिनों के अन्दर प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में अपने पैसे जमा कर देती है। अगर राज्य सरकार वह पैसा जल्दी जमा कर देगी तो वहां के किसानों को इसका फायदा मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री मारगनी भरत (राजामुन्दरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। मैं सभा का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, आंध्र प्रदेश में राज्य चुनाव आयुक्त ने कथित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों की मांग की थी, जो मीडिया में भी प्रसारित हो रहा है। एस.ई.सी. ने न तो इससे इनकार किया है और न ही इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने पत्र लिखा था या नहीं। पत्र में राज्य सरकार के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी थी। पत्र का उद्देश्य राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी को बदनाम करना था, जो राजनीति से प्रेरित है। राज्य निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्था का उपयोग राजनीतिक प्रतिशोध के लिए करना ठीक नहीं है, जो उच्च पद पर कलंक हो सकता है।

महोदय, हम पक्ष लेने, विपक्ष की आवाज में बोलने और अपने पद को अपमानित करने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सुनील कुमार पिंटू (सीतामढ़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश की सभी माताएं, बहनें सदन की ओर, माननीय प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी की ओर देख रही हैं, जिनके बेटे, भाई

और पति आज देश की सुरक्षा में सीमा पर शहीद हो रहे हैं। उन लोगों की माँग है कि जो देश हमारे बेटे और भाइयों की निर्मम हत्या कर रहा है, उसे कि सी भी हालत में न बख्शा जाए।

महोदय, अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, हमारे संसदीय क्षेत्र सीतामढ़ी के मेजरगंज के डुमरीकला के 23 वर्षीय सुशील कुमार सिंह को अनन्तनाग में आतंकवादियों ने गोली मारकर उसे शहीद कर दिया। उसकी शादी हुए मात्र आठ महीने ही हुए थे। उसके परिवार वाले, उसकी माता और उसकी पत्नी सदन की तरफ देख रही हैं कि उसे कब इंसाफ मिलेगा। सुशील कुमार सिंह जैसे कितने नौजवानों ने देश में कुर्बानी दी है।

हम सदन से यह मांग करते हैं कि उनकी इस कुर्बानी के लिए उन्हें इंसाफ मिले।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्माको श्री सुनील कुमार पिंटू के द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष: आभार व्यक्त मत कीजिए, इतनी देर में आपका समय निकल गया ।

श्री विनोद कुमार सोनकर : अध्यक्ष महोदय, कौशाम्बी जनपद वर्ष 1997 में बना और सारे शिक्षण संस्थान प्रयाग में चले गए। मैं पिछले छ: सालों से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि कौशाम्बी जनपद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खुल जाए। इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा टेम्परारी बिल्डिंग और टेम्पररी संस्थान उपलब्ध करा दिए गए हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री यहां सदन में उपस्थित हैं। महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कौशाम्बी जनपद में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय शीघ्र से शीघ्र खोला जाए।

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मध्य प्रदेश के 1.5 करोड़ आदिवासियों के विषय को आपके संज्ञान में डालना चाहता हूँ और उनकी ओर से मैं हृदय

से आभार व्यक्त करता हूँ। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को मिलाकर वहाँ बैकलॉग के 1.25 लाख पद रिक्त हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के 78,000 पद, अनुसूचित जाति के 26,000 पद और ऐसे अनेक प्रकार के पदों को मिलाकर 1.25 लाख पद रिक्त हैं। ऐसे समस्त युवा अपने भविष्य बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और विगत कई वर्षों से परेशान हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उन युवाओं का भविष्य बन जाए और उनके रिक्त पदों की पूर्ति हो पाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

—----------------------

<u>अपराह्न 1.30 बजे</u>

<u>सदस्यों द्वारा निवेदन</u> -जारी

(चार) वन क्षेत्रों में अस्पतालों द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की डंपिंग के बारे में।

(अनुवाद)

श्रीमती महुआ मोइत्रा (कृष्णानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अविलंबनीय लोक महत्व का मामला उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी यहां हैं। मैं वन क्षेत्रों में जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की डंपिंग के मुद्दे पर सभा और मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। दिल्ली के बाहर शाहदरा वन नाम का एक बड़ा जंगल है जहां वसंत कुंज इलाके के कई अस्पताल लगातार जैव चिकित्सीय अपशिष्ट डम्प कर रहे हैं। हम सभी एम.सी. मेहता मामले के उच्चतम न्यायालय में चलने और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन

मैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि कृपया इस मुद्दे पर कड़ा संज्ञान लें। जाहिर है, अस्पताल कुशल डंपिंग के लिए ठेकेदारों को ठेका दे रहे हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। लेकिन ये ठेकेदार इसे डंप करने के लिए वन क्षेत्र का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए, अगर हम इससे तुरंत निपटने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर सकें, तो मैं आभारी रहूंगी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री कुलदीप राय शर्मा को सुश्री महुआ मोइत्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): राणा मैडम ने एक विषय उठाया। मिसेज राणा मुझे बाहर ही मिली हैं। मैं ऑलरेडी टीम भेज रहा हूँ और जाँच करूँगा। जहाँ तक मोइत्रा मैडम ने बताया है, [अनुवाद] हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। [हिन्दी] सभी फॉरेस्ट्स में इस तरह का डम्पिंग नहीं चलेगा। इसके लिए सभी राज्यों के साथ भी हम प्रयास करेंगे कि सारे वैस्ट मैनेजमेंट रूल्स का फॉलोअप ढंग से हो।

20-03-2020

<u>अपराह्न 1.33 बजे</u>

नियम 377[11**] के अधीन मामले

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामले के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रखने का कष्ट करें।

(एक) झारखंड में लंबित सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण में तेजी लाने की आवश्यकता

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा): सोन नदी के पानी के बँटवारे को लेकर मुख्य मंत्री बिहार, राज्यपाल उत्तर प्रदेश एवं मुख्य मंत्री मध्य प्रदेश के बीच केन्द्रीय जल आयोग द्वारा 16 सितंबर 1973 को बाणसागर समझौता हुआ था। इस समझौते के अन्तर्गत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को पानी का हिस्सा मिलना था। परंतु अब झारखंड और छतीसगढ़ अलग -अलग राज्य बन गए हैं। साथ ही गंगा बेसिन की उप नदी सोन के बेसिन में पड़ने वाली नदियों पर योजनाओं के माध्यम से लाभ देने का भी निर्णय हुआ था, इसके अन्तर्गत झारखण्ड में सोन नदी की सहायक नदियों पर योजनाएं बनी थी। परंतु आज तक एक भी योजना साकार नही हो पायी।

जल के नियंत्रण और बटवारे को लेकर बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था, परंतु यह बोर्ड विगत 20 साल से अधिक से कार्यरत नहीं है। बाणसागर नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन कि या जाए। इस पुनर्गठन में छतीसगढ़ और झारखंड राज्यों को शामिल कि या जाए।

[11*] सभा पटल पर रखे गए माने गए।

20-03-2020

सोन नदी से झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार और चतरा के लिए पाइप लाईन के द्वारा पानी आपूर्ति की महत्वाकांक्षी परियोजना वर्तमान केंद्र सरकार के पिछले कार्यकाल में हुई थी, परंतु यह योजना भी आज तक धरातल पर नहीं आई।

मेरे चतरा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सिचाई योजनाएँ उत्तर कोयल जलाशय, औरंगा जलाशय योजना, अमानत बैराज, गरही, मुहाने एवं मलय आदि परियोजनायें प्रमुख हैं। इन परिजोयानाओं के अलावा, गोलाई, दुलकी, अन्नजनवा, मलय, टहले, कदवान, चाको, पीरी, सोनरे, रामघाट, नकटीनाला, घाघरी सहित अन्य कई महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिचाई परियोजनाएं लंबित हैं।

झारखंड की 85 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्र में है। जिनके लिए खेती ही रोजगार व जीवनोपार्जन का मुख्य साधन है। परंतु खेती योग्य भूमि पर कुल सिचाई का 12 प्रतिशत से भी कम के लिए संसाधन उपलब्ध है। माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर खेत तक पानी और हर घर जल पहुंचाने का महत्ती संकल्प लिया है। अतः मेरा आपके माध्यम से जल शक्ति मंत्री जी से मांग है कि झारखंड में लंबित सिचाई योजनाओं को पूरा करने की दृष्टि से ठोस कदम उठाये।

20-03-2020

(दो) सिकल सेल रोग को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उपचार के लिए पात्र रोगों की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारदौली): आजकल सिकल-सेल रोग (एस.सी.डी.) नामक बीमारी आदिवासी समाज और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों में अत्यधिक बढ़ रही है। यह बीमारी कोशिकाओं के लचीलेपन को घटाती है जिससे विभिन्न जटिलताओं का जोखिम उभरता है। हीमोग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन की वजह से सिकल-सेल रोग होता है। सिकल-सेल रोग आमतौर पर बाल्यावस्था से उत्पन्न होता है और यह बीमारी पारिवारिक होती है और इस बीमारी का स्थायी रूप से कोई इलाज भी नहीं है तथा जीवन-भर बीमारी के साथ ही जीना पड़ता है इससे मलेरिया प्लाज्मोडियम का पर्याक्रमण उन कोशिकाओं के हंसिया निर्माण से रूक जाता है जिस पर यह आक्रमण करता है। यह एक दुर्लभ प्रकार का रोग है, जिसको भी यह रोग पकड़ लेता है तो उसे हर दो या तीन महीने में असहनीय पीड़ा (दर्द) होने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है जिस पर अस्पताल में बहुत खर्चा आता है। सिकल-सेल बीमारी आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत न आने के कारण इस योजना का लाभ इस रोग से पीड़ित गरीब आदिवासियों को नहीं मिल पा रहा है।

मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मांग करता हूँ कि सिकल-सेल रोग को आयुष्मान भारत योजना में उपचार हेतु जोड़ा जाए जिससे गरीब आदिवासी अपना उपचार ठीक से करा सकें।

(तीन) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -19 की स्थिति के बारे में

[अनुवाद]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): मैं सभा का ध्यान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या -19 की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। एन.एच.-19 भारत के सबसे व्यस्त राजमार्गों में से एक है क्योंकि यह दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। आर्थिक और सामाजिक लाभ को अधिकतम करने के लिए इस राजमार्ग की अच्छी स्थिति एक पूर्व-आवश्यकता है। हालाँकि, एन.एच.-19 की हालत खराब है। विशेषकर वाराणसी और धनबाद के बीच का इलाका बड़े-बड़े गड्ढों से भरा है। इससे लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता है। साथ ही इस मार्ग पर बड़ी संख्या में ओवरलोड ट्रक चलते हैं। हालांकि, ओवरलोड ट्रकों के संचालन पर प्रतिबंध लगाना राज्य का विषय है, लेकिन मंत्रालय इन ट्रकों को प्रतिबंधित करने के लिए राज्यों को दिशानिर्देश जारी कर सकता है क्योंकि एन.एच. का प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, इस राजमार्ग पर टोल गेटों की अधिकांश लेनें निष्क्रिय हैं, जिससे ट्रैफिक जाम होता है। उन टोल ऑपरेटरों को दंडित करने की आवश्यकता है जो इन टोल गेटों को कुशलतापूर्वक नहीं चला रहे हैं।

20-03-2020

(चार)झारखंड के आदित्यपुर स्थित ईएसआईसी अस्पताल में सेकंडरी केयर ट्रीटमेंट रेफेरल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने एवं आदित्यपुर में 250 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): झारखंड राज्य के आदित्यपुर स्थित ई.एस.आई.सी. अस्पताल पर लगभग 2 लाख आई.पी. निबंधित हैं जिस पर लगभग 10 लाख लाभार्थी निर्भर हैं। यहाँ पर मात्र 50 बेड वाला अस्पताल उपलब्ध है उसमें भी उपलब्ध डाक्टर एंव नर्सो की संख्या अपर्याप्त है। [अनुवाद] ई.एस.आई.सी. [हिन्दी] के मानक के अनुसार 2 लाख आई.पी. धारकों के लिए 300 बेड वाले अस्पताल की आवश्यकता होती है। यह भी सूचित करना है कि राज्य सरकार एंव निजी क्षेत्र के अस्पताल भी पर्याप्त नहीं हैं। यह एक आदिवासी एंव मजदूर बहुल क्षेत्र में स्थित अस्पताल है अत: आदित्यपुर स्थित ई.एस.आई.सी. अस्पताल में सेकंडरी केयर ट्रीटमंट के लिए रेफरल की सुविधा पुन: अविलम्ब बहाल की जाए। साथ ही यहाँ पर 250 बेड के अस्पताल के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की जाए।

20-03-2020

(पाँच) भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के नकारात्मक प्रभाव से निपटने संबंधी योजना के बारे में

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): कोरोना वायरस को भारत में फैलने से रोकने हेतु भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की चिंता व उनकी भारत वापसी हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा की गई व्यवस्थायें सराहना की पात्र हैं। इस आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा समय पर उठाये गये कदमों का यह परिणाम है कि स्थिति पूर्ण नियंत्रण में है।

इस आपदा ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है। जब ऐसा लग रहा था कि मंदी के दौर से उबरने के आसार नजर आ रहे हैं, फिर से संकट के बादल गहराने लगे हैं। चीन में लगभग 75 करोड़ आबादी घरों में बंद रहने के लिए मजबूर है और 18 बड़े शहरों में औद्योगिक संस्थानों में उत्पादन लगभग बंद है।

भारत के औद्योगिक क्षेत्र के अनेकों सेक्टर चीन द्वारा निर्यात कि ये जाने वाली वस्तुओं पर निर्भर हैं। भारत उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अपना 43 प्रतिशत आयात चीन से करता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर, वस्त्र उद्योग, दवा उद्योग आदि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर चीन से आयात पर निर्भर है। चीन में औद्योगिक गतिविधियां धीमी पड़ने का प्रभाव भारत के उद्योगों पर पड़ेगा। भारत का पर्यटन व्यवसाय भी प्रभावित होगा। मनोरंजन के क्षेत्र में भारतीय फिल्मों के चीन में बढ़ते व्यवसाय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। भारत का चीन को निर्यात भी प्रभावित होगा। ऐसा माना जा रहा है कि चीन को वर्तमान स्थिति से उबरने के लिए कम से कम 6 माह का समय लगेगा। इस कारण भारत के मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को रोकने हेतु सरकार को आवश्यक कदम उठाने होंगे। चीन पर निर्भरता कम

करने हेतु दीर्घकालीन योजना पर कार्य प्रारम्भ करना हमारी अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बनायेगा।

(छः) शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासनिक निकायों में संसद सदस्यों की भागीदारी

श्री विजय बघेल (दुर्ग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस तरह राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के शासक मंडल में जनप्रतिनिधि (क्षेत्रीय विधायक) को सदस्य के रूप में शामिल कि या जाना अनिवार्य है जिसका प्रभाव यह होता है कि जनप्रतिनिधि विद्यार्थी, शासक मंडल व शासन के मध्य सेतु के रूप में कार्य करते हुए उस शैक्षणिक संस्थान के विकास में अपनी महत्वूपर्ण भूमिका निभाते हैं।

माननीय ठीक उसी तरह मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थानों के शासक मंडल में जनप्रतिनिधि (क्षेत्रीय सांसद) को भी शामिल किया जाना चाहिए। यहाँ भी जनप्रतिनिधि विद्यार्थी, शासक मंडल व शैक्षणिक संस्थानों में चलाए जा रहे केन्द्र शासित योजनाओं के मध्य सेतु के रूप में कार्य कर सकें जिसका सार्थक व अनुकूल परिणाम देशव्यापी स्तर पर आपको समस्त केन्द्र शासित शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त होगा।

(सात) त्रिपुरा जनजातीय स्वायत्त जिला परिषद के बारे में

श्री रेबती त्रिपुरा (त्रिपुरा पूर्व): त्रिपुरा राज्य अंतर्गत त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रीक्ट कांउसिल (ए.डी.सी.) की सीट की संख्या एवं बजट बढ़ाने हेतु इस आशय का संविधान संशोधन विधेयक सदन में लाया जाए। त्रिपुरा ट्राइबल (ए.डी.सी.) के वित्तीय संसाधनों में वृद्धि एवं प्रशासनिक शक्तियों में वृद्धि हेतु इस संशोधन की आवश्यकता है। इस त्रिपुरा ट्राइबल (ए.डी.सी.) की वित्तीय संसाधनों में वृद्धि होने से त्रिपुरा के जनजातियों का जमीनी स्तर पर सामाजिक विकास होगा तथा पूर्वोत्तर सहित त्रिपुरा में बसे जनजातियों की भी बहुप्रतीक्षित आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा।

मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि त्रिपुरा ट्राइबल (ए.डी.सी.) का संशोधन विधेयक सदन में लाया जाए।

20-03-2020

(आठ) गुजरात के नर्मदा एवं भरूच जिलों के वन क्षेत्रों में निवास करने वाले आदिवासी लोगों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच): गुजरात में विशेष रूप से मेरे संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत नर्मदा एवं भरूच जिलों में वन भूमि के पटे कई सालों से आदिवासियों के कब्जे में थे तथा उन पर वे खेती करके अपना गुजारा कर रहे थे। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने उन वन भूमि धारकों को पूर्ण अधिकार दे दिया है और वे आज जमीन के मालिक हैं। यह केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का एक सराहनीय एवं उत्तम कार्य है। परन्तु आदिवासियों को जो जमीन (पट्टे) मिले हैं वो ज्यादातर फॉरेस्ट विलेज के गांवों में हैं। जमीन का मालिकाना हक देने के बाद अगर उन्हें पूरे साल सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बिजली कनेक्शन और सौर ऊर्जा की सुविधा प्रदान की जाए तो इससे वनों में रहने वाले आदिवासियों का शहरों की तरफ पलायन बंद हो जाएगा और साल भर सिंचाई की सुविधा की वजह से वे अपने गांव और समाज के साथ रहकर ठीक से अपना जीवन निर्वहन कर सकेंगे। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से आग्रह है कि वन भूमि धारक किसानों को मालिकाना हक देने के बाद अब उन्हें सिंचाई की सुविधा भी प्रदान की जाए।

(नौ) गुजरात स्थित पोरबंदर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कर इसे एक मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री रमेशभाई एल. धडुक (पोरबंदर): मेरे संसदीय क्षेत्र पोरबंदर, गुजरात में कीर्ति मंदिर है जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कि यादों से जुड़ा हुआ है और हर साल लाखों की संख्या में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कीर्ति मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। पोरबंदर में मत्सय एवं नमक उद्योग भी काफी फला फूला है। परंतु वर्तमान हालात में पोरबंदर की स्थिति बहुत ही खराब है। जिससे यहाँ पर्यटन का विकास नहीं हो पा रहा है, एवं मेरी आपके माध्यम से रेलवे से मांग है कि पोरबंदर रेलवे स्टेशन के पास महात्मा गांधी एवं कस्तूरबा गांधी का स्टेचू बनाया जाए।

अत: मेरी रेलवे मंत्री महोदय से मांग है कि पोरबंदर रेलवे स्टेशन का तुरंत आधुनिकीकरण कर इसे एक मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए।

20-03-2020

(दस) [अनुवाद] **मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए उन्हें मुआवज़ा दिए जाने की आवश्यकता**

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा में भारी ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ लेकिन आज तक प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है। अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि किसानों को जल्द मुआवजा देने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित करे।

20-03-2020

(ग्यारह) [अनुवाद] **मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला स्थित देवरा के ऐतिहासिक किले को संरक्षित करने एवं उसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में**

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): छतरपुर जिले की बिजावर तहसील में खजुराहो से जटाशंकर धाम जाये तो इस सड़क मार्ग पर देवरा एक स्थान है, जहां का किला आज भी ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हैं। इसमें 100 फीट ऊंचा बना स्थान बारादरी राजा के बैठने की कुर्सी पर से हरियाली घाटी देहरादून को मात करती है। दरवाजों पर कलाकारी अपनी कहानियां कहते हैं। पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले रखा है तथा इसकी सफाई मरम्मत कई साल पहले कराई गई थी। इसके रख-रखाव के अभाव तथा टूरिस्टों की नजरों से दूर होने के कारण यह ध्वस्त हो रहा है। इसे पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार अपने अधिकार में ले तथा सफाई,रिपेयिर संरक्षण कर यदि इसे टूरिज्म रेस्ट हाउस में तब्दील करे या पी.पी.पी. मोड में देकर विकसित कराये तो एक प्राचीन विरासत संरक्षित होगी तथा टूरिस्टों के आकर्षण का केन्द्र भी बनेगा।

(बारह) [अनुवाद] **मध्य प्रदेश में किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता**

श्री गजेंद्र उमराव सिंह पटेल (खरगौन): प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। गरीब किसानों को सम्मान निधि का पैसा दिया जाए जिससे गरीब किसान राहत महसूस कर सकें। राज्य में बहुत से जिलों में किसानों को एक किश्त भी नहीं मिल पाई है। मेरा आपसे अनुरोध है कि किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का पैसा दिया जाए।

20-03-2020

(तेरह) राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में कथित रूप से हथियारों के अवैध लाइसेंस जारी के किए जाने के बारे में

श्री कनकमल कटारा (बांसवाड़ा): मेरे निर्वाचन क्षेत्र बाँसवाड़ा जिले के गढ़ी विधान सभा के उपखण्ड कार्यालय में कथित रूप से अवैध लाइसेंस जारी करने का बहुत बड़ा मामला सामने आया है।

उपखण्ड कार्यालय गढ़ी, जिला बॉसवाड़ा, राजस्थान में लम्बे समय से कथित फर्जी तरीके से अवैध लाईसेंस जारी किए हैं जिसकी संख्या 75/2020 रिकार्ड दर्ज हुई है।

दार बंदूकों के धड़ल्ले से लाईसेंस जारी करने के मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है कि पहले सिस्टम में सेंध लगाकर कथित रूप से अवैध लाईसेंस की बंदरबांट की गई और बाद में चुनाव के दौरान इन अवैध हथियारों को बिना कि सी सरकारी रिकार्ड के थाने में जमा भी करवा दिया और आचार संहिता हटते ही वापस इन्हें बंदूक मालिक को दे दिया गया।

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सरकारी रिकार्ड में जब इन 65 बंदूक धारियों के लाईसेंस थे ही नहीं तो आखिर थाने में इन्होंने हथियार जमा कैसे कराए? क्या इनका रिकार्ड तक नहीं जांचा गया?

गढ़ी तहसील क्षेत्र में कथित अवैध हथियारों का होने की संभावना है। यह क्षेत्र अति संवेदनशील है। पूर्व में परतापुर-गढ़ी में व डूंगरी में दो समुदायों के बीच झगड़ा हो चुका है।

मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूँ और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।

(चौदह) चूरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भू-जल वाले क्षेत्रों को डार्कजोन की सूची से हटाने की आवश्यकता

श्री राहुल कस्वां (चुरू): मेरे संसदीय क्षेत्र चुरू के राजगढ़ ब्लॉक को केन्द्रीय भूजल आयोग द्वारा डार्क जोन घोषित कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्षेत्र के किसानों व उधमियों को ट्यूबवैल पर बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। राजगढ़ ब्लॉक में भूजल कि स्थिति यह है कि लगभग क्षेत्र में खारा पानी है तथा कुछ प्रतिशत क्षेत्र में ही मीठा पानी है। मीठा पानी वाले क्षेत्र में भूजल का स्तर 300-400 फीट तक है जिसकी वजह से पूरे राजगढ़ ब्लॉक को डार्क ज़ोन घोषित कर दिया गया है। राजगढ़ ब्लॉक के उक्त खारा पानी वाले क्षेत्र को झींगा मछलीपालन की दृष्टि से पानी को उपयुक्त माना गया है। ड्राई क्षेत्र होने के बावजूद भी राजगढ़ ब्लॉक के खारे पानी की झींगा मछली देश में सबसे अच्छी क्वालिटी की पाई गई है। साथ ही मछलीपालन को अभी भी उद्योग में शामिल किया जा रहा है जिससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। अत: मेरे आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है की जल शक्ति मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय भूजल आयोग को एडवाईजरी जारी कर देश के अन्य राज्यों की तरह पंचायत स्तर पर सर्वे करवाए जाए एंव जिन पंचायतों में पानी का स्तर अभी भी अधिक है उन पंचायतों को डार्क जॉन से हटाया जाए ताकि किसान नई तकनीक के माध्यम से अपने आय के स्त्रोतों में वृद्धि कर सकें। साथ ही मेरे लोक सभा क्षेत्र चुरू के राजगढ़ ब्लॉक के उक्त खारे पानी वाले क्षेत्र में किसानों को बिजली कनेक्शन देने के लिए अनुमति मिल सके तथा मछलीपालन को उद्योग से हटकर कृषि में शामिल किया जाए।

20-03-2020

(पंद्रह) वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची III से जंगली सुअरों से संबंधित प्रविष्टि का विलोप किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री के. षणमुगा सुंदरम (पोल्लाची): पोलाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पास के तिरूप्पुर, डिंडीगुल और कोयंबटूर निर्वाचन क्षेत्रों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट से जंगली वराह या जंगली सुअर उडुमलपेट, पोलाची और पलानी में घुस गए और हजारों एकड़ कृषि भूमि को नष्ट कर दिया और गांवों पर हमला किया। वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की अनुसूची III प्रविष्टि संख्या 19 के अनुसार जंगली सुअरों को नहीं मारा जा सकता है। दूसरे, ग्रामीणों के लिए इन जानवरों से लड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये समूह में आते हैं। सम्मानित सभा के समक्ष रखे गए तथ्यों के मद्देनजर, मैं सरकार से फसलों और मनुष्यों को बचाने के लिए वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की अनुसूची III से जंगली सु अर/जंगली सुअरों से संबंधित प्रविष्टि को हटाने का अनुरोध करता हूं।

20-03-2020

(सोलह) बैंकों के विलय के बारे में

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी (मछलीपटनम):माननीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एकीकरण के हिस्से के रूप में यू.बी.आई. के साथ आंध्रा बैंक के विलय की घोषणा की है। मैं इसका स्वागत करता हूं। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सभी बैंकों को 4 बड़े बैंकों में विलय करने का फैसला लिया है।

मैं मछलीपटनम का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय डॉ. भोगराजू पट्टाभिरमैय्या ने एक सदी पहले सिर्फ 1 लाख रु. की प्रारंभिक प्रदत्त पूंजी और 10 लाख रु. की अधिकृत पूंजी के साथ आंध्रा बैंक की स्थापना की थी। आंध्रा बैंक के कर्मचारियों, आंध्र प्रदेश की लगातार सरकारों और तेलुगु लोगों के प्रयासों से, आंध्रा बैंक का परिचालन तेजी से फैला और अब इसका कारोबार कारोबार 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

मुद्दा यह है कि आंध्रा बैंक से तेलुगु लोगों का गौरव और प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है और इसे यू.बी.आई. में विलय करने से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। दूसरा, यह दुनिया भर में 'तेलुगु बैंक' के रूप में मान्यता प्राप्त है। तीसरा, ए.बी. आर्थिक रूप से काफी मजबूत हैं और उनकी मजबूत पहचान है।

पिछली बार जब इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ था तो मैंने कहा था कि चेन्नई को इसके मुख्यालय के रूप में चुना गया था। उसी तरह, केनरा बैंक जो कर्नाटक का गौरव है, उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसलिए, यू.बी.आई. और कॉर्पोरेशन बैंक को आंध्रा बैंक के साथ विलय करना अधिक उचित और उचित होगा क्योंकि इसकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत है, इसका नाम आंध्रा बैंक रखा जाए और इसका मुख्यालय विजयवाड़ा या मछलीपट्टनम में रखा जाए।

(सत्रह) खारलैंड विकास योजना में परिवर्तन अथवा संशोधन के बारे में

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महाराष्ट्र सरकार (जल संसाधन विभाग) ने 4 जून, 2018 के पत्र के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को सी.आर.जेड. अधिसूचना, 2018 में खारलैंड विकास योजना में परिवर्तन या संशोधन करने के लिए प्रस्ताव किया था।

सी.आर.जेड. अधिसूचना 2018 केंद्र सरकार द्वारा 18/01/2019 को प्रकाशित की गई है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय ने जिन बदलावों का अनुरोध किया था, उन्हें केंद्र सरकार द्वारा शामिल नहीं किया गया था। इसलिए, सभी निजी खारलैंड योजनाओं को तटीय नियामक क्षेत्र के तहत अनुमोदित करने की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से भविष्य में जारी होने वाली संशोधित सी.आर. अधिसूचना में खारलैंड विकास योजना पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों/संशोधनों को शामिल करने का आग्रह करता हूं।

20-03-2020

<u>अपराह्न 1.34 बजे</u>

<u>केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019</u>

राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष:** आइटम नंबर 13, माननीय मंत्री जी।

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्वसमावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:- "

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "सत्तरवें" <u>के स्थान पर</u> शब्द "इकहत्तरवें" <u>प्रतिस्थापित करें।</u>

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक “2019” <u>के स्थान पर</u> अंक “2020” <u>प्रतिस्थापित करें।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि संस्कृत में शिक्षण और अनुसंधान के लिए, संस्कृत संवर्धन के सर्वसमावेशी क्रियाकलापों के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना और निगमन के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए:- "

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "सत्तरवें" के स्थान पर शब्द "इकहत्तरवें" प्रतिस्थापित करें।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक “2019” के स्थान पर अंक “2020” प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब हम राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर विचार करेंगे। अब मैं राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों संख्या 1 और 2 को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूँ।

प्रश्न यह है:

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में शब्द "सत्तरवें" के स्थान पर शब्द "इकहत्तरवें" प्रतिस्थापित करें।

खंड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में अंक “2019” के स्थान पर अंक “2020” प्रतिस्थापित करें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब प्रस्ताव करेंगे कि लोक सभा द्वारा यथापारित, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों पर यह सभा सहमत है।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए संशोधनों पर सभा सहमत है। "

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए संशोधनों पर सभा सहमत है। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, आज माननीय सदस्यों का प्राइवेट मेम्बर्स बिल का दिन है, जो आज चलेगा, इसलिए माननीय सदस्य तीन बजकर 15 मिनट तक अपनी बात कहें, 15 मिनट माननीय मंत्री जी अपनी बात कहेंगे और साढ़े तीन बजे से प्राइवेट मेम्बर्स बिल शुरू होगा।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): माननीय अध्यक्ष, यह रिजॉल्यूशन पिछले छह -सात महीने से लगातार चल रहा है, महताब जी भी यह कहना चाह रहे होंगे। क्या एक रिजॉल्यूशन में चार सेशन बिता देंगे?

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि दूसरा या तीसरा रिजॉल्यूशन ले लिया जाए।

माननीय अध्यक्ष: सदस्यों का सुझाव बहुत उत्तम है। मैं माननीय सदस्यों की बात पर विचार करके सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर कार्रवाई करे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था दी जाए कि रिजॉल्यूशन की एक अवधि रहनी चाहिए। जैसे प्राइवेट मैम्बर्स बिल के लिए दो घंटे तय होते हैं, इस हिसाब से रिजॉल्यूशन की भी एक अवधि रहनी चाहिए।

मुझे यहां रितेश जी पूछ रहे थे कि मेरा तीन नंबर पर रिजॉल्यूशन है, यह आएगा या नहीं आएगा। यह पहली बार लगा है। वह कह रहे हैं कि अगर दूसरी बार लगने के बाद तीसरी बार नहीं लगेगा, अगर यह चर्चा नहीं होगी और फिर यह लॉटरी में जाएगा। यही सिस्टम है।

अगर आप अवधि तय कर लें कि इतने समय में यह कम्पलीट होगा तो जो पेंडिंग है, चाहे प्राइवेट मेम्बर्स बिल हो या रिजॉल्यूशन हो, उसे ले लिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी उपस्थित होंगे। मैंने उनको माननीय सदस्यों के आग्रह पर कहा है कि आज इस संकल्प को पूरा करें। अभी वरिष्ठ सदस्य ने जो कहा है, मैं सभी दलों से इस बारे में चर्चा करके विचार करूंगा कि किस तरह से संकल्प और प्राइवेट मेंबर्स बिल को कितने दिन और कितने समय में चलाना है। मैं आपके सुझाव पर सभी दलों की सहम**ति** से विचार करूंगा।

<u>अपराह्न 1.36 बजे</u>

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2020

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): मैं प्रस्ताव[12**] करता हूं:-

"कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनिमय, 2014 का और संशोधन करने वाले तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राइवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनिय**म,** 2017 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। "

इस समय देश भर में कुल 25 ट्रिपल आईटी संचालित हो रहे हैं। इसमें से पांच पूरी तरह केंद्र द्वारा पोषित हैं। इनमें प्रयागराज - उत्तर प्रदेश, ग्वालियर - जबलपुर, कांचीपुरम -तमिलनाडु और कुरनूल - आंध्र प्रदेश हैं। ये संस्थान 2014 के अधिनियम से संचालित हो रहे हैं और लगातार प्रगति के पथ पर हैं। इसके अलावा 20 ऐसे पीपीपी मोड में ट्रिपल आईटी स्वीकृत हैं, जो निजी भागीदारी में संचालित हो रहे हैं।

<u>अपराह्न 1.37 बजे</u> **(श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन *पीठासीन हुए*)**

[हिन्दी] महोदय, इस क्षेत्र में पहली बार देश में इस तरह के मॉडल होंगे, जो सरकारी और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उद्योगों के बीच संयुक्त प्रबंधन में चलेंगे। 128 करोड़ रुपये की लागत में 50 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार, 35 प्रतिशत राशि राज्य सरकार और 15 प्रतिशत राशि उद्योग क्षेत्र देगा। संयुक्त रूप में मिलकर ये संस्थान खड़ होंगे और खड़े हुए हैं।

[12*] राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया गया।

पूर्वोत्तर राज्य में अलग से छूट है, जहां 50 प्रतिशत सरकार को देना था, वहां 57.5 प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए होगा, जो केंद्र सरकार देगी, 35 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकार देगी और 7.5 प्रतिशत उद्योग क्षेत्र के लोग अपना योगदान देंगे। इनका शासकीय निकाय तीनों को मिलाकर यानी बोर्ड केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योगों के साथ मिलकर बनेगा, जो कि इसका संचालन कर रहे हैं। सरकार पांच वर्षों के लिए आवर्ती व्यय भी देगी और उसके बाद इसे समय-समय पर जो सहयोग हो सकता है, ताकि यह संस्थान और आगे बढ़ सके।

ये पीपीपी मोड में जो संस्थान हैं, वे श्री सिटी, चित्तूर, आंध्र प्रदेश; गुवाहाटी, असम; बड़ोदरा, गुजरात; सोनीपत, हरियाणा; ऊना, हिमाचल प्रदेश; रांची, झारखंड; धारवाड़, कर्नाटक; कोट्टायम, केरल; नागपुर, महाराष्ट्र; पुणे, महाराष्ट्र; सेनापति, मणिपुर; कोटा, राजस्थान; तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु; कल्याणी, पश्चिम बंगाल; लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हैं। ये 20 ऐसे सार्वजनिक-निजी भागीदारी के संस्थान हैं, जो बिल्कुल नए मोड की तरह चल रहे हैं। कुल मिलाकर ये 20 संस्थान हैं। इनमें से 15 तो पूरी तरीके से संचालित हैं। जो पांच विलंब से संचालित हुए हैं, वे अब अपने यौवन पर आ गए हैं और उन्हीं को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा वर्ष 2017 के अधिनियम के तहत देने के लिए आज हम प्रस्ताव लेकर सदन में आए हैं। ये पांच संस्थान- सूरत, गुजरात; भोपाल, मध्य प्रदेश; भागलपुर, बिहार; अगरतला, त्रिपुरा और रायचूर, कर्नाटक हैं, जिनको आज वर्ष 2017 के अधिनियम के तहत लाकर राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करेंगे।

श्रीमन्, मुझे यह कहते हुए खुशी है कि इन संस्थानों में अभी तक 14 हजार विद्यार्थी बी.टेक, एम. टेक और पीएचडी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 450 संकाय के सदस्य हैं। मुझे लगता है कि गुणवत्ता और शोध के क्षेत्र में जिस तरह से उद्योगों के साथ मिलकर के पाठ्यक्रम तैयार करके इन छात्रों को तैयार कि या गया है, उसी का परिणाम है कि अभी तक ये जितने भी संस्थान हैं, इनमें हंड्रेड परसेंट बाद में निकलते हैं, परिसर में पहले ही चयन होकर उनको नौकरी मिल जाती है। अब तक अधिकांश

संस्थानों का शत-प्रतिशत है। यदि मिलाकर देखा जाए तो कुल मिलाकर 70 प्रतिशत ऐसे संस्थान हैं, जिनमें रोजगार उनको अपने परिसर में ही अध्ययन पूरा करने से पहले ही उपलब्ध होता है। इसलिए, मैं समझता हूं कि आईआईटीज के क्षेत्र में जो गौरव पूरे देश के अंदर बढ़ा है, वह पूरी दुनिया में भी बढ़ा है। सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जितने छात्र हैं, उन्होंने देश का गौरव राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ाया है। इन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के बाद निश्चित रूप से ये प्रतिभाएं इन संस्थानों से ऐसी निकलेंगी, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। अभी तक इन छात्रों ने जितना काम किया है, उसने निश्चित रूप से देश का गौरव बढ़ाया है। आज तक यह होता था कि उद्योगों की कोई आवश्यकता थी और आईआईटी के पाठ्यक्रम कुछ और होते थे। दोनों में समन्वय नहीं होता था। इसलिए, इधर के छात्र भटकते रहते थे और उद्योग भी जिस सीमा तक और जिस ढंग से उनको प्रगति करनी चाहिए थी, वे नहीं कर पाते थे। अब पहली बार उद्योगों को इसके साथ मिश्रण करके, जहां वे शोध और अनुसंधान करेंगे, उनका 50 प्रतिशत अध्ययन उन उद्योगों के साथ होगा। चूंकि उद्योगपति स्वयं इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए दोनों क्षेत्रों में निरन्तर यह प्रगति होगी।

श्रीमन् हमारा एक विषय इन पांच संस्थानों को वर्ष 2017 के अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का था और दूसरा, इसकी एक धारा में एक छोटा-सा संशोधन है। आपका भी इस दिशा में एक संशोधन है, लेकिन वह छोटी-सी पंक्ति है। जो वर्ष 2014 का अधिनियम है, उसमें जो उसकी धारा-40 है, वह तो ठीक है। उसमें लिखा है- 'नाम निर्दिष्ट हो' वह भी सदन के ही तहत है, लेकिन, दूसरी जगह वह नामांकन की तरह 'नाम निर्दिष्ट' शब्द आया है, वह उसी के अनुरूप धारा-41 में भी आना चाहिए था, जबकि धारा-41 में निर्वाचित शब्द आ गया।

इसमें आंशिक संशोधन दोनों को समरूप करने के लिए है, एकरूपता लाने के लिए है। श्रीमन, वर्ष 2014 का जो विधेयक है, उसमें यह व्यवस्था है कि राज्य सभा अध्यक्ष और लोक सभा अध्यक्ष नाम

निर्देशित करेंगे। मैं आपकी सहमति से पूरे सदन का सहयोग चाहता हूं कि इस बिल को पारित किया जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : धन्यवाद मंत्री जी। वास्तव में, यह विधायी मसौदा तैयार करने की गलती है। 'नामांकित' के स्थान पर 'निर्वाचित' शब्द अंकित किया गया था।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

> "कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने वाले तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राइवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

20-03-2020

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): सभापति महोदय, मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत स्थापित पांच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (ट्रिपल आई.टी.) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने का प्रयास करता है।

वर्तमान में, ये संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत हैं और इनके पास डिग्री या डिप्लोमा प्रदान करने की शक्ति नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किए जाने के पश्चात उक्त संस्थानों को उपाधि प्रदान करने की शक्ति मिल सकेगी। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और इस विधेयक का समर्थन भी करता हूं।

जबकि इस विधेयक का विशिष्ट उद्देश्य इन पांच संस्थानों को डिग्री प्रदान करना है, इसमें उन उपायों को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिनके द्वारा भेदभाव से संरक्षण, कमजोर वर्गों का समावेश तथा प्रशासनिक प्रणाली एवं सहपाठी छात्रों द्वारा पूर्वाग्रह एवं पृथक्करण के विरुद्ध संरक्षण की कार्यविधि सुनिश्चित की जा सके। आए दिन ऐसी कई खबरें आती रहती हैं। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी भी इस बात से भली-भांति परिचित हैं।

ये कार्यविधियां इसलिए भी अनिवार्य हो जाती हैं क्योंकि कई दृष्टान्तों से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों के छात्रों को संकाय सदस्यों तथा सहपाठी छात्रों से अत्यधिक अपमान एवं उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।

नीचे उल्लिखित तथ्य माननीय सभा को यह एहसास करा देंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए परिसर कितने कठिन और खतरनाक हो गए हैं।

मैं इस संबंध में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्ष 2016 के सर्वेक्षण के अनुसार सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सी.एस.डी.एस.) और एक जर्मन एजेंसी कोनराड एडेनॉर स्टिफ्टंग द्वारा भारत भर में 6122 उत्तरदाताओं 15-34 आयु वर्ग के अ.जा., अ.ज.जा. और मुस्लिम समुदायों के युवा स्नातकों ने कम शिक्षित लोगों की तुलना में अधिक भेदभाव की सूचना दी। सामाजिक समूहों के बीच स्नातक दलितों को सबसे अधिक भेदभाव झेलना पड़ा है, जिसकी संख्या 18 प्रतिशत होने की सूचना है। यह एक प्रामाणिक प्रतिवेदन है। इसे एक एजेंसी ने प्रकाशित किया था।

जुलाई, 2017 में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) ने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को चेतावनी जारी की, जब उन्होंने लीवर सिरोसिस से पीड़ित एक दलित छात्र को बिना किसी सूचना के छात्रावास छोड़ने के लिए मजबूर किया। यह वही विश्वविद्यालय है जहां वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पहली बार रोहित वेमुला की मृत्यु के बारे में कहा था कि उन्हें बहुत दुख है।

दिसंबर, 2018 में, आई.आई.टी.-रुड़की के दो प्रोफेसरों पर एक दलित शोध छात्रा के खिलाफ जातिवादी टिप्पणियों का इस्तेमाल कर उसका यौन उत्पीड़न करने और उस पर शारीरिक हमला करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।

अ.जा. और अ.ज.जा. छात्रों से शौचालय साफ करवाने के आरोप में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के खिलाफ जांच चल रही है।

जुलाई, 2019 में, बी.एच.यू. में एक दलित छात्रा ने दो सुरक्षा गार्डों पर उसे कैंपस के शौचालय में प्रवेश करने से रोकने का आरोप लगाया क्योंकि वह दलित थी।

उच्च शिक्षण संस्थानों, विशेषकर आई.आई.टी. और ट्रिपल आई.टी. में आरक्षण के बिना क्या स्थिति है? कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सभी जातियों के 42,914 छात्रों पर जो भारत में 215 विश्वविद्यालय-संबद्ध इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, उन पर एक अध्ययन किया, जो

अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में प्रकाशित हुआ। इससे पता चला कि 55 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 74 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति छात्र आरक्षण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में नामांकन नहीं ले पाते। 1,558 अनुसूचित जाति महिलाओं में से, 1,108 ने आरक्षण के अभाव में राजकीय कॉलेज में दाखिला नहीं लिया होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की स्थिति है और यह संस्थागत सुरक्षा उपायों के मामले को प्राथमिकता देता है।

छात्रवृत्ति के अभाव में दलित छात्रों की स्थिति क्या होगी? ऐसे कई साक्ष्य हैं जिससे यह पता चलता है कि छात्रवृत्ति नहीं दिये जाने से भारी संख्या में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में बिहार छात्रवृत्ति घोटाले ने सैकड़ों अनुसूचित जाति के छात्रों को कॉलेज छोड़ने को मजबूर कर दिया। 31 जनवरी, 2018, तक, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के संबंध में केंद्र के पास 6,800 करोड़ रुपये से अधिक के दावे लंबित थे। स्क्रॉल समाचार पोर्टल ने बताया कि इसने दलित छात्रों को खेतों में काम करने और आगे बढ़ने के लिए भोजन छोड़ने के लिए मजबूर किया। वर्ष 2018, में, जब तमिलनाडु सरकार ने छात्रवृत्ति का भुगतान करने में देरी की, तो बड़े पैमाने पर स्कूल छोड़ने की आशंका पैदा हो गई।

इसीलिए, मेरा सुझाव है कि नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों में कोई समुचित तंत्र विद्यमान होना चाहिए जो शिक्षकों द्वारा जाति और श्रेणी के आधार पर किए जाने वाले उत्पीड़न एवं अपमान को रोक सके। दलित छात्राओं के किसी भी प्रकार के उत्पीड़न पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक उचित तंत्र होना चाहिए। संचार में सॉफ्ट स्किल और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए ताकि वंचित छात्रों को कैंपस भर्ती में समान अवसर मिल सके।

दलित छात्रों पर हो रहे अत्याचार की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। उस समिति में छात्रों के प्रतिनिधि, संकाय और एक तटस्थ बाहरी विशेषज्ञ शामिल होना चाहिए।

संस्थानों में उपचारात्मक कोचिंग या अन्य सहायता की सुविधाएं होनी चाहिए, जिसकी शिक्षाविदों द्वारा बार-बार सिफारिश भी की जाती है। यह उन छात्रों को कौशल प्रदान करना है जो वंचित पृष्ठभूमि से आते हैं जिसके कारण वे अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं। संस्थानों को वंचित वर्गों के दलित छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने की रोकथाम करने हेतु सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए क्योंकि इस तथ्य के कारण कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समूहों के बीच पढ़ाई छोड़ने की दर एक बड़ी समस्या है। कार्नेगी मेलन पेपर के अनुसार, अनुसूचित जाति छात्रों के लिए ऑन-टाइम ग्रेजुएशन (ओ.टी.जी.) दर 0.54 प्रतिशत है, जबकि खुली श्रेणी के छात्रों के लिए 0.82 प्रतिशत और सभी छात्रों के लिए 0.75 प्रतिशत है।

एच.आर. प्रोफेशनल भरत कांचरला द्वारा वर्ष 2017-19 के लिए आई.आई.टी. में ड्रॉपआउट दर के विश्लेषण में, यह पाया गया कि अनुसूचित जनजाति छात्रों में सबसे अधिक 4.2 प्रतिशत ड्रॉपआउट था, इसके बाद अनुसूचित जाति छात्रों में 3.3 प्रतिशत था, जबकि यह दर अ.पि.व. और सामान्य श्रेणियां क्रमशः 2.74 प्रतिशत और 2.68 प्रतिशत रहीं।

माननीय मंत्री महोदय, पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक प्रणाली अपनाई गई थी। पहली यू.पी.ए. सरकार ने आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा बीच में पढ़ाई छोड़ देने के करणों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया था। एन.डी.ए. के सत्ता में आने के बाद, उस समिति ने उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की पढ़ाई छोड़ देने की दर का मूल्यांकन करने के लिए अपनी बैठक नहीं बुलाई है।

वह समिति बहुत सक्षम और प्रभावी थी क्योंकि विभिन्न संस्थानों के कई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व एक साथ आए और इस मामले पर चर्चा की कि आई.आई.टी., आई.आई.एम. और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्रों के पढ़ाई छोड़ देने से कैसे निपटा जाए। तो

बहुत ही प्रभावी चर्चा हुई। मुझे नहीं पता कि वह समिति अभी भी अस्तित्व में है या नहीं। लेकिन मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उच्च शिक्षण संस्थानों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के बीच में पढ़ाई छोड़ने से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए उस समिति को पुनर्जीवित करें।

महोदय, मैं सभी विवरणों में नहीं जाऊंगा। अंत में, केरल राज्य की ओर से, मैं माननीय मंत्री को एक सुझाव देना चाहूंगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में स्थापित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, कोट्टायम को सूचना प्रौद्योगिकी में उन्नत अनुसंधान का राष्ट्रीय केंद्र बनाया जाना चाहिए।

मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो उच्च शिक्षा केंद्र सार्वजनिक-निजी भागीदारी में हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के छात्रों के साथ भेदभाव न करें, क्योंकि बढ़ते प्रतिवेद आई.आई.टी. और आई.आई.एम. के मामले में अन्यथा संकेत देते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण का समाप्त करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पाटलिपुत्र) : सभापति जी, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन), 2020 पर बोलने का मौका दिया है। मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं सरकार के इस कदम का स्वागत करना चाहता हूं क्योंकि इस बिल के माध्यम से एक विशेष अवसर बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए जो अथक प्रयास हो रहा है, उसमें एक कड़ी जोड़ने का काम किया गया है। मैं इसलिए भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से पांच सस्थानों को पीपीपी मॉडल के माध्यम से अनुमति दी जा रही है। ये पांच संस्थाएं सूरत गुजरात में, रायचूर कर्नाटक में, भोपाल मध्य प्रदेश में, अगरतला त्रिपुरा में और भागलपुर बिहार में हैं। जैसा मंत्री जी ने कहा कि एक विश्व स्तरीय संस्थान बनाने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार वर्ष 2014 से सत्ता में आई है, तब से केवल आईआईटी ही नहीं,

बल्कि देश के तमाम संस्थानों को, जिन्हें वर्ल्ड स्तर पर मान्यता प्राप्त हो, उसके लिए हर संभव प्रयास करने का काम कर रही है। हर संस्थान को वर्ल्ड स्तर पर पहुंचाने के लिए आवश्यकता के अनुकूल जैसे शिक्षक, टेक्नीकल उपकरण या अन्य चीजें हों, हमारी सरकार उपलब्ध करवा रही है। मैं कह सकता हूं कि पिछले छह वर्षों में हमारी सरकार ने उन तमाम संस्थानों के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास किया है।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

भारत 130 करोड़ की आबादी वाला देश है। नौजवान और छात्रों की संख्या ज्यादा है। यह और बात है कि एक जमाना था, जब शिक्षा में बहुत पीछे थे और उस शिक्षा में तो और भी पीछे थे और खासतौर से मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, जहां आज भी गरीबी है, मैं मानता हूं, गुरबत है, मानता हूं लेकिन मेधा की कमी नहीं नहीं है। परंतु पीड़ा के साथ कह सकता हूं कि आज़ादी के बाद से ही जो सरकार बनी, हमारा प्रदेश बिहार जहां मैंने कहा कि मेधा की कमी नहीं है। मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश के बच्चे, न सिर्फ देश के स्तर पर जब मौका मिलता है, तो अपना नाम ऊंचा करने का काम करते हैं बल्कि विदेशों में जाकर भी अपना नाम ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। मगर बिहार उपेक्षित रहा है, उसे राष्ट्रीय स्तर पर, शिक्षा का जो प्रतिशत था, मगर विगत दिनों में लोगों में शिक्षा के प्रति काफी रुचि भी पैदा हुई है। हमारे बिहार के मुख्य मंत्री नीतीश कुमार जी ने, विशेष तौर पर शिक्षा पर फोकस करने का काम किया, बच्चों पर फोकस करने का काम कि या और शिक्षा के स्तर को सुधारकर आज हमारा प्रतिशत बढ़ गया है। देश का प्रतिशत भी बढ़ गया है। बहुत सारे गरीब बच्चों की मदद करने का काम भी कि या गया है, जिसकी चर्चा हमारे कांग्रेस के मित्र सुरेश जी कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बिहार की जो सरकार है, बड़े स्तर पर बच्चो का संस्थानों में नामांकन करने के लिए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की भी व्यवस्था करने का काम किया है और चार लाख रुपए तक बिना किसी ब्याज के बच्चे धनराशि लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर नौकरी उनकी लग जाए तो वे उस धनराशि

को वापस कर दें और अगर नौकरी नहीं लगती है तो वापस नहीं भी करें। सही व्यवस्था है। मैं कह रहा था कि बिहार जैसा प्रदेश जहां इस स्तर की जो सरकार ने पहल की है, मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं। विश्व स्तर की पढ़ाई वहां पर हो रही है। वहां संस्थान नहीं है। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं। मगर वर्तमान सरकार ने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की है। विगत 5-6 सालों के दरम्यिान वहां आईआईएम की भी व्यवस्था करने का काम किया है। मगर वहां और व्यवस्था की जा सकती है। हमारे बिहार के बच्चे दिल्ली, पुणे, बैंगलुरु और कोटा पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे यहां के बच्चे देश के हर भाग में पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारे प्रदेश से हमारे बच्चे एक बड़ी धनराशि शिक्षा के मद में खर्च करने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। अगर यह व्यवस्था सरकार के माध्यम से वहीं हमार प्रदेश में हो जाती, तो शायद हमारे बच्चे जो गरीब हैं, मगर उनके मन में पढ़ने की चाह और लगन है, उनको अगर यह व्यवस्था वहीं पर मिल गई होती तो वे वहीं पर अपने परिवार के साथ रहकर कम खर्च में पढ़ सकते थे।

माननीय मंत्री जी उत्तराखंड से आते हैं। उत्तराखंड एक पहाड़ी और पिछड़ा प्रदेश है। ये भी पीड़ित हैं और मुख्य मंत्री रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में एक संस्था से काम चलने वाला नहीं है। आपकी विशेष कृपा बरसे और बिहार में इस तरह के संस्थान और खुलें। वहां आईआईटी खुला है। एक आईआईटी खुला है, अभी आप संस्थान में पीपी मोड में लाने का काम कर रहे हैं। और संस्थान भी खोलिए। वहां 11 करोड़ से अधिक आबादी है। वहां मेधा की कमी नहीं है, जैसा मैंने कहा है और स्वयं आपको भी पता है। मैं कह रहा था कि जो पिछड़े प्रदेश हैं, सरकार ने एक अच्छी पहल की है और बहुत सारे आईआईएम्स, आईआईटीज खोलने की व्यवस्था की है। राष्ट्रीय और विश्व स्तर की शिक्षा बच्चों को मिले, उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करने का काम कर रही है।

सर, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि पटना में आईआईटी है। यह मेरे क्षेत्र बिहटा में है। मैं उस समय माननीय सांसद था और यूपीए की सरकार थी। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में बिहार के छात्र अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।

श्री राम कृपाल यादव : मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने मुझे याद दिलाया। अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर जितनी परीक्षाएं होती हैं, यह हमारे बच्चों को सौभाग्य प्राप्त है, जो गरीब के बच्चे हैं, पढ़ कर सबसे अधिक नम्बर वन स्थान प्राप्त करते हैं, चाहे वह आईएएस, आईपीएस, आईआईटी या कोई भी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा हो, हमारे बिहार के बच्चे उसमें मेधा के बल पर कम्पीट करते हैं। हमारे यहां गरीबी है, मगर बच्चे पढ़ने में पीछे नहीं हैं।

बिहटा में आईआईटी है। मगर माननीय मंत्री जी को उस पर और भी ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। सारे संकायों की स्थापना नहीं की गई है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी बिहटा के आईआईटी पर विशेष ध्यान दें और इसमें जो कमी है, उसको दूर करें। सर, मैं आभार व्यक्त करता हूं। …(व्यवधान) देश के लिए कानून बनेगा, तभी गिरिराज बाबू आपका वह बनेगा। शायद ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

सरकार ने अच्छा काम किया है, अच्छी पहल की है। वर्ष 2017 में एक प्रयोग किया गया, एक कानून बना, वह हमारी सरकार ने लाया और उस कानून के तहत 20 संस्थान चलाए जा रहे थे। इस विधेयक के माध्यम से आपने और पांच संस्थान ऐड किए हैं। एक अच्छा प्रयोग करने का काम किया जा रहा है। पीपीपी मोड का मॉडल 15 प्रतिशत है, 50 प्रतिशत भागीदारी भारत सरकार की है और राज्य सरकारों की भागीदारी 35 प्रतिशत के हिसाब से भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उद्योगपतियों को 15 प्रतिशत भागीदारी दी गई है। सरकार कुल मिला कर 128 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि 10 करोड़ रुपये इसको संचालन करने के लिए जो बोर्ड होगा, जो संकाय होंगे, उनको अगले पांच सालों के लिए दिया जाएगा। यह बड़ा ही प्रभावकारी होगा। इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे संस्थान में बीटेक, एम टेक और पीएचडी में लगभग 14,000

बच्चे हैं। हर साल का नतीजा यह दिखा रहा है, मैंने तालिका देखी है कि 90 प्रतिशत, 96 प्रतिशत, 97 प्रतिशत और कोई संस्थान 100 प्रतिशत बच्चों को जॉब देने में सफल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं और पूर्वोत्तर के लिए विशेष कृपा की गई है। यह हमारी सरकार की पॉलिसी है, उसके अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। भारत सरकार 97.5 प्रतिशत, राज्य सरकार 35 प्रतिशत और उद्योग की भागीदारी 60.5 प्रतिशत है। मैं समझता हूं कि यह निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है। मुझे भरोसा है कि सरकार के स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मानव संसाधन मंत्रालय ने इस सकारात्मक पहल को करने का प्रयास किया है, वह बहुत ही कारगर ढंग से प्रयास किया है। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर एवं विश्व स्तर पर प्रयास कर रही है। हमारे यहां मेधा की कोई कमी नहीं है। भारत दुनिया में राज कर रहा है। आप किसी संस्थान में चल जाइए, वहां वैज्ञानिक देखिए, एक से एक इंजीनियर देखिए, एक से एक डॉक्टर देखिए, एक से एक प्रोफेसर देखिए, भारत की कोई तुलना ही नहीं है। ...(व्यवधान) भारत की मिट्टी में जो सुगंध है, वह पूरी दुनिया में फैलती है।

यह पूरी दुनिया में मेधा के बल पर धाक जमाता है। मैं दो-चार मिनट के लिए आपका फेवर चाहूँगा। कृपया दो-चार मिनट समय और दे दीजिए। मैं तो कम ही बोलता हूँ। शायद इस सेशन में पहली बार बोल रहा हूँ।

माननीय सभापति: आपकी पार्टी के चार स्पीकर और हैं। इसलिए [अनुवाद] कृपया समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : ठीक है सर। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

मैं माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं बिहार के लिए पुन: एक आग्रह करना चाहता हूँ। बिहार में राष्ट्रीय संस्थानों की जिस तरह से आवश्यकता है, वे वहाँ नहीं हैं। आपने

दो-दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय दिए हैं, आपने यह विशेष कृपा की है। लेकिन और केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की आवश्यकता है।

पटना विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक विश्वविद्यालय है, यह सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है। बहुत दिनों से माँग हो रही है कि पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दी जाए। लेकिन अभी तक सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की है।

माननीय सभापति: अब समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : सर, हमारे यहाँ एनआईटी भी है। पटना इंजीनियरिंग कॉलेज को पूर्ववर्ती सरकार द्वारा एनआईटी की मान्यता दी गई है। उसके भवन बन गए हैं, उसको आईआईटी का दर्जा दे दिया जाए। अलग से कोई विशेष व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी। अभी जो एनआईटी कार्यरत है, उसकी कमियाँ दूर की जाएं और एनआईटी को आईआईटी का दर्जा दे दिया जाए, तो बड़ी कृपा होगी। अगर गंगा के उस कि नारे पर एक और आईआईटी खुल जाए, चूँकि वहाँ की आबादी बहुत बड़ी है। वह बहुत ही पिछड़ा इलाका है। वहाँ कोई विशेष व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है, तो बड़ी कृपा होगी।

माननीय सभापति: प्लीज, अब समाप्त कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आपने लगभग 20-25 संस्थान कर दिए हैं, यह आगे चल पाएंगे या नहीं? यह एक सक्सेसफुल मॉडल है, जो 90 परसेंट से अधिक छात्रों को जॉब्स दे रहा है। यह बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगा कि इसे आगे बढ़ाने की कृपा की जाए। मैं पुन: इस बिल का समर्थन करते हुए और माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए और आपका भी आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक पर बोलना चाहता हूं। मूल रूप से, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि यह सिर्फ भागलपुर, सूरत, रायचूर, भोपाल और अगरतला में पांच और ट्रिपल आई.टी. को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का टैग देने के लिए है। इसलिए, देश में अधिक ट्रिपल आई.टी. का होना एक स्वागत योग्य कदम है, और मैं देश में आई.टी. शिक्षा को आगे बढ़ाने के मार्ग के रूप में इस स्वागत योग्य कदम का समर्थन करता हूं।

क्या मैं कह सकता हूं -- और मानव संसाधन विकास मंत्री जानते हैं -- कि ये ट्रिपल आई.टी. अभी भी राष्ट्रीय महत्व के मानक के नहीं हैं यदि आप उनकी तुलना आई.आई.टी. या भारतीय विज्ञान संस्थान, बैंगलोर या भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता से करते हैं। वे ऐसे संस्थान हैं जो विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, और आपके ट्रिपल आई.टी. अभी तक उस स्तर पर खड़े नहीं हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे इन ट्रिपल आई.टी. के पाठ्यक्रम पर ध्यान दें ताकि उन्हें आई.आई.टी. के स्तर तक लाया जा सके।

ऐसा कहने के बाद, क्या मैं कह सकता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी में शिक्षा बहुत भ्रमित स्थिति में है। हमारे राज्य में भी, एक ट्रिपल आई.टी. कल्याणी में है, जो अच्छी बात है और यह अच्छी तरह से चल रहा है। लेकिन कई इंजीनियरिंग कॉलेज आई.टी. कोर्स खोलते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे करने में बहुत कम लागत आती है।

आप बस कुछ कंप्यूटर और कुछ कुर्सियाँ स्थापित करते हैं, और आप कहते हैं, आप सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई ठीक से नहीं होती। वे क्या करते हैं, वे प्रारंभिक चरण में भौतिकी और गणित पढ़ाते हैं, फिर, वे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं। वहाँ भी, मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूँ कि आई.टी. में दो भाग होने चाहिए - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब है, आप कंप्यूटर कैसे

बनाते हैं, कंप्यूटर सर्किट, सिद्धांत आदि। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, इस कंप्यूटर को वास्तविक कार्य में लगाना; बड़ी समस्याओं का विश्लेषण। हमारे संस्थान हार्डवेयर के बारे में बहुत कम पढ़ाते हैं। इसलिए जहां सॉफ्टवेयर में भारत दुनिया में सबसे आगे है, वहीं हार्डवेयर में हम बहुत पीछे हैं। हम मुश्किल से ही निर्माण करते हैं। हमारे सभी कंप्यूटर विदेशों से आयात किये जाते हैं। इसलिए, देश में हार्डवेयर शिक्षा का विकास करना आवश्यक है ताकि हम अपने कंप्यूटर का निर्माण स्वयं कर सकें। यहां कुछ कंपनियां मोबाइल फोन बनाती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे अधिकांश मोबाइल आयातित हैं, जैसे नोकिया इत्यादि। तो, उसका विकास होना चाहिए और वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए; देश में बिल्डिंग हार्डवेयर विकसित करना।

जैसा कि आप कह रहे थे, पाठ्यक्रम त्रुटिपूर्ण है। वे क्या सिखाते हैं? वे निचले स्तर पर प्रारंभिक गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। भौतिकी के शिक्षक के रूप में, मैं जानता हूं कि उनका भौतिकी का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है लेकिन आई.टी. को समझने के लिए भौतिकी का बुनियादी ज्ञान आवश्यक है। फिर, वे इलेक्ट्रॉनिक्स में लिंक्ड लिस्ट, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सर्किट थ्योरी, नेटवर्क थ्योरी जैसे सॉफ्टवेयर के कुछ मामले पढ़ाते हैं। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मूल बातें हैं।

महोदय, आप बहुत जागरूक व्यक्ति हैं, आपको पता होगा कि दुनिया में एक नई औद्योगिकी क्रांति हुई है। इसे कहते हैं, औद्योगिक क्रांति 4.0। हमारे राज्य सभा सदस्य नरेन्द्र जाधव ने औद्योगिक क्रांति 4.0 पर एक किताब लिखी है। नई चीजें आ रही हैं। पहला है मशीन लर्निंग; दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस; तीसरा है ब्लॉकचेन तकनीक; और फिर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और फिर, आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में भी सीखना होगा। ये बिल्कुल नई चीजें हैं। यह अद्भुत है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के उपयोग से पूरी दुनिया को सुलझाया जा सकता है। इससे कंप्यूटर की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। तो, ये नवीनतम चीजें हमारे ट्रिपल आई.टी. में सिखाई जानी चाहिए।

मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्तर पर एक समिति बनाएं – मैं दो मिनट में अपना भाषण समाप्त करूंगा, मैंने विधेयक का समर्थन किया है – और देश के सर्वश्रेष्ठ लोगों की सलाह ली जाए। हमारे पास एक बहुत अच्छे आदमी हैं, श्री सप्तगिरि उलाका। उन्होंने 15 साल तक इंफोसिस में काम किया। वह एक कंप्यूटर इंजीनियर है। आपको ऐसे लोगों को अपनी समितियों में शामिल करना होगा।

जैसा कि मैंने कहा, भारतीय कंपनियों ने दुनिया भर के सॉफ्टवेयर बाजार पर कब्जा कर लिया है। हम शीर्ष अमेरिकी कंपनियों, एयरलाइंस के लिए डेटा विश्लेषण करते हैं, ये सभी हमारे देश के हैं। टी.सी.एस., इंफोसिस, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी, महिंद्रा – ये सभी कंपनियां पूरी दुनिया में काम कर रहीं हैं। अमेरिका में सॉफ्टवेयर का आधा काम हमारी कंपनियां, हमारे लोगों द्वारा किया जाता हैं। परामर्श सेवाओं की बात करे या नए स्नातकों की।

माननीय सभापति :लड़के और लड़कियाँ।

प्रो. सौगत राय : लड़के और लड़कियों को कुछ वर्षों के लिए भेज दिया जाता है लेकिन इन संस्थानों में प्रशिक्षण इतना कठिन है कि श्री उलाका कह रहे थे कि उन्हें ठीक से शिक्षित करने के लिए एक कंपनी को अपने राजस्व का पांच प्रतिशत खर्च करना पड़ता है।

हमारी शिक्षा बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों की जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उनमें से बहुत लोगों को नौकरियाँ मिल गई हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन पंद्रह ट्रिपल आई.टी. से और उन पांच संस्थानो में से कितने स्नातकों को नौकरियां मिली हैं। उन्हें नौकरी कहां और किस वेतन पर मिली हैं? हम नहीं चाहते कि हमारे आई.टी. स्नातक साइबर कुली के रूप में काम करें। हम चाहते हैं कि वे उच्च डेटा विश्लेषकों के रूप में काम करें। देश में ऐसा नहीं हो रहा है। इसलिए, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। यह एक अच्छा विधेयक है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि देश में वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकसित करें जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा करते थे। लोग अभी भी मानते हैं कि *गौमुत्र* कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है और आपकी उंगलियों में पांच अंगूठियां पहनने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब तक यह अंधविश्वास खत्म नहीं होगा, तब तक हम नहीं बढ़ सकते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

20-03-2020

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, धन्यवाद। जो [अनुवाद] भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2020, [हिन्दी] पेश किया गया है, मैं उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। खासकर पहले 15 इंस्टीट्यूट्स और जो बाकी 5 शेष थे, भागलपुर, सूरत, रायपुर, भोपाल और अगरतला, इन्हें सम्मिलित करके बढ़ावा देने का प्रयास इस बिल के माध्यम से हो रहा है। खुशी की बात है कि मंत्री महोदय जी के माध्यम से इस देश में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देकर, इस क्षेत्र को अच्छा स्थान देने का प्रयास हो रहा है। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। अभी सौगत दा ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत के छात्रों ने इस क्षेत्र में अपना स्थान ऊंचा कर दिया है। हमारे महाराष्ट्र का पुणे शहर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक हब बन चुका है।

जब यह बिल पेश किया था तो मंत्री जी ने इस बिल के उद्देश्य में कहा था कि इस क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा मैन पावर क्रियेट करने का एक प्रयास इस बिल के माध्यम से होने वाला है। [अनुवाद] यह वैश्विक मानकों की जनशक्ति प्रदान करेगा। [हिन्दी] दुर्भाग्य की बात है और सभापति महोदय आप इसके अच्छे जानकार है कि देश में यह होता था कि सब बच्चे आई.टी.आई. की तरफ भागते थे। अब आई.आई.टी. की तरफ सभी बच्चे भाग रहे हैं। इण्डियन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में पुणे में इतना अच्छा एजुकेशनल हब और एम्प्लॉयमेंट हब होने के बाद भी कई वर्ष पहले वहां कैंडिडेट नहीं मिलते थे। आज पुणे के सारे आई.टी. सेक्टर्स में हजारों की संख्या में जिनके हाथ से रोजगार निकल गया है, ऐसे बच्चे रोजगार ढूंढते रहते हैं। दुर्भाग्य से आईटी सेक्टर में अच्छा डिप्लोमा या डिग्री मिलने के बावजूद 4-4 वर्ष तक उनको अच्छे जॉब्स के अवसर नहीं मिले रहे हैं। इंस्टीट्यूट का निर्माण करना सही है, लेकिन इंस्टीट्यूट से निकलने वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनको सही वक्त पर प्लेसमेंट देने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट की होनी चाहिए। आज यह हो रहा है कि हम सभी सांसदों के पास हर दिन

कम से कम 2-4 आई.टी. स्टूडेंट्स, एम.ए. से आई.टी. स्टूडेंट्स आते हैं, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते हैं।

मेरी इस बिल के माध्यम से विनती है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज एक आवश्यक बात हो चुकी है और एडवांस टेक्नोलॉजी आने की जरूरत है। इस क्षेत्र में अपने देश के लोग अमेरिका को भी कैप्चर कर चुके हैं।

पूरे देश में इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी सही तरह से चलने के बाद भी इस क्षेत्र में आने वाले सभी बच्चों का भविष्य भी अच्छा बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस बिल का समर्थन करते वक्त मैं माननीय मंत्री महोदय से यही अपेक्षा करता हूं कि इस क्षेत्र को और बढ़ावा दीजिए। पांच यूनिवर्सिटीज के अलावा और भी कई यूनिवर्सिटीज की सख्या पूरे देश में बढ़ाई जाए। सरकार इस ओर भी ध्यान दे। इन यूनिवर्सिटीज से निकलने वाले बच्चों का भविष्य अच्छा हो, इस हेतु सरकार प्रयास करे। धन्यवाद।

20-03-2020

श्री रामप्रीत मंडल (झंझारपुर): धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान संशोधन विधेयक, 2020 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी। सरकार इस बिल के माध्यम से प्रस्ताव कर रही है कि 5 आईआईटीज को 15 आईआईटीज के अतिरिक्त राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में आईआईटी अधिनियम, 2014 और 2017 में संशोधन किया जाए। ये संस्थान वर्तमान में पीपीपी के आधार पर भागलपुर, बिहार, सूरत, गुजरात, रायचूर, कर्नाटक, भोपाल, मध्य प्रदेश, अगरतला और त्रिपुरा में स्थापित हैं। इससे पांचों आईआईटी संस्थान भी पहले से मौजूद 15 आईआईटी संस्थानों की तरह बीटेक, एमटेक तथा पीएचडी के लिए नामांकन एवं डिग्री के लिए अधिकृत हो जाएंगे। यह सरकार का काफी सराहनीय कदम है।

महोदय, अब ये संस्थान डिग्रियां प्रदान कर सकेंगे। छात्र पीएचडी कर सकेंगे और देश-दुनिया में इन सभी संस्थानों की साख बनेगी। यहां से पास होने वाले ज्यादातर छात्रों को कैंपस सेलेक्शन मिल जाता है। इससे छात्रों को काफी लाभ मिलेगा। प्रस्तावित बिल में आईआईटी अधिनियम, 2014 की धारा-41 और उपधारा-3 में भी संशोधन का प्रस्ताव है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि हमारे मिथिला, मधुबनी में भी आईआईटी संस्थान खोले जाएं, ताकि वहां के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके और उनको रोजगार मिल सके।

महोदय, मैं सरकार का ध्यान आईआईटी में प्राध्यापकों की जगह रिक्त होने की ओर भी दिलाना चाहता हूं, क्योंकि आईआईटी का कार्य अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान में करीब **822** पोस्टें रिक्त हैं। सभी आईआईटी संस्थानों में इनकी रिक्तियां भी निकल चुकी हैं। प्रश्न यह उठता है कि इतनी रिक्तियों के साथ आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं? आप काँट्रैक्ट बेसिस पर प्रोफेसर और फैकल्टी को रखेंगे तो फिर वहां उनकी जॉब सिक्योर नहीं रहेगी। तब उत्तम शिक्षा की आशा नहीं की जा सकती है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि सभी आईआईटी संस्थानों में रिक्त प्राध्यापकों के पदों को भरा जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात करता हूं और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): श्री सभापति महोदय, मैं यहाँ इस कारण से विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। मुझे याद है कि यहाँ वर्ष 2014 में, चार ट्रिपल आई.टी. को मान्यता दी गई थी। इससे पहले, इलाहाबाद में पहला ट्रिपल आई.टी. स्थापित किया गया था। इसके बाद, तीन और ट्रिपल आई.टी. स्थापित किए गए - एक ग्वालियर में, एक जबलपुर में डिजाइन और विनिर्माण के लिए, और एक कांचीपुरम में जो डिजाइन और विनिर्माण के लिए भी था और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दिया गया।

जिस बात का मैं यहां उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ट्रिपल आई.टी. से निकलने वाले हमारे इंजीनियरों ने अपना दबदबा महसूस कराया है और पूरे देश में बहुत सारे संस्थान फल-फूल रहे हैं।

कई राज्य सरकारों को भी ट्रिपल आई.टी. स्थापित करने की दिशा में प्रोत्साहित किया गया है। यह केवल राज्य सरकारें ही नहीं, बल्कि यह एक अनोखा मौका है क्यूंकि केंद्र सरकार भी निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रही है। इसे रोजगार से भी जोड़ा जाना चाहिए। इस तरह विभिन्न संगठन विशेष रूप से, उद्योग क्षेत्र भी शिक्षा तंत्र में शामिल हो जाता है।

यहां, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह विधेयक पी.पी.पी. मोड के तहत स्थापित ट्रिपल आई.टी. के छात्रों को डिग्री प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यह पीपीपी मॉडल पर स्थापित 15 ट्रिपल आई.टी. संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया जाएगा। इसे शुरू होने के पांच साल के

भीतर आत्मनिर्भर होना चाहिए और इसलिए इसके लिए उपयुक्त वित्तीय प्रक्रिया होनी चाहिए। राज्य सरकारें एक संस्थान स्थापित करने में सहयोग के लिए एक उद्योग भागीदार की पहचान करेंगी और केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

इस विधेयक की मूल विशेषता, जिसे मैं पाता हूँ और जिसका उल्लेख प्रो. सौगत राय ने किया था, वह यह है। हमारी कमजोरी क्या है? हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, हम अपने हार्डवेयर को विकसित करने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां भी आई.टी. क्षेत्र विकसित हो रहा है, हम सॉफ्टवेयर तंत्र पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। यही कारण है कि अधिकांश घटकों का आयात किया जा रहा है और यही कारण है कि हम शायद ही कभी कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, लेकिन हम विभिन्न उपकरणों को इकट्ठा करने और उनका उत्पादन करने और उन्हें बाजार में भेजने के प्रमुखों में से एक बन गए हैं।

मेरी दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम में समानता होनी चाहिए, जो वास्तव में नहीं हो रही है। जब हम अब संस्थानों की संख्या बढ़ा रहे हैं, तो वास्तव में यह आवश्यक है कि इन सभी आई.आई.आई.टीओ. में भी हमारे पास एक समान पाठ्यक्रम हो।

मैं बताना चाहूंगा कि हमने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित बजटीय आवंटन पर चर्चा नहीं की गयी हैं। लेकिन बजट 2020 ने इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन को पांच प्रतिशत बढ़ाकर रु.99,311.52 करोड़ कर दिया है। इसमें से, उच्च शिक्षा विभाग को रु.39,466.52 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जबकि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को रु.59,845 करोड़ दिए गए हैं। कौशल विकास मंत्रालय और इसके विभिन्न कार्यक्रमों के लिए रु.3,002.21 करोड़ का आवंटन प्रस्तावित किया गया है। लेकिन मुद्दा यह है कि आप विशेष रूप से ट्रिपल आई.टी. से संबंधित या आई.टी. सेक्टर से संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए कितना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। इसका भी सीमा-निर्धारण करने की आवश्यकता है ताकि हम वर्ष 2020 से एक शुरुआत कर सकें और अगले पांच साल के समय में हम एक बेहतर मुकाम पर पहुंचे ताकि हमारा अनुसंधान एवं विकास भी बढ़े।

यह महत्वपूर्ण है कि ये संस्थान अपने दरवाजे खोलें और अपने आप को उस क्षेत्र के लिए अधिक प्रासंगिक होने में सक्षम बनाएं जिसमें वे काम कर रहे हैं। ऐसे संस्थानों को साइबर सुरक्षा पेशेवरों का एक कैडर बनाना चाहिए जिसका उपयोग सरकार द्वारा किया जा सकता है क्योंकि साइबर हमले का खतरा बढ़ रहा है। संस्थानों को देश में स्टार्ट-अप्स संस्कृति को शुरू करने में भी भूमिका निभानी चाहिए।

यह देखते हुए कि अमेरिका और यूरोप इस संबंध में हमसे आगे निकल गए हैं और देश नवप्रवर्तन के मामले में विश्व स्तर पर काफी पीछे है, भारत को नवप्रवर्तन करने की अपनी क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। ट्रिपल आई.टी. में प्रचलित 50:35:15 के अनुपात में पी.पी.पी. मॉडल की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए, जिसमें 50 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, 35 प्रतिशत उस राज्य द्वारा दिया जाता है जहां संस्थान स्थापित है, और 15 प्रतिशत निजी प्रतिष्ठान द्वारा दिया जाता है।

मेरा सुझाव है कि पीपीपी मॉडल में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र के प्रबंधन और नियंत्रण के प्रश्नों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को शिक्षा के साथ रोजगार को जोड़ने पर भी ध्यान देना चाहिए और सरकार को आई.आई.आई.टीओ. में पी.पी.पी. मॉडल में निजी भागीदारी को आमंत्रित करने के लिए जांच प्रक्रिया पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।

पाठ्यक्रम में समानता की कमी के कारण ट्रिपल आई.टी. और आई.आई.टी. जैसे संस्थानों में प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को पास करने में छात्रों को होने वाली समस्याओं को देखते हुए, पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। शुल्क ढाँचे का भी मानकीकरण किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक श्रेणी एक और चिंता का विषय है। संकाय के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली शुरू करके और अनुसंधान एवं विकास के लिए बढ़ी हुई फंडिंग के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

डॉ. कलानिधि वीरास्वामी (चेन्नई उत्तर): माननीय सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का अवसर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि मैं तमिलनाडु से हूं जो ऐतिहासिक रूप से शिक्षा के किसी भी रूप चाहे वह स्कूली शिक्षा हो, कॉलेज शिक्षा हो या कोई अन्य शिक्षा में अग्रणी रहा है। *पेरून्थलाईवर* कामराज, *पेरारिग्नार* अन्ना और *कलैग्नर* करुणानिधि जैसे हमारे महान नेताओं ने शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को समझा है और उन्होंने अनेक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यह कहने के बाद कि, इन नेताओं द्वारा किए गए इतने सारे काम के साथ, यह एक दुखद स्थिति है कि हम असुविधाजनक रिपोर्ट सुन रहे हैं कि वर्तमान सरकार कई स्कूलों को बंद करने की कोशिश कर रही है और टी.ए.एस.एम.एसी. आउटलेट खोलने की योजना बना रही है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करने में सक्षम होगी क्योंकि हम सभी मानते हैं कि तमिलनाडु में वर्तमान सरकार पर केंद्र सरकार का बहुत प्रभाव है। *कलैग्नर* करुणानिधि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश में पहला संस्थान अर्थात, तमिलनाडु में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किया।। हमारे पास छात्रों के लिए भी काफी अवसर हैं। मैं समझता हूँ कि इन संस्थानों को पी.पी.पी. मॉडल पर खोला जाएगा। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इन कॉलेजों में उचित आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब भी हम निजी क्षेत्र से थोड़ी बहुत समर्थन के साथ सरकार के बाहर किसी भी बात की बात करते हैं, तो तुरंत आरक्षण नीतियां गायब कर दी जाती हैं। मैं इस सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि चूंकि वह 50 प्रतिशत धनराशि दे रही है, इसलिए राज्य के विद्यमान अधिकारों के अनुसार पर्याप्त आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। अभी, तमिलनाडु में हमारी 69 प्रतिशत आरक्षण नीति है। मुझे उम्मीद है कि ये संस्थान यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्रों के साथ-साथ विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को भी 69 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाए।

20-03-2020

मैं हमारे देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों की स्थिति के बारे में बात करना चाहूंगा। अभी, भारत सरकार के पास हमारे देश में कितने संस्थानों की आवश्यकता है, इसके बारे में कोई सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं है। मुझे लगता है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की यह अनचाही शुरुआत ही एक कारण है कि अब हम इंजीनियरों को शौचालयों में सफ़ाईकर्मी के रूप में भर्ती होते देखते हैं। यह हमारे स्नातकों की स्थिति है। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ताकि उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। कई वर्षों तक कड़ी मेहनत के बाद भी यदि वे कहते हैं कि हमें सफाई कर्मचारी का काम मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही खराब स्थिति है। भारत सरकार और हम सबको इस स्थिति के लिये जवाबदेह होना चाहिए और हमें इस स्थिति पर शर्म आनी चाहिए। हमें किसी न किसी प्रकार का विश्लेषण करना ही होगा, चाहे वह मेडिकल कॉलेजों या इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए हो इंजीनियर हो, सूचना प्रौद्योगिकी छात्रों डॉक्टरों या दंत चिकित्सक कि इन संस्थानो के लिए आवश्यकताओं की सटीक संख्या क्या है। मैंने कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां दंत चिकित्सक 8000 रुपये या उससे कम पर काम कर रहे हैं जबकि एक नर्स या यहां तक कि एक कार चालक को इससे अधिक वेतन मिलता है। हम तकनीकी शिक्षा और योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हें पर्याप्त वेतन का आश्वासन नहीं दे रहे हैं या वे खुद को रोजगार देने में सक्षम नहीं हैं। हमारे देश की पहले से ही गिरती अर्थव्यवस्था के साथ जो मंदी आई है, ऐसे में इन लोगों को शिक्षित करने पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

बेरोजगारी दर इतनी अधिक है और हम ई-कॉमर्स की बात कर रहे हैं जबकि इसके कारण पहले से ही मौजूद रोजगार घटते जा रहे हैं। हम ई-फार्मेसियों के बारे में बात कर रहे हैं जबकि वे सभी फार्मासिस्टों को हटा रहे हैं। इस देश में 8.5 लाख फार्मासिस्ट हैं और न्यायालय के फैसले ने ई-फार्मेसी पर प्रतिबंध लगा दिया है।

केंद्र सरकार ने न्यायालय के आदेश से कोई प्रेरणा नहीं ली है और वे अभी भी इसे जारी रखने की अनुमति दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय से कहना चाहूंगा कि इस मामले को देखे और इन लोगों के साथ न्याय करे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

20-03-2020

श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार): मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 के पर बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। मैं विधेयक के पक्ष में बोलने और उसमें प्रस्तावित संशोधनों, विशेष रूप से ट्रिपल आई.टी. सार्वजनिक-निजी-भागीदारी अधिनियम, 2017 में संशोधनों के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसके तहत पीपीपी मॉडल के अंतर्गत स्थापित पांच और ट्रिपल आई.टी. संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए जाने का प्रावधान है। ये संस्थान सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में स्थापित हैं। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री और बोलने वाले अन्य माननीय सदस्यों द्वारा विवरण पहले ही प्रदान किया जा चुका है।

भारत का दुर्भाग्य रहा है कि वह आधुनिक विश्व की पहली दो औद्योगिक क्रांतियों से चूक गया है: एक 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत के दौरान तथा दूसरी 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत के दौरान। ऐसा न केवल यह है कि हम विश्व प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में इन ऐतिहासिक बदलावों से चूक गए, बल्कि हम पश्चिम द्वारा इन क्रांतियों को बढ़ावा देने के भी अंत में थे। हम न केवल औद्योगिक उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार थे, बल्कि हमें गैर-औद्योगिकीकरण के समय से गुजरना पड़ा था, यह एक तथ्य है जो दादाभाई नौरोजी द्वारा पहली बार संज्ञान में लाया गया था और हाल ही में हमारे जाने माने सहयोगी डॉ. शशि थरूर द्वारा भी लाया गया है। हालाँकि, हमने अवसर का लाभ उठाया और तीसरी औद्योगिक क्रांति की ओर कदम बढ़ाया, जो सूचना और दूरसंचार पर केंद्रित थी, या, जैसा कि लोकप्रिय भाषा में इसे डिजिटल क्रांति कहा जाता है। प्रो. सौगत राय ने औद्योगिक क्रांति 4.0 का भी उल्लेख किया, एक शब्द जिसे विश्व आर्थिक मंच के क्लॉस श्वाब द्वारा गढ़ा गया था।

हाल के दिनों में भारत की आर्थिक वृद्धि में इस अवसर का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि वर्ष 2017 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आईटी उद्योग का योगदान करीब 7.7 प्रतिशत था और 2025 तक इसमें बढ़कर 10 प्रतिशत से अधिक हो जाने की संभावना है। वर्ष 2017 में, इस उद्योग ने प्रत्यक्ष रूप से लगभग चार मिलियन लोगों को और अप्रत्यक्ष रूप से दस मिलियन लोगों को रोजगार प्रदान किया। वर्ष

2019 में, आई.टी. सेवा उद्योग ने अकेले दो लाख से अधिक नए रोजगार सृजित किए। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल कॉग्निजेंट, सैमसंग आदि जैसे आई.टी. दिग्गज हमारे कॉलेजों से आक्रामक तरीके से नियुक्तियां कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कुशल जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए हमें ऐसे अधिक से अधिक उच्च शिक्षा के संस्थानों कि स्थापना को सुनिश्चित करना होगा ताकि गुणवत्तापूर्ण संकाय और गुणवत्ता वाले छात्रों के मुद्दों को संबोधित किया जा सके, उद्योग की जरूरतों के अनुकूल पाठ्यक्रम और नौकरी बाजार को तदनुसार डिज़ाइन किया गया है, और उद्योग और शिक्षा जगत के बीच संबंध को गहरा और विस्तारित किया गया है।

2020-21 के वर्तमान बजट में, जैसा कि माननीय सदस्य श्री महताब ने बताया, उच्च शिक्षा के लिए 39,467 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से आई.आई.टी. को 393 करोड़ रुपये और विश्व स्तरीय संस्थानों को 400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हालाँकि, जैसा कि पहले बताया गया था, अनुसंधान और नवाचार में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मेरा अनुमान है, यह तब परिलक्षित होता है जब हम वैश्विक श्रेणी में अपने विश्वविद्यालयों की निम्न श्रेणी को देखते हैं। केवल तीन संस्थान – जिनमें से दो आई.आई.टी. हैं और तीसरा आई.आई.एस.सी. – दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। यह अनिवार्य रूप से प्रकाशित शोध पत्रों की कमी के कारण है।

चिंता का एक अन्य क्षेत्र हमारी सकल नामांकन दर है जो पश्चिमी विश्व या विकसित विश्व की तुलना में बहुत कम है। हम एक वैश्विक नेता होने का दावा करते हैं – या हम बनने की राह पर हैं – परन्तु जहां तक शिक्षा और उच्च शिक्षा का संबंध है तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इन संस्थानों में सख़्त गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए ताकि हमारे यहां से जो स्नातक करके निकले, उनकी नौकरी बाजार में एक कीमत हो और वे केवल 'प्रौद्योगिकी कुली' बन कर न रह जाएं, जैसा कि अन्य माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किया जा रहा था।

मुझे यकीन है कि इन पांच ट्रिपल आई.टी. को आई.एन.आई. की सूची में शामिल करने से हमें आई.टी. क्षेत्र में अपना पूर्व-सम्मान बनाए रखने में मदद मिलेगी और 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर के अर्थव्यवस्था के हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि यह सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा। धन्यवाद।

[हिन्दी]

कुंवर दानिश अली (अमरोहा): महोदय, आपने मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिल पर बोलने का मौका दिया है। मैं देख रहा हूँ कि जो पाँच इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेंटर्स खोले जा रहे हैं- भागलपुर, बिहार में, सूरत, गुजरात में, रायचूर, कर्नाटक में, भोपाल, मध्य प्रदेश में और अगरतला, त्रिपुरा में। सबसे पहले तो मेरा आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप एक ऐसा इंस्टीट्यूट खुलवाए। अगर अमरोहा में खुलवाएं, तो बहुत अच्छा होगा।

मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की जो नीति है और हम देख रहे हैं कि पिछले दशक में सरकार अपने आपको सोशल सेक्टर से, एजुकेशन के सेक्टर से लगातार विद्ड्रा कर रही है। खास तौर से जो गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको इसका नुकसान हो रहा है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में फीस इतनी बढ़ जाती है कि गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के बच्चे वह फीस नहीं दे पाते हैं। अच्छा कदम है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप से इंस्टीट्यूशन्स क्रिएट किए जाएं, लेकिन उसके साथ-साथ इन इंस्टीट्यूशन्स में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसका ख्याल रखा जाए कि एम्प्लॉयमेंट में भी और एडमिशन में भी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ न हो। वरना हम यह देख रहे हैं कि जब से इस देश में मंडल कमीशन

लागू हुआ, तब से लगातार सरकार की यह कोशिश रही कि कि स तरीके से सरकारी नौकरियों और गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को खत्म करके प्राइवेट के हाथ में दे दिया जाए, जिससे रिवर्जेशन की इस देश में रिलेवेंस खत्म हो जाए।

मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ कुछ भी कहें, लेकि न धरातल पर यह समझ में आता है कि अभी पिछले हफ्ते मैं अपने जिले अमरोहा में जिला विकास की बैठक में था। उत्तर प्रदेश सरकार के दो मंत्री जिला प्रभारी मंत्री और हमारे जिले के कैबिनेट मिनिस्टर भी वहां पर थे। वहां पर हमने जब लेखा-जोखा लिया, तो पता चला कि पिछले एक साल से ओबीसीज़ और माइनोरिटीज़ की जो स्कॉलरशिप है, वह स्कॉलरशिप नहीं मिली। जब यह सवाल कि या गया कि क्यों नहीं मिली, तो पता यह चला कि साहब पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन बंद है। पोर्टल पर जब तक केवाईसी नहीं होगा, जब तक रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक पिछड़े वर्ग और माइनोरिटीज़ के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। यह ऑन रिकार्ड है, पूरा डेटा है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन्स खोलें, लेकिन उनके बारे में जैसे कि कुछ दूसरे सदस्यों ने भी कहा, मेरे यहाँ गाजियाबाद के अंदर बहुत सारे, जब दिल्ली से मैं अमरोहा जाता हूँ, तो ऐसे सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स और इंजीनियरिंग के कॉलेजेज़ हैं, जो बहुत तेजी से आए थे, प्राइवेट लोगों ने खोले थे, लेकि न आज सब बंद हो चुके हैं। उनकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए।

मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरीके से दुनिया की लिस्ट में हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में गिरावट आई है, मतलब शुरू के 200-500 में हमारा कहीं दूर-दूर तक नम्बर नहीं आता है।

अगर नम्बर आता है तो कि सी एकाध संस्थान का नम्बर आता है। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार आरएंडडी पर ज्यादा बजट दे और जो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की ग्रेडिंग होती है, उसकी प्रक्रिया पर भी मानव संसाधन विकास मंत्री जी ध्यान देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को एमिनेंस की ग्रेडिंग बगैर उनकी आरएंडडी रिसर्च कि ये दे दी जाती है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

20-03-2020

[अनुवाद]

श्री बी. बी. पाटिल (जहीराबाद): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 का उद्देश्य सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में पांच ट्रिपल आई.टी. को पीपीपी मॉडल के अंतर्गत वैधानिक स्तर देना है, ताकि ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान बन सके।

यह इन पांच ट्रिपल आई.टी. के राज्यपालों के बोर्ड को दोहरे डिग्री पाठ्यक्रम सहित नए पाठ्यक्रम शुरू करने का अधिकार देगा। यह संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में एक मजबूत अनुसंधान आधार विकसित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त छात्रों को आकर्षित करने में भी सक्षम बनाएगा। प्रत्येक ट्रिपल आई.टी. के लिए निदेशकों और रजिस्ट्रारों के इक्कीस पद और ट्रिपल आई.टी. डी.एम. कुरनूल के लिए एक पद सृजित किया जाएगा। भारत सरकार की इस पहल से ये संस्थान देश के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान प्रदान करने और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वैश्विक मानकों की जनशक्ति प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करेंगे।

लेकिन भारत सरकार को क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि आई.आई.टी. को कमजोर न किया जाए। नए संस्थानों का ध्यान सर्वश्रेष्ठ संकाय को आकर्षित करने और अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की स्थापना पर होना चाहिए। जबकि विश्व स्तरीय संकाय को आकर्षित करने में स्थान की भूमिका होती है, नए संस्थानों को हर चीज में अच्छा होने की कोशिश करने के बजाय विशेष क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में विकसित होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

भारत के प्रमुख टेक और बिजनेस स्कूलों को भी अधिक समावेशी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और इतिहास, अर्थशास्त्र और अंग्रेज़ी जैसे विषयों में अधिक पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या शामिल

करनी चाहिए। एक मजबूत शैक्षणिक संस्कृति का निर्माण करना और साथ ही, उद्योग से जुड़ना, नए संस्थानों के लिए महत्वपूर्ण है। मुद्दा यह नहीं है कि नए आई.आई.टी. और आई.आई.एम. कहां स्थापित किए जाएं, बल्कि मुद्दा पर्याप्त संसाधनों का निवेश करना, संकाय ढूंढना और पर्याप्त अच्छा नेतृत्व स्थापित करना है।

महत्वपूर्ण जनसमूह हासिल करने के लिए, नए संस्थानों को एक स्थायी परिसर के शीघ्र स्थान, बेहतर संसाधन, पहले निदेशकों को निरंतरता का आश्वासन और अवसंरचना के विकास के लिए अच्छे परियोजना प्रबंधकों की पहचान की आवश्यकता होती है। आई.आई.टी.-हैदराबाद, जिसे नए आई.आई.टी. में अधिक सफल माना जाता है, ने संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं में 530 से 1000 रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को अपने यहाँ नामांकन का अवसर प्रदान किया है। यह बी.टेक. बैचों का लगभग 70 प्रतिशत रखने में कामयाब रहा। कुछ अभिनव कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें युवा संकाय सदस्यों को अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं की स्थापना करने और एक नया शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करने में सक्षम बनाना शामिल है। भारत में गुणवत्ता प्रबंधन और इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए अधिक सीटें बनाने की तत्काल आवश्यकता है और केवल नए आई.आई.टी. का खुलना और उन्हें राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा प्रदान करना इसे प्राप्त करने की गारंटी नहीं हो सकता है।

संस्थानों को आई.आई.टी. ब्रांड नाम में फिट बैठने वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए, उन्हें गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी और यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका स्थापित संस्थानों को आई.आई.टी. में पदोन्नत करना है; और अस्पष्ट स्थानों पर नए मॉडल स्थापित करने के बजाय रूड़की और वाराणसी मॉडल का पालन किया जाए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, महोदय।

20-03-2020

[हिन्दी]

डॉ. सुकान्त मजूमदार (बालूरघाट): महोदय, आपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

यह जो बिल आज लाया गया है, इसमें पाँच और संस्थानों को हम इस बिल के द्वारा वैधानिक दर्जा दे रहे हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी डिग्री या हायर एजुकेशन, जो पीएचडी वगैरह है, वे डिग्री वे दे पाएंगे। इसके साथ डूअल डिग्री कोर्सेज जो हैं, उन्हें भी वे चला पाएंगे। गवर्नमेंट ने जो यह निर्णय लिया है, मैं गवर्नमेंट के इस निर्णय को सपोर्ट करता हूँ और इस बिल को सपोर्ट करता हूँ।

दो-चार सवाल हमारे ऑपोजीशन बेंच की तरफ से भी आए हैं। उसके बारे में थोड़ा एच.आर.डी.मंत्रालय और गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि [अनुवाद] हाल के वर्षों में, बहुत सारे निजी कॉलेज पहले ही बंद हो चुके हैं। उनके पास ये कोर्स थे। [हिन्दी] क्या मार्केट में डिमांड है? मंत्री जी ने बताया है कि जो छात्र ट्रिपल आई.टी. से पढ़ कर निकले हैं, उनमें ज्यादातर लोगों को जॉब मिल गई है। यह बहुत अच्छी बात है। [अनुवाद] चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्री यहां मौजूद हैं, इसलिए मैं भारत में उच्च शिक्षा की समग्र स्थिति पर बोलने का अवसर लेता हूं। [हिन्दी] पहले तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए।

महोदय, इस हाउस के माध्यम से इस डिबेट को ओरिजिनेट करना चाहता हूं कि [अनुवाद] उच्च शिक्षा सभी के लिए है या नहीं। [हिन्दी] अगर यह होना चाहिए तो इसमें कितने पैसे जाते हैं और उस पैसे से सिर्फ एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम. की जो डिग्री के कागज मिलते हैं, क्या वे ही काफी हैं? जो रिसर्च है, जहां हायर एडुकेशन के प्राण बसते हैं, जो उसकी आत्मा है, उस रिसर्च में दिनों दिन हम बहुत पीछे जा रहे हैं। जैसा कि मेरे से पूर्व मेरी पार्टी के बृजेन्द्र सिंह जी बोल रहे थे कि हमारे यहां बहुत कम साइंस के ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं। वे इसमें नहीं आते हैं क्योंकि हर जगह यूनिवर्सिटी है।

मैं भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। यूनिवर्सिटीज में लैब्स नहीं होते हैं और आपको वर्ल्ड क्लास जर्नल में पब्लिश करने के लिए कम्पीट करना पड़ता है, [अनुवाद] विशेषकर विज्ञान के मामले में। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कितना पैसा लगा रहे हैं? [हिन्दी] अगर आप बेसिक साइंस की डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो साइंस की दुनिया में कोई आपको नहीं पहचानेगा। अगर आपको सुपर पावर बनना है तो वह साइंस के थ्रू ही बनना है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यह जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, इसमें आई.टी. है और उसके साथ बेसिक साइंस भी है। आज कितने साल हो गए, इस बेसिक साइंस में हमें नोबल पुरस्कार नहीं मिला। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि इतने सालों में हम साइंस में नोबल पुरस्कार क्यों नहीं ला पा रहे हैं? हमारे रिसर्च में इन्नोवेटिव थिंकिंग है। पिछले कुछ सालों में हमने इसमें बहुत उन्नति की है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से हाउस से और माननीय मंत्री जी से बोलना चाहता हूं, यह सुनने में सबको अच्छा लगेगा कि पियर ट्रिब्यूट जर्नल में पब्लिकेशंस की संख्या के मामले में चीन को पछाड़ कर हम थर्ड पोजीशन में आ गए हैं। यह बहुत अच्छा अचीवमेंट है। जो आई.आई.टीज़. हैं, आई.आई.आई.टीज़ हैं, आई.आई.एस.ई.आर्स. हैं, सभी साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी में अच्छा पब्लिकेशंस कर रहे हैं, लेकिन हमें इसमें और बेहतर करना चाहिए क्योंकि जो रिसर्च है, वह इन्नोवेटिव थिंकिंग के अलावा आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए इन्नोवेटिव थिंकिंग पर जोर देना चाहिए। आई.आई.आई.टीज़ इस गैप को फिल-अप कर रही है। प्राइवेट सेक्टर की जो डिमांड है और हमें क्या पढ़ाया जा रहा है? हमारे ऑपोजीशन बेंच की तरफ से यह इंफॉर्मेशन आई है कि उनका जो रेवेन्यू है, उसका 5 प्रतिशत उन्हें इस्तेमाल करना पड़ता है, [अनुवाद] नए नौकरी चाहने वालों को प्रशिक्षण देने के लिए। [हिन्दी] इसके बारे में सोचना चाहिए।

अन्त में, मैं इतना बोलना चाहता हूं कि हमारे स्टेट में भी कल्याणी में एक ट्रिपल आई.टी. है। पर, प्रॉब्लम यही है कि हमारे स्टेट में जो डेवलपमेंट होता है, वह स्टेट के सबसे बड़े शहर कोलकाता में होता

है। हमें एक एम्स मिला था। उसे भी कल्याणी ले जाया गया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से डिमांड करता हूं कि मेरे उत्तर बंगाल क्षेत्र से अभी एक शांति स्वरूप भटनागर एवार्डी हैं, जो अभी सी.डी.आर.आई. के डायरेक्टर हैं। लेकिन, हमारे यहां कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आप उत्तर बंगाल के बारे में सोचिए। वहां बहुत अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है, उसका यूज कीजिए।

20-03-2020

[अनुवाद]

श्रीमती गोड्डेति माधवी (अराकु) : माननीय सभापति जी, मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2020 पुर:स्थापित करने पर सरकार को बधाई देती हूँ।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह विधेयक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 में संशोधन करता है।

यह बताना महत्वपूर्ण है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत स्थापित कुछ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। अधिनियम के तहत, 15 संस्थानों को वर्तमान में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में शामिल किया गया है।

अब उक्त विधेयक सूरत, भोपाल, अगरतला और रायचूर में सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली के तहत स्थापित पांच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (ट्रिपल आई.टी.) को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के तौर पर घोषित करने का प्रयास करता है।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

वर्तमान में, ये संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत हैं और उनके पास डिग्री या डिप्लोमा देने की शक्तियां नहीं हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किए जाने पर, पांच संस्थानों को डिग्री प्रदान करने की शक्ति प्रदान की जाएगी जो एक बहुत ही विचारशील और सराहनीय विचार है जिसे सरकार इस विधेयक के प्रावधानों के माध्यम से मूर्त रूप देने का प्रस्ताव करती है।

20-03-2020

प्रस्तावित विधान स्पष्टता के लिए 'निर्वाचित' शब्द को 'नामांकित' के द्वारा प्रतिस्थापित करके भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 के तहत एक बड़ी त्रुटि में सुधार का भी उपबंध करता है।

माननीय सभापति, विधेयक के प्रावधानों की आवश्यकता या प्रभाव के बारे में बात करते हुए, मैं यह बताना चाहता हूं कि विधेयक पी.पी.पी. मॉडल वाली शेष 5 आई.आई.टी. को मौजूदा 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी मॉडल वाले राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करने के साथ-साथ उन्हें डिग्री प्रदान करने की शक्ति भी देता है। इसका प्रभाव यह होगा कि इससे उन्हें किसी विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय महत्व के संस्थान द्वारा जारी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या पी.एच.डी. डिग्री के नामकरण का उपयोग करने का अधिकार मिल जाएगा। यह संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश में एक मजबूत अनुसंधान आधार के विकास के लिए आवश्यक पर्याप्त छात्रों को आकर्षित करने में सक्षम बनाएगा।

महोदय, कई गुना प्रभाव और लाभों के बारे में बात करते हुए, मैं एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि देकर और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करके अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि, परिकल्पना सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई है, सार्वजनिक निजी भागीदारी (आई.आई.टी. पी.पी.पी.) मॉडल में 20 नई आई.आई.टी. की स्थापना की योजना के तहत 26.11.2010, 15 आई.आई.टी. पहले से ही ट्रिपल आई.टी. (पी.पी.पी.) अधिनियम, 2017 द्वारा कवर किए गए हैं, जबकि शेष 5 आई.आई.टी. को अधिनियम की अनुसूची में शामिल किया जाना है।

<u>अपराह्न 3.03 बजे</u> **(श्री भर्तृहरि महताब *पीठासीन हुए*)**

वर्ष 2014 का भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 भारत सरकार की अनूठी पहलें हैं जो देश के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करने का उपबंध करती हैं। धन्यवाद।

माननीय सभापति : अगले वक्ता श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर हैं। चूंकि माननीय मंत्री को अपराह्न 3 बजे उत्तर देना था और हमें इस विधेयक को अपराह्न 3.15 बजे तक समाप्त करना है और बुद्धिमान वक्ता केवल तीन मिनट ही बोलते हैं।

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, आपके सुझाव अनुसार। महोदय, मैं इस विधेयक के प्रावधानों से सहमत हूँ। लेकिन मैं एक ऐसी बात कहना चाहूंगा जिसे मैं बहुत शिद्दत से महसूस करता हूं और वह यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक दूरदृष्टि और मजबूत दृष्टि का अभाव है। हम अपनी ताकत को नहीं समझते हैं। यह शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का युग है। यह ज्ञान आधारित समाज का युग है। जहां तक शिक्षा का संबंध है इस अजीब स्थिति में, भारत पूरी दुनिया को नेतृत्व दे सकता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में, क्या हम इसके लिए सक्षम हैं? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली विकसित और उस स्तर तक पहुंच सकती है? इसका खुले दिमाग से परीक्षण किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमने अपने लिए जिस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए, वह भी खराब है। मैं माननीय मंत्री को जानता हूं, चूंकि मैंने उनके साथ एक समिति में काम किया है, वह बहुत ऊंची सोच वाले व्यक्ति हैं। मैं यह क्यों कह रहा हूं कि हमने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, वे निम्न हैं? इस नई विश्व व्यवस्था में हमें बहुत सारे अवसर मिले हैं। हमारी योजना भी ऐसे अवसरों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा क्षेत्र में सुधारों की तीव्र रूप से आवश्यकता है। पहले

कहावत थी 'योग्यतम की उत्तरजीविता होती है' लेकिन अब यह 'तीव्रतम की उत्तरजीविता होती है' में बदल गई है। सरकार को तेजी से आगे बढ़ना होगा। हमारी योजना के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी महत्वाकांक्षा उच्च होनी चाहिए। हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय राष्ट्रपति, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम छात्रों को सपने देखने की सलाह देते थे।

उन्होंने कहा कि शिक्षा में लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। तो, मैं बस यही कह रहा हूं कि हमें इस तरह की सभी चीजों में बहुत सावधान रहना होगा।

किसी देश का आकलन ये देखकर नहीं किया जाता कि उसके पास कितनी संस्थाएं हैं। दूसरी ओर, इसका आकलन इस बात से किया जाता है कि आंतरिक युग की प्रतिस्पर्धात्मकता से लड़ने के लिए किसी देश के पास चुनौतियों का सामना करने के लिए कितने संस्थान हैं। इस संबंध में, पाठ्यक्रम तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से, हमारे देश में उभरती पीढ़ी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए, हमें इस बारे मे भी सोचना होगा। इसी तरह, मैं माननीय मंत्री को बताना चाहूंगा कि उनका विभाग मानव संसाधन विकास के नाम से जाना जाता है। आम तौर पर राज्यों में इसे शिक्षा विभाग के रूप में जाना जाता है। एच.आर.डी. का मतलब, मानव संसाधन विकास हैं। लेकिन हो क्या रहा है? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं माननीय मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि हमें अपने देश को पानी की कमी वाले डिब्बे में नहीं डालना चाहिए। हमारे पास शिक्षा क्षेत्र में एक उदार नीति और व्यापक मानसिकता होनी चाहिए। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा: 'जहां तक भारतीय शिक्षा प्रणाली का संबंध है, आदर्श ही मार्गदर्शक कारक होने चाहिए। उन्होंने यह भी कहा: एक विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, तर्क, विचारों के साहसिक कार्य और सत्य की खोज के लिए खड़ा होता है। यह उच्च उद्देश्यों के साथ मानव जाति की प्रगति का प्रतीक है।" ... (*व्यवधान*) मैं अभी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

इसलिए, मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे पास एक उदार नीति होनी चाहिए। माननीय मंत्री उदार हैं, लेकिन पूरी सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए। वास्तव में, यह हो रहा है कि उनके अच्छे विचार और उदार मानसिकता हमारे शैक्षिक क्षेत्र में सिकुड़ रही है।

समापन करने से पहले, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि शैक्षणिक प्रणाली, विशेषकर उच्च शिक्षा में आरक्षण सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

प्रो. एस. पी. सिंहबघेल (आगरा): माननीय अध्यक्ष, मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक के पुरजोर समर्थन मे अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, पांच संस्थान सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचुर इसकी कवरेज में आ जाएंगे। मैं जिस राज्य से आता हूं, जिस शहर से आता हूं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सातवां राज्य है। चेयरपर्सन साहब ने कहा था कि प्रयागराज में पहला संस्थान खुला था, प्रयागराज में पहला खुलना ही चाहिए था, क्योंकि ऋषि भारद्वाज जी ने ही पुष्पक विमान का निर्माण किया था। उनको श्रद्धांजलि देने हेतु यह संस्थान खुलना ही चाहिए था।

हमारे राज्य में लखनऊ में निजी और प्रयागराज में सरकारी संस्थान है। लखनऊ के बाद सहारनपुर, गाजियाबाद और बागपत तक उत्तरप्रदेश है, जिसमें बृज क्षेत्र है, अवध क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र है, ये जिले अपने आप में कई राज्यों के बराबर हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु आगरा है, इसलिए मेरा निवेदन है कि आगरा में संस्थान खोलने का कष्ट करें।

ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। इसमें 30-40 विश्वविद्यालय बन गए हैं, माननीय मंत्री जी इसे सैंटर यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे, तो बहुत कृपा होगी। आगरा कॉलेज वर्ष 1823 से है। तब उत्तर प्रदेश में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं था, यह कोलकाता विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड था, उसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दें तो बहुत कृपा होगी।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में हमारी धमक ट्रिपल आईटी और आईआईटी की वजह से है। मैं सिंगापुर गया, तो एक ने मुझे देखकर कहा कि आईटी, आईटी, आईटी। उसने कहा,- [अनुवाद] शक्ल तो आई.आई.टियन जैसी है, लेकिन उनका पहनावा आई.आई.टियन जैसा नहीं है। [हिन्दी] मैं कुर्ता-पजामा पहने था। हमारी पहचान चेहरे से आजकल आईटी के रूप से होती है। राइट ब्रदर्स ने जहाज बाद में बनाया, हमारे पास आईआईटी नहीं थी, लेकिन पहले यह बन चुका था। बुलेट प्रूफ जैकेट कर्ण के पास पहले थी, दुनिया ने बाद में बनाई। फायर प्रूफ जैकेट होलिका जी के पास पहले थी, दुनिया में बाद में बनी। ब्रह्मास्त्र और अग्नि बाण हमारे पास पहले से था, परशुराम जी ने बनाया था, अमेरिका ने बाद में मिसाइल बनाई।

अगर सूचना प्रौद्योगिकी की बात करूं तो जब कंस अपनी प्यारी बहन देवकी को लेकर मथुरा जा रहे थे तो आगरा के पास ही आकाशवाणी हुई थी कि तुम जिसको लेकर जा रहे, उसका आठवां पुत्र तुम्हें मारेगा, इस प्रकार मार्कोनी ने वॉयरलेस बाद में बनाया, रेडिया बाद में बना। अगर आप नारद जी को देखेंगे तो, जहां भी कोई घटना होती थी, नारद जी वहां पहुंच जाते थे। इस प्रकार सूचना की तकनीक में हम बहुत आगे थे। हमारे पुरखों ने जो गौरवशाली परम्परा रखी है, हम विश्व गुरु थे, आज नहीं हैं, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में और बीजेपी सरकार के नेतृत्व में निश्चित तौर पर हम सूचना तकनीक में भी विश्व गुरु बनने का काम करेंगे। ...(व्यवधान) मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे बैच में एकाध लड़का इंजीनियर बनता था और जब हम जॉब में आए तो पूछते थे कि इंजीनियर का घर कौन है, तो लोग बताते थे कि पीली वाली कोठी इंजीनियर का घर है। आज पूछते हैं

कि इंजीनियर साहब का घर कौन हैं, तो कहते हैं कि वे झोपड़ी में, किराए पर रह रहे हैं, क्योंकि वे अन-एम्पलॉयड इंजीनियर हैं। केवल उनके नाम के आगे इंजीनियर लग जाता है, लेकिन जॉब नहीं मिलता है। आईआईटी और ट्रिपल आईटी ने जो अपना स्टैंडर्ड बरकरार रखा है, आपसे अनुरोध है कि उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

[अनुवाद]

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका (कोरापुट): महोदय, मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ जो पांच ट्रिपल आई.टी. को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में लाता है जो कि सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में हैं। मेरे पास माननीय मंत्री जी को देने के लिए कुछ सुझाव हैं।

सबसे पहले, वितरण काफी एकतरफा है। हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, यू.पी., एम.पी. है जिसमें दो ट्रिपल आई.टी. हैं लेकिन पंजाब, ओडिशा, गोआ, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और मिजोरम जैसे कई राज्यों में एक भी नहीं है। तो, ट्रिपल आई.टी. का समान वितरण होना चाहिए। हमारे पास पांच और ट्रिपल आई.टी. की गुंजाइश है जो आ रहे हैं। आप उसी पर विचार कर सकते हैं।

ट्रिपल आई.टी. की बहुत धीमी प्रगति है और दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम अभी भी नहीं किया गया है। अवसंरचना के लिए निधि उपलब्ध नहीं है और परिसर भी अस्थायी हैं। उदाहरण के लिए, त्रिची और रायचूर में अस्थायी परिसर हैं। वित्तपोषण बढ़ाने की जरूरत है।

मैं सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी विषयों पर आऊंगा क्योंकि मेरे पास सूचना प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि है। दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक रोजगार का मुद्दा है और दूसरा रोजगार योग्य होने का मुद्दा है। जब मैं रोजगार के मुद्दे की बात करता हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के दस लाख इंजीनियर हैं जो रोजगार के बिना हैं। करीब 15 से 20 प्रतिशत छात्र आई.आई.टी. में अब तक कैम्पस प्लेसमेंट की सुविधा से वंचित हैं। यह एक बड़ी समस्या है।

मैं इसका कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक वैश्विक विकास मॉडल के साथ शुरू हुई थी, जो मूल रूप से नारायण मूर्ति के तहत विप्रो और अन्य जैसे लागत मध्यस्थता पर आधारित है। वे अन्य विकसित देशों की तुलना में सस्ते श्रमिक की व्यवस्था करते थे

और हमारे यहां तेजी आई लेकिन धीरे-धीरे, जब उन्होंने अधिक से अधिक लोगों को शामिल करना शुरू किया, तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आई।

मैं खुद एक मैनेजर था। मैं अपने संस्थान में भर्ती के लिए लोगों का साक्षात्कार लेता था। मैंने देखा कि वे कभी भी भौतिकी या गणित की अवधारणा को नहीं समझते हैं, इंजीनियरिंग अवधारणाओं को तो भूल ही जाए। प्रमुख संस्थान उन इंजीनियर्स को प्रशिक्षित करने में पाँच प्रतिशत अपनी आय का खर्च करते हैं जो प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज से स्नातक हो चुके हैं। यह कुछ ऐसा है जिसके साथ हम दिन-रात संघर्ष करते रहेंगे। मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊंगा।

माननीय सभापति जी: आँकड़ों में न जाएं। कृपया अपनी अंतिम बात कहें।

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका : महोदय, 80 प्रतिशत भारतीय इंजीनियर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में नौकरी पाने लायक नहीं हैं। …(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि अपने मुख्य बिंदु पर आएं ताकि आप विषय से संबंधित मुद्दे को बता सके।

श्री सप्तगिरी शंकर उलाका : महोदय, क्योंकि हम संकट में हैं अत: मैं सरकार की समस्या के समाधान में मदद करना चाहता हूं।

महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम उस संकट को हल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हम हैं। हम लागत अंतरपणन या ऐसी चीज में नहीं हैं। आई.आई.टी. में ए.आई. और मैकेनिकल शिक्षा तथा ब्लॉक चेन की पढ़ाई के मामले में, हम अन्य विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं हैं। वियतनाम, मलेशिया और अन्य देश हैं जो भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं क्योंकि वह लागत आर्बिट्रेज अब नहीं रही। हमें पाठ्यक्रम विकसित करने की आवश्यकता है। हमें कॉलेजों

को बदलने की आवश्यकता है और हमें इन कॉलेजों को उद्योग के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करना चाहूंगा लेकिन जब तक आप उद्योग को तकनीकी शिक्षा में शामिल नहीं करते हैं तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं और आपको शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तर्कसंगत रूप से सोचना चाहिए।

20-03-2020

अपराह्न 3.15 बजे

[13**]**श्री गिरीश भालचन्द्र बापट (पुणे):** माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस ट्रिपल आई.टी. विधेयक का समर्थन करता हूं। आपने पूरे देश में 15 संस्थानों को मंजूरी दी है और आपने इस संस्थान को पुणे में भी मंजूरी दी है। आपकी मंजूरी के बाद ही राज्य सरकार ने उनके संस्थान के लिए भूमि आवंटित की थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से इसके लिए प्रयास किया और कई पत्र लिखे। पुणे को आई.टी. हब के रूप में जाना जाता है और इस तरह के संस्थान की वहां बहुत आवश्यकता है। लेकिन मैं इस संस्थान के भाग्य के बारे में पूरी तरह से अनजान हूं क्योंकि मुझे भविष्य के घटनाक्रमो के बारे में नहीं पता है। समय की कमी के कारण मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय राज्यमंत्री हमारे महाराष्ट्र राज्य का प्रतिनिधित्व करते है और इसलिए मैं उनसे अपनी सुविधा के अनुसार इस संबंध में एक बैठक बुलाने का अनुरोध करना चाहता हूं। इस संस्थान को जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। मुझे पता चला है कि एक बिल्डर ने उस जमीन का अतिक्रमण कर लिया है। इसलिए मैं संबंधित प्राधिकरण से इस मामले को देखने और वास्तविक स्थिति जानने के लिए एक बैठक बुलाने का अनुरोध करना चाहता हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

माननीय सभापति जी : आपने अपनी बात कह दी है। धन्यवाद।

अब, श्री पी.रविन्द्रनाथ कुमार।

[13*] मूलतः मराठी में दिए गए भाषण का अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री पी.रविन्द्रनाथ कुमार : धन्यवाद माननीय सभापति महोदय कि अपने मुझे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री, श्री रमेश पोखरियाल निशंकजी, के मानव संसाधन विकास, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 में संशोधन करने के प्रति कदमो का स्वागत करता हूँ।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ क्योंकि इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी में नया ज्ञान विकसित करना, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वैश्विक मानकों की जनशक्ति प्रदान करना और ऐसे संस्थानों या उसके आनुषंगिक से जुड़े कुछ अन्य मामलों का उपबंध करना है।

इस समय, हालांकि मेरे राज्य तमिलनाडु में कच्चेपुरम और त्रिची में पहले से ही आई. आई.टी. हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एच.आर.डी. के लिए एक विनती करता हूँ, और मेरा निवेदन है कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र थेनी में पीपीपी मॉडल के आधार पर एक और आई.आई.टी. स्थापित की जाए। यह उपाय तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी हिस्से से उपयुक्त छात्रों को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समान अपने अनुसंधान और उच्च शिक्षा का सुयोग प्रदान करेगा।

महोदय, डी.एम.के. से मेरे सहयोगी, डॉ. कलानिधि वीरास्वामी ने कहा कि तमिलनाडु सरकार विद्यालयों को बंद कर रही है और टी.ए.एस.एम.ए.सी. खोल रही है। यह सच नहीं है। वह इस सभा में गलत बयान दे रहे हैं। तमिलनाडु सरकार विद्यालयों और छात्रों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। तमिलनाडु सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, श्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी, के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र और छात्रों के विकास के लिए 30,000 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यय कर रही है।

माननीय सभापति : यह मंत्री जी के लिए और सरकार के लिए भी एक अच्छा सुझाव है।

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार : महोदय, डी.एम.के. टी.ए.एस.एम.ए.सी. खोलने के बारे में बात कर रही है लेकिन वे शराब का निर्माण कर रहे हैं। ...(*व्यवधान*) डी.एम.के. के नेता शराब की भट्टियां चला रहे हैं, और टी.ए.एस.एम.ए.सी. को शराब बेच रहे हैं। …(*व्यवधान*)

माननीय सभापति: अब, मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार : महोदय, मैं बस समाप्त कर रहा हूं।

महोदय, यह विधेयक मार्ग प्रशस्त करता है जिसके परिणामस्वरूप इस प्रौद्योगिकी की जटिलता बढ़ती है। इसलिए यह जानना समय की आवश्यकता है कि हम सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन की सफलता और लक्षित मूल्यों या इच्छित मूल्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। यह व्यवसाय अनिवार्य है। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री थोमस चाज़िकाडन (कोट्टायम): महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात का गर्व है कि 15 संस्थाओं में से एक संस्था केरल के पलाई जिले में है, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोट्टायम में है। इसे मेरे पूर्वज, श्री जोस के. मणि के प्रयासों से तत्कालीन माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा मंजूरी मिली थी, उन्हें चाहिए था कि कोट्टायम को उत्कृष्टता केंद्र और एक शिक्षा केन्द्र बनाया जाए। महोदय, मुझे खुशी है कि कोट्टायम में ट्रिपल आई.टी. स्थापित किया गया था। यह भी सराहना की जाती है कि सरकार ने पहले से मौजूद 15 ट्रिपल आई.टी. के अलावा पांच और ट्रिपल आई.टी. की स्थापना के लिए एक पहल की है। मेरा सिर्फ यह सुझाव है कि सरकार को उद्योगों और उत्कृष्ट संस्थानों के साथ संरेखण में आगे बढ़ना चाहिए, जो हम पहले ही कर चुके हैं। केरल में यह संस्थान भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, तिरुवनंतपुरम द्वारा समर्थित और आंशिक रूप से प्रबंधित है। वे सभी तकनीकी सहायता और प्रशासनिक मार्गदर्शन देते हैं।

माननीय सभापति : श्री थोमस, यदि आप एक मिनट के भीतर सुझाव दे सकते हैं, तो बेहतर होगा। अन्यथा, मुझे अगले वक्ता को बुलाना होगा।

श्री थोमस चाज़िकाडन: महोदय, मैं यही कर रहा हूं।

नए संस्थानों के साथ-साथ मौजूदा संस्थानों को इस उद्योग से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम आधुनिक बन सकें और छात्रों को भी सबसे आधुनिक सुविधाएं मिल सकें।

[14**]**डॉ. थोल तिरुमावलवन (चिदम्बरम):** माननीय सभापति महोदय, वणक्कम। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ। साथ ही, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। केंद्र सरकार यू.आई.डी.ए.आई. के माध्यम से सभी भारतीय नागरिकों की निगरानी और जासूसी करने में लगी हुई

[14*] मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जानकारी एक आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से प्राप्त की गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि आधार में पाई जाने वाली जानकारी का उपयोग केवल सामाजिक कल्याण योजनाओं के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आधार कार्ड की जानकारी न तो वोटर आई.कार्ड., बैंक कार्ड से लिंक होनी चाहिए और न ही निगरानी और जासूसी के लिए उपयोग में आनी चाहिए। निजी पत्रिकाओं में इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसका उपयोग मतदाताओं को वोट देने में असमर्थ बनाने के लिए किया जा सकता है। यह जानकर दु:ख होता है कि सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध हैं। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस सम्मानित सभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा था कि सरकार देश में व्यक्तियों की पहचान करने के लिए फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह गैरकानूनी है और माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। इसे रोका जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के बारे में व्यक्तिगत जानकारी उसकी गोपनीयता से संबंधित मामला है। इसी तरह किसी व्यक्ति की तस्वीर उसकी गोपनीयता से संबंधित है। इस पर कोई भी उल्लंघन अस्वीकार्य है। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा सुनिश्चित करे। मैं इसे माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस पर रोक लगे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

माननीय सभापति: श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल, एक मिनट में अपनी बात बोलिए, जस्ट सजेशन्स दीजिए।

श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल (जलगाँव): सर, मैं केवल एक मिनट लूंगा। सर, मैं ट्रिपल आई.टी. लॉज (अमेंडमेंट) बिल को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज मुझे डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो आद्य अभियंता हैं, की याद आ रही है। आज अपने देश में ऐसे पांच इंस्टीट्यूट पीपीपी मोड पर शुरू होने

जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्राब्लम यह है कि इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, टेक्नोक्रैट्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन [अनुवाद] वे बिना किसी व्यावहारिक अनुप्रयोग के केवल सैद्धांतिक ज्ञान ले रहे हैं। [हिन्दी] उनकी प्रैक्टिकल एप्रोच नहीं है। मैं सरकार का अभिनंदन इसलिए कर रहा हूं कि यह [अनुवाद] पी.पी.पी. मॉडल वास्तव में इंजीनियरों और टेक्नोक्रेट्स को व्यावहारिक दृष्टिकोण देगा, क्योंकि यही समय की मांग है।

[हिन्दी] सर, पहले बोलते थे कि ऑयल पर वार होने वाली है, बाद में बोलते थे कि वाटर पर वार होने वाली है लेकिन [अनुवाद] अगला युद्ध सूचना और डेटाबेस पर होगा। इसलिए इन ट्रिपल आई.टी. को पी.पी.पी. मोड स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। [हिन्दी] देश के लिए एक सही दिशा में, राष्ट्रीय महत्व के इश्यू की दृष्टि से सरकार बहुत अच्छा कदम लेने जा रही है।

मैं जलगांव से आता हूं, जो जीरो का इन्वेंशन करने वाले भास्कराचार्य का स्थान है। मैं यह नहीं बोलूंगा कि वहां पर ट्रिपल आई.टी. खोलिए [अनुवाद] लेकिन मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि, कम से कम, वहां एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाना चाहिए और व्यवसाय प्रसंस्करण कार्यालय भी वहां स्थापित किए जाने चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): श्री सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान जो कि तिरुवनन्तपुरम में एक स्वायत्त संस्थान है, को भविष्य में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का सुझाव देना चाहूंगा कि कम से कम उसे संस्था मान्यता प्रदान की जाए, जिसके लिए मैंने पहले ही संशोधन के लिए एक सूचना दी है।

यह पांच और संस्थानों को संवैधानिक मान्यता दे रहा है। अब कुल संख्या लगभग 20 संस्थानों, अर्थात हमारे देश में 20 ट्रिपल आई.टी. होंगे जिनका राष्ट्रीय गुरुत्व और महत्व होगा। इस संस्थान के मुख्य दो उद्देश्य हैं: 1) आई.टी. के क्षेत्र में विशेषज्ञ ज्ञान प्रदान करना, ताकि देश के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान किया जा सके, और 2) आई.टी. उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय मानक के कुशल मानव संसाधन प्रदान किए जा सके। महोदय, संस्थानों को शब्दावली बी.टेक., एम.टेक., यहां तक कि पी.एच.डी. का भी उपयोग करने का अधिकार है। शासक मंडल को दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम सहित नए पाठ्यक्रम शुरू करने का भी अधिकार है। तो, इन संस्थानों को ऐसा सशक्तिकरण दिया जा रहा है।

मैं इस संबंध में दो से तीन मुद्दों को उठाना चाहता हूँ। सबसे पहले शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में। शिक्षा की गुणवत्ता देश के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है। फिर, नई शिक्षा नीति जिसका मसौदा पहले ही परिचालित किया जा चुका है, भी उच्च शिक्षा और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने पर जोर दे रही है। मेरा कहना है: कि क्या ट्रिपल आई.टी. में प्रदान की जा रही शिक्षा के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए कोई गुणवत्ता मूल्यांकन समीक्षा तंत्र मौजूद है क्योंकि इन संस्थानों से निकलने वाले इन छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। इसलिए क्या इन 15 संस्थानों में, जिन्हें पहले ही राष्ट्रीय गुरुत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है, गुणवत्ता के बारे में ऐसा आकलन किया गया है। मेरा सुझाव है कि एक गुणवत्ता मूल्यांकन समीक्षा यांत्रिकी होनी चाहिए जिसमें ऐसी समीक्षा यांत्रिकी में भाग लेने का मंत्रालय और सरकार का भी कार्य हो।

मेरा दूसरा मुद्दा शुल्क संरचना के बारे में है। महोदय, आपने शुल्क संरचना के मुद्दे का भी उल्लेख किया है। हम जानते हैं कि जब यह एक पी.पी.पी. मॉडल होता है, खर्चे उन छात्रों द्वारा झेले जाते हैं, जो उन संस्थानों में अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए यह इस देश के गरीब और सामान्य लोगों को अलग कर रहा है। तो, गरीब मेधावी छात्र इन संस्थानों में प्रवेश कैसे प्राप्त कर पाएंगे क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? इसलिए मेरा सुझाव है कि शुल्क विनियामक प्रणाली होनी चाहिए। भारत सरकार इन संस्थानों को बजटीय सहायता प्रदान कर रही है। इसलिए, निश्चित रूप से सरकार को इन संस्थानों पर वित्तीय और सामाजिक नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि वे भारत सरकार के बजटीय समर्थन से संचालन, कार्य और परिचालन कर रहे हैं।

मेरा अंतिम मुद्दा, प्लेसमेंट के संबंध में है, जैसा कि प्रो. सौगत राय जी द्वारा पूछा गया है, इन 15 संस्थानों में प्लेसमेंट की दर क्या है, जो हमारे पास पिछले तीन से चार वर्ष पहले से ही इस रूप में मौजूद हैं? इन कुछ सुझावों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

20-03-2020

श्री हसनैन मसूदी (अनंतनाग): श्री सभापति महोदय, इस बात पर कोई जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्र के विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है।

अगर किसी राज्य का ट्रिपल आई.टी. के लिए बेहतर दावा है, तो वह जम्मू और कश्मीर है। लेकिन दुर्भाग्यवश जम्मू और कश्मीर को पीछे छोड़ दिया गया है। जम्मू और कश्मीर हस्तशिल्प, फल और पर्यटन उद्योग के निर्यात के माध्यम से बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है और इसे ट्रिपल आई.टी. की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में अधिक आवश्यकता है। हमें एक प्रशिक्षित कार्यबल और एक प्रशिक्षित जनशक्ति की आवश्यकता है ताकि निर्यात और राज्य के विकास में शामिल किए जाने वाले किसी भी आई.सी.टी. टूल्स को समेकित करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था हो।

इसलिए जब तक कोई संस्थान स्थापित नहीं हो जाता है, मैं अनुरोध करूंगा कि श्रीनगर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हजरतबल, को भी घोषित किया जाए और अधिनियम के अंतर्गत लाया जाए, और संवैधानिक मान्यता दी जाए ताकि हम जो इससे मानव संसाधन प्राप्त करते हैं, वह सिर्फ प्रशिक्षित न हों बल्कि आई.टी. विशेषज्ञों के बीच में मान्यता प्राप्त करें और राष्ट्रीय विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें। धन्यवाद।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): सभापति जी, मेरा कहना है कि प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू करने का समय हो गया है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद प्राइवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

माननीय सभापति : मुझे सदन का अभिप्राय समझने दीजिए। क्या इस विधेयक के पारित होने तक समय बढ़ाना ठीक है?

कुछ माननीय सदस्य: हाँ, महोदय।

माननीय सभापति: ठीक है। इस विधेयक के पारित होने के बाद हम गैर-सरकारी सदस्यों से संबंधित कार्य आरंभ करेंगे। हम इसे जल्द से जल्द पारित करेंगे।

20-03-2020

[हिन्दी]

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): माननीय सभापति जी, आपने मुझे इस संशोधन बिल के बारे में दो शब्द रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस संशोधन बिल के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

महोदय, पांच जगह में यह हुआ है और इससे देश भर के विद्यार्थियों को जरूर फायदा मिलेगा। लेकिन मैं जिस प्रदेश से आया हूं, उस प्रदेश का भी कहीं न कहीं अधिकार है। जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, उसमें झारसुगुड़ा एक जिला है। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रयासों के कारण हाल ही में वहां काफी कुछ हुआ है। ओडिशा में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां झारसुगुड़ा में हैं। वेदान्त एलमोनियम लिमिटेड है, महानदी कोयला कंपनी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट, पीएसयू भी झारसुगुड़ा में है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज झारसुगुड़ा में हैं और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस जिले के आसपास बहुत सारे विद्यार्थी बैंगलुरु, मद्रास, कोलकाता और दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यह भी यहां बताना चाहता हूं कि एक भी सरकारी कॉलेज झारसुगुड़ा में नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन माननीय मंत्री जी से है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी की एक संस्था झारसुगुड़ा में भी हो।

20-03-2020

[अनुवाद]

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): महोदय, सर्वप्रथम मैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2020 शीर्षक के तहत इस विधायी दस्तावेज के प्रति अपनी सकारात्मक सहमति दे रहा हूं।

विधेयक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 में संशोधन करता है। वर्ष 2010 में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक, 2010 लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक में चार ट्रिपल आई.टी. पर राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने की मांग की गई है। इसलिए यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसे उत्तरवर्ती सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है।

हां, भारत को दुनिया भर में सूचना प्रौद्योगिकी का *मक्का* माना जाता है क्योंकि हमने अपने देश के बेंगलुरु में सिलिकॉन वैली का एक लघु रूप स्थापित किया है। एक बार, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने अपने देशवासियों को सुझाव दिया था कि, 'यदि आपके पास अपेक्षित ज्ञान नहीं है, तो नौकरियां बेंगलुरु चली जाएगी।' इसलिए हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी के इस तरह के साम्राज्य को विकसित करने की क्षमता थी। एक समय की बात है, हमें ब्रिटिश साम्राज्यी शक्ति ने अपने पर्याप्त साधन और उनकी वैज्ञानिक शक्ति के कारण वश में किया था, जो हमारे पास उपयोग के लिए नहीं था। इसीलिए, वे अपनी वैज्ञानिक शक्ति से हमें अपने अधीन करने में सक्षम थे। लेकिन अब स्थिति 360-डिग्री एंगल से पुरी तरह बदल चुकी है। अब सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में भारतीय लोग पश्चिमी दुनिया में हावी हो रहे हैं। हमने दुनिया को अपने देश के सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद सुंदर पिचाई और सत्या नडेला का समर्पण किया। इसलिए, हमें अपने देश में और अधिक ट्रिपल आई.टी. और आई.आई.टी. आदि की आवश्यकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसे ज्ञान-आधारित उद्योग के रूप में मान्यता दी

जा सकती है। बिना दिखावा किए, हम एक ज्ञान-आधारित उद्योग स्थापित कर सकते हैं जो हमारे पास है।

महोदय, मुझे पता है कि समय की कमी है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो या तीन मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। यहाँ अव्यवस्थित वितरण है। आप 15 और पांच मतलब कुल 20 स्थापित कर रहे हैं लेकिन पूर्वी भारत के लिए आपको थोड़ा अधिक ध्यान देना चाहिए। यह हमारी मांग होगी।

दूसरा मुद्दा धीमी प्रगति है। स्थापित 20 ट्रिपल आई.टी. में से किसी ने भी अभी तक दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया है, अपर्याप्त अवसंरचना के कारण, जो धीमी गति से निर्धारित किया जा रहा है। तीसरा, एक गंभीर अवसंरचनात्मक संस्थागत अंतराल है। पी.पी.पी. मॉडल के अनुसार ट्रिपल आई.टी. को स्वायत्त, गैर-लाभकारी, आत्मनिर्भर और अनुसंधान-आधारित शैक्षणिक संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। हालाँकि, यह सभी संस्थान बिना किसी स्थायी परिसर के शुरू किये गए है।

[हिन्दी] मतलब आप काम करते हैं, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए आपको इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। जहां तक फंडिंग का सवाल है, [अनुवाद] मूल अधिनियम प्रावधान करता है कि संस्थान के पहले पाँच वर्षों के संचालन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा संस्थान को चलाने वाले खर्च के लिए वित्त प्रदान किया जाए। जिसका उल्लेख श्री भर्तृहरि महताब जी ने पहले भी किया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कई संस्थान अभी भी स्थायी परिसर के बिना काम करते हैं। केंद्र सरकार को आदर्श रूप से पूर्ण कार्यात्मक स्थायी परिसर के विकास के बाद पहले पांच वर्षों के दौरान आवर्ती व्यय के लिए धन प्रदान करना चाहिए, क्योंकि दूसरे परिसर में संक्रमण और निम्नलिखित अवधि चुनौतीपूर्ण हो सकती है।

अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि [हिन्दी] हम जो करते हैं वह अपने नौजवानों की नौकरी के लिए करते हैं। आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के बाजार में आईआईटी पास किए हुए लोग झाड़ू लगाने वाली नौकरी के लिए भी परेशान हैं। जो बच्चे आईआईटी पढ़ लेते हैं, [अनुवाद] भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 15-20 प्रतिशत स्नातकों को कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है। डिग्री प्रदान करने का दर्जा बेरोजगारी की समस्या को विशेष रूप से आई.टी. क्षेत्र में समाप्त नहीं करता है। तो, ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुझे लगता है कि मंत्री जी निश्चित रूप से विचार करेंगे। हम सभी इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं और इन संस्थानों की सफलता की कामना कर रहे हैं क्योंकि हमारा भविष्य सूचना प्रौद्योगिकी में निहित है लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है। अब, हमें रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग आदि से निपटना होगा। हमारी भावी पीढ़ी को दुनिया की उभरती हुई परिस्थितियों के लिए अच्छी तरह से तैयार रहने की आवश्यकता है।

20-03-2020

[हिन्दी]

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं भागलपुर जिले से हूं और केन्द्र सरकार जो पांच इंस्टिट्यूशंस, प्रॉमिनैंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रही है, आज उसमें भागलपुर भी इस बिल का पार्ट है। मेरा एक दर्द यह है कि बिहार राज्य है, भागलपुर मेरा जिला है और मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है कि मैं आज भी भागलपुर का वोटर हूं। मैं तीन बार झारखंड से सांसद चुना गया हूं। यहां बगल में मुंडा जी बैठे हुए हैं। मैं जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करता हूं, उसमें और बिहार में काफी फर्क है। हम झारखंड से सबसे ज्यादा पैसा देते हैं। इस देश का 40 प्रतिशत माइंस और मिनरल्स, उद्योग धंधे, जहां से पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, वह सारा क्रेडिट झारखंड और झारखंड के लोगों को जाता है, लेकिन आप मंत्रालय की तरफ से डिसक्रिमिनेशन देखेंगे, तो बिहार को दो केन्द्रीय विश्व विद्यालय दिए गए हैं, एक उत्तर बिहार में और दूसरा दक्षिण बिहार में। मसूदी साहब यहां बैठै हुए हैं। जम्मू में अलग विश्वविद्यालय है और श्रीनगर के लिए अलग विश्वविद्यालय हैं। यह सौभाग्य की बात है कि मैं विक्रमशिला में पैदा हुआ हूं, वह मेरा गांव है, वहां आज मेरे माता-पिता रहते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए भी माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है और उसका पैसा दिया हुआ है, लेकिन बिहार सरकार जमीन नहीं दे पा रही है, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं बन पा रहा है। यह एक ऐसा राज्य है, जहां तीन-तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। बगल में मुंडा जी बैठे हैं। झारखंड दो पठारों छोटनागपुर और संथाल परगना से मिल कर बना है। इंडस्ट्रीज की बात कर लीजिए, इंस्टिट्यूशन की बात कर लीजिए, कि सी भी सरकार को रांची से बाहर कुछ दिखाई नहीं देता है। मुंडा जी की कृपा है कि देवघर में बीआईटी चालू है। हमारा जो राज्य है, जहां देवघर है, जहां से मैं सांसद हूं, वहां रामकृष्ण मिशन वर्ष 1921-1922 में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर बना। वह इतना अच्छा स्कूल है कि माननीय मुख्य मंत्री जी से लेकर, बिहार, झारखंड और बंगाल के सभी पदाधिकारी सोचते हैं कि उनके बच्चे रामकृष्ण मिशन में पढ़ें। हमारे यहां इंडस्ट्रीज

आ रही हैं, अडाणी आ रहा है, पावर प्लांट आ रहा है, माननीय प्रधान मंत्री जी की कृपा से वहां पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आ रहा है। चूंकि झारखंड इस देश को चला रहा है, हमारे पास 40-42 प्रतिशत माइंस और मिनरल्स हैं। संथाल परगना सबसे पिछड़ा इलाका है, वहां डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं।

मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आप जिस तरह से बिहार में तीन विश्वविद्यालय दे रहे हैं, जम्मू-कश्मीर में दो विश्वविद्यालय दे दिए, भारत सरकार ने दो एम्स दे दिए, आज देवघर को एक ट्रिपल आईटी दीजिए। ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपकी डिमांड रिकॉर्ड में आ गयी।

...(व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : मैं भागलपुर के लिए एक बार पुन: आपको बधाई देता हूं कि मेरे गृह क्षेत्र, जन्म स्थान को आपने यह दिया। इसके लिए जय हिन्द, जय भारत।

20-03-2020

[अनुवाद]

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय सभापति जी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। लेकिन कुछ प्रश्न हैं जिन्हें मैं यहां रखना चाहूंगा।

इस विधेयक के अनुसार, उक्त अधिनियम, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड के तहत स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी के कुछ भारतीय संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। मैं यहां राष्ट्रीय महत्व की परिभाषा क्या है यह जानना चाहूंगा।

राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की परिभाषा के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व संस्थान वह है जो देश या राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर उच्च कुशल कर्मियों को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में योगदान देता है। यह परिभाषा कुछ भी कहे बिना बहुत कुछ कहती है।

महत्वपूर्ण संस्थान कौन है यह निर्धारित करने के लिए क्या दिशानिर्देश हैं? अत्यधिक कुशल कर्मियों की पहचान कैसे होती है? इसे निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि हमें यह मापदंड निश्चित करने की आवश्यकता है कि किस आधार पर हम इन संस्थानों का चयन राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में कर रहे हैं।

यह मेरा आखिरी मुद्दा है। [हिन्दी] सर, मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में तमाम ऐसे गरीब, पिछड़े वर्ग और दलित समाज के लोग हैं, जिनके बच्चों की कॉलेज की छात्रवृत्तियाँ अभी तक नहीं आई हैं। माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरा निवेदन है कि इसे देखते हुए उन लोगों को जरूर...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय सभापति जी : यह एक अनुरोध है और यह विधेयक से संबंधित नहीं है।

श्री रितेश पाण्डेय : जी, बिल्कुल। लेकिन मैं अनुरोध करना चाहूंगा। कृपया अनुमति दें और आश्वस्त करें कि इन लोगों को पैसा मिलेगा।

श्री डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस. (धर्मपुरी): वणक्कम सभापति जी।

महान दूरदर्शी, डॉ. कलिग्नर ने वर्ष 1998 में सूचना प्रौद्योगिकी नीति की शुरुआत की थी। सरकारी विद्यालयों में, हमने बहुत पहले वर्ष 1998 में ही कम्प्यूटर विज्ञान को एक विषय के रूप में शुरू कर दिया था, जिसे अब छात्र और यहां तक आई.टी. प्रोफेशनल भी भूल गए होंगे। वर्ष 2000 में, हमने तापीय ऊर्जा संग्रहण प्रणाली के साथ आई.टी. आई.टी.डी.ई.एल. पार्क की स्थापना की थी जो तब विश्व में तीसरी सबसे बड़ी प्रणाली थी। इसके बाद सिरुसेरी में 1,000 एकड़ में पार्क बनाया गया जिसका उद्घाटन हमारे नेता, थिरु स्टालिन ने किया था। फिर हमारे पास त्रिची-नवलपट्टू, तिरूनेलवेली, मदुरै और सेलम में आई.टी. पार्क हैं।

इसलिए, मैं यह जोर देना चाहता हूँ कि, आई.टी., ऊर्जा, और तकनीक में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ होने के बावजूद और इस क्षेत्र में प्रमुख होने के कारण, मुझे केंद्र सरकार से जानना है कि क्या उन्हें पता है कि ऐसे कुछ राज्य हैं, जिनमें तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, और आंध्र प्रदेश शामिल हैं, जो इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बजटीय आवंटन और रेलवे में हमारी लगातार उपेक्षा की जा रही है। कल जब आयुर्वेद से संबंधित विधेयक लाया गया था, तो कोट्टक्कल में किसी संस्था के गठन की बात नहीं की गई थी। इसलिए, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे हमारे बारे में विचार करें और वहां भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना करके कांचीपुरम और त्रिची में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करें।

साथ ही, मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत स्थापित किए गए इन संस्थानों में आरक्षण नीति का सख्ती से पालन किया जाए। इस अवसर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री अनुभव मोहंती, आपके पास डेढ़ मिनट का समय है। अन्य को केवल एक-एक मिनट का समय दिया गया।

श्री अनुभव मोहंती (केंद्रपाड़ा): महोदय, डेढ़ मिनट का समय ठीक है। मुझे अतिरिक्त 30 सेकंड देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।

मैं अपनी ओर से कुछ समस्याओं के बारे में बात करूंगा। महोदय, पाठ्यक्रम में समानता की कमी के कारण आई.आई.टी. और ट्रिपल आई.टी. जैसे संस्थानों के लिए प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने में छात्रों के सामने आ रही समस्याओं पर विचार करते हुए देश भर में एक समान पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। शुल्क संरचना का मानकीकरण होना चाहिए।

अब, मेरे पास कुछ प्रश्न हैं। पी.पी.पी. (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) मोड में पिछले सात वर्षों में ट्रिपल आई.टी. संस्थानों की स्थापना की गई है। इन संस्थानों को अवसंरचना के लिए रु.128 करोड़ का आवंटन किया गया है। इस राशि को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योगों के बीच बांटा जाता है। क्या एक अच्छे सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हेतु निधियों की पर्याप्तता के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है?

पहले चार वर्षों के दौरान, केन्द्र सरकार वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप हर ट्रिपल आई.टी. को आवर्ती व्ययों के लिए रु.10 करोड़ की आंशिक सहायता देगी। क्या यह संस्थान के लिए प्रारंभिक चरण को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है? क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है कि राजस्व निधि के अभाव में ये संस्थान किस प्रकार लम्बे समय तक टिके रहेंगे? क्या इन संस्थानों द्वारा प्रदान की जा रही शिक्षा की गुणवत्ता के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है? इन संस्थानों से स्नातकों के लिए रोजगार की स्थिति क्या है?

क्या ये संस्थान सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रदान किया गया अनुसंधान अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं? क्या सरकार ओडिशा राज्य में पी.पी.पी. योजना के अंतर्गत एक ट्रिपल आई.टी. स्थापित करने की योजना बना रही है? ओडिशा में, पी.पी.पी. योजना के अंतर्गत स्थापित एक संस्थान पहले से

ही है, जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है या नया स्थापित किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्व-रोजगार और उद्यमिता के महत्व पर विचार करते हुए, इन्क्यूबेशन सेंटर्स की आवश्यकता है जिसके लिए अतिरिक्त वित्तपोषण और उद्योगों की भागीदारी की जरूरत है।

महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरे ये कुछ प्रश्न हैं। मैं आशा करता हूं कि वह कुछ उत्तर देंगे जो ओडिशा राज्य और राष्ट्र को संतुष्ट करेंगे। धन्यवाद, महोदय।

माननीय सभापति: यहां वक्ताओं की एक अंतहीन सूची है। माननीय मंत्री जी समझ सकते हैं कि ट्रिपल आई.टी. से संबंधित बहुत कुछ रूचिपूर्ण है।

डॉ. सत्यपाल सिंह जी पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। वह भी इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं।

अब, डॉ. सत्यपाल सिंह जी।

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): धन्यवाद सभापति महोदय, इस विधेयक को लाने और साथ ही साथ इन प्रौद्योगिकी संस्थाओं के पाठ्यक्रम का उन्नयन कर उसे लगभग आधुनिक बनाने के लिए मैं माननीय मंत्री का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं बागपत क्षेत्र से आता हूं जो दिल्ली के आस-पास एनसीआर क्षेत्र का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर न राज्य स्तरीय कोई संस्थान है और न ही कोई अखिल भारतीय स्तर का संस्थान है। यह उन कुछ स्थानों में से एक है जिनके नाम महाभारत युग के बाद से हैं। इसे व्याघ्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आईआईटी हो या ट्रिपल आई.टी. इनमे से एक तकनीकी शिक्षा संस्थान की स्थापना वहां पर की जाए। धन्यवाद, महोदय।

20-03-2020

[हिन्दी]

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : श्रीमान, मैं आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर हो रही चर्चा में बड़ी उदारता से सभी लोगों को सहभागी बनाया।

श्रीमान्, सुरेश जी ने इस बिल पर चर्चा को शुरू कि या था। उसके बाद राम कृपाल यादव जी, प्रो. सौगत राय जी, विनायक राऊत जी, रामप्रीत मंडल जी, भर्तहरि महताब जी - श्रीमान स्वयं आपका मार्गदर्शन मिल रहा है, डॉ. वीरास्वामी जी, बृजेन्द्र सिंह जी, कुँवर दानिश अली जी, बी. बी. पाटील जी, डॉ. सुकान्त मजूमदार जी, श्रीमती गोड्डेटी माधवी जी, मोहम्मद बशीर साहब, एस. पी. सिंह बघेल जी, सप्तगिरी उलाका जी, गिरीश बापट जी, रविन्द्रनाथ जी, सी. थॉमस जी, तिरुमावलवन जी, उमेश पाटिल जी, आदरणीय प्रेमचन्द्रन जी, हसन साहब, सुरेश पुजारी जी, अधीर रंजन साहब, निशिकान्त जी, रितेश जी, सेंथिल जी, अनुभव जी और डॉ. सत्यपाल जी के सहित लगभग 30 लोगों ने चर्चा में भाग लिया।

श्रीमान्, इस बिल पर बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। जैसा कि सब लोगों की चिंता रही है, लगभग दो-तीन विषयों पर सबकी चिंता रही है। नंबर-एक चिंता रही है कि इसमें आरक्षण हो रहा है या नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2017 का जो एक्ट है, उसमें यह व्यवस्था है कि जो भी इस एक्ट से संचालित संस्थाएं होंगी, उनको इसका पालन करना पड़ेगा।

दूसरी बड़ी चिंता यह है कि हम लोग डिग्री तो दे रहे हैं, लेकि न जो रोज़गार के अवसर हैं, वे हम कैसे देंगे। मैंने पहले भी कहा कि इस देश में इतना खूबसूरत मॉडल शायद पहली बार आया है। उद्योगों के साथ राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर उन छात्रों को अवसर देगी। मैं चार्ट के बारे में बताऊंगा कि जो आईआईटीज़ और ट्रिपल आईआईटीज़ हैं, इन 25 संस्थानों में, आज के पांच संस्थान जोड़ने के बाद, पांच संस्थान सरकारी हैं और शेष 20 संस्थान पीपीपी मोड में हैं।

श्रीमान्, आपको यह जानकार खुशी होगी कि कुछ संस्थानों में 100 परसेंट प्लेसमेंट है। यदि टोटल में देखा जाए तो यह 70 प्रतिशत से अधिक है। ये प्रमाणित आंकड़े हैं। हमने यह जो मॉडल शुरू किया है, यह बहुत ही सफलतम है। मुझे यह कहते हुए भी बड़ी खुशी है कि हमारे आईआईटीज़, ट्रिपल आईआईटीज़, एनआईटी और आईएसआर जैसे संस्थानों ने पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण स्थानों को प्राप्त किया है।

श्रीमन्, बहुत सारे सदस्यों ने यह कहा है कि स्तर गिर रहा है। मैं उनके संज्ञान के लिए बताना चाहता हूं कि विश्व की रैंकिंग में हमारा स्थान गिर नहीं रहा है। मैं वर्ष 2013-14 का आंकड़ा देना चाहता हूं कि द टाइम्स रैंकिंग में हम 1000 में केवल 3 थे। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मोदी जी की सरकार आने के बाद अब हम 1000 में 56 हो गए हैं। यदि क्यू.एस. रैंकिंग में देखा जाए तो वर्ष 2015 में हम 1000 के अंदर सिर्फ 5 थे, लेकिन आज हम 1000 के अदंर 48 हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 के ही अंदर आए हैं, हम 500 के अंदर आ गए हैं, हम 200 के अंदर आ गए हैं।

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि 2-3 विषयों में अभी कुछ ही दिन पहले 50 के अंदर भी हमारी 3 संस्थाएं आ गई हैं। हम लगातार विश्व की रैंकिंग में बढ़ रहे हैं। यह इस बात का सबूत है कि हमारी उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है, विशिष्टता है, उसका दम पूरी दुनिया में है। हमारी आई.आई.टीज. ने, बहुत सारे लोगों ने यहां पर नाम लिए, समय के अभाव में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकि न मैं यह कहना चाहता हूं कि आज विश्व की शीर्ष कंपनियों में हमारी आईआईटी के अधिकांश लोग सी.ई.ओ. हैं। इसके प्रमाण हैं।

मैं समझता हूं कि उच्च स्तर पर हमारी गुणवत्ता गिर नहीं रही है। हम इसको पूरी ताकत के साथ बढ़ा रहे हैं। इस देश के अंदर लगभग 1 हजार विश्वविद्यालय हैं, लगभग 45 हजार डिग्री कॉलेजेज हैं, लगभग 16 लाख स्कूल्स हैं, 1 करोड़ से अधिक अध्यापक हैं और 33 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राएं हैं। अमेरिका की कुल जितनी जनसंख्या है, इस समय उससे ज्यादा हिन्दुस्तान के पास छात्र-छात्राएं हैं।

हमने इन संस्थानों, जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं, उनकी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए एक परामर्श कार्यक्रम रखा है। जो ऊपर की रैंकिंग वाला संस्थान होगा, उसके इर्द-गिर्द जो 5 से 7 संस्थान होंगे, उसकी जिम्मेदारी होगी कि वह उनको रैंकिंग पर लाए। जैसे बहुत सारे सदस्यों ने जिज्ञासा व्यक्त की और चिंता भी व्यक्त की है कि हमारा अनुसंधान नीचे गिर रहा है। श्रीमन्, ऐसा नहीं है, हम अनुसंधान में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि स्पार्क के तहत दुनिया के 127 विश्वविद्यालयों के साथ हम उच्च स्तर का शोध कर रहे हैं। हम स्ट्राइक के तहत, इम्प्रैस के तहत, इम्पैक्ट के तहत तमाम शोधों के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हम ज्ञान और ज्ञान प्लस को करके, जहां बाहर की फैकल्टी हमारे यहां आएगी, हमारी भी फैकल्टी ज्ञान प्लस के तहत पूरी दुनिया में जा रही है। श्रीमन्, हम स्टडी इन इण्डिया के तहत पूरी दुनिया में छा रहे हैं। अभी एशियाई देशों के 1 हजार से भी अधिक छात्र हमारी इन आई.आई.टीज. में शोध करने का अनुबंध विदेश मंत्रालय के साथ हो गया है। यह हमारे लिए गौरव का विषय है। हमारे जो आई.आई.टीज. संस्थान हैं, इनमें पूरी दुनिया आकर अनुसंधान करना चाहती है।

हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि नए भारत के निर्माण की जरूरत है। ऐसा भारत जो स्वच्छ भारत हो, सशक्त भारत हो, समृद्ध भारत हो, श्रेष्ठ हो। जिस तरीके से रास्ते बनाए हैं, मेक इन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, स्टार्ट अप इण्डिया, स्टैण्ड अप इण्डिया। श्रीमन् उसी का कारण है कि आज जो यह मॉडल दिया है, इसमें पाठ्यक्रम भी वह स्वयं तैयार करते हैं। आज तक यह होता था कि उद्योग एक तरफ रहता था और जो छात्र पढ़ रहा था, वह दूसरी तरफ रहता था। जो पढ़ रहा है, उनको जरूरत नहीं है और जो उनको जरूरत है, वह इधर नहीं है। हमने इस खाई को तेजी से पाटा है। हमने उद्योगों के साथ जुड़कर और वह स्वयं इस बात को तय करेंगे, इसलिए जहां केन्द्र सरकार है, वहां राज्य सरकार को जोड़ा है और जहां राज्य सरकार को जोड़ा है तो उद्योगों को भी जोड़ा है। इन तीनों की सहभागिता से पाठ्यक्रम तय करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वह इनके अंदर ऐसा

पाठ्यक्रम तय करे, ताकि शत प्रतिशत छात्रों को रोजगार उपलब्ध हो सके, वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

मुझे यह कहते हुए गौरव और खुशी महसूस हो रही है कि संस्थान में पढ़ाई पूरी कर उसे छोड़ने से पहले ही छात्र को नौकरी मिल रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जहां तक यह कहा गया है कि संस्थानों के अपने परिसर होने चाहिए, इनमें केवल चार के परिसर ही हैं, जो अस्थाई हैं, बाकी सबके स्थाई परिसर हैं। इस दिशा में बहुत तेजी से काम चल रहा है। जहां तक नि:शुल्क शिक्षा एवं एससी-एसटी के आरक्षण की बात है, उनको इन संस्थानों में नि:शुल्क अध्ययन कराया जा रहा है। श्री सुरेश जी ने इस बात की चिंता की थी कि इन संस्थानों में अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ दुर्व्यवहार होता है। श्रीमन हमने 'दीक्षारम्भ कार्यक्रम' तय कि या और इस सदन में मुझे यह कहते हुए गौरव महसूस होता है कि पिछले वर्ष ऐसी एक भी घटना नहीं हुई। हमने 'दीक्षारम्भ कार्यक्रम' की जिम्मेदारी परिसर को और पूर्व छात्रों को भी दी है।

महोदय, बहुत सारे बिंदु आए हैं, लेकि न मुख्यत: प्लेसमेंट, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, स्थाई परिसरों, तकनीकी के क्षेत्र में विकास आदि की बात हुई है। बहुत सारे सदस्यों के द्वारा उठाए गए अन्य सभी बिंदुओं के उत्तर भी मैं एक-एक करके देता, तो मुझे और भी गौरव होता। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे उच्च शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो या विज्ञान के क्षेत्र की शिक्षा हो, यह देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। हम उसके प्रमाण आपके सामने रख रहे हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे : विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में भी कुछ बोल दीजिए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो मैंने बोल ही दिया है। यहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ाया है। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि इस बिल को स्वीकृति प्रदान की जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : क्या आप बंगाल की बात नहीं करेंगे?

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : हम सब जगह की बात करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबका अभिनन्दन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : मेरा यह निवेदन है कि हमारे सांसदों ने कई सजेशन्स दिए हैं। आप कृपया व्यक्तिगत रूप से उनको लिखित में रिप्लाई दे दीजिए।

अपराह्न 3.58 बजे (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

माननीय अध्यक्ष: क्या कोई माननीय सदस्य कुछ बोलना चाहता है? अधीर रंजन जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

20-03-2020

श्री अधीर रंजन चौधरी : नहीं सर।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है :

''कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2014 का और संशोधन करने वाले तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (प्राईवेट-पब्लिक भागीदारी) अधिनियम, 2017 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। ''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 2014 के अधिनियम 30 की धारा 41 का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): मैं खंड 2 में संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

संशोधन संख्या 1 में, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि "नामनिर्दिष्ट" के बाद, हमें "लोक सभा द्वारा" अंत:स्थापित करना चाहिए क्योंकि माननीय अध्यक्ष को नामनिर्दिष्ट करने का पूर्ण अधिकार है। मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा किए गए नामांकन का सम्मान करता हूं। लेकिन जब भी नामनिर्देशन किया जाए और जब भी चुनाव आएं, छोटे दलों के जनप्रतिनिधियों को भी इन संस्थानों के लिए नामनिर्देशित करने पर विचार किया जाना चाहिए। मैं केवल यही सुझाव देना चाहूंगा। मैं इसे प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

20-03-2020

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

खंड 3 वर्ष 2017 के अधिनियम 23 की अनुसूची का संशोधन

माननीय अध्यक्ष: श्री रितेश पाण्डेय, क्या आप संशोधन संख्या 2 व 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री रितेश पाण्डेय : मैं खंड 3 में संशोधन संख्या 2 और 4 प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, क्या आप संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : मैं खंड 3 में संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत कर रहा हूं जो यह है कि केरल के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान, स्वायत्त शिक्षा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में घोषित किया जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूँ:

पृष्ठ 3, पंक्ति 5 के पश्चात्, निम्नलिखित *अंतःस्थापित करें*, --

“’7ख.	केरल	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध, स्वायत्तशासी शिक्षा संस्थान, तिरुवनंतपुरम	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, तिरुवनंतपुरम (3)	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, तिरुवनंतपुरम",'।

[हिन्दी] **माननीय अध्यक्ष:** अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

<u>संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खंड 1, अधिनियमन सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।</u>

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित कि या जाए।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए। "

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित कि या जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

<u>अपराह्न 4.01 ½ बजे</u>

गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प

1. बुन्देलखण्ड में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर 17, प्राइवेट संकल्प। बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण। मैंने आज व्यवस्था दे दी है कि माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल। आपका बुंदेलखंड से क्या संबंध है?

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): अध्यक्ष जी, मैं इनका साथ दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी द्वारा पेश कि ए गए संकल्प- बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की समस्या को दूर करने के लिए केन-बेतवा नदी संपर्क परियोजना द्वारा नहरों का निर्माण, की चर्चा पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। निश्चित

रूप से बहुत बड़ी चिंता हमारे पुष्पेन्द्र सिंह जी ने की है। बुंदेलखंड इलाके, छुट्टा गोवंश और पीने के पानी सहित सिंचाई के पानी की कैसे ठोस व्यवस्था हो, इसके लिए चिंतित नजर आए।

अध्यक्ष महोदय, यह बुंदेलखंड की नहीं, पूरे देश की समस्या है। वर्ष 2016 में नीति आयोग व यूएनडीपी के सौजन्य से प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में यह कहा गया था कि अन्ना प्रथा, उस प्रथा को संदर्भित करता है, जहां जानवर रबी की फसल की कटाई के बाद घूमने के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं। इस प्रकार की परम्परा के पीछे इतिहास यह है कि बहुत समय पहले चारा और पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता था तो कि सान लीन सीजन में अपने मवेशियों को चराने के लिए छोड़ देते थे। लेकिन आज के इस जल संकट के दौर में स्थितियां बदल गयी हैं, हर साल इस तरह से घूमने वाले मवेशी न केवल फसल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट कर देते हैं, बल्कि सड़कों पर एक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा कारण भी बनते हैं। नीलगाय सड़क पर चलते हुए आ जाती है। हम अखबारों के माध्यम से पढ़ते हैं, टेलिविजन और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि नीलगाय गाड़ी पर गिरी, मौतें हो गयीं, मोटरसाइकिल से टकराई, मौत हो गयी। इससे जान-माल की बहुत हानि होती है, यह समस्या केवल बुंदेलखंड तक ही सीमित नहीं है, यह समस्या हर उस कृषि प्रधान क्षेत्र की समस्या है, जो कि पानी की कमी और मवेशियों के आंतक से परेशान है।

मैं आप सभी का आभारी हूं कि आज यह सदन इन समस्याओं के कारणों के निदान के लिए बात करने के लिए एकत्रित हुआ है। अध्यक्ष जी, उस दिन भी जब मैं प्राइवेट मैम्बर्स बिल पर अंतिम वक्ता के रूप में बोल रहा था तो मुझ से पहले भी कई विद्वान वक्ताओं ने अपनी राय रखी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान से आता हूं, जहां राज्य की तकरीबन 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है, तथा अपने जीवनयापन के लिए कृषि और कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। राजस्थान में कृषि तकरीबन 14 मिलियन कि सानों और 5 मिलियन काश्तकारों के लिए रोजगार का साधन है। यही वजह

है कि आज के प्रस्ताव के दोनों प्रमुख मुद्दे -आवारा पशु और सिंचाई, मेरे राज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अध्यक्ष महोदय, कृषि क्षेत्र में पहले ही अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, गिरता भू-जल स्तर, लम्बे समय तक पड़ने वाला अकाल जैसी अनेक समस्याएं हैं। इनके अलावा मवेशियों को त्यागने से कृषि समस्याएं और ज्यादा विकराल हो रही हैं। गांवों और नगरों में मवेशियों का आतंक बढ़ा हुआ है और यह इस हद तक बढ़ गया है कि राज्यों को उन्हें रहने की जगह मुहैया कराने के लिए कर लगाना पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदय, कई किसानों ने आवारा पशुओं से अपनी फसलों को बचाने के लिए बाड़-बंदी का इंतजाम कि या। लेकिन बाड़-बंदी से खेती की लागत बढ़ गयी। पौने चार हेक्टेयर खेत की बाड़-बंदी का खर्च 8 से 10 हजार रुपये बैठता है। इसमें मरम्मत की लागत भी जुड़ती है। मवेशी बार-बार बाड़-बंदी को नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत से किसान परिवार ऐसे हैं, जो यह खर्च झेलने की स्थिति में नहीं हैं। जो लोग अपने खेतों में बाड़-बंदी कराने में असमर्थ हैं, ऐसे लोगों के लिए सरकार को खुद व्यवस्था करनी चाहिए, राज्य सरकारों को व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली की सरकार को इस मामले में सुध लेनी चाहिए।

जो लोग अपने खेतों में बाड़बंदी कराने में असमर्थ हैं, जो 24 घंटे अपने खेतों की रखवाली खुद करते हैं, लेकिन रखवाली में थोड़ी-सी चूक होने पर मवेशी फसलों को नष्ट कर देते हैं। ऐसे में खेती में आमदनी की उम्मीद खो चुका किसान अपने परिवार के जीवनयापन के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए विवश है। गांव खाली हो रहे हैं, रोजगार के साधन नहीं हैं। जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं, वहां लोग वर्षा की खेती पर निर्भर करते हैं। रोजगार का कोई दूसरा साधन नहीं मिलने से गांव के गांव खाली हो रहे हैं और शहरों की आबादी बढ़ रही है। हमें इस देश के किसान को बचाना है।

महोदय, मेरी इस सदन के माध्यम से यह गुजारिश है कि खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर चारागाह या मवेशी अभियान बनाए जाएं, ताकि कृषि में उपजे मानव-मवेशी संघर्ष को समाप्त किया जा सके। महोदय, योजनाबद्ध विकास के बाद भी आज़ादी मिले हुए 70 सालों से भी अधिक का समय व्यतीत हो गया है। मगर राजस्थान आधारभूत संरचना की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहां कृषि योग्य भूमि का दो तिहाई भाग वर्षा पर निर्भर करता है। पानी के इस्तेमाल में कोई भी सावधानी नहीं बरती जा रही है, जिससे जल संसाधनों की निरंतरता पर संदेह बन चुका है। इसका मतलब यह है कि सरकार की पीने के पानी की आपूर्ति से जुड़ी हुई योजनाओं में ही कई तरह की समस्याएं हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि हम अभी हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य से बहुत दूर हैं।

महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं, हमारे जल शक्ति मंत्री जी जोधपुर जिले से आते हैं। बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर में ऐसे इलाके हैं, जो देश सेवा के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक देते हैं। लेकिन अभी हम लोग पीने के पानी से भी बहुत दूर हैं। जब से माननीय प्रधान मंत्री मोदी जी ने सत्ता संभाली है, तब से यह उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, अटल जी ने नदी से नदी को जोड़कर हर खेत के लिए सिंचाई के पानी की एक उम्मीद जगाई थी। हर व्यक्ति यह चाहता है कि नरेन्द्र मोदी जी हर खेत को सिंचाई का पानी देंगे और किसानों को बचाएंगे।

<u>अपराह्न 4.07 बजे</u> (श्रीमती मीनाक्षी लेखी *पीठासीन हुईं*)

महोदया, मैं मंत्री जी का भी ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहूंगा कि अभी हम इस लक्ष्य से काफी दूर हैं। हर खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिले, आप उस धरती से आते हैं, जहां हमेशा हमारे किसानों ने अकाल का सामना किया है। नागौर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर बहुत ही अलग परिस्थितियों से वहां का कि सान संघर्ष करता रहा है। वहां पर लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही

है। वहां बड़ी तकलीफ के दौर से किसान गुजरे हैं। पानी की आपूर्ति की निरंतरता को बनाए रखने हेतु पूर्व प्रधान मंत्री जी की महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना, जल संसाधन प्रबंधन के असंतुलन को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जब वर्ष 2004 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आई थी, तो अटल जी जो योजना लाए थे, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने भी इस योजना के भारी भरकम खर्च को देखते हुए इस योजना से मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने उसको डंप कर दिया है और कांग्रेस की उस सरकार ने देश के कि सानों को एक बार फिर प्यासा छोड़ दिया था।

महोदया, राजस्थान के 10 जिलों की प्यास इंदिरा गांधी व भाखड़ा नहरें बुझाती हैं, जिनको पौंग व भाखड़ा बांधों से पानी मिलता है। इन बांधों में सतलुज और व्यास नदी का पानी आता है। मगर गत वर्ष इन बांधों के जल स्तर में काफी गिरावट आ गई थी। इन नदियों में पानी की घटी हुई मात्रा से कई जिले मुसीबत में फंस गए हैं। इन मुश्किलों को बढ़ाने में एक और कारण पिछले कुछ वर्षों से उभरकर आया है, जो कि प्रतिस्पर्धी संघवाद है, जिसमें कई राज्य दूसरे राज्यों को पानी देने से नकार रहे हैं। आपस में स्टेट, स्टेट से झगड़ा कर रहे हैं। इस संबंध में, मेरी सरकार से यह गुज़ारिश है कि देश के नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अंतर्देशीय जल ट्रांसफर परियोजना पर जल्दी से जल्दी प्रगति की जाए। हालांकि संविधान में पानी को राज्यों का विषय माना गया है, लेकिन आज प्रतिस्पर्धी संघवाद की जगह सहकारी संघवाद का समय आ गया है। इसलिए, हम सभी को देश और देश का पेट भरने वाले कि सानों के हितों में नदी जोड़ो योजनाओं को जल्दी से जल्दी से क्रियान्वित कर हर खेत को पानी दिलाना होगा।

महोदया, मंत्री जी इस मामले में काफी गंभीर भी हैं। ...(व्यवधान) हम सभी बुंदेलखंड की भी चिंता कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे राजस्थान की भी स्थिति वैसी है, जैसी बुंदेलखंड की है। माननीय सांसद महोदय जो संकल्प पत्र लेकर आए हैं, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है और हम सभी आपके समर्थन में हैं। आपका संकल्प पत्र पारित हो और हम तो यही चाहते हैं कि सरकार पूरी बातों को

माने। हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र नागौर में केवल 19.3 प्रतिशत कृषि भूमि ही सिंचित है, जिसमें सिंचाई का स्त्रोत केवल कुएं और बोरवेल हैं। 70 वर्षों के बाद भी पश्चिमी राजस्थान के इस कृषि प्रधान जिले में एक भी नहर या लिफ्ट केनाल परियोजना का न होना, यहां के किसानों के साथ खिलवाड़ है।

विशेषकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 60 साल तक जो नागौर जिले को धोखा दिया, यह उसी का परिणाम है कि हम पिछड़ कर रह गए हैं। इस संबंध में आपके माध्यम से मेरी गुजारिश है कि चंबल और ब्राह्मणी नदी के पानी को बिसलपुर तक पहुंचाने की योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए और बिसलपुर से फिर नागौर की ओर पानी एक साइड से जाएगा। इस संबंध में मेरा यह आग्रह भी है कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा जैसलमेर को सिंचाई का पानी देने वाली इंदिरा गांधी परियोजना का लाभ भी नागौर व जोधपुर के किसानों को लिफ्ट के माध्यम से मिले तथा नर्मदा लिंक कैनाल से बाड़मेर के किसानों को नर्मदा नदी का पानी सिंचाई के लिए मिल सके।

सभापति महोदय, अभी राजस्थान के अंदर विधान सभा चुनाव थे, तब कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी जी थे, अधीर रंजन जी, मैं नाम तो ले सकता हूँ न? राहुल गांधी जी वहां प्रचार में गए थे, तब उन्होंने कुंभाराम लिफ्ट की जगह कुंभकरण लिफ्ट योजना बोल दिया। फिर उन्होंने सॉरी फील कि या कि गलती से कुंभकरण बोल दिया। जब इनको कुंभाराम और कुंभकरण में ही फर्क नज़र नहीं आता है तो मुझे नहीं लगता है कि देश के विकास पर इन्होंने ध्यान दिया होगा। यह राजस्थान के अंदर उनका खुद का बयान था, बहुत बड़ा छपा था। इस परियोजना को भी जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। मेरे एक-दो और सुझाव हैं। साबरमती का सरप्लस वॉटर जमा कर के पाली, जालौर, सिरोही आदि इन जिलों तक पहुंचाया जाए तो ये तीनों जिले इसमें जुड़ जाएंगे। नर्मदा का पानी जालौर और बाड़मेर के अंदर आए, ऐसी गुजरात सरकार से मांग करें। मंत्री जी, आप इस पर व्यक्तिगत प्रयास करें तो निश्चित रूप से हमारे जालौर, बाड़मेर के अंदर भी पानी आएगा। यमुना से राजस्थान के हिस्से का जल 575

एमसीएम, ताजेवाला से चूरु, झुंझनू, सीकर इनको भी सिंचाई परियोजना से जोड़ा जा सकता है। ईआरसीपी का मुद्दा हमेशा गर्माता रहा है। पार्लियामेंट के अंदर भी और राज्य के अंदर भी हमेशा ईस्टर्न कैनाल को लेकर कांग्रेस बीजेपी के लोग बात करते रहे, लेकि न सरकारें हमेशा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ज्यादा रही हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान के हिस्से का पानी ला कर 13 जिले, जिनके अंदर जयपुर, भरतपुर, कोटा डिवीजन, जिसमें लोक सभा अध्यक्ष जी का भी इलाका आता है, इस ईआरसीपी को लागू कर के कि या जा सकता है। सभापति महोदय, हमारा रामगढ़ बांध जो जयपुर के अंदर, जयपुर को भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराता है, अगर रामगढ़ बांध का जो कैचमेंट एरिया है, उससे अतिक्रमण हटाया जाए, हाईकोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रामगढ़ बांध के अंदर जितने भी रिज़ोर्ट, होटल हैं, अभी कांग्रेस के विधायकों को जिस रिज़ॉर्ट में रुकाया गया था, वह रामगढ़ बांध के अतिक्रमण का इलाका है, जिसमें हमारे एक सांसद ने वहां धरना भी दिया था, उनको कांग्रेस की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। रामगढ़ बांध को अतिक्रमण मुक्त कि या जाए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना की जाए। सभापति महोदय, मैं यह भी मांग करूंगा कि हमारे जो इलाके हैं, इनमें अटल भूजल योजना के द्वारा भूगर्भ जल को पुनर्पण कि या जाए, जहां ट्यूबवेल-कुओं से खेती होती है। 15 साल पहले मेरे इलाके में पानी 300-400 फीट था, आज वह 1000-1200 फीट नीचे चला गया है। पानी का लेवल ऊपर कैसे आए और दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे राजस्थान में जितने भी भूजल के ब्लॉक्स हैं, वे 75 पर्सेंट ब्लॉक्स रिज़र्व कर दिए हैं, अब ट्यूबवेल भी वहां नहीं खुदा सकते हैं। अगर किसान की जमीन उपजाऊ है तो उसे ट्यूबवेल खुदाने के लिए अनुमति लेनी होगी और राजस्थान की सरकार अनुमति नहीं देती है। मंत्री जी, मैं इस मामले में भी आपसे निवेदन करूंगा कि जहां वॉटर लेवल 400 या 500 फीट है और गलत तरीके से राजस्थान की सरकार ने उस इलाके को प्रतिबंधित कर दिया कि यहां ट्यूबवेल नहीं खुदवा सकते हैं, तो उसमें आप यहां से आदेश जारी करें कि वॉटर लेवल अगर 1000-1200 फीट है, तो वहां तो आप ट्यूबवेल खोदने से रोको, लेकिन जहां 300 या 400 फीट है,

उन किसानों को तकलीफ नहीं हो, नहीं तो वे खाएंगे क्या? उनकी जमीन उपजाऊ है। पुराने आदेश निकले हुए हैं, उसी परिपाटी पर राजस्थान चल रहा है। इसके लिए आप भूजल के अधिकारियों को निर्देश दें कि नागौर, जोधपुर के कुछ इलाके, जो प्रतिबंधित इलाके हैं, जहां आप ट्यूबवेल नहीं खोद सकते हैं, बिजली के कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, इनकी जानकारी आप मंगवा कर दिखवाएं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी राहत राजस्थान के किसानों को मिलेगी।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूँगा, आप राजस्थान से आते हैं और राजस्थान के मारवाड़ इलाके से आते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा अकाल पड़े। मारवाड़ के अंदर पानी की पूरी व्यवस्था हो, राजस्थान के अंदर पानी की पूरी व्यवस्था हो। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे नेता यहां दिल्ली में 50-60-70 साल पहले कई मंत्री भी रहें, लेकिन कभी विकास की बात उन्होंने नहीं की। प्रधान मंत्री जी ने हर व्यक्ति को जगह दी। हर बेरोजगार कह रहा है कि मोदी जी रोजगार देंगे, हर कि सान कह रहा है कि हमारे खेत में सिंचाई का पानी आएगा। आपने लोगों की उम्मीदें कश्मीर से कन्याकुमारी तक जगा दीं और वे सारे काम यहाँ पर हुए। देश ने 50-60 तक जो दंश भोगा, जो नासूर बन गया, उस नासूर को मिटाने का काम किया, खत्म किया।

अब किसान और जवान पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए। प्रत्येक खेत को अगर सिंचाई का पानी मिला, तो हिन्दुस्तान विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति बनेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता। किसान अगर मजबूत हो गया, तो देश मजबूत होगा। मैं माननीय मंत्री जी से पुन: यह माँग करूँगा। हमारे बुंदेलखंड के एमपी साहब यह संकल्प लेकर आए हैं। हमने आवारा पशुओं की बात भी की, सिंचाई की परियोजनाओं की बात भी की। जहां सिंचाई के पानी की देरी हो रही है, वहां पीने के पानी की प्रधान मंत्री जी की जो योजना है, प्रधान मंत्री जी प्रत्येक घर पर पीएम योजना का जल लेकर जाएँगे। इसमें भी उन सूखे जिले को, जो एक उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारे यहां भी ऐसा हो सकता है कि प्रत्येक घर में मीठा पानी आ सकता है। इस योजना को आप लागू करे। मैं पुन: पुष्पेन्द्र जी के संकल्प का समर्थन

करता हूँ, जिन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र की समस्याओं को रखा। मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ और पुन: माँग करता हूं कि इस पर सरकार गम्भीरता से विचार करे तथा इसे लागू करे। धन्यवाद।

20-03-2020

[अनुवाद]

श्री हसनैन मसूदी (अनंतनाग): माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और इससे कुछ विद्वान सदस्यों को आश्चर्य हो सकता है। भले ही यह मामला जम्मू और कश्मीर से संबंधित नहीं है, लेकिन यह पूरे देश और मानव जाति से संबंधित है। जब हम जलवायु परिवर्तन अध्ययनों को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि मध्य भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला है। इसीलिए, मैं माननीय मंत्री जी के समर्थन में खड़ा हुआ हूं जिन्होनें इस विधेयक को प्रस्तुत किया है।

बुंदेलखंड और मध्य भारत के अन्य हिस्सों में कृषि कार्यों से जुड़े लोग बहुत संकट में हैं। वे वंचित और हाशिए पर हैं। हालांकि, वे देश के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसलिए, बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की गई चिंताएँ उचित हैं और उनमें इस विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें मनाने के लिए पर्याप्त योग्यता है।

महोदया, हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों में कृषि से जुड़े लोग अपनी खेती के तरीके बदल रहे हैं। चावल और गेहूं जैसी फसलों से हट कर, वे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। हम जानते हैं कि चूंकि चावल के खेतों से मीथेन गैस निकलती है इसलिए जलवायु परिवर्तन हेतु ज्यादातर चावल और गेहूं जैसी फसलें ही जिम्मेदार हैं । इसलिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ये किसान बड़े पैमाने पर योगदान दे रहे हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे दलहन और अन्य फसलों पर अपना ध्यान केंद्रित करके न केवल उनके लिए बल्कि देश के अन्य हिस्सों में लोगों के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। इसलिए, मेरा सुझाव है कि बुंदेलखंड और आसपास के क्षेत्रों के साथ-साथ मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी किसानों के लिए सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जाएं। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे पारिस्थितिकी तंत्र के

संरक्षण में और जलवायु परिवर्तन के खतरों से बचाने में पहले अपने क्षेत्र और फिर पूरे देश को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहें।

हम सभी लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि प्राकृतिक आपदाएं भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं होती हैं। वे समुदायों की राजनीतिक वफादारी पर ध्यान नहीं देते हैं। वे पूरे मानव जाति को प्रभावित करते हैं। इसलिए, मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों का समर्थन करूंगा और माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि बुंदेलखंड और आस-पास के क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाओं को उच्च प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ किया जाए। धन्यवाद।

20-03-2020

[हिन्दी]

जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत): धन्यवाद, सभापति महोदया। बुंदेलखंड के क्षेत्र से आने वाले सांसद कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह जी चंदेल द्वारा दिए गए इस संकल्प कि बुंदेलखंड क्षेत्र में जल की कमी और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में लोगों को अपनी गायें चराने के लिए खुले में छोड़ना पड़ता है, जिसे अन्ना प्रथा कहते हैं, उसके कारण से कि सानों की खड़ी फसलों को हानि होती है। इसलिए उन्होंने यह संकल्प कि जल की इस कमी की समस्या और अन्ना प्रथा से निजात पाने के लिए बांधों और तालाबों को परस्पर जोड़ना और साथ में उनके पुनर्भरण के लिए केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना से नहरों की एक प्रणाली बनाई जाए, सदन के सामने प्रस्तुत कि या है।

महोदया, निश्चित रूप से विषय अत्यंत समसामायिक भी था, प्रासंगिक भी था और इस प्रासंगिक विषय पर श्री निशिकांत दुबे जी से लेकर के श्री हसनैन मसूदी साहब तक **21** माननीय सदस्यों ने मानसून सत्र के दौरान, शीतकालीन सत्र के दौरान और अब वर्तमान में बजट सत्र के दौरान पाँच सिटिंग्स में अलग-अलग अपने-अपने अनुभव के आधार पर विस्तार से चर्चा की। निश्चित ही संकल्प का जो विषय है और माननीय सदस्यों ने जिस तरह से अपने अनुभव के आधार पर अपने विचार सदन के सामने रखे हैं, यह इस बात के परिचायक भी हैं और इस बात को बल देते हैं कि जल की समस्या, जल का संकट पूरे विश्व के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है।

महोदया, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के कारण से भारत के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जल संकट, जलवायु का परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के विजिबल इम्पैक्ट्स, भारत की भूगर्भ जल पर अत्यधिक निर्भरता और उसका सिमटते जाना, लगातार भूगर्भ के जल स्रोतों का सिकुड़ते जाना, जो हमारे पारम्परिक जल स्रोत थे, उन जल स्रोतों का विलुप्त हो जाना, बढ़ती हुई आबादी के कारण से उन पर अतिक्रमण होकर के उनका अस्तित्व खो देना, इन सबके कारण से एक बहुत बड़ा संकट जल, जल संचय और जल की उपलब्धता को लेकर हो रहा है। हम सब जानते हैं, कई

माननीय सदस्यों ने इस बारे में विचार व्यक्त किए हैं कि जो **4** हजार बिलियन क्यूबिक मीटर पानी हर साल हमें बरसात से या बर्फ के माध्यम से प्रकृति के द्वारा उपहार के रूप में मिलता है, आज से **70** साल पहले भी लगभग उसकी मात्रा उतनी ही थी, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। इस 70 साल के कालखंड में हमारी आबादी जिस तरह से बढ़ी है, उसके कारण से हमारी प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता, जो एक जमाने में 5 हजार क्यूबिक मीटर से अधिक थी, वह आज घटते-घटते 1,540 क्यूबिक मीटर के लगभग पास में पहुँच गई है और वह निश्चित रूप से आने वाले समय में देश के सामने एक चुनौती का विषय है। इस सबके कारण से और विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण से जिस तरह से स्कैंटी एंड इरैटिक रेनफॉल्स हो रहे हैं, एक दिन में बरसात होना और कुछ घंटों में पूरे वर्ष भर की औसत से ज्यादा बरसात हो जाना, एक जगह बरसात हो जाना, निश्चित रूप से जो मात्रा है, जब हम कुल मिलाकर कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं, वह शायद पूरी हो जाती होगी, लेकिन उस जल का जिस तरह से उपयोग होना चाहिए और जिस तरह से उपयोग हो सकता है, वह नहीं हो पाता और उसके कारण से विभिन्न संकट पैदा हो रहे हैं।

महोदया, सारे माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की, चिंता व्यक्त की कि इसका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव यदि कि सी पर पड़ा है तो वह गाँव में रहने वाले हमारे अन्नदाता किसान पर पड़ा है। कि सान की कृषि, जलवायु परिवर्तन और घटती हुई जल की उपलब्धता के कारण से लगातार सिमटती जा रही है, कम होती जा रही है। परोक्ष रूप में उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे गौधन, हमारे पशुधन पर भी पड़ा है, क्योंकि उनके सामने चारे का एक संकट आकर खड़ा हुआ है।

अब कोई एक समस्या कि स तरह से दूसरी समस्या को पैदा करती है, उसका हम सबके सामने एक उदाहरण है कि बरसात की कमी के कारण कृषि के क्षेत्र में संकट हुआ। कृषि के क्षेत्र के सामने जो चुनौती आई, उसके कारण पशुधन के सामने चारे का संकट हुआ। जब चारे का संकट हुआ तो हमें मजबूरन अपने पशुओं को खुले में चरने के लिए छोड़ना पड़ा तो शेष बची-खुची जो कृषि थी, उसने उसे

खा लिया और किसान के सामने एक नया संकट पैदा हुआ। कुल मिलाकर यह जो चक्रव्यूह बना, इस चक्रव्यूह ने देश की कृषि के सामने एक अस्तित्व का संकट पैदा कि या। इन सबके कारण गांव के अस्तित्व के सामने एक चुनौती खड़ी हुई। सभी माननीय सदस्यों ने इसके ऊपर अपने विचार, अपने दर्द, अपनी आशंकाएं व्यक्त कीं। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती देश के सामने है और माननीय सदस्यों ने इसका जो सजीव चित्रण कि या है, वह सजीव चित्रण इस बात का परिचायक है कि गांव के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो रहा है और उसके कारण हमारा अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। लोग गांवों से पलायन करके रोजगार की खोज में और बेहतर जीवन की खोज में गांव छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे हैं। जब लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं तो शहरों पर जिस तरह से जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है और शहरों से निकलने वाले पानी के कारण से हमारे जो बचे हुए जल स्रोत हैं, चाहे वे नदियां हों, बांध हों, झीलें हों, वे जिस तरह से प्रदूषित हो रहे हैं, वह हमारे सामने जल की चुनौती का एक और कारण बन रहा है।

महोदया, मैं माननीय सदस्य कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल जी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे सम-सामयिक विषय के ऊपर इस सदन में एक संकल्प को चर्चा के लिए रखा और सारे माननीय सदस्यों द्वारा इस गम्भीर विषय पर बातचीत करने और उन सबकी चर्चा के माध्यम से हमें भी अपने मंत्रालय में काम करने के लिए, अपने मंत्रालय की पॉलिसी प्लानिंग के लिए, सरकार को अपने कामकाज की एक समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान कि या। मैं आदरणीय पुष्पेन्द्र सिंह जी और उन सारे माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इसकी चर्चा में गम्भीरता से भाग लिया, उन सबके प्रति आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, उन सबका अभिनन्दन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, अनेक माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखीं। जनार्दन मिश्र जी ने रीवा क्षेत्र की चुनौतियों को सामने रखते हुए इस बात की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट किया कि जिस

तरह से इस देश में सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और सिंथेटिक पेस्टीसाइड्स का उपयोग बढ़ रहा है और उसके कारण हमारी जमीन में सॉयल हेल्थ में जिस तरह का परिवर्तन आ रहा है, वह अपने आप में एक दूसरी चुनौती पैदा कर रहा है। उसके कारण जमीन की पर्कोलेशन कपैसिटी कम हुई। जमीन में नैसर्गिक रूप से रहने वाले जो केंचुए थे, जो कीट-पतंगे थे, उनका अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके कारण जमीन की पोरोसिटी कम हुई। जमीन के अंदर भूगर्भ में जो पानी समाहित होता है, वह हमारे देश में सबसे बड़े जल संसाधन या जल भंडार के रूप में है, [अनुवाद] क्योंकि पानी के सभी उद्देश्यों के लिए हमारी निर्भरता, चाहे वह पीने के लिए हो, औद्योगिक उपयोग के लिए हो या कृषि सिंचाई के लिए हो, [हिन्दी] इन सबका 65 प्रतिशत हिस्सा भूगर्भ जल से आता है। इसके अति दोहन के कारण भूगर्भ जल जिस तरह से समाप्त हो रहा है, उसके बारे में अपने विचार व्यक्त कि ए।

माननीय निशिकान्त जी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए हम सबके सामने इसका एक वैश्विक परिदृश्य रखा कि किस तरह से दुनिया भर के सामने जल एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है, किस तरह से भारत के सामने जल का संकट एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। जिस तरह से इनका अध्ययन है और सभी विषयों पर वे जिस प्रकार से बात करते हैं, उसमें उन्होंने पूरे विस्तार से यह बात रखी कि आज भारत के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और वह चुनौती प्रबंधन की कमी के कारण है। केन-बेतवा लिंक परियोजना, जिसका संदर्भ इस संकल्प में है, उस विषय में यह बात कि केन-बेतवा लिंक परियोजना कहां से प्रारंभ हुई, उस दिशा में किस तरह से विभिन्न चरणों में काम हुआ, इंटरलिंकिंग के कॉन्सेप्ट के प्रारंभ से लेकर अब तक के विषय पर विस्तार से उन्होंने सदन के सामने अपनी बात रखी।

जगदम्बिका पाल जी और अनेक माननीय सदस्यों ने, माननीय प्रधान मंत्री जी का जो संकल्प है कि हम देश के किसान की, अन्नदाता की आमदनी को दुगुना करेंगे, इस संकल्प की मय के पीछे, इस

संकल्प की सफलता के पीछे भी जल की उपलब्धता और जल संसाधनों के चरण में आने वाली कमी के कारण जो संकट खड़ा होने वाला है, उसके बारे में चिंता व्यक्त की।

आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री अधीर रंजन जी ने भी सदन में अपने विचार व्यक्त कि ए हैं। उन्होंने भी माना कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स बहुत बड़ी चुनौती है। राज्यों के महकमों में भी इसको लेकर आपस में मतैक्य नहीं है। इसको लेकर भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ उन्होंने यह प्रश्न भी रखा कि क्या जल के विषय को समवर्ती सूची में लाने के लिए सरकार का कोई विचार है। ऐसा प्रश्न भी उन्होंने किया था। अनेक सदस्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से अपने विचार व्यक्त किए। सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि केन-बेतवा लिंक परियोजना निश्चित रूप से शीघ्रता से पूरी हो। हम इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की दिशा में, उसकी पूर्णता की दिशा में तथा उसकी सफलता की दिशा में इस माध्यम से एक कदम आगे बढ़ा सकें। बुंदेलखंड की जो परिस्थिति है, वहाँ जिस तरह से सूखे के कारण पानी की कमी है, उस परिस्थिति से बुंदेलखंड के लोगों को निजात दिया जा सकें। इस संकल्प के साथ खड़े होकर माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी और बुंदेलखंड की जनता का विश्वास बढ़ाने का काम सारे सांसदों ने कि या है। मैं सभी का एक बार फिर से इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सभी सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूँ।

माननीय सभापति महोदया, जैसा हम सब ने अभी चर्चा में देखा और अनेक अवसरों पर सदन में इस बात के ऊपर माननीय सदस्यों ने प्रश्नों के माध्यम से ध्यान आकृष्ट किया, उनसे जिस किसी भी प्लेटफार्म पर बात करने का अवसर मिला, सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि इस देश में पानी का संकट एक बहुत बड़ा संकट है। यदि हम दुनिया भर के देशों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में जितना प्रकृति प्रदत्त जल हमारे पास आता है, जैसा मैंने अभी कहा कि हमारे पास जो 4,000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी आता है, उसका हार्वेस्टेबल कम्पोनेन्ट लगभग 50 प्रतिशत जियोग्रैफिकल कंडीशन और ऑपरेशनल लॉसेस के कारण से है। जो अन्य हार्वेस्टेबल है, जिसको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसके

अतिरिक्त भी जो पानी हमारे पास आता है, वह लगभग 2,000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स है। 2,000 बिलियन क्यूबिक मीटर्स में से हम कुल मिलाकर जितना जमीन पर संधारित कर पाते हैं, वह मात्र 300 बिलियन क्यूबिक मीटर्स से भी कम है। हम पानी का ऑठवां हिस्सा भी जमीन पर रोक नहीं पाते हैं। हर साल जमीन के अंदर जो पानी रिचार्ज होता है, वह लगभग 400 बिलियन क्यूबिक मीटर्स के आसपास है।

जब मुझे एक बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक अवसर पर सांसदों से बात करने का एक मौका दिया था, मैंने उस दिन कुछ सांसदों से प्रश्न किया था। मैंने अपने मित्रों से पूछा था कि कोई मुझे बताएगा कि देश का सबसे बड़ा जल भंडार कहाँ है। सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने ज्ञान के अनुरूप बताया था। किसी ने कहा कि श्रीसैलम बाँध सबसे बड़ा है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि टिहरी का बाँध सबसे बड़ा है। जो ओडिशा के सांसद थे, उन्होंने कहा कि महानदी पर बना हुआ हमारा हीराकुंड बाँध सबसे बड़ा है। मैंने उस दिन कहा था कि इन सभी बाँधों की कुल मिलाकर जितनी क्षमता है, देश के सबसे बड़े बाँध से लेकर गाँव के सबसे छोटे पोखर, जिसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं, यदि इन सभी को जोड़ दीजिए तो उससे दोगुना जल हमें भूगर्भ का भंडार देता है।

पिछले 40 सालों में हमारा जितना भी इरिगेशन का एक्सपैंशन हुआ है, उसका 85 प्रतिशत हिस्सा हमको जमीन के पानी से मिलता है। दुनिया भर के ऐसे बहुत सारे देश हैं, हमारे ऊपर प्रकृति की कृपा है कि लगभग 1168 मिलीमीटर बरसात हमारे यहाँ एवरेज रेन फॉल होता है। दुनिया में इजराइल का उदाहरण भी हमारे सामने है, जहाँ लगभग 100 मिलीमीटर बरसात होते हुए भी वह आज जल समृद्ध देश है। उन्होंने जिस तरह से जल का प्रबंधन कि या कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी का उपयोग कि स तरह से कर सकें, वर्षा के जल का ज्यादा से ज्यादा संचय कि स तरह से कर सकें, पानी का पुन: उपयोग कि स तरह से कर सकें और जुडिशियस यूज ऑफ वाटर करें। हम पानी की एक-एक बूंद को बचाते हुए अधिकतम उपयोग कि स तरह से कर सकें, इस दृष्टिकोण से जब उन्होंने काम कि या तो आज अपने

देश को जल सुरक्षित बनाया। मुझे लगता है कि हम सभी को भी निश्चित रूप से इस दिशा में चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारी जो चुनौती है, उस चुनौती का अगर समग्र रूप से कोई एक समाधान है तो वह यह है कि हम जल प्रबंधन की दिशा में मिलकर काम करें।

माननीय सभापति महोदया, चूंकि जल का विषय संविधान प्रदत व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है, इसलिए प्राथमिक रूप से राज्यों को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। केन्द्र की सरकार भी इस महत्वपूर्ण विषय पर वर्षों से काम कर रही है। जब-जब भी सरकारें बनीं, अपने-अपने दृष्टिकोण से इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए प्रयास किए गए। एक राष्ट्रीय जल नीति का निर्माण किया गया है। इस राष्ट्रीय जल नीति में जल प्रबंधन और संचय करने के लिए बेहतर तरीके से हम कि स तरह से काम कर सकते हैं, उस नीति का मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

हम जल की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सप्लाई साइड मैनेजमेंट पर कि स तरह से काम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी को किस तरह से रोक सकते हैं, इसके बारे में मार्गदर्शन राष्ट्रीय जल नीति द्वारा दिया गया है। मैं मानता हूं कि आज समय आ गया है कि हम केवल सप्लाई साइड मैनेजमेंट से देश को जल के संकट से नहीं उबार सकते हैं, हमें साथ ही डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी काम करना होगा। हमें जल के अधिकतम उपयोग पर निश्चित रूप से काम करना पड़ेगा।

मैंने पहले भी इस सदन और राज्य सभा में निवेदन किया था। कृषि में जल का उपयोग प्रोडक्टिविटी के आधार पर देखें तो दुनिया का सबसे कम प्रोडक्टिव पानी भारत में है। विभिन्न स्टडीज़ इस बात को उल्लिखित करती हैं कि एक किलोग्राम चावल उगाने के लिए भारत में 5600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि चीन से लेकर अनेक देश केवल 350 लीटर पानी में एक किलो चावल उगाते हैं। हम सबको निश्चित रूप से इस पर विचार करने की जरूरत है।

ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक नहीं हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, यहां माननीय कृषि राज्य मंत्री जी बैठे हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साइंटिस्ट्स का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, उन्होंने यह विधा बहुत साल पहले विकसित कर ली थी। कृषि राज्य का विषय है, टेक्नोलॉजी का डिसेमिनेशन धरातल तक कि सानों तक पहुंचे, इसकी प्रमुख रूप से जिम्मेदारी राज्य की है, इसलिए राज्य सरकारों को देखना चाहिए कि क्या उगाएं, कैसे उगाएं और कैसे एक-एक बूंद पानी का उपयोग करें।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश के सामने संकल्प रखा – [अनुवाद] 'प्रति बूंद अधिक उपज', [हिन्दी] इसके साथ हम किस तरह से काम करें ताकि हम कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक पानी बचा सकें और आने वाली पीढ़ियों को जल सुरक्षित, जल समृद्ध भारत दे सकें। हमने इस दृष्टिकोण से नीति बनाई, विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राष्ट्रीय जल नीति का एक बार पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है, दोबारा देखने की आवश्यकता है। हमने इस दृष्टिकोण से 5 नवंबर, 2019 को एक नई समिति का गठन करके राष्ट्रीय जल नीति में व्यापक संशोधन करते हुए और इसे ज्यादा इफेक्टिव बनाने की दिशा में काम किया है।

हमारी सरकार बनी, सरकार बनने के ठीक बाद पहली बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने रेडियो में 'मन की बात' के माध्यम से पूरे देश को संबोधित कि या। उन्होंने विस्तार से देश के सामने संकल्पना रखी कि हम किस तरह से देश को इस गंभीर संकट से बचा सकते हैं। उन्होंने गांवों के लोगों से आग्रह किया, गांवों के प्रधानों से आग्रह किया कि हम कैसे अपने गांव में बरसात के पानी की एक-एक बूंद का संरक्षण कर सकते हैं, जल संचय कर सकते हैं ताकि गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे। इसके साथ ही बताया कि घर का पानी घर में किस तरह संचित कर सकते हैं। हम सबको इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। जब उन्होंने इस दृष्टिकोण से बात की तो निश्चित रूप से एक वायुमंडल का निर्माण हुआ।

यह जल का विषय है। सरकार की गंभीरता आप सब लोगों और माननीय सदन के सदस्यों के संज्ञान में आई होगी कि जल के विषय के बारे में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अलग डिपार्टमेंट्स, डिवीजन्स में विचार हुआ, पॉलिसी प्लानिंग हुई, निर्णय हुए। माननीय प्रधान मंत्री जी ने इस बार एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया। देश के जल के विषय से जुड़े विभागों और लगभग सब मंत्रालयों को इन्टीग्रेट करके नए मंत्रालय का गठन किया। देश के सामने एक नया संदेश दिया कि अब हम जल जैसे महत्वपूर्ण विषय को एक साथ समग्र और हालिस्टिक रूप से निर्णय करके पॉलिसी प्लान करें ताकि भविष्य में लोगों को जल समृद्ध देश दे सकें।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने एक पत्र लिखकर देश भर के चुने हुए गांव के प्रतिनिधियों को पत्र लिखा। उन्होंने ढाई लाख लोगों को बारह भाषाओं में पत्र लिखकर अपनी तरफ से संदेश दिया कि जिस तरह से गांव में पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन करते हैं, उसी तरह एक डेडिकेटेड ग्राम सभा केवल जल के विषय में हो कि किस तरह से गांव में जल का उपयोग कैसे करें, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट करते हुए गांव के पानी का अधिकतम उपयोग कैसे करें, गांव को जल सुरक्षित और जल समृद्ध किस तरह से बनाएं, इस पर गांव के सब लोग बैठकर विचार करें। मुझे सदन के सामने यह बात कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि डेढ़ लाख से ज्यादा पंचायतों ने माननीय प्रधान मंत्री जी के इस आह्वान का अनुसरण किया, सब लोग साथ जुटे, साथ बैठे और कुछ कदम इस दृष्टिकोण से इस दिशा में आगे बढ़ाए। मैं मानता हूं कि जो पहला कदम रखा जाता है, वही सफलता का मार्ग सुनिश्चित करता है।

पहला कदम डेढ़ लाख पंचायतों ने रखा। आज पूरे देश भर में एक वायुमंडल का निर्माण हुआ है। पूरे देश भर में लोगों ने इस बारे में चर्चा करना प्रारंभ किया, चिन्तन करना प्रारंभ कि या और विचार करना प्रारंभ किया। जैसे माननीय प्रधान मंत्री अक्सर कहते हैं कि ऐसी सारी चुनौतियों का समाधान तभी हो सकता है, जब ये चुनौतियां एक जन चर्चा और जन आंदोलन का विषय बने। जल के आंदोलन को जन-जन का आंदोलन बनाने की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने सफलता प्राप्त

की है। जल शक्ति अभियान के माध्यम से ऐसे 256 जिले, जैसे मैंने अभी चर्चा में कहा कि हमारी अधकितम 65 प्रतिशत निर्भरता भूगर्भ के जल में है। देश के पश्चिमी हिस्से में, यदि भारत के नक्शे को रखा जाए तो कश्मीर से लेकर केरल तक लगभग पूरे पश्चिमी हिस्से में ऐसे जिले आते हैं, जो सूखे से ग्रस्त हैं या वहां की जमीन में पानी की कमी है। जहां जमीन के पानी के भंडार समाप्त हो रहे हैं या जमीन के पानी के भंडार सिकुड़ते जा रहे हैं, देश भर में 6800 से ज्यादा ब्लॉक्स हैं, जिनको हम पीरियोडिकली मॉनिटर करते हैं, उनमें से लगभग 1500 ब्लॉक्स ऐसे हैं, जो या तो एक्सप्लॉएटेड हैं या ऐसे ब्लॉक्स हैं जो क्रिटिकली एक्सप्लॉएटेड अथवा सेमी क्रिटिकल कंडीशन में हैं। यदि जिलों के ऐसे सारे ब्लॉक्स को चिह्नित किया जाए तो इन जिलों में से जिनको वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट्स कह सकते हैं, ऐसे 256 जिलों को आइडेंटिफाई किया गया है। कुछ प्रदेशों में ऐसे जिले हैं जो उस प्रदेश में क्रिटिकली एक्सप्लॉएटेड, ओसीएस कैटेगरी या वाटर स्ट्रेस्ड कैटेगरी में नहीं आते होंगे। ऐसे जिले हरेक प्रदेश में हैं, जहां कहीं न कहीं इस प्रकार का काम होता है कि समग्र रूप से इस तरह की हलचल बने, एक देशव्यापी परिकल्पना बने और इसके ऊपर देशव्यापी विचार हो, इस दृष्टिकोण से 256 जिले आइडेंटिफाई किए गए। भारत सरकार में संयुक्त सचिव और उनके ऊपर के स्तर के अधिकारी, सीडब्ल्यूसी के इंजीनियर्स, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के हाइड्रो जियोलॉजिस्ट, इन सबको साथ में भेजकर तथा जिलों में कलक्टर को नोडल ऑफिसर बना करके एक रिपल क्रिएट करने के लिए इस अभियान को प्रारंभ किया गया। देश को दो हिस्सों में इन 256 जिलों में बांटा, एक जहां मानसून पहले आता है और दूसरा, जहां दूसरे दौर का मानसून आता है। ऐसे जिलों को हमने आइडेंटिफाई कि या और वहां इन अधिकारियों ने दो-तीन विजिट्स किए। उनको मैनडेट दिया गया था कि वे जल संरक्षण के ऊपर और उस जिले में वर्षा जल का संचयन कैसे हो सकता है, उसके बारे में व्यापक विचार-विमर्श करके लोगों को उसके बारे में जागृत करें तथा जन जागृति के लिए काम करें। वहां के परंपरागत जो जल संसाधन हैं, जैसे-तालाब, बावड़ियां, जोहड़, झीलें आदि, उन सबका पुनरुद्धार कैसे हो सकता है, उनको किस तरीके से जीवित किया जा

सकता है, उसकी व्यापक योजना बने। ऐसे बोरवेल्स जो इन क्षेत्रों में ड्राइ हो गए हैं, जो हैंड पंप्स ड्राई हो गए हैं, उनका वर्षा जल पुनर्भरण के जरिये कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसकी रचना करें, इसके बारे में लोगों से चर्चा करें।

वारटशेड विकास पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं? इन जिलों में उसके ऊपर व्यापक योजनाएं बनें। इन सबके साथ-साथ, जिस विषय के बारे में हम बार-बार करते हैं, पेड़-पौधे लगाना, बरसात को आमंत्रित करना और उसके माध्यम से भूगर्भ के जल का संचयन करना अत्यंत आवश्यक है। इन जिलों में ज्यादा से ज्यादा एफॉरेस्टेशन कैसे हो सके, उसकी योजना बनाएं।

मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से एक अत्यंत सफल कार्यक्रम के रूप में पहचाना गया। अनेक सांसदों ने जिनके जिले उन 256 की सूची में नहीं थे, मुझे आग्रह किया कि हमारे जिलों को भी उसमें सम्मिलित किया जाए। हमने राज्य सरकारों को लिखा, हमने अपने सांसद मित्रों से भी निवेदन किया कि आप चाहें तो इस तरह का कार्यक्रम अपने प्रदेश में सारे जिलों में ले सकते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है, जिसने माननीय प्रधान मंत्री जी के आह्वान पर जल शक्ति मंत्रालय, जिस तरह देश की सरकार में एक इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई गई है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में न केवल इंटीग्रेटेड मिनिस्ट्री बनाई गई अपितु उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जल शक्ति अभियान को अपने स्तर पर लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास कि या। जो राज्य देश की सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण के लिए, वर्षा जल संचयन के लिए और वाटरशेड के लिए जिस तरह से काम होता है, उन सबको एक साथ जोड़कर हम इंटीग्रेटेड रूप में किस तरह से प्रयास कर सकते हैं, किस तरह से रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर सकते हैं, इसका एक नायाब उदाहरण इस जल शक्ति अभियान के माध्यम से देखने को मिला। हजारों संरचनाएं बनाई गईं और हजारों संरचनाओं को, जो हमारे ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज थे, उन सबका पुनरुद्धार करने के लिए इस दिशा में योजनाएं बनीं और व्यापक रूप से सफलता के साथ उस दिशा में काम हुए।

जल शक्ति अभियान के माध्यम से दो लाख से ज्यादा जल संचयन संरचनाएं बनाई गईं। इसके अलावा अगर मैं पिछले 5 साल की बात करूं तो पिछले पांच सालों में नरेगा के माध्यम से 31907 करोड़ रुपये केवल वॉटर हार्वेस्टिंग और नेचुरल रिर्सोस मैनेजमेंट के ऊपर खर्च किया गया। 18,760 करोड़ रुपये केन्द्रीय हिस्से के रूप में राज्यों को वॉटरशेड मैनेजमेंट के लिए प्रदान किए गए। मैं मानता हूं कि हमें अपेक्षित सफलता इन कार्यक्रमों के माध्यम से मिलनी चाहिए। राज्यों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इसे इंप्लीमेंट कि या है, लेकि न सांइटिफिक बैकअप नहीं होने के कारण से जितना इम्पैक्ट इतनी बड़ी राशि के खर्च होने से बनना चाहिए था, उतना शायद नहीं बन पाया। हमने नरेगा के माध्यम से नेचुरल रिर्सोस मैनेजमेंट और विशेष रूप से जल के विषय पर जो पैसा खर्च किया गया है, उसका अध्ययन करवाया है। जो वॉटर स्ट्रेस्ड एरिया है, यदि हम एक-दूसरे लक्ष्य को सुपर इंपोज करें तो बहुत सारा गैप दिखाई देगा। बहुत सारी जगहों पर ऐसी परिस्थितियां है, जहां पर वर्षा जल के पुनर्भरण और जमीन में जल के पुनर्भरण के लिए अलग तरह की अवसंरचनाओं की आवश्यकता है। जमीन के अन्दर की स्ट्रेटा स्टडी न होने के कारण से वह काम उतनी सफलतापूर्वक नहीं हो पाया है।

सभापति महोदया, मैं आज आपके माध्यम से सदन को प्रसन्नता से यह बात साझा करना चाहता हूं कि देश की सरकार ने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐक्कफर की स्टडी की है। जमीन के अन्दर कि स तरह की भौगोलिक संरचना है और हम किस तरह की अवसंरचनाएं बनाकर जमीन के अन्दर पानी को ज्यादा तेजी से भर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारम्भ किया है। आज देश भर में 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन का अध्ययन या ऐक्कफर का अध्ययन करना है, उसमें से 11 लाख 40 हजार स्क्वायर कि लोमीटर का अध्ययन करके उनकी प्लानिंग कर दी गई है। हर एक जिले की अपनी-अपनी स्टडीज बनाकर इस तरह के प्लान तैयार कर दिए गए हैं और हमने उनको राज्यों के साथ साझा किया है, ताकि हम जो नरेगा या वॉटर शेड मैनेजमेंट के माध्यम से खर्च

करने वाले हैं, उसको आने वाले समय में और ज्यादा साइंटिफिक बैकअप के साथ कर सकें, ताकि उसके अच्छे परिणाम तीव्रता के साथ प्राप्त हो सके।

माननीय सभापति महोदया, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रत्येक खेत तक पानी पहुंचाया है। अभी आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देश के किसान का अधिकार है कि पानी उसके घर और खेत तक पहुंचना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय से लंबित परियोजनाएं पड़ी थीं, जिन परियोजनाओं पर लगातार पिछले 25-30 सालों से काम चल रहा था। 60 से 70 प्रतिशत तक परियोजनाएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन उन योजनाओं में कुछ छोटी-छोटी कमियों के कारण से, राज्यों के पास धन की उपलब्धता न होने के कारण से, संसाधनों की सीमितता के कारण से, वे योजनाएं लंबित पड़ी हुई थी। माननीय प्रधान मंत्री जी ने ऐसी 99 योजनाओं को चिह्नित करवाया। हमने उन 99 परियोजनाओं पर काम शुरू किया और आज मैं प्रसन्नता से कह सकता हूं कि हमने उनमें से 40 परियोजनाओं पर काम पूरा कर लिया है और शेष 40 परियोजनाओं का भी शीघ्र काम पूरा हो जाएगा। हमने तेजी के साथ कार्य प्रारम्भ किया और उसके कारण ही आज मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं कि 76 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की क्षमता बढ़ी है, या अभिवृद्धि हुई है या हम उसमें इफैक्टिव रूप से सिंचाई कर पाने की स्थिति में पहुंचे हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैंने अभी जैसा कहा है कि हम केवल सप्लाई साइड के मैनेजमेंट को करते हुए इस देश को जल समृद्ध नहीं बना सकते हैं। हमको डिमाण्ड साइड मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा। मैंने कहा है कि हम नई राष्ट्रीय जल नीति की कल्पना करते हैं, उसमें हमने बराबर का बल देने की दिशा में काम करना प्रारम्भ किया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार इस देश में एक 'अटल भूजल योजना' के माध्यम से गत 25 दिसम्बर को देश के नेता स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस के अवसर पर एक नई योजना का प्रारम्भ किया है, जिसमें 7 राज्य वॉटर स्ट्रेस्ड थे। हमने उन 7 राज्यों के 78 जिलों को चिह्नित कि या और उन 78 जिलों के लिए

प्रायोगिक रूप से 6 हजार करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है, जिसमें से 3 हजार करोड़ रुपये वर्ल्ड बैंक के माध्यम से मिलने वाले हैं।

माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में, वहां कि स तरह से सप्लाई साइड मैनेजमेंट के साथ-साथ डिमाण्ड साइड मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं, पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट के माध्यम से, जन सहयोग माध्यम से लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करके, कैसे उनको जल समृद्ध बना सकते हैं, इस दृष्टिकोण से हमने काम करना प्रारम्भ किया है। इन 78 जिलों में अनुकूल परिणाम आने के बाद, इसको आगे और विस्तार देते हुए, देश के हरेक हिस्से में यह काम करेंगे कि किस तरह से लोगों को साथ जोड़कर जल समृद्ध बना सकते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं, मैंने इज़राइल की बात की, यदि मैं इज़राइल को छोड़ दूं, हमारे देश में भी अनेक ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखने को मिलती हैं। राज्यों के द्वारा की हुई सक्सेस स्टोरीज के बारे में मैंने कल यहां सदन में उत्तर देते हुए कहा था कि अनेक प्रदेशों ने इस दृष्टिकोण से काम किया है। गुजरात की सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना शुरू की और जब माननीय प्रधान मंत्री जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने वहां जिस तरह से काम कि या, महाराष्ट्र सरकार ने जलयुक्त शिवार नाम से योजना बनाकर काम किया। राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने मुख्य मंत्री जल स्वालम्बन योजना के माध्यम से काम किया, आन्ध्र प्रदेश सरकार ने नीरू चेट्टू मिशन, तेलंगाना सरकार ने मिशन काकतीया बनाकर काम किया। हरेक राज्य ने अपने-अपने दृष्टिकोण से इन योजनाओं पर काम किए हैं। बिहार सरकार वर्तमान में जल जीवन हरियाली नाम के शीर्षक के साथ इस दिशा में काम कर रही है। अनेक राज्यों सरकारों ने इस तरह से काम किए हैं और उनके निश्चित रूप से अनुकूल परिणाम आए हैं।

यदि सरकारों की बात भी छोड़ दें, जो कम्यूनिटी लैड आर्गनाइजेशन्स हैं, एनजीओज आदि ने भी ऐसे बहुत से काम किए हैं। महाराष्ट्र में जय भारती जैन संघटना के लोगों ने काम कि ए। इस तरह के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जहां कम्यूनिटी या एनजीओ के लोगों ने मिलकर काम किए हैं और

उनके अनुकूल परिणाम आए हैं। गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत में बैठकर काम कि या। एक व्यक्ति, एक सरपंच खड़ा हुआ, उसने अपने संकल्प के साथ जब गांव में काम करना शुरू किया, जब गांव के लोगों की जनभागीदारी उसके साथ जुटी, प्रत्येक व्यक्ति जब उसके साथ खड़ा हुआ, तब उस गांव में कायाकल्प हुआ। हिवड़े बाजार का उदाहरण हमारे सामने है, रालेगण सिद्धी का उदाहरण हमारे सामने है। राजस्थान के एकदम सूखे इलाके पिपलांतरी का उदाहरण हमारे सामने है। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं, जहां गांव के लोगों ने हाथ में कमान उठाई और उस गांव का कायाकल्प हुआ। केवल एक व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और उसने काम करना प्रारम्भ कि या। मैं राजस्थान से आता हूं, जयपुर के पास दौसा जिले में एक छोटा सा गांव है - लापोड़िया। उसके आस-पास के गांवों में भी कहीं एक बूंद पीने का पानी नहीं था। जमीन का पानी इतना खारा था कि पीने के लिए किसी भी तरह से उसका उपयोग नहीं कि या जा सकता था और जमीन में पानी उपलब्धता भी बहुत कम थी। वहां लक्ष्मण सिंह नाम का लगभग बिना पढ़ा-लिखा आदमी खड़ा हुआ और उसने अपने गांव में, अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अपने खेत में ऐसी अवसंरचनाएं बनाईं, जिनको चौका नाम दिया गया। उस चौका सिस्टम में खेत के ग्रेडिएंट्स देखकर, उसने खेत में एक फुट गहरे, दस या बारह फुट चौड़े और बीस या तीस फुट लम्बे गढ्ढे खोदकर वर्षा के पानी को संग्रहीत किया। उसको कुछ अनुकूलता मिली तो गांव के दूसरे लोग प्रेरित हुए और उन्होंने साथ मिलकर इस तरह से काम किया। आज मैं गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि न केवल लापोड़िया जल समृद्ध हुआ, आज उस गांव के कि सान तीन चक्र की फसल एक वर्ष में ले रहे हैं। उसके आस-पास के 58 गांव जल समृद्ध हुए हैं। दुनिया इज़राइल की बात करती है, मैंने भी प्रारम्भ वहां से किया, लेकिन इज़राइल के वैज्ञानिकों ने वहां आकर शोध किया और उस टेक्नोलॉजी को इज़राल में लागू करने का काम किया। देश में अनेक लोगों ने इस दिशा में काम किया है। यदि देश को जल समृद्ध बनाना है, तो हम सभी को पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट की दिशा में जाना पड़ेगा। हमने माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में अटल भूजल योजना के माध्यम से इस दिशा में प्रभावी कदम बढ़ाया है।

महोदया, पीने के पानी के संकट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने बात की। पीने के पानी के संकट के बारे में पुष्पेंद्र सिंह चन्देल जी ने विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि पीने के पानी का गंभीर संकट हमारे सामने है। यहां निहाल चन्द जी बैठे हैं, वह नहरी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन इनके यहां क्वालिटी ऑफ वाटर की वजह से गंभीर चुनौती है। ...(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मंत्री जी, मैं नहरी क्षेत्र से आता हूं, लेकिन वहां हम लोग जिस तरह से गन्दा पानी पी रहे हैं, उससे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का आप अंदाजा लगा सकते हैं।

20-03-2020

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सभापति जी, मैं निहाल चंद जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहता हूं। इस देश में पिछले पांच साल सामान्य आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार ने काम किया है। कि सी ने कल्पना नहीं की थी कि देश का प्रधान मंत्री लाल किले के प्राचीर से यह बात कहेगा कि देश के प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। केवल सैनिटेशन के लिए ही नहीं, बल्कि महिलाओं की गरिमा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यह घोषणा माननीय प्रधान मंत्री जी ने की थी। जब उन्होंने यह घोषणा की, उसके बाद सदन की दीवारें साक्षी होंगी, अनेक बार अनेक तरह के प्रश्न खड़े कि ए गए और अनेक तरह की आशंकाएं व्यक्त की गईं। मुझे याद है कि ब्लूमबर्ग ने कि स तरह के आर्टिकल लिखे थे और बीबीसी ने कि स तरह के आर्टिकल लिखे थे। सभी ने इस तरह की आशंकाएं व्यक्त की थीं कि देश में यह संभव नहीं है कि पांच साल के कालखंड में, जो देश दुनिया का **60** प्रतिशत ओपन डेफिकेशन वाला देश है, वह देश ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएगा। लेकि न संकल्प की शक्ति थी, राजनीतिक नेतृत्व की संकल्प शक्ति थी और माननीय प्रधान मंत्री जी की ड्राइविंग फोर्स थी, पूरा देश एक साथ उठ खड़ा हुआ और आज जब हम **135** करोड़ लोग कह सकते हैं कि हमने देश को सौ प्रतिशत स्वच्छ देश, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गैस का चूल्हा दिया। साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए हमने देश के हर गरीब को आवास देने के दृष्टिकोण से काम करना प्रारम्भ कि या। हर साधारण मानव के घर में भी बिजली का कनेक्शन हो, हजारों गांव जो बिना बिजली के थे, उन सभी घरों में बिजली पहुंचे, इस दृष्टिकोण से काम करना प्रारम्भ किया। हर घर तक बैंक खाता पहुंचे और इन सब के माध्यम से साधारण मानव के जीवन में परिवर्तन लाना और उसके साथ-साथ महिलाओं का सम्मान और उनके सशक्तीकरण करने का काम हमारी सरकार ने कि या और उस दिशा में एक और कदम बाकी था, जो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी पीड़ा का कारण है कि देश के प्रत्येक घर में पीने का पानी पहुंचे।

महोदया, आजादी के पहले से प्रयास प्रारम्भ हुए थे और आजादी के **70** सालों बाद देश में 18 करोड़ के लगभग जो ग्रामीण आवास हैं, उनमें से केवल तीन करोड़ घरों तक हम पीने का पानी पहुंचा पाए थे। केवल तीन करोड़ घरों तक हम पीने का पानी नल के माध्यम से स्वच्छ पानी पहुंचा पाए थे। आजादी के 70 सालों में केवल 18 प्रतिशत तक पहुंचे थे और एक बार फिर देश के प्रधान मंत्री जी ने लाल कि ले की प्राचीर से संकल्पना की और देश के सामने यह संकल्प रखा कि हम आने वाले पांच सालों में, वर्ष 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण आवास तक नल से जल पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में हम काम करेंगे और मैं आज आप सभी के सामने विश्वास से कह सकता हूं कि पिछले दिनों हमने जिस तरह से इस दिशा में काम प्रारम्भ किए, राज्यों के साथ बैठकर जिस तरह से चर्चाएं कीं और राज्यों को जिस तरह से वित्तीय सहयोग देने का हमने वायदा किया है, कई राज्यों ने बहुत तेज गति से उस दिशा में काम करना प्रारम्भ कर दिया है। कुछ राज्य हैं, जहां इस काम में गति मिलना बाकी है और जिस गति से काम करना अपेक्षित था, वह गति नहीं मिल पाई है। कुछ राज्य ऐसे हैं, जो अपने संसाधनों के सीमित होने की बात कहते हैं और उस दिशा में काम नहीं कर पा रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है, जब मैं यह बात लोगों के सामने बैठकर करता हूं और बैठकों में समीक्षा की बात करता हूं कि मेरा अपने राज्य राजस्थान में, जहां हमने **1600** करोड़ रुपये दिये, वहां सबसे कम खर्चा हुआ और इस दिशा में सबसे कम प्रगति हुई। कुछ राज्यों ने बहुत कमिटमेंट के साथ इसमें काम करना प्रारम्भ किया है और उन राज्यों ने संकल्प कि या है। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का उल्लेख करना चाहता हूं। वहां के माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह तय कि या है कि वर्ष **2021** तक प्रदेश के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम करेंगे। झारखंड की सरकार ने भी पहले इस दिशा में काम कि या था, लेकि न अब कुछ विराम लगा है। मुझे लगता है कि शायद कुछ गति आने वाले समय में बढ़ेगी। 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से हम न केवल पीने का पानी पहुंचाएंगे, अपितु हमारी मातृ शक्ति, हमारी माताएं-बहनें जिन्हें पीने का पानी लेने के लिए रोज मीलों पैदल चलना पड़ता है, उन्हें भी इससे फायदा पहुंचेगा।

महोदया, मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं और पश्चिमी राजस्थान का भी सुदूर रेगिस्तान का हिस्सा है। मेरे मित्र कैलाश जी बैठे हैं। इनके लोक सभा क्षेत्र में और मेरे लोक सभा क्षेत्र में शायद बहुत सारे ऐसे गांव होंगे, जहां की महिलाओं को 12-13 साल की उम्र से 65-70 साल की उम्र तक प्रतिदिन अपने सिर पर पानी के दो-दो मटके रखकर लाना होता है। वे जितने कि लोमीटर रोजाना पानी के लिए चलती हैं, पानी के लिए जीवनपर्यंत जितना चलती हैं, आप महिला होने के नाते उनका दर्द समझ सकती हैं कि वे जितने कि लोमीटर पूरी उम्र पानी लाने के लिए चलती हैं, यदि एक दिशा में उतना चलना प्रारम्भ करें तो शायद वे पूरी धरती के दो चक्कर अपने जीवन में लगा लेतीं। महिलाओं के साथ इतनी बड़ी जो ट्रेजडी हो रही है, उससे मुक्त करने की दिशा में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने 'जल जीवन मिशन' के माध्यम से काम करना प्रारम्भ किया है। जैसा मैंने कहा कि हमारी अधिकतम निर्भरता भूगर्भ के जल पर है और भूगर्भ के जल संसाधनों को हम कि स तरह से, जो अति दोहित हैं और लगातार जहां पानी की कमी हो रही है, वहां ध्यान देने की है। भूगर्भ का जल इनविजिबल सोर्स है, वे दिखाई नहीं देते हैं और दिखाई न देने के कारण जमीन के पानी को हम लगातार जिस तरह से अतिदोहित कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से देश के सामने बड़ी चुनौती और चिंता का विषय है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जहां अथाह भूजल था लेकिन आज उन जगहों पर पीने का पानी भी नहीं है और पीने का पानी भी दूसरी जगह से लाकर वहां के लोगों को पिलाना पड़ रहा है।

अपराह्न 5.00 बजे

ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हम सब लोगों के परिवेश में कहीं न कहीं होंगे। निश्चित रूप से यह बहुत बड़ी चुनौती है। भूगर्भ के जल की जिस तरह से क्वॉलिटी अफैक्ट हो रही है, आर्सेनिक का प्रभाव बढ़ रहा है, फ्लोराइड का प्रभाव जिस तरह से भूगर्भ के जल में बढ़ रहा है, यह सब चिंता का विषय है। पर हमने इस दिशा में कि हम भूगर्भ के जल को किस तरह से दोबारा उपयोग में ला सकते हैं, इस दिशा में भी हमने व्यापक योजना के साथ काफी तेजी के साथ काम करना प्रारम्भ किया है। जैसा मैंने कहा कि

हमारी 65 प्रतिशत आवश्यकता भूगर्भ के जल से पूरी होती है, मैं आज भी कहीं चर्चा कर रहा था। हमारे बहुत वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे थे। उन्होंने कहा कि हमने तय किया कि अपने घर में हम पानी बचाएं। निश्चित रूप से सब लोगों ने इस दिशा में सोचना प्रारम्भ किया है।

मैं आप सबके साथ एक संस्मरण साझा करना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं हवाईजहाज से मुम्बई से दिल्ली आ रहा था। इंडिगो का हवाईजहाज था। मेरे साथ एक महिला और उनकी एक छोटी सी बच्ची बैठी थी। एयरहोस्टेस ने लाकर पानी का गिलास दिया। मैंने अपना पानी पिया और पानी का गिलास तोड़कर सामने पॉकेट में रख दिया। उस छोटी सी बच्ची ने भी दो तीन बार में पानी का गिलास पीकर अपने गिलास को समाप्त किया। उनकी माता जी ने एक घूंट पीकर पानी का गिलास रख दिया। थोड़ी देर में जब एयरहोस्टेस सामान इकट्ठा करने के लिए आई तो हम सबने गिलास दिया, उनकी बच्ची ने भी गिलास डाला और उनकी माता जी जब आधे से ज्यादा पानी से भरा गिलास उसमें डालने लगी तो बच्ची ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, मम्मा, [अनुवाद] “मम्मा, आप पानी बर्बाद नहीं कर सकतीं।" [हिन्दी] मोदी जी ने मना किया है। पांच साल की बच्ची इस दिशा में सोचने लगी। निश्चित रूप से यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में है कि लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है।

जब व्यवहार चेंज होता है और सोच में बदलाव आता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। लेकिन हम घर में जितना पानी उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमने घर में तय किया है कि हम घर में कम से कम पानी उपयोग करेंगे लेकि न कुल मिलाकर जितना पानी हम साल भर में उपयोग करते हैं, उसका छ: प्रतिशत पानी हम घरेलू उपयोग के लिए लेते हैं। पांच प्रतिशत पानी हम इंडस्ट्री के लिए यूज करते हैं। [अनुवाद] हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का 89 प्रतिशत कृषि में उपयोग किया जा रहा है। [हिन्दी] निश्चित रूप से, जैसा मैंने कहा कि हमारा पानी लीस्ट प्रोडक्टिव पानी ऐसा दिखाई देता है। मैं सारे माननीय सदस्यों और सारे राज्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम अपने

परिवेश में किसानों को जागृत करने का काम करें कि हम किस तरह से कम से कम पानी का उपयोग करके, सही फसल का उपयोग करें। किस जगह के लिए किस फसल की आवश्यकता है और उसी फसल को हम उगाएं।

मैं हरियाणा की वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जब अपने यहां योजना ली क्योंकि हरियाणा में चावल पारम्परिक रूप से पहले नहीं उगाया जाता था। लेकिन आज हरियाणा में अधिकतम किसान चावल उगा रहे हैं। चावल उगाने के लिए किसान को दूसरी फसल के लिए शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना भी एक काम है। हरियाणा के मुख्य मंत्री जी ने एक योजना बनाई कि जो किसान चावल की जगह मक्का उगाएगा, हम सौ प्रतिशत उसकी मक्का की फसल का प्रोक्योरमेंट करेंगे। इसके साथ ही उसको 2-2500 रुपए प्रति एकड़ का इंसेंटिव भी देंगे। एक जिले में प्रायोगिक रूप से इसको प्रारम्भ किया। एक महीने में 18000 से ज्यादा हेक्टेअर ज़मीन इस पर ट्रांसफर हुई। कुल मिलाकर 1 लाख ज़मीन में चावल से मक्का ट्रांसफर करने की तरफ हमें सफलता प्राप्त हुई है। ऐसे प्रयोग शायद कुछ और प्रदेशों में भी हुए होंगे।

पंजाब ने भी अपने यहां एक योजना प्रायोगिक रूप से प्रारम्भ की है। लेकिन सब प्रदेशों को और हम सबको क्योंकि हम सब अपने-अपने क्षेत्र में अपने लोगों के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। हम उनका नेतृत्व करते हैं। आवश्यकता है कि हम कि सानों को भी इस दिशा में जागृत करें कि वे कि स तरह से मिनिमम पानी के उपयोग से कि स समय में कौन सी फसल उगाएं।

जो वॉटर एफिशिएंट इरीगेशन के लिए, स्प्रिंक्लर्स और ड्रिप इरीगेशन के लिए सरकार जो सहायता मुहैया कराती है और बुंदेलखंड के लिए भी सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से कुछ उपाय किए हैं जिसमें बृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं, लघु और सतही परियोजना, छोटे तालाबों के निर्माण के लिए और उन निकायों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने की दिशा में हमने काम करना प्रारम्भ किया है।

महोदया, जिस एआईबीपी के कार्यक्रम की मैंने चर्चा की है, उस कार्यक्रम में जो 99 परियोजनाएं लीं थीं, उनमें भी 7 परियोजनाएं-अर्जुन सहायक, राजघाट नहर, उत्तर प्रदेश के लहचूरा बांध, कछुरोरा बांध और मध्य प्रदेश के बेहरियापुर, एलसीवी सिंगपुर और सिंधचरण 2 के आधुनिकीकरण के काम को हमने इसमें लिया था।

इसमें उत्तर प्रदेश की तीन परियोजनाएं हैं, राजघाट नहर, लहचूरा बांध और कचनौद बांध के निर्माण कार्य आज पूरे हो गए हैं। इसके लिए 201 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता इसमें जारी की गई है। इन परियोजनाओं के माध्यम से बुंदेलखंड में 61 हजार हेक्टेयर जमीन की सिंचाई करने के लिए नई क्षमता सृजित हुई है। पीएमकेएसवाई की जो परियोजनाएं हैं, उनसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परियोजनाओं में निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदया, केन्द्र सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए वर्ष 2009 में एक विशेष पैकेज की घोषणा की थी। 7,266 करोड़ रुपये के इस पैकेज में से 3,760 करोड़ रुपये बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश के हिस्सों और 3,506 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए। वर्ष 2011 में पेय जल उपलब्ध कराने के लिए अलग से 100-100 करोड़ रुपये दोनों प्रदेशों को दिए गए। वर्ष 2009 में यह योजना प्रारंभ हुई, उसके बाद वर्ष 2018 तक 6,257 करोड़ रुपये बुंदेलखंड पैकेज के दोनों प्रदेशों को दे दिए गए।

माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में केन बेतवा लिंक की चर्चा की है। मैं आपके माध्यम से नदियों से जोड़ने की परिकल्पना के बारे में भी कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। देश वर्षों से इस बात का सपना देख रहा है। देश के सामने यह चुनौती है कि देश के लगभग एक तिहाई हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है। देश के लगभग 13 प्रतिशत हिस्से में हर साल बाढ़ की

विभीषका देखने को मिल रहा है। देश में अनेक वर्षों से, अंग्रेजों के जमाने से इस बात पर चर्चा और चिंता हो रही थी कि हम देश में इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए काम करें।

मैं आज एक बार पुन: अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करना चाहता हूं। जब वे देश के प्रधान मंत्री थे, देश के दूरगामी विकास के लक्ष्य को लेकर अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए थे। देश हमेशा गोल्डन क्वार्डिलेटरल प्रोजेक्ट को याद रखेगा। उन्होंने देश के विकास के लिए बड़ी सड़कों के योगदान के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कल्पना दी। उन्होंने उसी पंक्ति में देश के नदियों को जोड़ने की संकल्पना भी रखी। आदरणीय सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण किया था। उस कमेटी ने देश भर में अध्ययन करके, कुल 30 लिंक्स आईडेटिफाई किए, 14 हिमालयन रीजन्स में और 16 पेनिन्सुलर रीजन में थे। जिनके माध्यम से हम देश की ऐसी नदियों को, जहां सरप्लस वाटर है, उनको डेफिसिट बेसिन के साथ जोड़ सकते हैं और इन समस्याओं का स्थायी समाधान कर सकते हैं। आईडेंटिफाइड 14 लिंक्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बन गई है, जो पेनिन्सुलर रीजन के हैं। जो दो लिंक्स हिमालयन रीजन के हैं, उनकी भी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना दी गई है। इसके अतिरिक्त उनमें से चार प्राथमिकता वाली परियोजनाएं आईडेंटिफाई की गई हैं, जिनको हम शीघ्रता से पूरा कर सकते हैं, प्राथमिकता के साथ पूरा कर सकते हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए आग्रह कि या है, वह नम्बर वन पर है। केन बेतवा लिंक परियोजना का डीपीआर तैयार हो चुका है। डीपीआर तैयार करके हम ने जिस तरह से अन्य परियोजनाओं पर काम कि या है, राज्यों ने अपने यहां इंटरस्टेट या इंट्रा-स्ट्रेट लिंक की परियोजनाएं बनाने के लिए कहा है। ऐसे कुल 47 प्रस्ताव आए हैं, हम ने उनमें से 37 इंटरस्टेट लिंक्स और इंट्रा-लिंक्स में पीएफआर को पूरा कर दिया है। यह राज्य का विषय है। जल संसाधनों का मालिकाना हक उनके पास है, हम ने उसे राज्यों के पास भेजा है कि राज्य अपनी सैद्धांतिक स्वीकृति इसमें प्रदान करें। राज्य साथ में बैठ कर अपनी अंडर स्टैंडिंग डेवलप करें

और उसे डेवलप करके एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें, ताकि इस दिशा में काम आगे बढ़ाया जा सके। दोनों प्रदेशों ने केन बेतवा परियोजना में भी लगभग सहमति के स्तर तक पहुंचने का काम किया है। अभी कुछ विषयों में उनके बीच मतभेद था, उनके बीच छोटी-मोटी आशंका और असहमति की स्थिति थी, लेकिन आज मैं प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि हम ने दोनों राज्यों के साथ बैठ कर, उनके अधिकारियों और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठ कर विचार-विमर्श किया है।

दोनों राज्यों के बीच में हम फाइनल सहमति के स्तर पर पहुँचे हैं, लेकिन मानसून और नॉन-मानसून समय में जल के बंटवारे को लेकर उनके बीच थोड़ा मतभेद है। लेकिन हमने अनेक बार साथ में बैठकर इसे रीसॉल्व करने के लिए काम किया है। बंटवारे के कारण एवं नॉन-मानसून सीजन में पानी की उपलब्धता को लेकर जो चिन्ता थी, उत्तर प्रदेश की उस चिन्ता को दूर करने के लिए, जैसा कि माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में भी कहा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अनेक तालाब हैं, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ एवं माननीय अनुराग जी ने भी कहा था कि बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है, जब पानी की कमी की बात होती है, तो लातूर की बात होती है और बुंदेलखंड की बात होती है। लेकिन बुंदेलखंड के राजाओं ने छ: सौ साल से एक हजार साल पहले तक, चार सौ साल के कालखंड में दस हजार से भी ज्यादा तालाब अपने-अपने क्षेत्रों में बनवाए थे। उन तालाबों के कारण वे क्षेत्र जल-समृद्ध क्षेत्र थे। लेकिन कालांतर में वे तालाब खोते गए, गायब होते गए, उन पर अतिक्रमण होता गया, वे लुप्तप्राय हो गए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए ‘अपना खेत, अपना तालाब' योजना के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इनिसिएटिव लेकर काम करना प्रारंभ किया है। लेकिन उसके साथ-साथ नॉन-गवर्नमेंट आर्गेनाइजेशंस ने भी इस दिशा में काम करना प्रारम्भ कि या है और इस दिशा में तेजी से काम हो रहे हैं। उन तालाबों को हम केन-बेतवा लिंक के माध्यम से भर दें, हमने ऐसे 38 तालाबों को आइडेंटिफाई किया है, ताकि उन

20-03-2020

तालाबों को हम भर दें। वे न केवल जमीन के पानी को पुनर्भरित करने का काम करेंगे, अपितु स्थाई रूप से इस क्षेत्र की जल-समस्या का समाधान करने में भी कारगर होंगे।

महोदया, इसके कारण से दूसरी चुनौतियाँ भी हमारे सामने खड़ी होती हैं। जैसा कि मैंने कहा कि एक समस्या दूसरी समस्या को पैदा करती है। पानी की समस्या ने खेती को प्रभावित कि या और खेती ने चारे की समस्या पैदा की और चारे की कमी के कारण 'अन्ना प्रथा' की समस्या पैदा हुई।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): नदी से नदी को जोड़ने का सपना माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, उसके बारे में बताइए।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मैं वही बताने जा रहा हूँ दीदी। हम उसे बिल्कुल पूरा करेंगे। हम उसको पूरा करने की दिशा में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस परिकल्पना को पूरा करने के लिए काम करेंगे।

'अन्ना प्रथा' की चुनौती हमारे सामने है। पशुधन के रूप में पहले बैल के अनेक उपयोग में आते थे, खेती में, रहट चलाने में, पानी निकालने में, कोल्हू में से तेल निकालने के काम में आते थे, लेकिन तकनीकी परिवर्तन के कारण वे अनुपयोगी हो गए। उनके अनुपयोगी होने के कारण जिस तरह की चुनौतियाँ देश के सामने आई हैं, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संकट है। आवारा पशुओं के संकट को दूर करने के लिए सरकार अनेक तरह से काम कर रही है। 'गोकुल मिशन' प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत देसी गौ वंश को किस तरह से समृद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही, सेक्स-शॉर्टेड सिमेन के माध्यम से कि स तरह से मेल काफ्स के बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, हमने इस दृष्टिकोण से काम करना प्रारंभ किया है।

हमारे पशुधन उपयोगी बनें, हमारे पशुधन प्रोडक्टिव बनें, इस दिशा में माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पशुधन विकास के लिए अलग से एक मंत्रालय क्रिएट करके एक फोकस्ड एप्रोच के साथ हमने काम करना प्रारंभ किया है।

माननीय सदस्य ने अपने संकल्प में केन-बेतवा लिंक के बारे में चर्चा की थी। मैं केन-बेतवा लिंक के परिप्रेक्ष्य में कुछ बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। केन-बेतवा लिंक परियोजना, जो मध्य प्रदेश की केन और बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना है, इसमें नौ लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचिंत क्षेत्र के बढ़ने की संभावना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में मध्य प्रदेश के छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दतिया, दमोह, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन जिले हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय पुष्पेन्द्र सिंह जी के क्षेत्र में बांदा, महोबा और झांसी जिलों को निश्चित रूप से लाभ होगा, वहाँ के किसानों को लाभ होगा और इस पूरे क्षेत्र को पेय जल के संकट से हमेशा-हमेशा के लिए निजात मिलेगी।

इसके लिए जो बांध बनाया जाना है, इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनाया जाना है, उसे बनाने के लिए जो एनवायरनमेंट क्लीयरेंस की जरूरत थी और जितनी तरह की स्टैच्यूटरी क्लीयरेंसेज की जरूरत थी, चाहे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जो स्टैच्यूटरी क्लीयरेंस चाहिए, …(व्यवधान)

ट्राइबल एरिया के लिए जो स्वीकृति चाहिए, वे सारी स्वीकृतियां प्राप्त कर ली हैं। हमें फर्स्ट फेज़, स्टेज-1 की इन-टोटैलिटी पर्यावरण स्वीकृति मिल गई है। केवल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में जो एक छोटा सा विषय है, जैसा मैंने जिक्र कि या, उसके बाद उन दोनों राज्यों के बीच में समझौता पत्र पर हस्ताक्षर होते ही हम शीघ्र ही इस दिशा में काम करने के कगार पर आज खड़े हैं। मैं आज सदन के सामने विश्वास के साथ कह सकता हूं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सपने को पूरा करने में हम लोग कामयाब होंगे और निश्चित रूप से इस दिशा में हम काम करेंगे। इस दिशा में न केवल हम पेयजल, सिंचाई क्षेत्र के लिए काम करेंगे, अपितु साथ ही साथ 46 टैंक्स जो चिन्हित किए हैं, उनमें से

38 टैंक्स को साथ में जोड़कर इस योजना के माध्यम से उस पूरे क्षेत्र को जल सुरक्षित बनाने में हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): मंत्री जी, आप उर्मिल बांध के बारे में बता दीजिए। ...(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सदस्य उर्मिल बांध का विषय चर्चा में लाए हैं। अपनी चर्चा के समय भी अपना वक्तव्य देते हुए उन्होंने इस बारे में कहा था। हम उसको एग्ज़ामिन करा रहे हैं कि उसे कि स तरह इस योजना के साथ जोड़ा जा सकता है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के हिस्से के पानी से, उत्तर प्रदेश में जिस तरह की आवश्यकता होगी, उस हर एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड है। हम सब लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं।

जैसा मैंने विस्तार से आप सबके सामने विषय रखा कि हम जल संरक्षण और देश को जल समृद्ध बनाने के लिए एक हॉलिस्टिक समाधान देने की दिशा में काम कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो यह संकल्प रखा है, क्योंकि देश की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पहले से ही इन सब विषयों पर लगातार काम कर रही है। मुझे विश्वास है, जैसा कि मैंने कहा कि हम केन-बेतवा लिंक परियोजना पर प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्य ने जो यह संकल्प, रेज़ोल्यूशन इस सदन के सामने रखा है, वे इस संकल्प को वापस लें और इस भरोसे और विश्वास के साथ में वापस लें कि हम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उनके संकल्प को प्रधान मंत्री जी का संकल्प बनाकर पूरा करने के लिए काम करेंगे।

माननीय निहाल चन्द जी ने गंगानगर में पीने के पानी की, वॉटर क्वालिटी की समस्या का विषय रखा। ... (व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान : सर, सिर्फ गंगानगर ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान में यही समस्या है। …(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: मैं भी वही पानी पीता हूं, मैं भी उसी दु:ख से पीड़ित हूं। वह गंगानगर के रास्ते से आने वाला पानी है। रवनीत सिंह जी भी उसी के सताए हुए हैं, हम सब लोग उसी के सताए हुए हैं। …(व्यवधान)

श्री निहाल चन्द चौहान : राजस्थान के मुख्य मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री भी वही पानी पीते हैं। …(व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: लुधियाना से जो अनट्रीटेड पानी, सीवेज का पानी और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, विशेष रूप से वहां की जो प्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो अनट्रीटेड पानी सतलुज दरिया में डाला जाता है, वह पानी आगे आकर राजस्थान तक पेयजल और सिंचाई के लिए काम में आता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान निश्चित रूप से उससे व्यथित हैं। हमने पंजाब की सरकार को पत्र भी लिखा, वहां आकस्मिक निरीक्षण भी करवाए हैं। हमने उनको नोटिस भी दिया है कि इन इंडस्ट्रीज़ को बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने कमिट कि या था कि वे शीघ्र इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। हमने इस संबंध में निर्देश दिया है। मंत्रालय की एक टीम जाकर उसको दोबारा इन्सपैक्ट करेगी। यह समस्या निश्चित रूप से गंभीर है। यह मेरे संज्ञान में भी है। इसके समाधान के लिए जो भी प्रयास किए जाने चाहिए, हम निश्चित रूप से वे सारे प्रयास करेंगे।

मैं पुन: माननीय सदस्य, आदरणीय पुष्पेन्द्र सिंह जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने ऐसे गंभीर विषय पर चर्चा का इस सदन को मौका दिया। सारे माननीय सदस्यों ने, जिन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया, मैं उन सबको भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब को भी धन्यवाद ज्ञापित

करना चाहता हूं कि उन्होंने इस चर्चा के लिए अनुमति प्रदान की और लगातार तीन सत्र तक, इतनी सिटिंग्स में, इतने सारे सदस्यों को मौका दिया। माननीय सभापति महोदया ने भी बिना रोके-टोके मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया। मैं आप सबका पुन: धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वे इस संकल्प को वापस लें। आप सब लोगों को भी, जिन्होंने इस चर्चा को गंभीरता के साथ सुना, मैं आप सबका भी अभिनंदन करना चाहता हूं और अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

माननीय सभापति : पुष्पेन्द्र जी, आपको मौका देने से पहले कराडी संगन्ना जी और जनार्दन मिश्र जी के कुछ प्रश्न हों तो वे पूछ लें।

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा (कोप्पल): सभापति जी, जल शक्ति मंत्री से पूछना चाहता हूं कि रिवर लिंकिंग के बारे में कर्नाटक में कौन-कौन सी नदियां जुड़ी हुई है, यह बताएं?

श्री जनार्दन मिश्र (रीवा): सभापति महोदय, मैं जल शक्ति मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि इन्होंने जल संरचनाओं को डिस्ट्रिक्टवाइज करने का प्रयास कि या है, उसके लिए धन्यवाद। क्या वह इनको ब्लॉकवाइज करने का भी प्रयास करेंगे?

माननीय सभापति: मंत्री जी, मैं अपने आपको रोक नहीं पा रही हूं। मैं दिल्ली से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछना चाहती हूं। बिधूड़ी जी बैठें हैं, तो यह मौका बिधूड़ी जी के लिए है।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): मैं सभापति महोदया को धन्यवाद दूंगा कि आपने दिल्ली के बारे में चिंता व्यक्त की है। यमुना नदी के पानी के लिए हमेशा झगड़ा चलता रहता है और सरकार सभी नदियों को जोड़ने का काम प्रायरिटी पर कर रही है। आप माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अटल जी के सपने को पूरा कर रहे हैं। यमुना नदी के लिए हजारों करोड़ों रुपये का फण्ड आता है। क्या हम आने वाले 2 या 3 सालों में यह देख पाएंगे कि यमुना नदी के अंदर गोता लगाकर नहा सकें और स्वच्छ पानी का आनंद दिल्ली के लोग ले सकें और दिल्ली का जो वाटर लेवल गिर रहा है, वह ऊपर हो सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या यमुना नदी के बारे में ऐसा विचार है?

माननीय सभापति: मंत्री जी, इसमें थोड़ा और जोड़ लीजिए। जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन लेवल है और जो ग्राउण्ड वाटर हैवी मैटल्स की वजह से पॉल्युटेड हो चुका है और जो इंडस्ट्रीज दिल्ली से हरियाणा आदि शिफ्ट हुई हैं, क्या उसका असर दिल्ली के पानी पर हो रहा है? क्या दिल्ली सरकार ने आपसे कभी चिंता व्यक्ति की है, कभी यह विषय आपके संज्ञान में लेकर आई है या आपसे कुछ मदद

मांगी है, यह भी आप बता दीजिए। आपने क्रॉप डायवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन बावजूद इसके क्या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के साथ आपका कुछ तालमेल चल रहा है? एग्रीकल्चर में 89 परसेंट पानी जा रहा है तो कहीं न कहीं उस व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है। मंत्री जी, आप यह बता दीजिए और उसके बाद चंदेल जी आप अपनी बात कह दीजिए। विष्णु दयाल जी आप भी अपनी बात पूछ लीजिए।

श्री विष्णु दयाल राम : मैडम, **256** जिलों को वाटर स्ट्रैज्ड जिलों की सूची में रखा गया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में दो जिले पलामू और गढ़वा हैं। वे रेन साइड एरिया में पड़ते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्च से लेकर मई के महीने तक पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं रहता है। मैंने मंत्री जी को लिखकर दिया और उन्होंने कार्रवाई भी की है, लेकि न इसके बावजूद वे दोनों जिले अभी तक सम्मिलित नहीं किए गए हैं। उन दोनों जिलों को सम्मिलित करने की नितांत आवश्यकता है, चूंकि उनके बहुत ब्लॉक्स, ब्लैक ब्लॉक्स डिक्लेयर किए जा चुके हैं। वहां न केवल यह प्रॉब्लम है, बल्कि इससे जुड़ी हुई दूसरी प्रॉब्लम है। वहां आर्सेनिक और फ्लोराइड की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं उसकी ओर भी मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो कनार्टक के लिंक्स के बारे में बात की है। जो नेशनल प्रॉस्पैक्टिव प्लान है, इसमें हमने 30 लिंक्स आइडेंटिफाई करके काम करना प्रारम्भ किया है। इसमें कर्नाटक के 3 लिंक्स - अल्माटी-पैन्नार, नेत्रावती-हेमावती और बेडती-वर्धा हैं। हमने इन तीनों लिंक्स के ऊपर काम किया है।

माननीय सभापति महोदया, इसके अतिरिक्त आपने और माननीय सांसद रमेश बिधूड़ी जी ने यमुना को लेकर प्रश्न खड़ा किया है। यमुना नदी में वजीराबाद, ओखला में आने के बाद पीने का पानी शेष नहीं रहता है। सीवेज से जो पानी जाता है, वही पानी उसमें बचता है, क्योंकि उससे पहले पानी रोक लेते हैं। दिल्ली में पीने का पानी भी पर्याप्त नहीं हो पाता है। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। जहां तक जो

अनट्रीटेड सीवेज जा रहा है, माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमने जब गंगा नदी की स्वच्छता, उसकी अविरलता और निर्मलता पर काम करना प्रारम्भ कि या था। वर्षों से काम चल रहा था। वर्ष 1985 से गंगा की स्वच्छता के लिए काम हुआ, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने उसको एक नई डायनेमिक्स प्रदान की है। प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि जब हम गंगा की बात करेंगे तो पूरी गंगा बेसिन के लिए बात करेंगे। जब गंगा बेसिन के लिए काम करेंगे तो गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं, चाहे यमुना है या यमुना की सहायक नदियां कोसी या जितनी भी सहायक नदियां, हिण्डन और काली हैं, उन सबकी स्वच्छता के लिए साथ में काम करेंगे।

पहले हमने गंगा की मूल धारा पर काम करना प्रारम्भ किया था और उसमें हमें निश्चित रूप से उल्लेखनीय सफलता मिली है। पूरे देश और दुनिया ने कुंभ और उसके बाद अनेक अवसरों पर इसे देखा है। यमुना में भी हमने उस दृष्टिकोण से काम करना प्रारम्भ किया है। देश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो दिल्ली में है, वह कई वर्षों से अटका हुआ था। मैंने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर दिल्ली सरकार के मुख्य मंत्री जी के साथ बैठकर उस काम को प्रारम्भ किया है। वह तीन सालों में बनकर पूरा होगा। वह बनने के बाद दिल्ली का लगभग 100 प्रतिशत सीवेज ट्रीट होकर जाए, इसके लिए हमने आगे कदम बढ़ाए हैं। साथ ही साथ तब तक बायो रीमेडिएशन व अन्य टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से हम इंटरवीन करके कि स तरह से नालों में हम अभी से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उस पर भी हमने कुछ प्रयोग इस दिशा में प्रारम्भ किए हैं।

महोदया, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी कहा कि क्या हम कभी यमुना में गोता लगाकर नहा सकेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि बाथिंग क्वालिटी का पानी पूरी मात्रा में यमुना में रहेगा। इसके लिए निश्चित रूप से हमने योजना बनाई है। लखवार, कि शाऊ और रेनुका इन तीन जगहों पर बांध बनाकर पानी रोका जाएगा। हमारे यहां केवल 60-70 दिनों के लिए 95 प्रतिशत रेन फॉल होती है। यह पानी बहकर नदी में मिलता है, इसलिए बरसात के दिनों में यमुना अपनी पूरी ऊंचाई तक बहती है। उस समय हमारे

सांसदों और अन्य सभी लोगों के सामने अलग तरह की चुनौती होती है। शेष दिनों में पानी बिल्कुल नहीं रहता है। इन तीनों बांधों के बन जाने से काफी सुविधा होगी। लखवार में काम लगभग प्रारम्भ करने की स्थिति में है। माननीय न्यायालय ने उसमें कुछ टेम्पररी इंजेक्शन दिया है। मुझे विश्वास है कि शीघ्र ही हम उससे बाहर आ जाएंगे। उसके बाद हम वहां काम प्रारम्भ करेंगे। वहां जब काम प्रारम्भ हो जाएगा तो कंट्रोल्ड तरीके से पानी को छोड़ने से वर्ष पर्यन्त पानी का प्रवाह बना रहेगा, जैसा कि हमने गंगा में अनुभव किया।

माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जिस तरह अविरलता बनाए रखने के लिए एक ई-फ्लो नोटिफिकेशन जारी कि या कि कम से कम हमें एक निश्चित मात्रा में पानी लीन सीजन में और मानसून सीजन में नदी में प्रवाहित करना ही पड़ेगा। नदी एक लिविंग एंटिटी है और उसमें रहने वाले जितने भी जीव हैं, उनका नदी पर अधिकार है। इसे सुनिश्चित करने के लिए जिस तरह से गंगा के लिए नोटिफिकेशन कि या गया है, निश्चित रूप से यह बांध बनने के बाद मैं सदन के सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि यमुना में भी हम उसी तरह का ई-फ्लो नोटिफिकेशन करेंगे, ताकि यमुना नदी को पुनर्जीवित कर सकें। राजस्थान से जब चंबल आकर यमुना से मिलती है और उसे पुनर्जीवित करती है, उसके बीच के समय में यह एक चुनौती है। मुझे लगता है कि पॉल्यूशन का सबसे सही तरीका डायल्यूशन है। जल्दी ही हम और अधिक स्वच्छ पानी यमुना में छोड़ पाएंगे, ताकि माननीय सदस्य उसमें जब चाहे डुबकी लगाकर स्नान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति हम जल्द ही लाएंगे। साथ ही साथ माननीय सदस्य श्री वीडी राम जी ने जो प्रश्न कि या है कि जल शक्ति अभियान में उनके क्षेत्र के जिलों को भी जोड़ा जाए। मैंने तो अपनी चर्चा में भी कहा था कि लगभग सभी माननीय सांसदों ने मुझे पत्र लिखकर और व्यक्तिगत रूप से जल शक्ति अभियान में उनके क्षेत्र के जिलों को जोड़ने का अनुरोध कि या था।

जैसा कि आपने अपने वक्तव्य में निवेदन कि या कि 256 वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके उनमें काम करना प्रारम्भ कि या था, लेकि न हमने राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा था कि

इसी तर्ज पर अपने यहां भी इस तरह के काम को एक फोकस्ड अप्रोज लेकर वह कि स तरह से काम कर सकते हैं, इसके लिए अपने जिलों का चयन करके अपने यहां के कलेक्टर्स को नोडल अधिकारी बनाकर इस पर काम करें। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपने राज्य की सरकार से अप्रोच करें और राज्य सरकार इस दिशा में इनीशिएटिव ले। कि सी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट की आवश्यकता होगी तो हम पूरी कमिटमेंट के साथ राज्य और माननीय सदस्य के साथ खड़े रहेंगे। मैं इस बात का विश्वास आपको दिलाता हूं।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल : सभापति महोदया, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि दूसरी बार क्षेत्र की जनता ने हमें चुनकर इस सदन में भेजा। हमारा हमीरपुर लोक सभा संसदीय क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। वहां पर पानी सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी कठिनाई है।

जब मैंने यह संकल्प लगाया था तो मैं समझता हूं कि यह हमारे क्षेत्र की जनता की शुभकामनाएं हैं कि इस 17वीं लोक सभा का यह पहला संकल्प स्वीकृत हुआ। जब यह संकल्प आया तो मैं समझता हूं कि यह काम निश्चित रूप से पूरा होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून, 2019 को यह संकल्प हमारे यहां आया था। उस दिन से संकल्प पर चर्चा हुई और देश के कोने-कोने से, सभी प्रांत के लोगों ने, सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे, अपने क्षेत्र की समस्याओं के साथ-साथ हमारे बुंदेलखंड के लिए, हमारे यहां के छुट्टा गोवंश, जो मवेशी हैं, उनके लिए और वहां पानी का जो संकट है, उसको देखते हुए, बुंदेलखंड की जनता को उन्होंने जो समर्थन दिया है, जो हम लोगों को संबल दिया है, मैं उन सभी का आभार प्रकट करते हुए, अपनी बात प्रारम्भ करता हूं।

महोदया, हमारे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ने बात रखते समय यह विश्वास व्यक्त किया कि इस संकल्प को माननीय प्रधान मंत्री जी का संकल्प बनाकर के हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। ऐसे इस महत्वपूर्ण संकल्प पर

आदरणीय निशिकांत दुबे जी, श्री निहाल चंद जी, श्री मुकेश राजपूत जी और हमारे बुंदेलखंड के वरिष्ठ सांसद श्री भानु प्रताप वर्मा जी ने अपनी बात रखी। श्री भानु प्रताप वर्मा जी ने एक बात बोली थी कि आज पूरे 9 माह हो गये हैं, जब से इस संकल्प पर चर्चा आरम्भ हुहै। वह कह रहे थे कि यह योग दिवस के दिन प्रारम्भ हुआ था तो यह पूरा होगा और हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। माननीय मंत्री जी के उद्बोधन से हमें यह लगा भी है कि इस पर हम लोगों को सफलता मिलेगी। विपक्ष के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी जी, भले ही वह पश्चिम बंगाल से आते हैं, लेकिन उन्होंने बुंदेलखंड का समर्थन किया है। वह इस समय सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय श्री जगदम्बिका पाल जी, हमारे बांदा से सांसद श्री आर.के. सिंह पटेल जी, श्री राजेन्द्र अग्रवाल जी, श्री नायाब सिंह सैनी, हमारे झांसी से सांसद श्री अनुराग सिंह शर्मा जी, राजस्थान से श्री दुष्यंत सिंह जी, श्री पी.पी. चौधरी जी, श्री भगीरथ चौधरी जी, श्री गुमान सिंह जी, श्री जनार्दन मिश्र जी, श्री रितेश पाण्डेय जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी और अंत में हमारे जम्मू-कश्मीर से सीनियर मैम्बर श्री हसनैन मसूदी जी ने भी इस संकल्प पर अपनी बात रखी है।

महोदया, मैं सभी का आभारी हूं क्योंकि जल की आवश्यकता सभी को है, चाहे सुदूर कोई ग्रामीण क्षेत्र हो या दिल्ली की बात हो। अभी जब बात हो रही थी तो मैं देख रहा था। सभापति महोदया, आप भी आसन पर विराजमान हैं, आपके मन में भी अपने क्षेत्र की जनता के प्रति जिम्मेवारी का एहसास था, लेकि न मर्यादा में उसको नहीं उठाना चाहती थीं। आपने बिधूड़ी जी को मौका दिया और उसके बाद भी आपको लगा कि कुछ बचा है तो आपने उसको सदन में रखा।

महोदया, मेरा यह मानना है कि देश के कोने-कोने से लोगों ने इस पानी की समस्या को लेकर जो बात रखी है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को यह लगता होगा कि हमारा संसदीय क्षेत्र ज्यादा संकट में है। लेकि न सभापति महोदया, मैं आपको बहुत भावुकता के साथ बताना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र से जितना पलायन हुआ है और जितना पलायन मेरे संसदीय क्षेत्र हमीरपुर, महोबा, राठ, चरखारी,

छिंदवारी से हुआ है, शायद कि सी अन्य लोक सभा क्षेत्र से इतना पलायन नहीं हुआ होगा। मैं इस बात को इसलिए रख रहा हूं कि हमारे यहां अगर जल का संकट नहीं होता तो हमारे क्षेत्र में कि सी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होती।

महोदया, संकट कैसे बढ़ता चला जाता है? आज मंत्री जी ने जब अपनी बात रखी कि एक हजार साल पहले वहां के राजाओं ने तालाब बनवाए थे। यह एक हजार साल पहले की बात है। सौभाग्य से मेरे पूर्वजों के बनवाए हुए तालाब वहां हैं। वे छोटे तालाब नहीं हैं, एक-एक हजार हेक्टेयर और पांच-पांच सौ हेक्टेयर के तालाब हैं। वहां के किसी भी तालाब को तालाब या पोखर नहीं कहा जाता है। हमारे क्षेत्र में तालाबों के नाम होते हैं, जैसे तीरथ सागर, मदन सागर, कल्याण सागर और रहलिया सागर। हमारे यहां तालाबों का स्वरूप बहुत बड़ा है और इसलिए सभी को सागर के रूप में बोला जाता है। एक हजार वर्ष पूर्व जब चंदेल शासन काल में उनका निर्माण हुआ था, तब वहां के जल प्रबंधन में देश की आजादी के बाद से कमी आयी और वह बढ़ नहीं पाया। जब से आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बने हैं, उनके आने के बाद से पूरे देश की उम्मीदें जगी हैं। हमारे बुंदेलखंड के भी एक-एक गांव में लोगों को यह उम्मीद जगी है कि आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश और क्षेत्र की समस्याओं का निदान होगा। जैसा कि अभी बात आयी, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, लेकि न मुझे यह तो पता था कि वर्ष 2021 तक योगी आदित्यनाथ जी ने घर-घर में "नल से जल" पहुंचाने का निर्णय किया है।

मैं समझ रहा था कि वह काम सिर्फ मेरे बुंदेलखंड में ही पूरा हो रहा है, लेकि न वह काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। उन्होंने प्रदेश में भी जो जल शक्ति मंत्रालय बनाने का काम कि या है, तो मेरे क्षेत्र की जनता माननीय प्रधान मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी की तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रही है, जिसका आश्वासन माननीय मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत जी ने दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ये जो काम हैं, ये काम निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में पूरे होंगे।

महोदया, मेरी बात को रखते समय जो भी बातें आई हैं, हमारा जो बिल है कि नदियों को लिंक करके बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और छुट्टा गोवंश की व्यवस्था के लिए, जो उसका मुख्य कारण है कि इस बिल में केन-बेतवा रिवर लिंकिंग और छुट्टा गोवंश की बात जोड़ी गई है, वह इसलिए जोड़ी गई है कि अगर हम लोगों को खाद्यान्न का संकट होता है, तो हम लोग वह कहीं से भी मंगा लेते हैं। देश का कोई भी साधन संपन्न व्यक्ति जम्मू-कश्मीर से सेब भी प्राप्त कर लेता है और वह दुनिया के कि सी भी देश से ड्राई फ्रूट्स भी मंगा लेता है, लेकि न उस क्षेत्र की जो गरीब जनता है, वह वहां से अपने खाद्यान्न के लिए अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती है। अगर वह कि सी भी प्रकार से ले भी आता है, तो मैं इस बात को बड़े दर्द के साथ, बड़ी भावुकता के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ रखना चाहता हूं।

महोदया, गाय पालने वाले लोग अमीर लोग नहीं होते हैं। जो गरीब लोग हैं, जो भूमिहीन कि सान हैं, वे लोग गाय पालते हैं। मैं हमेशा यह कहा करता हूं कि किसान में वह ताकत है, चाहे उसके पास भूमि भी न हो, तो भी वह किसानी करता है। दूध का उत्पादन करना कि सी कि सानी से कम नहीं है। वह वही किसान करता है, जो भूमिहीन हो गया है, कर्ज में डूबकर उसकी जमीन बिक गई है। कुछ लोग पलायन कर गए हैं और जो लोग पलायन नहीं कर पाए हैं, उनको जो दिक्कत महसूस हुई, तो उन लोगों ने यह सोचा कि हम गोवंश का पालन करें, उससे दूध का उत्पादन करें, ताकि अपना भरण-पोषण कर सकें।

महोदया, जब मेरे क्षेत्र के लोगों ने दुग्ध उत्पादन के लिए काम कि या, तो मेरे क्षेत्र में चारे का संकट पैदा हो गया। ...(व्यवधान) सभापति महोदया, मुझे कम से कम 10 मिनट का समय देने का कष्ट करें। यह बहुत गंभीर विषय है। महोदया, मैं आपसे यह चाहता हूं कि मुझे कम से कम दस मिनट का समय जरूर दिया जाए।

सभापति महोदया, जब वह गोवंश था, जब लोग गोवंश के लिए मजबूर हुए और उनको चारा नहीं मिला, वे खाने के लिए गेहूं-चावल कहीं से ले आते हैं। लेकि न देश के किसी भी कोने से भूसा लाने के

लिए, वे पंजाब से भूसा नहीं ले जा सकते हैं। जब भूसा इतना महंगा मिलेगा, तो वे कैसे उसको ले पाएंगे। उसी का कारण है कि हमारे बुंदेलखंड के किसानों को अपना गोवंश छोड़ना पड़ा है और उससे जितनी भी प्रकार की कठिनाइयां पैदा हुई हैं, जब गोवंश छूटा, तो उसने उन्हीं किसानों के खेतों को चरना शुरू कर दिया। आज यह स्थिति है कि वहां का किसान दिन भर खेतों में मेहनत करता है और रात भर अपने खेतों में गाय से, गोवंश से अपने खेत की चौकीदारी का काम करता है। सरकार इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही है। सरकार के द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं, वे सराहनीय हैं।

सभापति महोदया, मैंने इसी सदन में यह मांग की थी, जब मैं यहां पर पिछली बार 16वीं लोक सभा में था, तब मैंने यह मांग की थी कि हमारे बुंदेलखंड में जो गोवंश पालने वाले लोग हैं, उन कि सानों को 1,000 रुपये प्रति माह सरकार देने का काम करे। तब मुझे हमारे साथियों ने यह बोला था कि आप सत्ता दल के सांसद हैं, आप विपक्ष के सांसदों की मांग कैसे रख रहे हैं। मैंने यह कहा था कि यह विपक्ष के सांसद की मांग नहीं है, हमारी पार्टी हमको यह अधिकार देती है कि अपने क्षेत्र की भलाई के लिए आप अपनी कोई भी बात बड़ी दृढ़ता के साथ रख सकते हैं। मैंने इसकी मांग की थी। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करता चाहता हूं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। पूरे देश में हमारा उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश बना है, जहां के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वहां पर प्रति गाय 900 रुपये के हिसाब से देना प्रारंभ कि या है।

सभापति महोदया, मैं यह समझता हूं कि हमारे इस सदन में बोली हुई कोई भी बात व्यर्थ नहीं जाती है। हम लोग बुंदेलखंड क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं। हम लोग यह मानते हैं कि हृदय की इच्छा अवश्य पूर्ण होती है, यदि मिथ्या न हो। हम लोग इस बात को इस सदन में दिल से उठाते हैं। हमने जिन बातों को दिल से उठाया है, तो हमारे क्षेत्र में उन सब चीजों का समाधान निकला है और हम लोगों को बहुत-सी योजनाएं मिली हैं। अभी गोवंश की जो बात हुई है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि अभी समय की मर्यादा है। मैं यहां पर बहुत-सी बातें इसलिए रखना चाहता था कि वह सदन के संज्ञान में आएगी।

लेकि न मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में जो गोवंश की समस्या है, उसके लिए खाद्यान्न के जो संकट हैं, जो केन-बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, वह नितांत आवश्यक है। यहां पर माननीय मंत्री जी ने उसके ऊपर बड़े ही विस्तार से जवाब दिया है। मैं एक और बात कहकर अपनी बात को पूरी करूंगा कि हमारे यहां लगभग 40 वाटर बॉडीज़ हैं, माननीय मंत्री जी आप उनको केन-बेतवा रिवर लिंक से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं उसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने उसको बहुत ही संजीदगी से लिया है। उस संदर्भ में आपने कई बार मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग भी कराई है और मेरी उनसे बात भी हुई है। आप उसके लिए स्वयं संजीदा हैं।

आपने उसको बहुत संजीदगी से लिया और आपने उस संबंध में अपने मंत्रालय में अधिकारियों के साथ मेरी मीटिंग कराई, बात हुई और आप उसके लिए स्वयं संजीदा हैं। 25 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट मेरे क्षेत्र से, सूखे क्षेत्र से निकल कर जाए और उसके बाद हमारे मजगुआं, बेलाताल, उर्मिल बांध और जितने भी ये सैकड़ों की संख्या में तालाब हैं, अगर वे वंचित रह जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि इस योजना के साथ न्याय भी नहीं होगा और मेरे क्षेत्र के साथ भी न्याय नहीं होगा। क्योंकि उर्मिल बांध को अगर आप पानी देंगे, इतना अच्छा सर्वे हमारे इंजीनियरों ने कि या है कि उस एक बांध में पानी आने से कम से 40 तालाबों में नहर के द्वारा पानी पहुंचता है। अगर उर्मिल बांध में पानी नहीं पहुंचेगा तो 40 वॉटर बॉडीज़ वंचित रह जाएंगी और हमारे क्षेत्र के जो पूर्वजों के बनवाए हुए, बड़े-बड़े सरोवर हैं, वे छूट जाएंगे। वही एकमात्र उसका निदान है कि हमारे पूरे क्षेत्र में एक लाख 60 हजार हेक्टर भूमि सिंचित होनी है।

सभापति महोदय, मैं अंत में आपका आभार प्रकट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपने, माननीय मंत्री जी ने, भारत सरकार ने, सदन के सभी सदस्यों ने, सभी लोगों ने, देश के कोने-कोने से पधारे हुए सभी माननीय सदस्यों ने, हमारे पिछड़े क्षेत्र के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, हम लोगों का समर्थन कि या, इस विभाग का समर्थन कि या। माननीय मंत्री जी ने बोला है कि इस संकल्प को आप वापस लें,

सरकार इसके लिए स्वयं चिंतित है। उन्होंने जो बात बोली है, आश्वासन दिया है, उन्होंने कहा है कि इस संकल्प को माननीय प्रधान मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का संकल्प बना कर इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। इस बात को मानते हुए और माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को मानते हुए, मैं इस संकल्प को इस उम्मीद के साथ वापस लेता हूँ कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए जितनी भी जल प्रबंधन की चीजें हैं, उनको जल्दी से जल्दी शीघ्रता में वरियता क्रम में पूरा कि या जाएगा। मैं अपना संकल्प वापस ले कर पुन: एक बार सभी का आभार प्रकट करता हूँ।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए सहमत हो जाती है कि अंतत: उनके हिस्से का जो जल है, अपने हिस्से के जल में से यदि वे उर्मिल बांध में पुनर्भरण के लिए राजी होते हैं तो हम निश्चित रूप से इसको छोड़ कर, उसको भरवाने के लिए इस योजना के साथ जोड़ने के लिए काम करेंगे।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): महोदय, भारत सरकार के आश्वासन के बाद मैं इस संकल्प को वापस लेता हूँ।

[अनुवाद]

माननीय सभापति: क्या माननीय सदस्य ने सभा से अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति ली है?

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

माननीय सभापति: अब, मद संख्या 18।

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर – उपस्थित नहीं।

अपराह्न 5.43 बजे

(iii) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपाय

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं श्री रितेश पाण्डेय को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए कल्याणकारी उपायों के संबंध में गैर-सरकार सदस्य का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाऊं, सभा को इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए समय आवंटित करना होगा। यदि सभा सहमत हो, तो इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दो घंटे का समय आवंटित किया जाए।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

माननीय सभापति: श्री रितेश पाण्डेय प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

[हिन्दी] **श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:**

> "कि यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं, महिलाओं, बच्चों और कि शोरों को अनेक स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए -

1. आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोज़गार को नियमित करना;

2. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;

3. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो उनकी समाज के प्रति सेवाओं के योगदान के महत्व को दर्शाए;

4. आंगनवाड़ी कार्यकत्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना और प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित वातायन-व्यवस्था सहित सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध करवा कर उनका उन्नयन करना; और

5. देश में किराए पर चलाये जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना। "

महोदया, मेरा मानना है कि सदन के तमाम जितने भी सांसद यहाँ हैं, आए दिन उनके पास आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का एक जत्था जरूर आता होगा। मांगें करने के लिए कि उनकी जो कार्य व्यवस्था है, जो उनका मानदेय है, इनको और सुदृढ़ किया जाए और उनके हकों की व्यवस्था की जाए।

महोदया, मेरा यह मानना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाएँ, ये हमारे देश की 36 स्टेट्स और यूनियन टेरीटरीज़ में 10 करोड़ 23 लाख से ज्यादा बेनिफिशयरीज़ को न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं और 3 करोड़ 65 लाख 44 हजार 3 से 6 वर्षीय बच्चों को प्री-स्कूल कम्पोनेंट, यानी कि स्कूल जाने से पहले, जो शिक्षा दी जाती है, उसको दिलाने का भी काम करते हैं। यह बहुत ही बड़ा काम है और मेरा मानना है कि यह देश की प्रगति में जो सबसे बेसिक काम होगा, सबसे निचले पायदान पर जो सबसे जरूरी चीज करने की जरूरत होती है, वह हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ और सहायिकाएँ जरूर करती हैं। इसलिए उनके हितों को देखना और उनके हितों को सुरक्षित रखना, यह हम लोगों के लिए अति अनिवार्य है कि यह सदन उस पर जरूर विचार करे और चर्चा करे। चर्चा करने के बाद हम एक ऐसे निष्कर्ष पर निकलें, जिससे कि हमारे समाज की बुनियाद को जो मजबूत करने वाले लोग हैं, उनके जीवन में और उनके कार्यों के लिए सही धनराशि या सही तरीके से उनको कम्पेनसेट कर सकें।

महोदया, मेरा यह मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में और खास तौर से आंगनवाड़ी के लिए जो कई स्टडीज़ निकल कर आई हैं, उसमें यह बताया गया है कि ये जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ हैं, ये ज्यादातर समाज के निचले पायदान से, जो हमारा सोशियो इकनॉमिक स्ट्राटा है, उसका जो निचला और मध्यम वर्ग पायदान है, उससे निकल कर आते हैं। ये उसी इलाके से होते हैं, जिस इलाके में आंगनवाड़ी स्थापित होती है। एक हिसाब से यह उसी समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय की ये सेवा

कर रहे होते हैं। उसके साथ-साथ इनकी उम्र करीब 30-50 वर्ष के अंतर्गत होती है। इनकी जो शैक्षिक योग्यता होती है, वह 10वीं पास तक होती है।

मेरा यह मानना है कि ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ कई प्रकार की सेवाएँ उपलब्ध करवाती हैं, चाहे वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में हों, चाहे वह पोषण के क्षेत्र में हों, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हों। ये सेवाएँ बच्चों को, महिलाओं को और कि शोरियों को दिलाने का काम करती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हम लोगों के लिए इतनी बड़ी सुविधा मुहैया कराने का काम करते हैं, इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि इनके हितों को जरूर संज्ञान में लेकर हम कि स तरह से इम्प्रूव कर सकें, उस पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। यहाँ तक कि बच्चों, यानी कि चाइल्ड केयर और हाल में ही जो महिलाएँ प्रेगनेंसी से निकलती हैं, उनके पास छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं, किस प्रकार से उनकी फीडिंग की जाती है, किस प्रकार से उनको स्वस्थ रखा जाए, उनका टीकाकरण और ये सारी चीजों की जानकारी यही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएँ करने का काम करती हैं। लेकि न मेरे संज्ञान में और यहां पर सदन में सभी के संज्ञान में जरूर आया होगा कि इन वर्कर्स की तमाम ऐसी माँगें हैं, जो कि इस देश की बुनियाद को मजबूत करने का काम कर रही हैं। उनकी ये माँगें हैं, उनका कार्य करने का जो क्षेत्र है, उसको और सुदृढ़ कि या जाए और उसके साथ-साथ उनका जो मानदेय है, उसको नियमित कि या जाए। उस पर हम लोगों को जरूर चर्चा करने की जरूरत है। मैं इस सदन में इस आशा के साथ इस प्रस्ताव को लेकर आया हूँ कि इन वर्कर्स का, जो हमारे देश की नींव को मजबूत कर रहे हैं, इनका जरूर उत्थान होने का काम होगा।

अभी 1 अक्टूबर, 2018 से सरकार ने आंगनवाड़ियां का जो ऑनोरेरियम है, उसको 3000 रुपये से बढ़ा कर 4500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है और आंगनवाड़ी हेल्पर का यानी कि सहायिकाओं का 1500 रुपये से बढ़ा कर 2250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। लेकि न आज की तारीख में ऐसा कोई प्रपोजल कंसीडरेशन में नहीं है, जो इनके ऑनोरेरियम को बढ़ाने की दिशा में फिर से चर्चा में लाया गया हो।

महोदया, लोक सभा के एक प्रश्न में यह कहा गया था, हमारी आदरणीय मंत्री जी यहाँ बैठी हुई हैं, उन्होंने यह कहा था कि :

> [अनुवाद] "… आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अवैतनिक कामगार हैं जो मासिक मानदेय के भुगतान पर अपनी सेवाएं देती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं की भूमिका की प्रकृति को देखते हुए, उन्हें नियमित/स्थायी कर्मचारी घोषित करना व्यवहार्य नहीं है..."।

[हिन्दी]

मेरा यह सवाल है कि क्या नैतिक रूप से हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? क्या नैतिकता के आधार पर जो महिलाएं, जो लोग हमारे समाज के शिशुओं को, हमारे समाज की महिलाओं को, हमारे समाज की गर्भवती महिलाओं को जो बेसिक केयर देने का काम करते हैं, जो प्राथमिक केयर देने का काम करते हैं, जो उनको गाइड करने का काम करते हैं, क्या यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनके हितों को देखें? क्या इस देश में, जो इतना बड़ा देश है, जिसमें करीब, अभी मैंने यहाँ पर एक फिगर पढ़ी थी कि लगभग 3 करोड़ 65 लाख 44 हजार बच्चों की देखभाल करने वाली ये आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, क्या हमारा नैतिक धर्म नहीं बनता है कि हम इनके हितों को सुनिश्चित करें? इनके हितों पर चर्चा करके, जो इनकी मेहनत है, इनको उसका सही मानदेय देने का काम करें। मेरा मानना है कि यह अत्यंत जरूरी है कि हम इस दिशा में चर्चा करने का काम करें और इस पर जरूर कोई न कोई सार्थक पहल निकलकर आएगी।

मैं इस पर यह भी कहना चाहता हूँ कि आज की स्थिति में आंगनवाड़ी वर्कर्स की क्या दशा है, इस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए और इस पर थोड़ा प्रकाश हमें जरूर डालना चाहिए। आज की स्थिति

में आंगनवाड़ी वर्कर्स पूरी तरह से ओवर वर्क्ड हैं, यानी कि उनके ऊपर कामकाज का बोझ बहुत ज्यादा है। उनको उसके बदले में जो मानदेय दिया जाता है, वह कहीं न कहीं उसके सापेक्ष पूरी तरह से भी सही नहीं बैठता है। वे क्या-क्या करती हैं, इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहिए। मैंने अभी बताया था कि चाहे गर्भवती महिलाओं को पोषण देने की बात हो, चाहे नवजात शिशु को पोषण देने की बात हो, चाहे उनको शिक्षा देने की बात हो, टीकाकरण की बात हो या उसके अलावा भी तमाम और काम आते हैं, जैसे कि इनको 12-12 रजिस्टर मैन्टेन करने पड़ते हैं। इनमें कौन-कौन से रजिस्टर हैं, सर्वे रजिस्टर हो गया, एक उन्मुक्ता यानी कि इम्यूनाइजेशन रजिस्टर हो गया, वे इसे भी मेनटेन करते हैं, एएनसी रजिस्टर को मेनटेन करते हैं, एक रेफरल रजिस्टर होता है, उसको मेनटेन करते हैं और उसके साथ-साथ विजिटर बुक को भी मेनटेन करते हैं। ये सारी चीजें 10वीं पास कि ये हुए हमारे ये वर्कर्स करने का काम करते हैं और इनको भुगतान क्या मिलता है, 4 हजार रुपया, 2,250 रुपया, एक आनरेरियम मिलता है। यह कहीं न कहीं बहुत ही कम है। उसके साथ-साथ, इसके अलावा आंगनवाड़ी वर्कर्स को तमाम और कामों में लगा दिया जाता है। जब सरकार को जरूरत पड़ती है और जायज सी बात है कि जब जरूरत पड़े तो फिर अपने बीच के ही लोग, जो अपने साथ काम करते हैं, उनको आगे बढ़कर के सरकार की मदद करनी चाहिए और इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं बिल्कुल भी पीछे नहीं रहती हैं। ये हमेशा आगे आकर काम करते हैं। पल्स पोलियो जैसे प्रोग्राम, जो आज हम इस देश में बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई भी देना चाहता हूँ, इनसे पहले वाले मंत्री जी को भी बधाई देना चाहूँगा कि आज हम यह बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि पोलियो से हमारे देश को छुटकारा मिला है और अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है, बराबर यह सुनिश्चत करने के लिए कि आगे ऐसा कोई केस न आए। विटामिन ‘ए' डिस्ट्रिब्यूशन प्रोग्राम, इसको भी ये ही आंगनवाड़ी वर्कर्स, सहायिकाएं कर रही हैं। मेरा यह मानना है कि इस पर पुन: हम लोगों को विचार करने की जरूरत है कि इनका जितना

भी काम है, जो भी ये मेहनत करते हैं, उसके सापेक्ष क्या हम इन लोगों को उतना सम्मान देने का काम कर रहे हैं या नहीं।

एक और बड़ी शिकायत इंफ्रास्ट्रक्चर की है, यानी जिन बिल्डिंग्स में वे काम करने जाते हैं या जिन सुविधाओं के अंतर्गत रहकर आंगनवाड़ी वर्कर्स और सहायिकाएं काम करती हैं, वह इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ नहीं है, वह अच्छा नहीं है। मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर से तमाम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता हैं, अलग-अलग ब्लॉक्स हैं, कटेहरी ब्लॉक है, जलालपुर ब्लॉक है, भियांव ब्लॉक है, टांडा है, अकबरपुर ब्लॉक है, गोसाईगंज में तारुन ब्लॉक हो गया और गोसाईगंज पर हमारे तीन ब्लॉक हैं, उधर से भी सभी लोग आकर इस बात पर चर्चा जरूर करते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स के जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, तमाम जगहों पर बिजली नहीं है। मैं अभी कुछ फिगर्स भी दूँगा, तमाम जगहों पर सही तरह से बच्चों को बिठाने की जगह नहीं है।

वहां पर पोषण देने की बात होती है, पर उसे मुहैया कराने के लिए सही फर्निचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, इसकी बराबर शिकायतें आती रहती हैं। सरकार के अपने डेटा के हिसाब से 18 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों पर ये मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। उसके साथ-साथ 31 प्रतिशत केन्द्रों पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हैं। यहां तक कि 31 प्रतिशत केन्द्रों पर टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है। यह बहुत ही दर्दनाक आंकड़े हैं। इसे देखकर कष्ट होता है। मैं फिर से यह कह रहा हूं कि जहां हम अपने देश की बुनियाद रखने की बात करते हैं, जहां पोलियो का और दूसरी तमाम बीमारियों का टीकाकरण होता है, जिससे हम लड़ने की बात करते हैं और इस देश को भारी-भरकम बीमारियों से फुर्सत दिलाने की बात करते हैं, अगर ऐसे 31 प्रतिशत केन्द्रों पर पीने का पानी उपलब्ध न हो, टॉयलेट्स न उपलब्ध हों तो यह हमारे लिए बहुत ही दु:ख की बात है। हमें अपने स्तर को उठाने की जरूरत है और इस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है।

इसके साथ-साथ वहां वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि यहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स अच्छे से काम कर सकें और वहां जो बच्चे आते हैं, उन्हें सही वातावरण मिल सके। पर, वह भी उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि वहां पर वेंटिलेशन उपलब्ध नहीं है। कर्नाटक में एक शोध हुआ था, जिसमें यह बताया गया है कि 16 प्रतिशत बिल्डिंग्स अभी भी थैच्ड रूफ की हैं यानी वे झोपड़-पट्टी के अन्दर चलाई जाती हैं। उनके ऊपर घास-फूस की छत है। 12 प्रतिशत केन्द्र ऐसे हैं जहां एस्बेस्टस लगे हैं। आज यह जगजाहिर है कि एस्बेस्टस से कैंसर हो जाता है और मरीज सीधे अस्पताल चला जाता है। हम नवजात शिशुओं को एक अच्छा भविष्य देने की बात करते हैं लेकि न अगर हम एस्बेस्टस को नहीं हटाएंगे तो कहीं न कहीं हम उन्हें पोषण देने की बजाय उनके बड़े होने तक उन्हें अस्पतालों का भी रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे लिए यह एक और चुनौती है, जिसका समाधान हम लोगों को निकालने की जरूरत है।

छत्तीसगढ़ में करीब 51,384 आंगनवाड़ी केन्द्र ऑपरेशनल हैं, जिसमें से 17,846 दिसम्बर, 2019 तक इलेक्ट्रीफाइड हैं। प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत 97 प्रतिशत इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे देश में हो गया है, लेकि न वहीं पर 65 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्र बहुत ही बैकवर्ड अवस्था में हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र अम्बेडकर नगर में ही अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहां तमाम ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, जहां बिजली नहीं पहुंची है। गर्मी के समय जब पारा 45 डिग्री के पास पहुंचता है तो हमें यह देखने को मिलता है कि लोग वहां बैठ नहीं सकते। एक तरफ तो हम यह चाहते हैं कि आंगनवाड़ी केन्द्रों पर नवजात शिशुओं को लाया जाए, गर्भवती महिलाएं आएं, लेकि न जब हम वहां पर सुविधाएं नहीं देंगे, जब वहां पर बिजली की सुविधा नहीं होगी तो इतनी असुविधा में वहां पर कोई कैसे आएगा?

20-03-2020

<u>अपराह्न 5.59 बजे</u> (माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुए*)

आंगनवाड़ी सहायिकाओं को समाज में को-ऑपरेशन की भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं। वे घर-घर जाकर इसका क्रियान्वयन करती हैं। वहां पर वे गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पोषण देने का काम करती हैं, लेकि न उत्तर प्रदेश में बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स की शिकायत है और मेरे क्षेत्र अम्बेडकर नगर में ही मुझे ये शिकायतें मिलती रहती हैं कि लोगों द्वारा, उनके द्वारा दिए गए भोजन और कुपोषण को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा जो खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, उन्हें खाने से इसलिए मना कर दिया जाता है कि कुछ आंगनवाड़ी वर्कर्स दलित समाज से आती हैं। ऐसी सोच को भी हमें समाज से हटाने का काम करना है और कि स तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स उसे हैंडल करें, उसकी ट्रेनिंग की भी जरूरत है।

20-03-2020

सायं 6.00 बजे

मान्यवर, मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा...(व्यवधान) यह जो रेकमेन्डेशन कॉन्फ्रेंस कमेटी से आया था, [अनुवाद] आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए सेवा शर्तें, वेतन और सामाजिक सुरक्षा पर सम्मेलन समिति को 45वें भारतीय श्रमिक सम्मेलन में सम्मिलित किया गया था। [हिन्दी] इसके कुछ सुझाव हैं। इसको मैंने अपनी प्रस्तावना में भी मेन्शन कि या था। सबसे पहले इन वर्कर्स को रेकग्नाइज़्ड करना चाहिए, वॉलन्टियर की तरह नहीं, मतलब एक स्वयंसेवक की तरह नहीं, बल्कि इनको नियमित करने की जरूरत है।

दूसरा, इनको मिनिमम वेज देने की जरूरत है। इस देश का जो मिनिमम वेज है, वह इन लोगों को नहीं मिलता है। यह इनको भी मुहैया करवाया जाए। इसके साथ-साथ इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना चाहिए। हम लोग तथा सरकारी कर्मचारियों को जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, उसे भी उपलब्ध कराने की बात हमने इसमें की है। पेंशन, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी लीव बेनिफिट जैसी सारी चीज इनको उपलब्ध करानी चाहिए। उसके साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स के लिए आम आदमी बीमा योजना है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह भी आँगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायिकाओं को मिलना चाहिए। आँगनवाड़ी सेंटर को पक्की बिल्डिंग में होना चाहिए और इनको एक अच्छी व्यवस्था में होना चाहिए।

महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि डिपार्टमेंट को एक एम्प्लॉइमेन्ट स्टैंडिंग ऑर्डर इन वर्कर्स के लिए रेग्युलेट करना चाहिए, ताकि इनके सर्विस कंडीशंस का समय-समय पर मॉनिटर कि या जा सके। [अनुवाद] ऐसे कर्मियों को संविदा आधार पर रखा जाता है। [हिन्दी] जो ये वर्कर्स हैं, उनको अभी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाता है। इनको संविदा पर रखा जाता है। इनको पूरी तरह से रीटेन कि या जाए। इनको नियमित करने का काम किया जाए।

मान्यवर, आपने इस चर्चा को यहाँ पर लिया, मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आँगनवाड़ी वर्कर्स एवं सहायिकाओं के कल्याण होने का काम होगा।

माननीय अध्यक्ष: निशिकांत जी, आप अगली बार कन्टिन्यू कीजिए। आपका नाम आ गया है।

सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 23 मार्च, 2020 को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

<u>सायं 6.03 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, 23 मार्च, 2020 / 3 चैत्र, 1942 (शक) के अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं:

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2020 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित